

भारतीय शिक्षा-दार्शनिक

कीर्ति देवी सेठ

एम० ए०, एम० एड०, डी० फ़िल०
शिक्षा-विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय

प्रथम संस्करण
सितम्बर, १९६०

120-14
131

मूल्य ७.००

151743

स्वामी दयानंद सरस्वती

जीवन और कार्य

उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम भाग में भारतीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में पुनरुत्थान और पुनर्जागरण की जो शक्तिशाली लहर आयी, उसने संपूर्ण राष्ट्र को झकझोर कर नये जीवन का संदेश दिया। इस पुनर्जागरण-काल से ही हमारे देश में राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ, जो उत्तरोत्तर व्यापक और गतिशील होता गया तथा जिसके फलस्वरूप देश में स्वराज्य की स्थापना संभव हो सकी। किंतु यदि इस राष्ट्रीय जागरण के पूर्व के इतिहास का हम अवलोकन करें तो ज्ञात होगा कि इससे पूर्व भी स्वामी दयानंद ने अपने धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार-आंदोलन द्वारा इस राष्ट्रीय चेतना के विकास का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। पारश्चात्य सभ्यता, संस्कृति और जीवन-दर्शन के दुष्प्रभावों से आक्रांत भारतीय जीवन के सम्मुख उन्होंने चिरकाल से विस्तृत वैदिक धर्म एवं संस्कृति का उज्ज्वल आदर्श प्रस्तुत किया, आत्मसम्मान की भावना जागृत की और आधुनिक युग के अनुकूल प्रगति करते हुए भी अतीत से प्रेरणा लेने की प्रेरणा प्रदान की। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जब हम स्वामी दयानंद के महान कार्यों का मूल्यांकन करते हैं तो यह कहना पड़ता है कि वह आधुनिक भारत के प्रथम क्रान्तिकारी 'ऋषि' थे।

बाल्यकाल और शिक्षा

उन्नीसवीं शताब्दी में गुजरात की भूमि ने दो महापुरुषों—स्वामी दयानंद तथा महात्मा गांधी—को उत्पन्न करने का गौरव प्राप्त किया। इसी प्रांत के मौरवी नामक एक छोटे-से राज्य में एक संपन्न औदीच्य ब्राह्मण-परिवार में सन् १८२४ ई० में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम कर्षणलाल तिवारी था जो धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनका अधिकांश समय शिव की पूजा-आराधना में ही व्यतीत होता था। स्वामी दयानंद का बचपन का नाम मूलजी या मूलशंकर था।

कर्षणजी स्वयं विद्वान् ब्राह्मण थे, अतः उन्होंने मूलशंकर की शिक्षा का आरंभ अल्पायु में ही कर दिया। पाँच वर्ष की अवस्था में ही उन्हें संस्कृत के ग्रंथ कंठस्थ कराये गये और वैदिक ग्रंथों का अभ्यास कराया गया। आठ वर्ष की अवस्था में मूलजी का

FOREWORD

I have pleasure in writing a brief foreword to the valuable volume which Dr. (Mrs.) K. D. Seth has brought out. Doctrines of Western Educators have been expounded in clearly written treatises in England, the United States of America and elsewhere; but Great Indian Educators have been neglected so far. Unless we have a thorough understanding of the basic concepts which inspired our great teachers of the past, we shall fail in our endeavours to re-orient our education from the proper Indian view-point. Indian view of life, Indian way of life and Indian culture should be thoroughly understood and assimilated before anyone ventures to put forth plans for Indianising education. A book like Dr. (Mrs.) Seth's, 'Bharatiya Shiksha-Darshanik' comes at the right moment to fill a gap in our educational field. I am confident that this book will be instructive and illuminating not only to the students in the universities but to those who wish to reshape our Educational System.

P. S. Naidu

Head of the Department

Post-Graduate Studies and Research

Vidya Bhavan
Udaipur

आमुख

भारत की वर्तमान शिक्षा-पद्धति पाश्चात्य जगत् की देन है। अतः उसमें पाश्चात्य सभ्यता, संस्कृति, जीवन-दर्शन और रीति-नीति का यथेष्ट समावेश होना स्वाभाविक ही है। पाश्चात्य जीवन के मूल में भौतिकतावाद की ही प्रधानता है और प्रत्यक्षरूप से उसके विभिन्न पक्षों के विकास की प्रेरक भावना भौतिकता ही है। ऐहिक सुख समृद्धि की तीव्र लालसा ने पश्चिम की विश्व-विजय की दुर्दयनीय महत्वाकांक्षा को उदीप्त किया और वैज्ञानिक प्रगति ने उसमें और योग दिया। फलस्वरूप पिछले दो महायुद्धों का भयंकर परिणाम यह हुआ कि मानवता की जड़ें हिल गईं। भारत में प्रचलित शिक्षा-पद्धति के मूल में पाश्चात्य जगत् के इसी भौतिकवादी दर्शन की छाप स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। यह पद्धति हमारे देश की आध्यात्मिक संस्कृति के सर्वथा प्रतिकूल है; यह हमें जीवन के उच्च लक्ष्य से विमुख करके घोर पतन की ही ओर ले चलेगी। अतः स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत को ऐसी शिक्षा-पद्धति की आवश्यकता है जिसमें राष्ट्रीय तत्त्वों की प्रमुखता हो ताकि भारत के प्राचीन गौरव को पुनः प्रतिष्ठित किया जा सके। इतना ही नहीं, वर्तमान शिक्षा की नींव एक ठोस जीवन-दर्शन—भारत के आध्यात्मिक दर्शन—के आधार पर खड़ी की जानी चाहिए जिससे कि भारतीय जाति में आत्मविश्वास एवं सुदृढ़ता आ सके और भारत संपूर्ण विश्व को अपनी आध्यात्मिकता का संदेश देकर अपने विशिष्ट एवं निर्दिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति कर सके।

इस उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त यह जानने के लिए कि वे कौन से शिक्षा के तार्किक सिद्धांत हैं जिनको शिक्षा-पद्धति में प्रयोग करने से शिक्षा 'राष्ट्रीय-शिक्षा' कहलायेगी, प्रस्तुत पुस्तक में उन सभी अर्वाचीन शिक्षा-दार्शनिकों के जीवन-दर्शन और शिक्षा-दर्शन का वर्णन किया गया है जिन्होंने भारत के पुनरुत्थान-काल में राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना को उदीप्त करने का अकथनीय प्रयास किया। यह सर्वविदित तथ्य है कि जीवन-दर्शन का शिक्षा-दर्शन से अटूट संबंध है। प्रत्येक दार्शनिक साथ ही साथ शिक्षक भी होता है। यह तथ्य हमारे देश के लिए तो और भी अधिक पूर्ण रूप से चरितार्थ होता है क्योंकि हमारे देश में दर्शन केवल चिन्तन का विषय ही नहीं वरन् जीवन में प्रयोग एवं व्यवहार का विषय भी रहा है। अतः इस पुस्तक में जिन दार्शनिकों का वर्णन किया गया है उनके सिद्धांत को सिद्धांत नहीं है वरन् वे व्यवहृत होकर जीवन को उत्कृष्ट बनाने के उपयुक्त साधन हैं।

भारत की दर्शन-परंपरा प्रधानतः आदर्शवादी है। आदर्शवादी सिद्धांतों के परख की

कसौटी है उनकी शाश्वतता और सार्वभौमिकता। अर्वाचीन भारतीय शिक्षा-दार्शनिकों ने यह प्रमाणित किया है कि भारतीय शिक्षा के सिद्धांत आदर्शवादी हैं; वे प्राचीन काल में भी हमारे देश में व्यवहृत रहे हैं और आज भी उसी रूप में व्यवहृत हैं, केवल युगीन परिस्थितियों के अनुकूल इन सिद्धांतों के पालन के बाह्य साधनों में हेर फेर की जा सकती है; ये सिद्धांत सार्वभौम भी हैं क्योंकि भारतीय होते हुए भी वे प्रत्येक देश व जाति के उत्थान के लिए, यदि उन्हें उपयोग किया जाय, तो सक्षम हैं। इसका कारण है कि भारतीय वेदांत-दर्शन किसी एक विशेष धर्म—हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि—के अनुयायियों को संबोधित नहीं किया गया है। इसका विश्वास उस आत्मा में है जो प्रत्येक मानव में प्रतिबिंबित है। विश्व-शांति और विश्व-एकता आज के युग की पुकार है। भारत की इसी शांतिवादी एवं आदर्शवादी विचारधारा का अनुसरण करने से ही संसार का कल्याण संभव है। इसी भावना से अनुप्रेरित होकर इस पुस्तक की रचना की गयी है।

इस पुस्तक की रचना लेखिका के डी०फ़िल०-थीसिस, 'Idealistic Trends in Indian Philosophies of Education' के आधार पर हुई है। शोधकार्य पूज्य-गुरु, श्री० पी० एस० नायडू की संरक्षता में संपन्न होने के कारण, इस पुस्तक की प्रेरणा का श्रेय उन्हीं को है; पुस्तक की प्रस्तावना लिखकर उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। पुस्तक के संबंध में समय-समय पर परामर्श देने के लिए मैं डा० सुबोध अदावाल, अध्यक्ष शिक्षा-विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय, तथा अपने साथी-गण कु०—निर्मला हंडू, श्री लक्ष्मी नारायण गुप्ता, कु० शांति जोशी तथा कु० प्रीतिलता अदावाल की हृदय से आभारी हूँ। पाण्डुलिपि के दुहराने में मेरी शिष्या—कु० सुचेत गोयन्दी ने मुझे बहुत सहायता दी है। भाषा-संबंधी सहायता के लिए मैं श्री योगेन्द्र पांडे की अत्यन्त कृतज्ञ हूँ; मुझे अत्यंत खेद है कि इस पुस्तक के प्रकाशन के पूर्व ही अकस्मात् उनका स्वर्गवास हो गया।

मेसर्स गोविंदराम हासानंद, नई सड़क, दिल्ली द्वारा स्वामी दयानंद सरस्वती का चित्र प्राप्त हुआ है, उनकी मैं आभारी हूँ।

कीर्ति देवी सेठ

शिक्षा-विभाग

प्रयाग विश्वविद्यालय

सितम्बर, १९६०

विषय-सूची

विषय			पृष्ठ
	1968	B.A. II	
	स्वा० दयानंद सरस्वती	✓	
जीवन और कार्य ✓	१
जीवन-दर्शन ✓	८
शिक्षा-दर्शन ✓	१३
शिक्षा-संस्थाएँ ✓	३२
सहायक साहित्य	३३
	1967	B.A. II	
	स्वा० विवकानंद	✓	
जीवन और कार्य ✓	३४
जीवन-दर्शन ✓	४०
शिक्षा-दर्शन ✓	५४
शिक्षा-संस्थाएँ ✓	७५
सहायक साहित्य ✓	७६
	डॉ० एनी बेसेन्ट		
जीवन और कार्य	७८
जीवन-दर्शन	८५
शिक्षा-दर्शन	८२
शिक्षा-संस्थाएँ	१२०
सहायक साहित्य	१२१

विषय

डॉ० रवीन्द्रनाथ ठाकुर ✓

जीवन और कार्य	१२२
जीवन-दर्शन	१२६
शिक्षा-दर्शन	१३७
शिक्षा-संस्थाएँ	१७१
सहायक साहित्य	१७३

महात्मा गांधी

जीवन और कार्य	१७४
जीवन-दर्शन	१८५
शिक्षा-दर्शन	१९६
शिक्षा-संस्थाएँ	२३८
सहायक साहित्य	२४२

डा० श्री अरविंद घोष ✓

जीवन और कार्य	२४४
जीवन-दर्शन	२५०
शिक्षा-दर्शन	२५४
शिक्षा-संस्थाएँ	२८८
सहायक साहित्य	२९२
परिशिष्ट	२९३
अनुक्रमणिका	२९४

① Dayanand

② Swami Vivekananda

③ Raviindra Nath Tagore

④ Mahatma Gandhi

⑤



डिप्टी कलक्टर, के अनुरोध पर उन्होंने 'सत्यार्थप्रकाश' की रचना की। इस बहुमूल्य ग्रंथ के प्रणयन में उन्हें पं० चंद्रशेखर से भी भाषा-संबंधी सहायता प्राप्त हुई। हिंदू धर्म में संस्कारों को प्रमुख स्थान प्राप्त है, किंतु इस संबंध में वैदिक पद्धति के अनुकूल कोई पुस्तक प्राप्त नहीं थी; अतः उन्होंने 'संस्कारविधि' की रचना की, जिसमें गर्भाधान से लेकर मृत्युपर्यंत होने वाले सोलह संस्कारों का वर्णन है। वेद विश्व-साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ हैं, जिनसे तत्कालीन प्रतिभा, ज्ञान और जीवन का परिचय प्राप्त होता है। वेदवाणी को जनसाधारण तक पहुँचाने के लिए स्वामीजी ने वेदों का भाष्य प्रारंभ किया। 'ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका', 'यजुर्वेदभाष्य', 'ऋग्वेदभाष्य' (जो अपूर्ण रह गया), 'वेदांग-प्रकाश' आदि इस संबंध में उल्लेखनीय हैं। वेदों के संबंध में लिखे गये ग्रंथों की पृष्ठसंख्या इतनी अधिक है कि उनका प्रकाशन कई खंडों में हुआ है। 'आर्याभि-विनियः', 'पंचमहायज्ञविधि', 'संस्कृतवाक्यप्रबोधः', 'व्यवहारभानुः', 'काशीशास्त्रार्थ-भ्रांति-निवारणम्', 'वेदातिघ्वांत-निवारणम्', 'अभोच्छेदन', 'वेदविरुद्धमत-खंडन' और 'आर्योद्देश्य रत्न-माला' आदि स्वामीजी के प्रमुख ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों में धर्म, दर्शन, आचार, नीति आदि अनेकशः विषयों का प्रतिपादन हुआ है, जिन्हें पढ़ कर उनकी दैवी प्रतिभा का सहज ही अनु-मान किया जा सकता है।

महाप्रयाण

स्वामी जी पूर्ण योगी थे अतः उन्हें अपने शरीर-त्याग का पूर्वाभास मिल गया था। उन्होंने मैडम ब्लावात्सकी से बातचीत करते हुए कहा था कि मैं सन् १८८३ ई० के अंत तक जीवित न रह सकूंगा। उनकी यह भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। ३० मई, सन् १८८३ ई० को स्वामीजी जोधपुर गये जहाँ दूध के साथ उन्हें काँच पीसकर दे दिया गया। दूध पीने के बाद जब उन्हें ज्ञात हो गया कि विष दिया गया है, तो रसोइये को बुला कर कहा, 'तुम यहाँ से भाग जाओ, अन्यथा लोगों को जब पता लग जायेगा कि तुमने मुझे विष दिया है तो वे तुम्हारा प्राण ले लेंगे।' स्वामीजी ने उसे कुछ रुपए दे कर भगा दिया। बड़ी चिकित्सा हुई, किंतु अंत में, ३० अक्तूबर सन् १८८३ ई० को, दीपावली के दिन, अजमेर में स्वामीजी का देहावसान हो गया। स्वामीजी की मृत्यु की इस घटना से ईसा के उस वचन का स्मरण हो आता है, जिसे उन्होंने सूली पर चढ़ते समय कहा था, 'पिता इन्हें क्षमा करना, ये स्वयं नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं।' स्वामीजी ने स्वयं विषपान करके भी अपने हत्यारे के प्राण की रक्षा की और उसे भगा दिया। सत्य की प्रतिष्ठा और उसकी रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष करने वाले स्वामीजी ने अपने जीवन का अंत भी सत्य के लिए किया। अरविंद घोष के शब्दों में "स्वामी दयानंद आध्यात्मिक क्रियात्मकता की एक शक्तिसंपन्न मूर्ति थे।"

पंडित हरिश्चंद्र विद्यालंकार के शब्दों में "दयानंद ऋषि थे—क्रांतिदर्शी अर्थात् विश्वद्रष्टा। मानव-जीवन का कौन-सा वैयक्तिक अथवा सामाजिक पहलू रह गया,

जिसके संबंध में दयानंद ने पथ-प्रदर्शन नहीं किया। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास के सभी उपायों की मीमांसा उनके लेखों, व्याख्यानों और कार्यों में हम पाते हैं। 'डा० रवीन्द्रनाथ ठाकुर के शब्दों में, 'महान गुरु दयानंद के मन ने जीवन के सब अंगों को प्रदीप्त कर दिया।' महात्मा बुद्ध, आचार्य शंकर, और भी न जाने कितने महापुरुष भारत में जन्मे और अपने-अपने ढंग से मनुष्यों का पथ-प्रदर्शन कर गये, परंतु मानव-जीवन की सर्वाङ्गीण उन्नति का जो मार्ग ऋषि दयानंद ने प्रदर्शित किया, उसका अपना महत्त्व है। जातीय जीवन का कौन-सा सूत्र है, जिसका प्रतिपादन ऋषि ने नहीं किया! एक शास्त्र, एक देवता, एक भाषा और एक संस्कृति की प्रतिष्ठा कर वे भारतीय समाज को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप में सर्वथा समर्थ देखना चाहते थे। यही नहीं, भूमंडल-भर में ऐसी एकता और उसके फलस्वरूप सुख, शांति एवं समृद्धि का राज्य उनका सुनहला सपना था।'

जीवन-दर्शन

आर्यसमाज के संस्थापक स्वामी दयानंद यद्यपि एक महान दार्शनिक थे, तथापि उनकी गणना दार्शनिकों में नहीं की जाती है। इसका कारण संभवतः यह है कि सामाजिक और धार्मिक सुधार के क्षेत्र में उनकी देन इतनी अधिक और महत्वपूर्ण है कि दार्शनिक रूप की तुलना में उनका सुधारक रूप अधिक विशिष्ट जान पड़ता है। दर्शन में रुचि रखने वाले उनके कुछ अनुयायियों को छोड़ कर शेष सभी उन्हें सुधारक के रूप में ही स्वीकार करते हैं। शंकराचार्य और रामानुज की भाँति स्वामी दयानंद भी वेदों के प्राचीन गौरव को उच्च स्थान पर पुनः प्रतिष्ठित करना चाहते थे और उनके प्रति अत्यंत आदर का भाव रखते थे। किंतु उन आचार्यों और स्वामीजी के दृष्टिकोण में थोड़ा अंतर है। स्वामी दयानंद वेदों को अपौरुषेय (Self-revelatory) या 'श्रुति' तथा उपनिषदों, गीता आदि ग्रंथों को 'स्मृति' मानते हैं। 'वैदिक युग की ओर पुनरावर्तन' की उन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की। इसीलिए उन्हें 'भारत के मार्टिन लूथर' की संज्ञा दी जाती है। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों, शंकर और रामानुज, द्वारा उपनिषदों, गीता और वेदांतदर्शन का भाष्य लिखने की परंपरा का पालन नहीं किया, वरन् सीधे वेदों पर भाष्य लिखना प्रारंभ किया। स्वामीजी ने भाष्यों की रचना प्राचीन साहित्य में रुचि रखने वाले कतिपय व्यक्तियों के लिए नहीं की, वरन् भाष्य लिखने में उनका मुख्य उद्देश्य वेदों को सर्वसाधारण के लिए सुगम और सुलभ बनाना और उनके निकट पहुँचाना था।

‘ऋग्वेदादि-भाष्य-भूमिका’ और ‘सत्याभ्रप्रकाश’ स्वामीजी के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों के अध्ययन से दर्शन के संबंध में उनको कुशाग्र बुद्धि और गहराई का परिचय मिलता है। वह न तो अद्वैतवादी थे और न विशिष्टाद्वैतवादी। इनमें से किसी पर उनका विश्वास नहीं था क्योंकि उनके विचार में इस जगत् में केवल तीन तत्त्व अनादि हैं : १. ईश्वर या ब्रह्म, २. जीव या आत्मा, तथा ३. प्रकृति या मूलोपादान। प्रकृति केवल ‘सत्’ स्वरूप है, जीव ‘सत्’ और ‘चित्’ स्वरूप है तथा ब्रह्म ‘सत्’, ‘चित्’ और ‘आनंद’ अर्थात् सच्चिदानंद स्वरूप है, अतः उन्हें ‘त्रैतवादी’ कहा जा सकता है। वह शंकराचार्य की भाँति यह नहीं कहते ‘एकम् ब्रह्म द्वितीयम् किञ्चित् वस्तु नास्ति’ अर्थात् ब्रह्म को छोड़ कर शेष सब मिथ्या है : यद्यपि केवल एक ब्रह्म में विश्वास करने के कारण स्वामीजी को ‘अद्वैतवादी’ (Monotheist) कहा जा सकता है, तथापि शंकर की भाँति वह यह नहीं कहते कि ब्रह्म के अतिरिक्त सारा जगत् मिथ्या है। रामानुज ने शंकर के मायावाद के सिद्धांत की जो आलोचना की है, उससे तो स्वामीजी सहमत हैं, किंतु दर्शन के क्षेत्र में उनके द्वारा प्रतिपादित ‘विशिष्टाद्वैतवाद’ (Qualified Monism) को वह नहीं मानते। उदाहरणार्थ, रामानुज का मत है कि जीवात्मा और पदार्थ अन्य कुछ नहीं, वरन् ब्रह्म की दो पृथक् अभिव्यक्तियाँ : ब्रह्म के दो प्रकार हैं। इस मत के विषय में स्वामीजी का कहना है कि यदि ब्रह्म विशुद्ध चित्स्वरूप और सर्वत्र है तो वह अपने ही अभिव्यक्त स्वरूपों—जीवात्मा और प्रकृति (पदार्थ)—से पृथक् किस प्रकार लक्ष्य किया जा सकता है ? पुनः रामानुज जीवात्मा और ब्रह्म में गुणवैधर्म्य के कारण पृथक्ता मानते हैं। अस्तु, स्वामीजी का कथन है कि जब दोनों ‘ब्रह्म और जीवात्मा’ के गुण पृथक् हैं तो वे समान या एक कैसे हो सकते हैं ! ‘अभिव्यक्ति’ शब्द की सार्थकता भी विशिष्टाद्वैत मत में ठीक नहीं बैठती।

जीवात्मा और ब्रह्म

स्वामीजी के अनुसार जीवात्मा और ब्रह्म के गुण पृथक्-पृथक् हैं; अतः इस गुण-वैधर्म्य के आधार पर उनको एक या समान नहीं माना जा सकता। पर जीवात्मा और ब्रह्म में कुछ गुण समान भी हैं; दोनों मूलतः चेतन-स्वरूप हैं, स्वभाव से पवित्र तथा शाश्वत हैं। क्या इस समानता अथवा साधर्म्य के कारण भी उन्हें समान या अनन्य नहीं माना जा सकता ? नहीं। इस तथ्य को समझने के लिए हम ठोस पदार्थ, तरल पदार्थ तथा अग्नि का उदाहरण ले सकते हैं। ये तीनों पदार्थ निर्जीव तथा प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होने वाले हैं। दूसरे शब्दों में निर्जीवता तथा प्रत्यक्षता इन तीनों के समान गुण हैं। परंतु इन समान गुणों अथवा साधर्म्य के आधार पर इन्हें एक नहीं माना जा सकता; कारण, इन तीनों का असमान गुण अथवा वैधर्म्य इन्हें एक दूसरे से पृथक् करता है। ठोस पदार्थ का गुण है कठोरता, तरल पदार्थ का गुण है द्रव्यशीलता और अग्नि का

गुण है प्रकाश एवं उष्णता। अतः इस गुण-वैधर्म्य के आधार पर इनके अलग-अलग स्वरूप को पहचाना जा सकता है और उन तीनों को एक या समान नहीं माना जा सकता। ठीक इसी प्रकार जीवात्मा और ईश्वर में गुण-साधर्म्य के साथ-साथ गुण-वैधर्म्य भी है। ईश्वर सर्वज्ञ, असीम क्रियाशील तथा सर्वव्यापक है। जीवात्मा ज्ञान, कर्म और स्वभाव से सीमित है। उसमें त्रुटि करने की क्षमता है और वह प्रगतिशील है। ईश्वर सूक्ष्माति-सूक्ष्म है, किंतु जीवात्मा उतना सूक्ष्म नहीं।

इसके अतिरिक्त अनादि ज्ञान, असीम आनंद तथा असीम शक्तिमत्ता ईश्वर के गुण है। इससे भिन्न आत्मा के गुण हैं पदार्थों की प्राप्ति की अभिलाषा (इच्छा), दुःख की अनिच्छा तथा वैर (द्वेष), पुरुषार्थबल (प्रयत्न), आनंद (सुख), विलाप और अप्रसन्नता (दुःख), विवेक की पहचान (ज्ञान)—जीवात्मा के ये छः गुण वैशेषिक और न्यायदर्शन दोनों में समान रूप से मान्य हैं, किंतु वैशेषिक दर्शन जीवात्मा के इन गुणों को भी मानता है— श्वास लेना (प्राण), श्वास का वाहर-निकालना (अपान), आँख मींचना (निमेष), आँख खोलना (उन्मेष), निश्चय, स्मरण और अहंकार करना (मन), चलना (गति), सब इंद्रियों का चलाना (इंद्रिय), क्षुधा, तृषा, हर्ष और शोक (अंतर्विकार) से युक्त होना—ये गुण परमात्मा के गुणों से भिन्न हैं। इन्हीं से आत्मा की प्रतीति करनी चाहिए क्योंकि वह स्थूल नहीं है। आत्मा जब तक शरीर में रहता है तभी तक ये गुण प्रकाशित होते हैं और जब वह शरीर को त्याग देता है, तब ये गुण शरीर में नहीं रहते।

ईश्वर सर्वशक्तिमान है। वह अपनी शक्ति से विश्व का सृजन, पोषण, विसर्जन तथा सृष्टि का नियमन करता है। इससे भिन्न जीवात्मा संतान उत्पन्न करता है, उनका पालन, पोषण और अन्य अच्छे-बुरे कर्म करता है। ईश्वर जीवात्मा को उसके कर्मों का फल प्रदान करता है और जीवात्मा उन्हें भोगता है। यहाँ यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जीवात्मा अपने कर्म करने में 'स्वतंत्र' है, परंतु कर्मों का फल भोगने में 'परतंत्र'। 'स्वतंत्र' से तात्पर्य है जिसके अधीन शरीर प्राण इंद्रिय और अंतःकरण आदि हों। यदि जीवात्मा स्वतंत्र न हो तो उसे पाप, पुण्यों का फल कभी प्राप्त न हो। ईश्वर के नियम और व्यवस्था में पराधीन होकर जीवात्मा अपने पाप कर्मों के लिए दुःख, पीड़ा और कष्ट भोगता है।

आत्मा के संबंध में स्वामी दयानंद का विचार नवीन वेदांतियों से भिन्न है। स्वामीजी सभी जीवात्माओं में एक ही विभु व्याप्त नहीं मानते। उनके अनुसार विभिन्न मानव-शरीरों में विभिन्न आत्माओं की व्याप्ति है। ये आत्माएँ विभुरूप नहीं, वरन् उससे परिच्छिन्न हैं क्योंकि यदि सभी मानव-शरीरों में एक ही विभु व्याप्त होता तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, जन्म, मरण, संयोग वियोग और आवागमन कभी नहीं हो सकता। जीवात्मा का स्वरूप अल्पज्ञ और सूक्ष्म है और ईश्वर सूक्ष्मातिसूक्ष्म, अनंत, सर्वज्ञ और सर्वव्यापक है,

अतः जीवात्मा और ईश्वर का संबंध व्याप्य—व्यापक का है ।

क्या विभिन्न आत्माएँ ईश्वर से सदैव पृथक् रहती हैं या कभी दोनों मिलकर एक भी होते हैं ? जैसा ऊपर कहा जा चुका है कि साधर्म्य अथवा अन्वयभाव के कारण वे एक या समान हैं, पर गुण-वैधर्म्य के कारण वे एक नहीं हैं और न हो सकती हैं । व्याप्य और व्यापक के संबंध के आधार पर भी हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं । उदाहरणतः ठोस पदार्थ आकाश से भिन्न नहीं रह सकता और उससे कभी पृथक् न होने के कारण एक होता है, पर दोनों में असमान गुण होने के कारण वे एक नहीं हैं । उसी प्रकार जीव और पृथ्वी आदि पदार्थ व्यापक ब्रह्म से अलग नहीं, फिर भी उससे भिन्न हैं क्योंकि उनमें वैधर्म्य है । जैसे घर बनने के पूर्व मिट्टी, लकड़ी, लोहा आदि पदार्थ आकाश (अक्काश) में ही रहते हैं, जब घर का निर्माण हो जाता है तब भी वे आकाश में ही रहते हैं, और उसमें नष्ट हो जाने पर भी वे आकाश में रहते हैं अर्थात् तीनों काल में वे आकाश से भिन्न नहीं हो सकते, किंतु स्वरूप या गुण-भेद के कारण वे न कभी एक थे, न हैं और न होंगे । उसी प्रकार जीवात्मा तथा संसार के सभी पदार्थ ईश्वर में व्याप्य होने पर भी स्वरूप एवं गुण-भेद के कारण कभी उससे एक नहीं होते ।

इस प्रकार ईश्वर और जीवात्मा के पृथक् अस्तित्व को मानते हुए स्वामी दयानंद 'अहम् ब्रह्मास्मि', 'तत्त्वमसि' और 'अयमात्मा ब्रह्म' महावाक्यों का (जो वेदवाक्य माने जाते हैं) अपने ढंग से विश्लेषण करते हैं । स्वामीजी का कथन है कि ये वेदवाक्य नहीं हैं, वरन् ब्राह्मण ग्रंथों के उद्धरण हैं । 'अहम् ब्रह्मास्मि' का अर्थ यह नहीं है कि मैं ब्रह्म हूँ, वरन् मैं ब्रह्म में निवास करता हूँ । उदाहरणार्थ, यदि यह कहा जाय कि मैं और वह एक हैं तो इसका तात्पर्य है कि मैं और वह 'अविरोधी' हैं । इसी प्रकार जीव समाधि में निमग्न होकर कह सकता है कि मैं और ब्रह्म एक अर्थात् अविरोधी हैं । जब जीव, परमेश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव के अनुकूल अपने को बना लेता है तो वही साधर्म्य के कारण ब्रह्म से अपनी एकता कह सकता है ।

द्वितीय उद्धरण 'तत्त्वमसि' का अर्थ यह नहीं है कि तू ब्रह्म है, वरन् परमात्मा तुम्हारी आत्मा में है । छांदोग्य उपनिषद् का उद्धरण देते हुए वह कहते हैं कि 'तत्' शब्द का अर्थ है, वह परमात्मा जो जानने योग्य है, जो अत्यंत सूक्ष्म, इस जगत् और जीव का आत्मा है वह परमात्मा ही सत्य-स्वरूप है, वह स्वयं अपना आत्मा है । हे प्रिय पुत्र श्वेत-केतु ! तू उस अंतर्गामी परमात्मा से युक्त है । यही अर्थ उपनिषद् समर्थित है । वृहदारण्यक उपनिषद् में महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहते हैं, हे मैत्रेयी ! ईश्वर आत्मा अथवा जीव में स्थित है फिर भी जीवात्मा से भिन्न है, मूढ़ जीवात्मा नहीं जानता है कि यह परमात्मा मुझमें व्याप्त है । जीवात्मा परमेश्वर का शरीर है अर्थात् जिस प्रकार शरीर में आत्मा निवास करता है, उसी प्रकार आत्मा में परमात्मा की स्थिति है । किंतु

वह जीवात्मा से भिन्न रह कर जीव के पाप-पुण्य का साक्षी होकर जीवों को उनका फल देता है और नियंत्रित रखता है। वही अविनाशी अंतर्धामी परमात्मा तुम्हारी आत्मा में भी निवास करता है, मैत्रेयी ! तू ऐसा जान । इसी प्रकार तीसरे उद्धरण-वाक्य 'अय-मात्मा ब्रह्म' का भावार्थ यह है कि समाधि दशा में जब योगी को ब्रह्म का साक्षात्कार होता है तब वह कहता है, 'यह जो मुझमें व्याप्त है, वही ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है ।'

ईश्वर : सगुण या निर्गुण

ईश्वर सगुण है या निर्गुण ? स्वामी दयानंद के विचार में वह दोनों हैं, सगुण भी है और निर्गुण भी है। जो वस्तु गुणों से युक्त होती है उसे सगुण और जो गुणों से रहित होती है उसे निर्गुण कहते हैं। अपने स्वाभाविक गुणों से युक्त तथा विरोधी गुणों से रहित होने के कारण संसार के सभी पदार्थ सगुण और निर्गुण होते हैं। कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिसमें केवल निर्गुणता हो अथवा केवल सगुणता। सब में दोनों का अस्तित्व होता है। इसी प्रकार ईश्वर अपने अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और सर्वव्यापकता आदि गुणों से युक्त होने से सगुण तथा जड़ पदार्थों को मूर्तता एवं जीवों के सुख-दुःख की अनुभूति आदि गुणों से पृथक् होने के कारण निर्गुण कहलाता है।

भारतीय दर्शन के इतिहास में सगुण और निर्गुण शब्दों की यह व्याख्या निराली है। स्वामी दयानंद सगुण और निर्गुण ब्रह्म में भेद नहीं करते हैं। शिव, गणेश, ईश्वर और ब्रह्म आदि जो अनेक नाम हैं, वे सब उसी परमात्मा की संज्ञा हैं। इस अर्थ में हम उन्हें अद्वैतवादी कह सकते हैं। वह सगुण और निर्गुण शब्दों को उपासना के क्षेत्र में अवश्य अधिक महत्त्व देते हैं। ईश्वरीय गुणों की उपलब्धि का प्रयत्न करना सगुणोपासना है। जो ईश्वर के गुण नहीं हैं, उनका परित्याग निर्गुणोपासना है। निर्गुण और सगुण की यह रूपरेखा नैतिक क्षेत्र में अधिक सहायक सिद्ध होती है।

जगत् मिथ्या नहीं

स्वामी दयानंद संसार को मिथ्या या अवास्तविक नहीं मानते हैं। उनका कथन है, कि इंद्रियों द्वारा जो वस्तु ग्रहणीय और सेव्य है, वह कभी भी असत्य या मिथ्या नहीं हो सकती है और न जगत् का कारण परम सूक्ष्म तत्व ही मिथ्या और नश्वर हो सकता है। वेदांती ब्रह्म को जगत् की उत्पत्ति का कारण मानते हैं, अतः जब ब्रह्म सत्य है और जगत् का कारण है, तब उसका कार्य 'जगत्' कभी मिथ्या या असत्य नहीं हो सकता है। यदि यह कहा जाय कि वस्तु-जगत् केवल कल्पना-मात्र है और स्वप्न में देखी हुई वस्तु की भाँति असत्य है अथवा अंधकार में दिखायी पड़ने वाली उस रस्सी की भाँति है जिसे देखने पर सर्प का भ्रम हो जाता है, तो यह भी सत्य नहीं है। कारण, कल्पना या विचार गुण है और गुण से द्रव्य को तथा द्रव्य से गुण को पृथक् नहीं माना जा सकता। जब विचार-

कर्त्ता जीवात्मा नित्य है, तो उसका विचार अनित्य या मिथ्या नहीं हो सकता, अन्यथा यह स्वीकार करना पड़ेगा कि जीवात्मा भी अवास्तविक है। हम उस वस्तु को स्वप्न में नहीं देख सकते जिसके विषय में जाग्रतावस्था में कुछ भी देखा-सुना न हो। जाग्रत अवस्था में जिन सत्य पदार्थों का हम प्रत्यक्षीकरण द्वारा ज्ञान ग्रहण करते हैं, उनका संस्कार हमारी आत्मा में स्थित रहता है, वही स्वप्न में दिखायी देता है। यदि यह संभव हो कि मनुष्य बिना देखे-सुने, प्रत्यक्ष संबंध के अभाव में और बिना आत्मा में स्थित संस्कार के स्वप्न देखे तो जन्मांध व्यक्ति भी स्वप्न में रूप-रंग देख सकता है, जो असंभव है। स्वप्न या सुषुप्ति की अवस्था में बाह्य पदार्थों का अज्ञान-मात्र होता है, अभाव नहीं। अतः कहा जा सकता है कि सुषुप्तावस्था में भी मन में बाह्य पदार्थों का संस्कार बना रहता है। उसी प्रकार संसार की रचना का पदार्थ-कारण, प्रकृति, प्रलय के बाद भी वर्तमान रहता है।

मुक्ति और पुनर्जन्म

भारतीय दर्शन में परंपरा से यह मान्य है कि मनुष्य-जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। स्वामी दयानंद भी इस मान्यता को स्वीकार करते हैं, किंतु आत्मा के बंधन और मोक्ष के विषय में उनका विचार नये वेदांतियों से थोड़ा भिन्न है। नये वेदांती आत्मा को बंधन में नहीं मानते हैं और न यही स्वीकार करते हैं कि मोक्ष पाने के लिए उसे साधनों की आवश्यकता है क्योंकि उनका विश्वास है कि आत्मा कभी बंधन में नहीं था। दयानंद कहते हैं कि सीमाबद्ध, आवृत्त, शरीर धारण करने वाला जीवात्मा बंधन में होता है क्योंकि वह अपने पाप-कर्मों के दुःख को भोगता है, पापों के बंधन से मुक्ति पाने की इच्छा करता है अर्थात् मोक्ष चाहता है। वेदांतियों का कहना है कि मोक्षप्राप्त जीव ब्रह्म में लय हो जाता है, किंतु स्वामी दयानंद का विचार है कि प्रत्येक जीवात्मा मोक्ष प्राप्त करने के बाद भी अपनी पृथक् सत्ता बनाये रखता है। वेदांती और दयानंद दोनों यह मानते हैं कि जीवन में मुक्ति प्राप्त करना संभव है, किंतु स्वामीजी ईश्वर के अवतार लेने की कल्पना को स्वीकार नहीं करते। हाँ, वह इतना अवश्य मानते हैं कि मुक्त जीवात्मा संसार के प्राणियों के उत्थान के लिए शरीर धारण करता है।

जीवात्मा मोक्ष के आनंद को किस प्रकार भोगता है ? इस प्रश्न का उत्तर स्वामी दयानंद इस प्रकार देते हैं, मोक्ष प्राप्त कर लेने पर भौतिक शरीर या इंद्रियों के गोलक जीवात्मा के साथ नहीं रहते, केवल उसके स्वाभाविक शुद्ध गुण रहते हैं। जब वह सुनना चाहता है तब श्रोत्र, स्पर्श करना चाहता है तब त्वचा, देखने का संकल्प करने पर चक्षु, स्वाद के लिए जिह्वा, गंध के लिए नासिका, संकल्प-विकल्प करने के समय मन, निश्चय करने के लिए बुद्धि, स्मरण करने के लिए चित्त आदि अपनी स्वशक्ति से, मुक्ति में प्राप्त कर लेता है। उस समय संकल्प-मात्र ही उसका शरीर होता है। जीवात्मा, जिस प्रकार

शरीर के माध्यम से सांसारिक सुख भोगता है, उसी प्रकार परमात्मा के आधार से मुक्ति के आनंद को भोगता है। मुक्त जीव अनंत व्यापक ब्रह्म में स्वच्छंद घूमता है, शुद्ध ज्ञान से सृष्टि को देखता है, अन्य मुक्तों के साथ मिलता, सब लोक-लोकांतरों (जो दृष्टिगोचर होते हैं और नहीं होते हैं) में विचरण करता है। जीवात्मा का ज्ञान जितना ही अधिक विकसित होता जाता है वह उतना ही आनंद प्राप्त करता है। मुक्ति में जीवात्मा के निर्मल होने से, सब सन्नहित पदार्थों का यथावत ज्ञान होता है—यही सुख विशेष स्वर्ग है। जो सांसारिक सुख है वह 'सामान्य स्वर्ग' और जो परमेश्वर की प्राप्ति से आनंद है वही 'विशेष स्वर्ग' है।

स्वामी दयानंद, उपनिषदों के इस विचार का खंडन करते हैं कि मोक्ष प्राप्त करने पर जीवात्मा इस संसार में पुनः वापस नहीं लौटता है। वह अपने समर्थन में ऋग्वेद का उद्धरण देते हैं, "यह बात सत्य नहीं है, क्योंकि वेद में इसका निषेध किया गया है। हम लोग किसका नाम पवित्र समझें! नश्वर पदार्थों के बीच वर्तमान कौन अविनश्वर देव सदा प्रकाश-स्वरूप है जो हमको मुक्ति का सुख भोगने का अवसर देता है और पुनः इस संसार में जन्म देकर मातापिता का दर्शन कराता है!".... "हम इस स्वप्रकाशस्वरूप अनादि, सदा मुक्त, सर्वव्यापक परमात्मा का पवित्र नाम जानें जो हमें मुक्ति में आनंद का भोग करा कर पृथ्वी पर पुनः जन्म देकर माता-पिता के दर्शन कराता है। वही परमात्मा मुक्ति की व्यवस्था करता है और सब का स्वामी है।"

सांख्यशास्त्र भी कहता है, "जैसे इस समय बंधमुक्त जोव हैं, वैसे ही सर्वदा रहते हैं। बंधन और मुक्ति का 'अत्यंत' विच्छेद कभी नहीं होता, किंतु बंध और मुक्ति सदा नहीं रहती।" 'अत्यंत' शब्द अत्यंताभाव का भी बोधक हो सकता है पर यह आवश्यक नहीं है कि 'अत्यंत' शब्द अत्यंताभाव का ही बोधक हो क्योंकि जब हम यह कहते हैं कि इस मनुष्य को अत्यंत दुःख है या सुख है, तब 'अत्यंत' शब्द से 'बहुत अधिक' का बोध होता है क्योंकि इससे यही विदित होता है कि इस मनुष्य को बहुत दुःख या बहुत सुख है। यहाँ भी 'अत्यंत' शब्द का यही अर्थ जानना चाहिए। अतः जीवात्मा महाकल्प के पश्चात् मुक्ति के सुख को छोड़ कर संसार में आता है। अनंत आनंद को भोगने का असीम सामर्थ्य, कर्म और साधन जीवात्मा में नहीं हैं। उसके शरीर, कर्म और साधन परिमित हैं इसलिए जीवात्मा अनंत सुख को नहीं भोग सकता।

स्वामी दयानंद ने भारतीय दर्शन पर निराशावाद के आरोपित दोष का खंडन किया है। संसार में दुःख और कष्ट अवश्य हैं किंतु इससे निराशा होने की आवश्यकता नहीं। पुनर्जन्म का विश्वास आशावाद का प्रतीक है जो जीवात्मा को आगामी जीवन में उन्नति करने का अवसर प्रदान करता है। जीवात्मा जन्म जन्मांतरों में संचित अनुभव के आधार

पर, यदि निरंतर प्रयत्नशील रहे तो वह एक न एक दिन, अपना अंतिम लक्ष्य—मुक्ति प्राप्त कर सकता है ।

मुक्ति के साधन

मुक्ति की प्राप्ति के लिए स्वामी दयानंद 'नैतिक गुणों का धारण' अनिवार्य मानते हैं । 'सत्संग' भी आवश्यक है क्योंकि इससे विवेक अर्थात् सत्यासत्य, धर्माधर्म, कर्तव्या-कर्तव्य का निश्चय होता है । इसके अतिरिक्त प्रत्येक जीवात्मा को 'अपने स्वरूप का पूर्णज्ञान' होना अनिवार्य है । जीवात्मा को यह जानना चाहिए कि वह कोश,† अथवा अत्रोः‡ और शरीरों* से पृथक् है । जीवात्मा सब कार्यों का कर्ता, नियंता और भोक्ता है, बिना उसकी प्रेरणा के मन और शरीर कार्य नहीं कर सकते । अच्छे कार्य करने पर मन में आनंद, उत्साह और निर्भयता और बुरे कर्मों से भय, शंका और लज्जा आदि अंतर्द्वारों की प्रेरणा से स्वयमेव उत्पन्न होते हैं । अतः जीवात्मा को इस अंतर्द्वारों की प्रेरणा के अनुकूल कार्य करना उचित है ।

मुक्ति की प्राप्ति के लिए 'वैराग्य' भी एक आवश्यक साधन है । वैराग्य से तात्पर्य है : पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत पदार्थों के गुण, कर्म और स्वभाव को जानना, ईश्वर की आज्ञा पालन करना, उसकी उपासना में तत्पर रहना, उसकी आज्ञा के विरुद्ध न चलना और अपनी प्रकृति को वश में रखना । अपनी मुक्तिमार्ग पर प्रगति प्राप्त करने के लिए जीवात्मा को 'षट्क संपत्ति'* अर्थात् छः विशेष प्रकार के कार्य करने चाहिए । इसके अतिरिक्त एक और आवश्यक साधन है : 'मुमुक्षुत्व', अर्थात् मुक्ति के प्रति अनन्य

† जीवात्मा के पाँच कोश हैं : [१] अन्नमय कोश, जो त्वचा से लेकर अस्थिभूत का समुदाय है; [२] प्राणमय कोश, जिसमें जीवात्मा पंच-प्राण द्वारा सब शरीर में चेष्टा आदि कर्म करता है; [३] मनोमय कोश, जिसमें मन के साथ अहंकार, पाँच कर्मेन्द्रियाँ आदि हैं; [४] विज्ञानमय कोश, जिसमें बुद्धि, चित्त तथा पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं जिनसे जीव ज्ञानार्जन और चिन्तन आदि करता है; [५] आनंदमय कोश, जिसमें प्रीति, प्रसन्नता और आनंद हैं । इन्हीं पाँचों कोशों से जब सब प्रकार के कर्म, उपासना, ज्ञान आदि व्यवहारों को करता है ।

‡ आत्मा की तीन अवस्थाएँ हैं : [१] जागृत, [२] स्वप्न, [३] सुषुप्ति ।

* शरीर चार प्रकार के हैं : [१] स्थूल शरीर, [२] सूक्ष्म शरीर, [३] कारण शरीर, [४] तुरीय शरीर ।

* षट्क संपत्ति अर्थात् छः प्रकार के कर्म करना । [१] शम, अपनी आत्मा और अंतःकरण को अधर्माचरण से हटा कर धर्माचरण में सर्वदा प्रवृत्त रखना; [२] दम, इन्द्रियों और शरीर को व्यभिचार आदि बुरे कर्मों से हटाकर शुभ कर्मों में लगाना; [३] उपरति, दुष्ट कर्म करने वालों से दूर

भक्ति और प्रेम। जिस प्रकार भूखे व्यक्ति को अन्न के सिवाय और कुछ नहीं दीखता उसी प्रकार मोक्ष के आकांक्षी जीवात्मा को मुक्ति और उसके साधन को छोड़ कर और कुछ नहीं दीखता।

मुक्ति की प्राप्ति के कुछ 'अनुबंध' (सहायक साधन) भी हैं : (१) ब्रह्मविद्या की प्राप्ति के लिए जीवात्मा को 'अधिकारी' होना चाहिए, (२) उसे 'संबंध', अर्थात् वेद-शास्त्रों और मुक्ति के साधनों का ज्ञान होना चाहिए और उन्हें अन्वित करना चाहिए, (३) उसे 'विषयी' होना चाहिए अर्थात् उसका एक मात्र उद्देश्य ब्रह्म की प्राप्ति होनी चाहिए, (४) उसे 'प्रयोजन' प्राप्त कर लेना चाहिए अर्थात् सब दुःखों से निवृत्ति और मुक्ति के परमानंद की प्राप्ति।

मुक्ति की प्राप्ति में 'श्रवण चतुष्टय' भी प्रमुख साधन हैं : (१) 'श्रवण', जब कोई विद्वान् उपदेश करे तो शांति से ध्यान देकर सुनना चाहिए, ब्रह्मविद्या में अत्यंत ध्यान देना चाहिए क्योंकि यह सब विद्याओं से सूक्ष्म विद्या है; (२) 'मनन', [सुने हुए विचारों का एकांत में मनन करना चाहिए; यदि शंका हो तो उसका समाधान करना चाहिए। (३) 'निदिध्यासन' जब सुनने और मनन करने से संदेह दूर हो जाय तब समाधिस्थ होकर, जैसा सुना और विचारा था, उसको वैसा ही है या नहीं, ध्यानयोग से देखना चाहिए; (४) 'साक्षात्कार', जैसा पदार्थ का स्वरूप, गुण और स्वभाव हो वैसा जान लेना ही 'साक्षात्कार' है :

मानव प्रकृति में तीन तत्व हैं, 'सत्', 'रजस' और 'तमस्'। मोक्षाकांक्षी जीवात्मा को तमस्-जन्य अर्थात् क्रोध मलीनता, आलस्य तथा प्रमाद आदि और रजस-जन्य अर्थात् ईर्ष्या, द्वेष, काम, अभिमान तथा विज्ञेय आदि अवगुणों का परित्याग करना चाहिए। इससे भिन्न जीवात्मा को, शांत प्रवृत्ति, पवित्रता, विद्या, विचार आदि 'सत्' गुणों को धारण करना चाहिए। उपर्युक्त साधनों द्वारा जीवात्मा मुक्ति के परमानंद की प्राप्ति कर सकता है।

शिक्षा-दर्शन

स्वामी दयानंद वैदिक धर्म और संस्कृति के आधार-स्तंभ थे। अतः अपने देश-वासियों की दयनीय दशा देख कर उन्हें हार्दिक चोभ हुआ। उस समय लोग प्राचीन वैदिक धर्म-कर्म त्याग कर धीरे-धीरे ईसाई मत को स्वीकार करते जा रहे थे और पाश्चात्य संस्कृति का गहरा प्रभाव लोगों पर पड़ता जा रहा था। ऐसी स्थिति में वैदिक रहना; [४] तितिक्षा—निन्दा, स्तुति, हानि और लाभ, में हर्ष या शोक को छोड़ कर मुक्ति साधनों में लगा रहना; [५] श्रद्धा, वेदादि सत्य शास्त्र और इनके बोध से पूर्ण आप्त विद्वान् व्यक्तियों के

धर्म का समर्थक होने के नाते स्वामीजी ने इस महान धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संकट से देश को बचाने का प्रयत्न किया। उनका विचार था कि वैदिक काल में लोगों का जीवन और संस्कृति अत्यंत उच्च स्तर पर पहुँची हुई थी और बिना उस संस्कृति के प्रसार के देश की दशा में सुधार होना कठिन है। वह एक महान विद्वान और परम सत्य के अन्वेषक थे अतः उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन वैदिक अध्ययन और अनुशासन को पुनरुज्जीवित करने में अर्पित कर दिया। स्वामीजी सामाजिक सुधार को धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग मानते थे, अतः सामाजिक सुधार और धार्मिक क्रांति के लिए उन्होंने आर्य-समाज की स्थापना की। उन्होंने मानव-जीवन के अंतिम एवं सर्वोच्च लक्ष्य मुक्ति को पाने के लिए वैदिक ज्ञान और साधनों पर अधिक बल दिया, जिसका वर्णन उनके जीवनदर्शन पर प्रकाश डालते समय किया जा चुका है।

दयानंद ने अपनी शिक्षा-योजना को आश्रमधर्म पर आधारित किया है। यद्यपि बालक की सविधिक शिक्षा का प्रारंभ उपनयन संस्कार से होता है, तथापि अविधिक रूप में वह गर्भावस्था से ही शुरू हो जाती है। मस्तिष्क की रचना पर आहार का बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसलिए स्वामीजी ने माता-पिता के लिए सात्विक आहार को उचित बताया है! सात्विक भोजन से स्वास्थ्य, बल, शक्ति और बुद्धि की वृद्धि होती है, मानसिक शांति मिलती है तथा सुंदर स्वभाव की रचना होती है। इन्होंने माता-पिता को मादक तथा बुद्धि के विकास में बाधक पेय और खाद्य वस्तुओं से बचने पर जोर दिया है। भोजन के साथ ही उन्होंने माता-पिता को सुंदर एवं पवित्र विचारों को ग्रहण करने के लिए भी आदेश दिया है। आहार-विहार तथा शुद्ध विचारों पर इतना अधिक बल देने का कारण यह है कि अचेतनावस्था में भी बालक पर इन सब का प्रभाव पड़ता है। जन्म से पूर्व बालक के तीन संस्कार, गर्भाधान, पुंसदन और सीमंतोत्थान, निर्धारित किये गये हैं। इन संस्कारों से यह सिद्ध होता है कि यद्यपि संतानोत्पत्ति का कारण मनुष्य की शारीरिक आवश्यकता है, फिर भी संतान उत्पन्न करना मनुष्य का पवित्र कर्तव्य है, जिसको समाज का धार्मिक समर्थन प्राप्त है। संस्कारों की गणना प्रथा या रीति-नीति के अंतर्गत नहीं करनी चाहिए। संस्कार शरीर और मन को शुद्ध बनाने के लिए तर्कसंगत धार्मिक कर्म हैं। हमारे देश के प्राचीन ऋषियों ने मानव-जाति की उन्नति के लिए अनेक संस्कारों का विधान किया है, जिनकी तुलना हम पाश्चात्य 'यूजेनिक्स' से कर सकते हैं। 'यूजेनिक्स' में शिक्षा को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था, किंतु बाद में यह अनुभव किया गया कि यह 'यूजेनिक्स' (प्रजनन-विज्ञान) शिक्षा का संपूरक है। समन्वय का यह कार्य रस्क महोदय ने किया। प्लेटो के शब्दों में उनका कहना है, "वास्तव में जिस राज्य में पालन-पोषण और शिक्षा की उत्कृष्ट योजना का अनुसरण होता है, वहाँ के निवासी सद्स्वभाव वाले होते हैं। सद्शिक्षा के कारण

उनकी और अधिक उन्नति होती है। उनमें संतानोत्पत्ति के गुणों की वृद्धि होती है, जैसा कि चन्द्र पशुओं में भी देखा जाता है। इस प्रकार उस राज्य की बहुमुखी प्रगति होती है।”†

इन संस्कारों के पीछे केवल शारीरिक उन्नति की ही भावना नहीं निहित है, वरन् इनमें मानसिक उन्नति और पूर्णतया आदर्शवादी चरित्र-निर्माण की भावना भी है। जब शुभ संकल्प के साथ संतानोत्पत्ति की जाती है, तब माता को ही बालक का प्रथम गुरु बनना पड़ता है। माता को चाहिए कि वह अपने बालक को पाँचवें वर्ष तक शिक्षा प्रदान करे और पिता आठवें वर्ष तक। तत्पश्चात् बालक को विद्यालय या आचार्यकुल में भेज देना चाहिए, जहाँ पूर्ण विद्वान, पवित्र विचारों से संपन्न तथा सभी शास्त्रों में निष्णात गुरु शिक्षा प्रदान करते हों।

शतपथ ब्राह्मण का वचन है, ‘मातृमान् पितृमानाचार्यवान् पुरुषो वेद’ अर्थात् वही मनुष्य विद्वान हो सकता है जिसके माता, पिता और गुरु, तीनों, उत्तम शिक्षक हों। वह कुन धन्य है, वह बालक भाग्यवान है, जिसके माता-पिता धार्मिक और विद्वान हैं। माता का जितना सद्प्रभाव बालक पर पड़ता है, उतना अन्य किसी व्यक्ति का नहीं, क्योंकि कोई भी दूसरा व्यक्ति माँ की भाँति बालक पर ममता नहीं करता और न उसके समान बालक के कल्याण की चिंता ही कर सकता है। उपर्युक्त उद्धरण में ‘मातृमान्’ शब्द का जो उपयोग हुआ है उसका अर्थ यही है कि वही बालक वास्तव में मातृमान् है जिसकी माता धार्मिक और विदुषी है। वह माता धन्य है, जो गर्भाधान से लेकर पूर्ण विद्या प्राप्त होने तक निरंतर अपनी संतान को धर्म एवं सुशीलता का उपदेश करती है।

माता-पिता द्वारा बालक की प्रारंभिक शिक्षा

यह कहा जा चुका है कि पाँचवें वर्ष तक माता और आठवें वर्ष तक पिता बालक के शिक्षक होते हैं। इस काल में माता-पिता को अपनी संतान को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे वे अपने आचार-व्यवहार में पूर्णतया सम्य और सुसंस्कृत बन सकें तथा किसी भी प्रकार को कुचेष्टा न करें। जब बालक बोलना आरंभ करे, तो माता को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह उच्चारण करने में अपनी जिह्वा का ठीक ढंग से उपयोग करे। माता को ऐसा प्रबल प्रयत्न करना चाहिए कि बालक वर्णों का स्पष्ट उच्चारण अपेक्षित और यथोचित स्थान और प्रयत्न के साथ करे। उदाहरण के लिए, यदि ‘प’ वर्ण का उच्चारण करना है तो उसका उच्चारण-स्थान ओष्ठ है। ‘प’ के उच्चारण के लिए दोनों ओष्ठों को पूर्ण मिलाने के प्रयत्न की आवश्यकता पड़ती है। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत वर्णों के उच्चारण में आवश्यकतानुसार कम और अधिक समय लगना चाहिए। माता को ध्यान रखना चाहिए

† Rusk, R. R. : ‘The Philosophical Bases of Education’, 1929, pp. 48, 49

कि बालक मधुर, गंभीर और सुंदर स्वर में उच्चारण करने का अभ्यास करे। उसे इस प्रकार बोलना चाहिए जिससे अक्षर, मात्रा, शब्द, संहिता और अवसान आदि स्पष्ट रूप से पृथक्-पृथक् सुनायी पड़ें। जब बालक थोड़ा बोलने और समझने लगे, तो उसको यह शिक्षा दी जानी चाहिए कि अपने से बड़ों और छोटों का संबोधन किस प्रकार करना चाहिए तथा उनके समक्ष किस प्रकार का आचरण करे जिससे बालक समाज में कभी अप्रतिष्ठित न हो, अपितु सम्मानित हो। माता-पिता को बालकों के मन में विद्या-प्रेम, सत्संग और जितेंद्रियता के प्रति अत्यंत रुचि उत्पन्न करने का सदा प्रयास करते रहना चाहिए।

बालकों को व्यर्थ के खेल-कूद, रोने-हँसने तथा लड़ाई-झगड़े से बचाना चाहिए। उन्हें अधिक हर्ष या दुःख का अनुभव करने अथवा किसी वस्तु में पूर्णतया लिप्त हो जाने का अवसर नहीं देना चाहिए। उनमें ईर्ष्या और द्वेष का भाव नहीं होने देना चाहिए। माता-पिता को प्रत्येक संभव प्रयत्नों द्वारा बालकों में सत्यभाषण, शौर्य, धैर्य और प्रसन्नता आदि गुणों का विकास करना चाहिए। जब बालक पाँच वर्ष के हो जायें, तब उनका अक्षर-रचना कराना चाहिए। तत्पश्चात् उन्हें इस प्रकार की कविता, श्लोक, सूत्र और गद्य-पद्य को अर्थसहित कंठस्थ कराना चाहिए जिनसे सत्य, धर्म, विद्या-प्रेम, ईश्वर-प्रेम और अपने से बड़ों और समान आयु वालों के साथ आचार-व्यवहार की शिक्षा मिलती हो। उन्हें अंधविश्वासी बनाने वाली, सच्चे धर्म और विज्ञान के विरुद्ध भ्रांत बातों से बचने का उपदेश देना चाहिए, जिससे वे कभी कल्पित भूत-प्रेत आदि के भ्रमजाल में न पड़ें। बालकों को इस बात का ज्ञान करा देना चाहिए कि सभी धूर्त-रासायनिक, जादूगर, तंत्र, मंत्र और जादू-टोना करने वाले दुष्ट होते हैं और उनके कार्य धूर्ततापूर्ण होते हैं। भूत, प्रेत के बारे में मनु के विचार का समर्थन करते हुए स्वामीजी कहते हैं—जब गुरु का प्राणान्त होता है, तब मृत शरीर (जिसका नाम प्रेत है) का दाह करने वाला शिष्य, प्रेतहार, मृतक को उठाने वालों के साथ दसवें दिन शुद्ध होता है। जब शरीर का दाह हो जाता है, तब उसका नाम 'भूत' होता है जिसका तात्पर्य है वह अमुक नाम का पुरुष था। अर्थ यह है कि जो वर्तमान में जीवित न रह कर मृतस्थ हो, उसका नाम भूत है। कुसंगति और कुसंस्कार के कारण लोग भूत, प्रेत, शाकिनी, डाकिनी आदि के भ्रमजाल में फँस जाते हैं। इसके अतिरिक्त वैद्यक-शास्त्र या पदार्थ-विद्या से अपरिचित अज्ञानी लोग सन्निपात, उष्यादि, शरीर के अन्य उन्मादादि मानस-रोगों का नाम भूत-प्रेत रख देते हैं और फिर उनके उपचार के लिए धागा, डोरा, मिथ्या तंत्र-मंत्र बंधवाते फिरते हैं अथवा देवी-देवता को भेंट चढ़ाते फिरते हैं।

इसी प्रकार स्वामीजी बालकों को ज्योतिषियों के भ्रम से बचने का उपदेश देते हैं। उनके मत में लाभ-हानि, जीवन-मरण, सुख-दुःख आदि ग्रहों के परिणाम न होकर

मनुष्य के अपने कर्मों के फल हैं। किंतु ऐसा बता कर स्वामीजी ज्योतिष-शास्त्र को भूटा नहीं प्रमायित करते। ज्योतिष-शास्त्र में अंकगणित, बीजगणित और रेखागणित आदि विद्याएँ सच्ची हैं, किंतु फलित ज्योतिष भूटा है। जैसे पृथ्वी जड़ है उसी प्रकार सूर्यादि लोक भी हैं। वे चेतन तो नहीं हैं, जो क्रोधित होकर दुःख और शांत होकर सुख दें! इसके अतिरिक्त जितने भी व्यक्ति रसायन, मारख, मोहन, उच्चाटन और वशीकरण आदि लीला करने वाले हैं, वे भी पामर हैं। इन सब बातों को प्रारंभ से ही बालकों के हृदय में कूट-कूट कर भर देना चाहिए ताकि वे किसी के बहकावे में न आयें।

दंड

स्वामी दयानंद का यह कथन मनोविज्ञान के सिद्धांत के विचार से सत्य है कि वे ही बालक सभ्य और सुशिक्षित होते हैं, जिनके माता-पिता उन्हें अधिक लाड़-प्यार करके विगाड़ते नहीं, वरन् आवश्यकता पड़ने पर दंड भी देते हैं। वह अपनी बात की पुष्टि के लिए पान्जलि के महाभाष्यों से उद्धरण देते हुए कहते हैं, “वे माता-पिता और शिक्षक जो अपनी संतान या शिष्य को आवश्यकतानुसार दंड देते हैं, वे मानो अपने हाथ से उन्हें अमृत पिलाते हैं तथा जो अपनी संतान या शिष्यों को लाड़-प्यार करते हैं, वे उन्हें अपने हाथ से विष पिलाकर नष्ट-भ्रष्ट कर देते हैं क्योंकि लाड़-प्यार से शिष्य दोषयुक्त हो जाते हैं और दंड से गुणयुक्त होते हैं।”† उचित दंड का समर्थन करते हुए भी स्वामी दयानंद का विचार है कि माता-पिता और शिक्षकों को चाहिए कि वे ईर्ष्या-द्वेष से प्रेरित होकर बालकों को दंड न दें। उन्हें ऊपरी व्यवहार में तो कठोर, किंतु मन में बालकों के प्रति सहृदय, कोमल और कृपालु होना चाहिए। बालक को दंड देते समय ऊपर से चाहे कठोर मुद्रा भले ही हो, किंतु दंड देने वाले का हृदय बालक के प्रति दया और करुणा-पूर्ण होना चाहिए।

नैतिक अनुशासन

माता-पिता और शिक्षकों को चाहिए कि बालकों को चोरी, जारी, आलस्य, प्रमाद, मादक पदार्थों का सेवन, मिथ्याभाषण, हिंसा, क्रूरता, ईर्ष्या-द्वेष और मोह का त्याग करने और सद्गुणों अर्थात् सत्यता और दया आदि को ग्रहण करने का उपदेश दें। स्वामी दयानंद का कथन है कि कोई व्यक्ति जब एक बार भी चोरी, जारी या मिथ्याभाषण करता है, तो लोग कभी भी उसकी प्रतिष्ठा और विश्वास नहीं करते। प्रतिज्ञा को भंग करने से व्यक्ति के चरित्र पर कलंक लगता है, अतः वचन दे देने पर, किसी भी मूल्य पर उसका

† साम्प्रतः पाणिभिर्वन्ति गुरवो न विषोक्षितैः। लालनाश्रयिणो दोषास्ताडनाश्रयिणो गुणाः।
अध्याय ८।१।८॥

पालन करना चाहिए। अभिमान, छल, कपट और कृतघ्नता से स्वयं अपना ही मन दुखी होता है, फिर उससे दूसरे को कितना दुःख होता होगा, इसका अनुमान किया जा सकता है। स्वयं विश्वास कुछ करना और कहना कुछ और, तथा दूसरे को भ्रम में डाल कर अपना स्वार्थ-साधन करना कपट है। किसी दूसरे द्वारा किये गये उपकार को न मानना और कृतज्ञ न होना, कृतघ्नता है। बालक को क्रोध, कटुभाषण और बकवाद नहीं करना चाहिए। उन्हें मधुर और शांत वचन बोलना चाहिए। न अधिक बात करनी चाहिए और न कम। आवश्यकता के अनुसार ही बोलना उत्तम है। उसे अपने से बड़ों का सम्मान करना और तन-मन-धन से उनकी सेवा करनी चाहिए। माता-पिता और शिक्षक को अपने बालकों या शिष्यों को सत्परामर्श, धर्मयुक्त कर्मों को करने तथा बुरे कर्मों को त्यागने का उपदेश देना चाहिए। माता-पिता और आचार्य जिन-जिन उत्तम कार्यों के लिए आज्ञा दें, बालकों को उन्हें अवश्य करना चाहिए। बानकों को धर्म, विद्या और सदाचरण-संबंधी श्लोक, निबंध, निरुक्त, अष्टाध्यायी अथवा अन्य सूत्र तथा वेदमंत्र कंठस्थ कराना चाहिए और इनकी पुनरावृत्ति कराते रहना चाहिए।

सबके लिए अनिवार्य शिक्षा

स्वामी दयानंद के विचार में बालक-बालिकाओं की शिक्षा का ध्यान रखना माता-पिता का परम पवित्र कर्त्तव्य है। एक दूसरे कवि के शब्दों में वह कहते हैं, 'वे माता-पिता अपनी संतान के शत्रु हैं, जो उन्हें शिक्षा नहीं देते। वे बालक विद्वानों की सभा में वैसे ही तिरस्कृत और उपेक्षित होते हैं जैसे हंसों के बीच में बगुला।'‡ बालकों को उच्चतम शिक्षा देने, उनके आचार-व्यवहार को सभ्य और सुसंस्कृत बनाने के लिए अपना तन-मन-धन अर्पित करना माता-पिता का परम कर्त्तव्य है। माता-पिता के अतिरिक्त राज्य और समाज का यह कर्त्तव्य है कि वह सब के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दे। मनु के शब्दों में स्वामीजी का कथन है—सब अपने पाँच या आठ वर्ष की आयु के बालक-बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय अवश्य भेजें। जो इस अवस्था के बालक-बालिकाओं को विद्यालय न भेज कर घर पर रखें, वे दंडनीय हों। इससे यह सिद्ध होता है कि स्वामी दयानंद सभी वर्णों के बालक-बालिकाओं के लिए शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक समझते हैं। वह ब्राह्मणों के अतिरिक्त क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सबके लिए शिक्षा को अनिवार्य मानते हैं क्योंकि यदि सभी वर्णों के लोग सभ्य और सुसंस्कृत होंगे, तो समाज में कोई भी असत्याचरण नहीं करेगा। स्त्रियों और द्विजेतर वर्णों की शिक्षा के संबंध में स्वामीजी के मतों का सविस्तार वर्णन आगे किया जायगा।

‡ माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः। न शोभते सभामध्ये हंस मध्ये बको यथा ॥ 'चाणक्य नीति', २२, १११

गुरुकुल या आचार्यकुल

आठ वर्ष की अवस्था में उपनयन या यज्ञोपवीत संस्कार के उपरांत बालक-बालिकाओं को विद्यालयों में भेज देना चाहिए। गुरुकुल या विद्यालय किसी शांत स्थान में होना चाहिए। उन्हें किसी नगर या गाँव से पाँच मील की दूरी के भीतर स्थित नहीं होना चाहिए। बालकों के विद्यालय कन्या-विद्यालयों से कम से कम तीन मील की दूरी पर होने चाहिए। बालकों के विद्यालयों में सभी कर्मचारी पुरुष और कन्या-विद्यालयों की सभी कार्यकर्त्रिय स्त्रियाँ होनी चाहिए। पाँच वर्ष की आयु के बालक-बालिकाओं को एक दूसरे के विद्यालयों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ब्रह्मचर्याश्रम में उन्हें परस्पर एक दूसरे से निम्नांकित आठ प्रकार के मैथुनों से बचना चाहिए :—

- (१) एक दूसरे को लोलुप दृष्टि से देखना ।
 - (२) स्पर्श करना ।
 - (३) मैथुन करना ।
 - (४) धूलमिल कर वार्त्तालाप करना ।
 - (५) परस्पर ऋद्धा करना ।
 - (६) एकांत सेवन करना ।
 - (७) काम-विषयक पुस्तकें पढ़ना और वार्त्तालाप करना ।
 - (८) विषय-विकार का ध्यान करना ।
- (अंतिम दोनों मानसिक मैथुन कहलाते हैं ।)

अध्यापकों को चाहिए कि वे बालक-बालिकाओं को उपयुक्त अष्ट मैथुनों से दूर रखें, जिससे बालक-बालिका पूर्ण विद्या, शिक्षा, शील-स्वभाव से युक्त तथा शरीर और मन से पुष्ट होकर नित्य आनंदपूर्वक रह सकें। सभी विद्यार्थियों को विना किसी भेद-भाव के समान रूप से भोजन, वस्त्र और आसन दिए जाने चाहिए। विद्यार्थी चाहे राजकुमार हों या राजकुमारी अथवा दरिद्र माता-पिता की संतान, उसे तपस्वी होना चाहिए; और सभी प्रकार की सांसारिक चिंताओं से रहित होकर केवल विद्या प्राप्त करने में दत्तचित्त होना चाहिए। बालकों के हर प्रकार के मनोविनोदों में अध्यापकों को साथ रहना चाहिए, जिससे वे किसी प्रकार की कुचेष्टा, आलस्य या प्रमाद न कर सकें।

भोजन और वेश-भूषा

बालकों का भोजन स्वास्थ्य, बल और बुद्धि की वृद्धि करने वाला होना चाहिए। उन्हें नित्य समय पर भूख से थोड़ा कम और उतना ही भोजन करना चाहिए, जो सरलता-पूर्वक पच जाये तथा अजीर्ण न होने पाये। एक बार भोजन करने के बाद तीन घंटे तक

कुछ भी नहीं खाना चाहिए। भोजन का मनुष्य के शरीर, आत्मा और बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है इसलिए उनका भोजन विशुद्ध और सात्विक होना चाहिए। मांसाहार, माद्य पेय आदि तथा आमिष एवं पाशत्रिक खाद्य-पेय पदार्थों का परित्याग करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अम्ल, तिक्त, कषाय अर्थात् राजसिक एवं तामसिक खाद्यों का भी त्याग करना चाहिए। प्रसन्नचित्त होकर खूब चबा-चवा कर भोजन करना उत्तम है, जिससे वह ठोक ढंग से पच जाये। वेश-भूषा सरल और सादी होनी चाहिए क्योंकि वस्त्रादि से मनुष्य के आचार-व्यवहार का परिचय मिलता है। बालकों को 'सादा जीवन उच्च विचार' के आदर्श का पालन करना चाहिए।

विद्याध्ययन-काल

ब्रह्मचर्य-पालन करते हुए विद्या प्राप्त करने की न्यूनतम अवधि पच्चीस वर्ष है। यदि कोई व्यक्ति आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है तो कर सकता है, किंतु यह तभी संभव है जब उसे पूर्ण ज्ञान की उपलब्धि हो, अपने मस्तिष्क तथा इंद्रियों पर नियंत्रण हो और वह सांसारिक दोषों से रहित पूर्ण योगी हो।

स्वामी दयानन्द के मतानुसार बालक का प्रथम उपनयन संस्कार अर्थात् यज्ञोपवीत धर पर होना चाहिए और उसे गायत्री मंत्र का उपदेश दिया जाना चाहिए, किंतु विद्यालय या गुरुकुल में प्रविष्ट होने के समय उसका द्वितीय उपनयन संस्कार करना चाहिए। इसमें उसे अर्थ के साथ गायत्री मंत्र का उपदेश करना चाहिए। गायत्री मंत्र का ज्ञान अर्थसहित करा देने के पश्चात् बालक को 'संध्योपासना' तथा उसकी विधियों—स्नान, आचमन, प्राणायाम को सिखाना चाहिए। शरीर के बाह्य अवयवों की शुद्धि और आरोग्यता के लिए स्नान आवश्यक है। प्राणायाम करने से शारीरिक और आंतरिक अशुद्धियों का उत्तरोत्तर नाश होता जाता है और आत्मा में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। मनु के अनुसार, प्राणायाम की महिमा बतते हुए स्वामीजी का कथन है, जैसे अग्नि में तपाने से सुवर्णादि धातुओं का मल नष्ट हो जाता है और वे शुद्ध हो जाती हैं, वैसे ही प्राणायाम द्वारा मन इंद्रियों आदि के दोष नष्ट हो जाते हैं और मन तथा शरीर निर्मल हो जाता है। बालक और बालिकाओं दोनों को प्राणायाम की शिक्षा दी जानी चाहिए। संध्योपासना और प्राणायाम एकांत और शांत स्थान में करना चाहिए जिससे चित्त एकाग्र हो सके। संध्योपासना के पश्चात् बालकों को 'देवयज्ञ' की क्रिया सिखानी चाहिए और उन्हें नित्य नियमपूर्वक संध्या, प्राणायाम और देवयज्ञ करना चाहिए। 'देवयज्ञ' का अर्थ है हवन। आर्षग्रंथों में हवन या अग्निहोत्र को स्वर्ग अर्थात् सुख-शांति का प्रदाता कहा गया है। दुर्गंधयुक्त वायु से रोग उत्पन्न होते हैं और रोग से प्राणियों को कष्ट पहुँचता है, अतः दूषित वायु को दूर करने के लिए तथा वायु को शुद्ध बनाने के लिए हवन करना

परम आवश्यक है। हवन का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, वरन् स्वास्थ्य-विज्ञान के विचार से भी सर्वोपरि है। हवन से रोग के कीटाणु नष्ट होते हैं और शुद्ध वायु से शरीर में धारणा-शक्ति अर्थात् प्राण-शक्ति की वृद्धि होती है।

आचार्य या अध्यापक को तैत्तिरीय उपनिषद् के अनुसार शिष्य को इस प्रकार उपदेश करना चाहिए—“हे ब्रह्मचारिन ! तू सदा सत्य बोल, धर्म का आचरण कर, प्रमादरहित होकर पठन-पाठन कर। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर समस्त विद्याओं को ग्रहण करके आचार्य को प्रिय धन देकर विवाह कर और संतान की उत्पत्ति कर। प्रमादवश सत्य और धर्म का त्याग कभी मत कर। आलस्यवश आरोग्य और बुद्धिमत्ता का त्याग कभी मत कर। उत्तम ऐश्वर्य की वृद्धि का त्याग मत कर। पठन-पाठन की उपेक्षा कभी मत कर। विद्वान माता-पिता और अतिथियों की सेवा में प्रमाद मत कर। धर्मयुक्त कार्य और सत्यभाषण किया कर। पापाचरण कभी मत कर। हमारे उत्तम गुणों को ग्रहण कर, दोषों को नहीं। सदा विद्वान और धर्मात्मा ब्राह्मण का सत्संग और उनका विश्वास कर। दान देना—श्रद्धा से या अश्रद्धा से, शोभा के लिए देना या लज्जा से, भय से देना और संकल्प से देना। कर्म, उपासना या ज्ञान के संबंध में किसी प्रकार का जब कभी तुझे संशय उत्पन्न हो, तो विचारशील, पक्षपातरहित, आर्द्रचित्त, पवित्रात्मा, दर्शन और विज्ञान में दक्ष धर्मात्मा ब्राह्मण (योगी हो या न हो) के समान आचरण कर। यही आदेश, यही उपदेश और यही वेद को शिच्चा है। इसी प्रकार व्यवहार कर और इसी आज्ञा का पालन कर।”

शिच्चा से तात्पर्य

शिच्चा के विषय में विचार प्रकट करते हुए स्वामी दयानंद ने लिखा है, जिससे मनुष्य विद्या आदि शुभ गुणों को प्राप्त करें और अविद्या आदि दोषों को त्याग कर सदा आनंदित रह सकें, वह शिच्चा है। जिससे पदार्थ का स्वरूप यथावत् जान कर ग्रहण करने योग्य गुणों को लेकर अपने और दूसरों को सुखी बना सकें, वह विद्या है। जिससे पदार्थों के स्वरूप का प्रतिकूल ज्ञान हो और जिसे जान कर अपना और दूसरे का अहित कर लिया जाय, वह अविद्या है। इस प्रकार पदार्थ के यथार्थ ज्ञान, आत्मकल्याण तथा पर-कल्याण में प्रवृत्त करनेवाले ज्ञान को स्वामीजी ने शिच्चा या विद्या की संज्ञा प्रदान की और सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए वैदिक शिच्चा-योजना बनायी।

शिच्चायोजना अथवा पाठ्यक्रम

स्वामी दयानंद ने पठन-पाठन की जो विधि बताया है, उसके अनुसार कोई व्यक्ति बीस-इक्कीस वर्ष में वेदों, उपवेदों तथा अन्य विज्ञानों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता है।

विषयों का अध्ययन इस प्रकार करना चाहिए :—

(१) सर्वप्रथम सभी बालक-बालिकाओं को पाणिनिद्वारा शिवा का ज्ञान कराना चाहिए। माता-पिता और अध्यापकों का कर्तव्य है कि बालकों को अक्षरों का शुद्ध उच्चारण उचित प्रयत्न और उचित स्थान के साथ सिखायें अर्थात् ह्रस्व, दीर्घ या ~~प्लुत~~ वर्णों के उच्चारण में जिह्वा का यथोचित प्रयोग करना, कम या अधिक समय लगाना और उनके उच्चारण-स्थान बताना चाहिए। ✓

(२) 'शिवा' के पश्चात् विद्यार्थी को व्याकरण का बोध कराना चाहिए। व्याकरण के अंतर्गत अष्टाध्यायी के सूत्रों का पाठ, धातुपाठ, उणादिसूत्र और महाभाष्य का अभ्यास कराना चाहिए। परिश्रम और बुद्धिमत्तापूर्वक पठन-पाठन से तीन वर्ष में बालक व्याकरण हो सकता है।

(३) व्याकरण का अभ्यास कर लेने के बाद यास्कमुनिद्वारा निर्यदु (वैदिक शब्दकोष) तथा निरुक्त (भाषाशास्त्र) ग्रंथों को अर्थ के सहित छः या आठ महीने में पढ़ाना चाहिए।

(४) इसके पश्चात् विद्यार्थी को पिंगलाचार्यद्वारा 'छंदोग्रंथ' पढ़ाना चाहिए जिससे वह वैदिक और लौकिक छंदों का परिज्ञान, नवीन रचना और श्लोक बनाने की रीति समझ सके। छंदोग्रंथ का अध्ययन चार महीने में पूर्ण कर लेना चाहिए।

(५) तदनंतर विद्यार्थी को मनुस्मृति, वाल्मीकि रामायण, विदुरनीति तथा महाभारत के चुने हुए पर्वों का अध्ययन कराना चाहिए, जिससे व्यसनों को दूर कर आचरण का सुधार हो सके। इन ग्रंथों को एक वर्ष के भीतर समाप्त कर लेना चाहिए।

(६) तदुपरांत विद्यार्थी को ६ शास्त्रों—पूर्वमीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और वेदान्त को ऋषियुक्त व्याख्यासहित पढ़ाना चाहिए, किंतु वेदान्तशास्त्र के पढ़ने के पूर्व विद्यार्थियों को ईश, केन, कठ, मुंडक, छांदोग्य आदि दस प्रमुख उपनिषदों का अध्ययन करना आवश्यक है। इन सब ग्रंथों को दो वर्ष के भीतर पढ़ लेना चाहिए।

(७) शास्त्र और उपनिषद्-ग्रंथों के पश्चात् छः वर्षों के भीतर चारों ब्राह्मण—ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ—के साथ चारों वेदों को शब्द, स्वर, संबंध तथा क्रियासहित पढ़ाना चाहिए।

(८) वेदों और ब्राह्मणों के पश्चात् चार उपवेदों—आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद तथा अथर्ववेद (शिल्पविद्या) का पठन कराना चाहिए। आयुर्वेद में चरक, सुश्रुत आदि द्वारा प्रणीत ग्रंथों का अर्थ, क्रिया, शस्त्र, छेदन, भेदन, लेप, चिकित्सा, निदान, औषधि, पथ्य, वस्तु के गुण आदि के साथ चार वर्ष में अध्ययन करना चाहिए। इसी प्रकार धनुर्वेद का ज्ञान, गान्धर्ववेद का ज्ञान तथा शिल्पवेद का ज्ञान दो-दो वर्षों में प्राप्त करना चाहिए।

(९) अंत में ज्योतिषशास्त्र, बीजगणित, अंकगणित, भूगोल और भूगर्भ-विद्या आदि को यथावत् सीखना चाहिए, किंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि स्वामीजी फलित

उपोत्तिष के पठन-पाठन के विरुद्ध हैं क्योंकि वह उसे मिथ्या और धोखा समझते हैं ।

स्वामीजी ने पाठ्य-योजना के अंतर्गत नास्तिकों द्वारा लिखे गये ग्रंथों का अध्ययन करने का निषेध किया है क्योंकि नास्तिकों के विचारों का प्रतिष्क पर एक बार प्रभाव पड़ जाने पर विद्यार्थी सत्य को पहचान नहीं सकता है । पठन-पाठन के संबंध में स्वामीजी ने कुछ ऐसी पुस्तकों का उल्लेख किया है, जो विद्यार्थी के लिए त्याज्य हैं । व्याकरण में 'कातंत्र', 'सारस्वत', 'चन्द्रिका' आदि तथा कोश में 'अमरकोश' आदि को उन्होंने निषिद्ध बताया है क्योंकि इनके निर्माता ऋषि नहीं हैं, वरन् अप्रशास्त्र-गठित व्यक्ति हैं और जिनके भोतर पक्षपात की भावना निहित है । इन ग्रंथों के भ्रम में फँस कर विद्यार्थी सत्य की खोज में असफल रहता है ।

गुरु-शिष्य

अध्यापकों और विद्यार्थियों को तैत्तिरीय उपनिषद् (७,६) में वर्णित नियमों का पालन करना चाहिए : "सदाचार के साथ पढ़ें और पढ़ायें; सत्य बोलें, सत्य का आचरण करें और सद्विचारों का अनुसरण करते हुए पढ़ें और पढ़ायें; हर्ष, शोक, सांसारिक सुख-दुःख से विरक्त हो कर सन्मार्ग पर चलते हुए वेदों तथा अन्य सद्विज्ञानों को पढ़ें और पढ़ायें; अपनी इंद्रियों का पूर्णतया निग्रह करके पढ़ें और पढ़ायें; अपने मन को दूषित कर्मों से हटा कर पढ़ें और पढ़ायें; अग्नि, प्रकाश, विद्युत्-आदि प्राकृतिक शक्तियों के गुणों को समझते हुए पढ़ें और पढ़ायें; प्रतिदिन अग्निहोत्र (हवन) करते हुए पढ़ें और पढ़ायें; अतिथि-सेवा करते हुए पढ़ें और पढ़ायें; मानव-व्यवहारों-को यथायोग्य करते हुए पढ़ें और पढ़ायें; संतान और प्रजा का पालन करते हुए पढ़ें और पढ़ायें; वीर्य की रक्षा करते हुए पढ़ें और पढ़ायें; और अपनी संतान और शिष्य का पालन करते हुए पढ़ें और पढ़ायें ।"

उपर्युक्त वाक्यों से यह भलीभाँति स्पष्ट हो जाता है कि अध्यापक और विद्यार्थियों को अपनी सामान्य जीवन-योजना में किस प्रकार आचरण करना चाहिए । इसके अतिरिक्त तैत्तिरीय उपनिषद् के वाक्यों से यह भी ज्ञात होता है कि अध्यापक को विषयों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए । अध्यापक और विद्यार्थी दोनों को उन वस्तुओं का त्याग करना चाहिए, जिनसे ज्ञान-प्राप्ति के मार्ग में बाधाएँ पड़ती हैं, उदाहारणार्थ, (१) स्वास्थ्य, शक्ति, बुद्धि, साहस, राजशक्ति, धन आदि की प्राप्ति में सहायक—ब्रह्मचर्य में अविश्वास । (२) एक ईश्वर की उपासना न करके स्थान-स्थान पर भटक करके मूर्तिपूजा में समय नष्ट करना, (३) पंच देव—माता, पिता, गुरु, संन्यासी और महान पुरुषों की सेवा में आलस्य करना, और (४) दुष्ट जनों की संगति ।

गुरु और शिष्य, दोनों के जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष-प्राप्ति ही है, अतः दोनों एक ही मार्ग के पथिक हैं । उन्हें उन्नति-पथ पर निरंतर अग्रसर रहने के लिए तमोगुण—

क्रोध, मलीनता, आलस्य, प्रमाद आदि, रजोगुण—ईर्ष्या, द्वेष, स्वाभिमान आदि का परित्याग करके, विशुद्ध सात्विक गुणों—शास्त्र प्रकृति, पवित्रता, सुविचार आदि को धारण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्हें यम और नियम का पालन करना सबसे आवश्यक है। यमों के बिना केवल नियमों के पालन मात्र से उन्नति के स्थान पर भ्रवन्ति ही होती है।

असीम आनन्द को प्राप्ति के लिए सत्यज्ञान, सत्य-दर्शन का अध्ययन और योगाम्बास ही आवश्यक साधन हैं। यहाँ यह स्पष्टतः समझ लेना चाहिए कि अंधविश्वास और उसके अनुसरण का सत्य की प्राप्ति में कोई स्थान नहीं है। ज्ञान की प्राप्ति के साधन—श्रवण, मनन, निदिध्यासन और साक्षात्कार का वर्णन जीवन-दर्शन के अंतर्गत ही चुका है। इनसे यह स्पष्ट है कि ज्ञान के साधन तक और अनुभव हैं। शिष्य को गुरु का उपदेश अंधविश्वासी की भाँति कदापि ग्रहण नहीं करना चाहिए वरन् तर्क, ध्यानयोग आदि के आधार पर उसकी जाँच करे और सत्य प्रतीत होने पर ही स्वीकार करना चाहिए। यही कारण है कि गुरु आरंभ में ही शिष्य को सचेत कर देता है, 'हमारे उत्तम गुणों को ग्रहण कर, दोषों को नहीं'। दूसरे शब्दों में, शिष्य को प्रत्येक अवसर पर विवेक से काम लेना चाहिए।

गुरु और शिष्य जो कुछ भी पढ़ें या पढ़ाएँ उसकी सत्यता का निर्णय करने के लिये स्वामी जी ने पाँच कसौटियाँ बतायी हैं। (१) जो ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव और वेदों के अनुकूल हो वही सत्य है, उससे विरुद्ध असत्य; (२) जो सृष्टिक्रम के अनुकूल है वही सत्य और जो उसके विरुद्ध है वह असत्य। उदाहरण के लिए, यदि कोई कहे कि सूर्य पश्चिम से निकला है तो उसका यह कथन सृष्टिक्रम के विरुद्ध होने से असत्य है; (३) आप्त अर्थात् धार्मिक विद्वान, सत्यवादी, पक्षपात रहित व्यक्तियों के सिद्धांत तथा व्यवहार के अनुकूल बातें ग्राह्य और उनके विरुद्ध अग्राह्य हैं; (४) आत्मा की साक्षी, अर्थात् जो अपने लिये सुखदाई और दुःखदाई है वही सबके लिए भी है। दूसरों के प्रति व्यवहार का यही मानदंड होना चाहिए; (५) आठ प्रमाण—प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव। धर्म-अधर्म और सत्य-असत्य का निर्णय इन्हीं के आधार पर होना चाहिए। (परिशिष्ट देखिये)।

† यम पाँच होते हैं :- (१) अहिंसा, (२) सत्य, (३) अस्तेय—मन, वचन, कर्म से चोरी का त्याग, (४) ब्रह्मचर्य, (५) अपरिग्रह—धन, शक्ति आदि सांसारिक वस्तुओं के लिये लोभुपता का त्याग और स्वत्वाभिमान रहित होना।

‡ नियम पाँच होते हैं :- (१) शौच (शारीरिक और मानसिक पवित्रता), (२) सन्तोष—निरुद्यम होकर प्रसन्न रहना सन्तोष नहीं है। जितना संभव हो, उतना पुरुषार्थ करना, हानि-लाभ में हेष, शोक न करना, (३) तप, (४) स्वाध्याय, पढ़ना पढ़ाना, (५) ईश्वर प्रणिधान अपने को ईश्वर के अर्पण करना।

धर्म का स्वरूप

स्वामी दयानंद धर्म के वास्तविक स्वरूप को पहचानने पर बल देते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक परिस्थिति में पक्षपातरहित न्याय, मन, वचन, कर्म से सत्याचरण और ईश्वराज्ञा अर्थात् वेद-विहित गुणों को ग्रहण करना, धर्म है। ईश्वराज्ञा को भंग करने वाले अर्थात् वेद-विरुद्ध—पक्षपातपूर्णा, 'अन्यायाचरण, मिथ्याभाषणादि कर्म, अधर्म हैं। वेद को स्वतः प्रमाणा मानने के कारण स्वामी जी उनके द्वारा सभी धर्मों में एकता उत्पन्न करना चाहते हैं। वे धर्म को जीवन-विज्ञान (Science of Livieg) के रूप में देखते हैं जिसके सिद्धांतों का पालन करके कोई भी व्यक्ति आत्मोन्नति कर सकता है। धर्म उनके अनुसार, रुढ़िवादिता, अंधविश्वास और संप्रदायवाद से परे है। धर्म को जीवन-विज्ञान मानकर उसके द्वारा, स्वामीजी, केवल कुछ इने-गिने व्यक्तियों का ही उत्थान नहीं चाहते वरन् संपूर्ण मानव-जगत का। सत्य, चाहे धर्मप्रधान हो या धर्मनिरपेक्ष, एक जाति, एक देश की ही वपौती नहीं है। उस पर सब मानव-जाति का समान अधिकार है।

द्विजेतर एवं स्त्री-शिक्षा

धर्म के वृहत् रूप को स्वीकार कर, स्वामी दयानंद सभी व्यक्तियों को वेदों के अध्ययन का अधिकारी समझते हैं। "स्त्री शूद्रा नाधीयतामिति श्रुतेः" अर्थात् स्त्रियों और शूद्रों को वेदों का अध्ययन नहीं करना चाहिए, अपने समय के इस प्रचलित विश्वास का खंडन करते हुए उन्होंने कहा है कि यह उद्धरण पूर्णतया अप्रामाणिक है क्योंकि वेदों तथा अन्य प्रामाणिक ग्रंथों में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं पाया जाता। अपने कथन के समर्थन में यजुर्वेद (अ० २६, २) का उद्धरण प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा है कि वेदों के अध्ययन और श्रवण का सबको अधिकार है : यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः । ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चायाय च स्वाय चारणाय । अर्थात् 'परमेश्वर का कथन है कि जिस प्रकार मैंने सब मनुष्यों के कल्याणार्थ और चारों वेदों का मोक्षदायक उपदेश किया है, वैसे ही तुम भी करो।'

उपर्युक्त मंत्र में 'जन' शब्द का अर्थ, कुछ लोग 'द्विज' से लगाते हैं और उनके अनुसार स्मृति आदि ग्रंथों में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को ही वेद पढ़ने का अधिकार दिया गया है, स्त्री और शूद्रों को नहीं। स्वामी दयानन्द इस मंत्र के दूसरे चरण (ब्रह्मराजन्याभ्यां आदि) पर ध्यान आकर्षित करते हुए ईश्वर के इस आदेश को स्पष्ट करते हैं, 'ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, भृत्य आदि तथा शूद्रातिशूद्र के लिए भी मैंने वेदों का प्रकाश किया है, वैसे ही तुम भी करो,' अर्थात् सब मनुष्यों को वेदों का उपदेश करो, पढ़कर मुनाओ, ताकि वे ज्ञान ग्रहण करके, सब दुःखों से रहित होकर वास्तविक आनन्द प्राप्त करें। स्वामी दयानन्द कहते हैं कि ऋषियों द्वारा प्रणीत ग्रंथों में जहाँ कहीं भी शूद्रों के

लिए वेदों का अध्ययन निषिद्ध बताया गया है वहाँ इसका अभिप्राय केवल यही है कि जिनको पढ़ने-पढ़ाने से कुछ भी ज्ञान न हो सके, वह निर्बुद्धि और मूर्ख होने के कारण शूद्र कहलाता है। ऐसे व्यक्ति का पढ़ना-पढ़ाना व्यर्थ है। यह तो मनोवैज्ञानिक सत्य है कि सबकी बुद्धि समान नहीं होती। तथ्य यह है कि स्वामीजी वर्णव्यवस्था को जन्म के आधार पर नहीं वरन् व्यक्तियों के गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर मानते हैं। प्रत्येक वर्ण के अपने-अपने गुण और कर्म होते हैं। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न बालक यदि ब्राह्मणों के उपयुक्त कार्य नहीं करता तो उसको ब्राह्मण नहीं मानना चाहिए।

समाज को व्यवस्थित रखने के लिए स्वामीजी ने गुरुओं व अध्यापकों के प्रति कहा है कि उन्हें ब्राह्मणों और क्षत्रियों के अतिरिक्त इतर वर्णों अर्थात् वैश्यों और उत्तम शूद्रजनों को भी विद्या का अभ्यास अवश्य कराना चाहिए क्योंकि यदि केवल ब्राह्मण ही विद्या-भ्यास करें और दूसरे वर्ण वाले उससे वंचित रहें तो विद्या, धर्म, राज्य और धन आदि की वृद्धि कभी नहीं हो सकती। कारण यह है कि ब्राह्मण का एकमात्र कर्तव्य ज्ञान की उपलब्धि और उसका प्रसार है। वह क्षत्रियादि से जीविका प्राप्त करके जीवनयापन करता है और उनके लिए नियम-व्यवस्था प्रदान करता है। अशिचित होने से क्षत्रिय उचित-अनुचित में भेद नहीं कर पायेंगे और न ब्राह्मणों के उपदेशों को समझ पायेंगे। इस प्रकार सब प्रकार से निर्भय और अपने कर्तव्यों से रहित होकर ब्राह्मण स्वार्थसाधन एवं पाखंड में लिप्त हो जायेंगे और उन्हीं का अनुकरण करके इतर वर्ण के लोग भी भ्रष्ट होंगे। जब क्षत्रिय आदि इतर वर्ण के लोग विद्वान होंगे, तब ब्राह्मण अधिक विद्याभ्यास और धर्म-मार्ग का अनुसरण करेंगे क्योंकि अन्य वर्णों के सामने पाखंड और भ्रूटा व्यवहार नहीं चल सकता। अतः इसमें स्वयं ब्राह्मणों का कल्याण है कि वे दूसरे वर्णों को भी बेदादि का अभ्यास यत्नपूर्वक करायें क्योंकि क्षत्रिय आदि अन्य वर्ण वाले ही विद्या, धर्म, राज्य और धन की वृद्धि करने वाले हैं। वे भिक्षा-वृत्ति या दान पर अपना जीवन-निर्वाह नहीं करते, अतः वे विद्याव्यवहार आदि में पक्षपाती भी नहीं हो सकते। जब सब वर्णों के लोग विद्वान और सुशिचित होते हैं, तब कोई भी पाखंडपूर्ण, अधर्मयुक्त और मिथ्या व्यवहार को प्रचलित नहीं कर सकता।

इससे यह सिद्ध होता है कि क्षत्रियादि वर्णों को नियम और व्यवस्थानुकूल चलाने वाले ब्राह्मण तथा मंत्र्यासी हैं और ब्राह्मण तथा मंत्र्यासी को सुनियम पर चलाने वाले क्षत्रियादि होते हैं। दोनों का संबंध अन्योन्याश्रित है। इसलिए सभी वर्णों के स्त्री-पुरुषों को विद्या और धर्मसिद्धान्तों की शिक्षा दी जानी चाहिए।” सबके लिए शिक्षा को अनिवार्य बताकर स्वामी दयानंद ने शिक्षा में जनतंत्रवाद की भावना का समर्थन किया है।

क्षत्रियों द्वारा वेदों के अध्ययन के संबंध में स्वामी दयानंद अथर्ववेद का एक मंत्र उद्धृत करते हैं : ‘ब्राह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्।’ अर्थात् जिस प्रकार लड़के

ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, पूर्ण विद्वान और सुसंस्कृत होकर, अपने अनुकूल विदुषी, प्रिय स्वभाव वाली युवती के साथ विवाह करते हैं उसी प्रकार कन्याओं को भी कौमार्य का पालन करते हुए, वेदों और शास्त्रों का अध्ययन कर, पूर्ण विद्या और सदाचार को प्राप्त करके युवावस्था में अपने समान, प्रिय, विद्वान और पूर्ण युवावस्था प्राप्त पुरुष का वरण करना चाहिए। श्रौतसूत्र में लिखा है, 'इमं मंत्रं पत्नी पठेत्,' अर्थात् पत्नी यज्ञ में यह मंत्र पढ़े। शतपथ ब्राह्मण में भी लिखा है कि प्राचीन भारत में गार्गी आदि स्त्रियाँ वेद और शास्त्रों को पढ़कर पूर्ण विदुषी हुई थीं। इससे यह विदित होता है कि स्त्रियों को भी वेद-शास्त्र का अध्ययन अवश्य करना चाहिए।

यह स्पष्ट है कि यदि घर में स्त्री अशिक्षित और विद्वान हो अथवा इसके प्रतिकूल, स्त्री विदुषी और पुरुष अशिक्षित हो तो घर में नित्यप्रति देवाभ्युत्सव संग्राम मचा रहेगा। ऐसी दशा में फिर सुख कहाँ ? यदि स्त्रियाँ सुशिक्षित न होंगी तो गृह-कार्यों को कुशलतापूर्वक कैसे कर सकेंगी ? अतः स्त्री और पुरुष दोनों का सुशिक्षित होना आवश्यक है। ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण की स्त्रियों को नव विद्याओं का अध्ययन करना चाहिए। वैश्य वर्ण की स्त्रियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करना उपयोगी है और शूद्र वर्ण की स्त्रियों को पाक-विद्या आदि में निपुण होना चाहिए। जिस प्रकार पुरुषों को कम व्याकरण, धर्म और अपने व्यवसाय की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए उसी प्रकार स्त्रियों को भी व्याकरण, धर्म, वैद्यकशास्त्र, गणित और शिल्प आदि सीखना चाहिए। क्योंकि इनके सीखे बिना सत्या-सत्य का निर्णय, पति या अन्यजनों के प्रति उचित व्यवहार, संतानोत्पत्ति और उनका पालन-पोषण एवं शिक्षा तथा घर के अन्य कामों को समुचित रूप से संभालना संभव नहीं है। वैद्यक-विद्या के अभाव में औषधियों के समान गुणकारी अन्न-पान नहीं बनाया जा सकता है। गुणकारी अन्न-पान द्वारा ही परिवार के लोग स्वस्थ रह सकते हैं और घर में रोग का प्रवेश नहीं होता है। घर आदि बनवाने के लिए शिल्प-विद्या का ज्ञान तथा हिसाब-किताब और समझने और समझाने के लिए गणित की शिक्षा आवश्यक है। वेद-शास्त्र का ज्ञान भी स्त्रियों के लिए अनिवार्य है क्योंकि इसके बिना ईश्वर और धर्म के वास्तविक स्वरूप को नहीं जाना जा सकता है और न अधर्म से ही बचा जा सकता है।

स्वामी दयानंद के शिक्षा-दर्शन का अध्ययन कर लेने के उपरांत जब हम उनके संपूर्ण कृतित्व पर विश्लेषणात्मक दृष्टि से विचार करते हैं तब हमें यह ज्ञात होता है कि मुक्ति को जीवन का चरम उद्देश्य मानकर उन्होंने प्राचीन भारतीय दार्शनिक परंपरा का समर्थन किया है। इस चरम लक्ष्य के अंतर्गत ही जीवन के अन्य लक्ष्य भी आ जाते हैं। स्वामीजी प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत उत्थान करना चाहते थे, किंतु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि वह समाज की उपेक्षा करते थे। आर्यसमाज (श्रेष्ठ व्यक्तियों का समाज) की स्थापना करके उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि परम उद्देश्य की प्रति सामाजिक

जीवन व्यतीत करते हुए भो की जा सकती है। भारतीय दर्शन पर यह आरोप लगाया जाता है कि वह वैयक्तिक है, वह जीवन-संचर्ष से पलायन और वन में रहकर मोक्ष-प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है, परन्तु स्वामी दयानंद ने इन आरोपों को असत्य प्रमाणित किया और भारतीय दर्शन के सहत्व की स्पष्ट रूप से घोषणा की।

आर्यसमाज के सातवें, नवें और दसवें नियमों को देखने से ही ज्ञात हो जाता है कि स्वामीजी सामाजिक जीवन और सामाजिक प्रगति को कितना आवश्यक और महत्वपूर्ण मानते थे। आर्यसमाज के वे नियम क्रमशः इस प्रकार हैं : “सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य वर्तना चाहिए।” “प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, वरन् सब को उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए।” “सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम-पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें।” इन नियमों पर दृष्टिपात करने से यह ज्ञात होता है कि वह व्यक्ति को एक नारिक के रूप में देखते थे, जिसके कुछ कर्तव्य और अधिकार हैं। इस प्रकार उन्होंने व्यक्ति और समाज के बीच समन्वय की स्थापना की।

‘वर्णाश्रम धर्म’ में उनका विश्वास इस तथ्य का द्योतक है कि वह व्यक्ति को जीविकोपार्जन करने वाले प्राणी के रूप में भी देखते थे ताकि व्यक्ति अर्थ के विचार से समाज पर भार न हो। और शिक्षा द्वारा इस उद्देश्य की पूर्ति चाहते थे। शिक्षा में सांस्कृतिक उद्देश्य की ओर उनका झुकाव स्पष्ट रूप से होता है। वह भारतीय संस्कृति के अनन्य भक्त थे और पुनः उसे उज्ज्वल रूप में व्यापक बनाने चाहते थे। आर्यसमाज का छटा नियम है : “संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है अर्थात् शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना।” शिक्षा की दृष्टि से इस नियम का विश्लेषण करने पर स्पष्ट रूप से यह दिखायी पड़ता है कि वह व्यक्ति का संतुलित विकास चाहते थे और जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शारीरिक उन्नति को भी एक आवश्यक अंग मानते थे। साथ ही वह व्यक्ति को सामाजिक अर्थात् नैतिक दृष्टि से उच्च बनाना चाहते थे। कहने का तात्पर्य है, वह व्यक्ति के जीवन का समग्र दृष्टिकोण से मूल्यांकन करते थे।

वैदिक परंपरा और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुकूल स्वामीजी सामान्यजनों के लिए प्रगतिशील बोध (Progressive realization) में विश्वास करते थे अर्थात् ब्रह्मचर्याश्रम में विद्याध्ययन करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे, उसका पालन करे, फिर वानप्रस्थ का जीवन व्यतीत करे और अंत में संन्यास ग्रहण करे। चारों आश्रमों में व्ययित सभी कार्य करते हुए अपना ध्येय जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति ही रखे। किन्तु स्वामी जी के ही जीवन को देखने से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जिन व्यक्तियों में क्षमता एवं योग्यता हो और जो अपने संवेगों पर सरलतापूर्वक नियंत्रण स्थापित कर

सकें, वे नैष्ठिक ब्रह्मचारी रह कर ब्रह्मर्चाश्रम से संन्यासाश्रम में प्रवेश कर सकते हैं और जीवन के चरम लक्ष्य की प्रत्यक्ष उपलब्धि (Direct realization) भी कर सकते हैं।

दार्शनिक दृष्टिकोण से आधुनिक युग में भारत के हितैषियों की श्रृंखला में प्रथम स्थान ग्रहण करने का श्रेय स्वामी दयानंद को है। उन्होंने भारत की जिस आदर्शवादी परंपरा की ज्योति को पुनः प्रदीप्त किया, उसका प्रकाश चतुर्दिक् व्याप्त होता गया क्योंकि मन सर्वत्र एक है और विचार संपूर्ण वायुमंडल में संचरण करते हैं।

आगामी अध्यायों में हम जिन दार्शनिकों का अध्ययन करेंगे उन सबने स्वामी दयानंद के निम्नांकित शैक्षिक सिद्धांतों का अपने दृष्टिकोण से समर्थन किया है—

- (१) जीवन को समग्र दृष्टि से देखना। परम उद्देश्य की प्राप्ति में अन्य सभी उद्देश्य निहित। व्यक्ति और समाज का समन्वय। समाज परम उद्देश्य की पूर्ति में बाधक नहीं।
- (२) ब्रह्मचर्य में विश्वास।
- (३) वर्णाश्रम-धर्म का समर्थन।
- (४) दार्शनिक दृष्टि से 'धर्म' का मूल्यांकन और रूढ़िवादी रूप का परित्याग। धार्मिक शिक्षा अनिवार्य।
- (५) मातृभाषा पर बल।

जीवन-दर्शन पर आधारित शिक्षा-संस्थाएँ

शिक्षा और जीवन के संबंध में स्वामी दयानंद के विचार आदर्शमात्र ही नहीं हैं, उनके विचारों में पूर्ण व्यावहारिकता भी है, जिसका अनुसरण करके जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। यही कारण है कि उनके शिक्षा-सिद्धांतों और आदर्शों के आधार पर शिक्षा प्रदान करने वाली अनेक संस्थाएँ आज देश में महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। इन संस्थाओं में 'कांगड़ी तथा ज्वालापुर गुरुकुल महाविद्यालय', हरिद्वार तथा वृंदावन गुरुकुल का प्रमुख स्थान है। दयानंद की शिक्षाओं के अनुकूल ये संस्थाएँ ब्रह्मचर्य और प्राचीन वैदिक शिक्षा को पुनरुज्जीवित करने में प्रयत्नशील हैं। यहाँ छः वर्ष से लेकर आठ वर्ष तक के बालकों को भर्ती किया जाता है। उनकी शिक्षा हिंदी के माध्यम से होती है और संस्कृत-साहित्य तथा आर्य-संस्कृति का अध्ययन विशेष रूप से कराया जाता है। इसके अतिरिक्त दयानंद के नाम पर देश में शिक्षा-केन्द्रों का जाल बिछा हुआ है, जिनमें यत्किंचित् रूप में वैदिक धर्म की शिक्षा दी जाती है।

बालकों के गुरुकुलों को भाँति देहरादून, बड़ौदा और सासनी (अलीगढ़) में कन्यागुरुकुल स्थापित हैं, जहाँ केवल बालिकाओं को शिक्षा दी जाती है। यहाँ बालकों की भाँति बालिकाओं को ब्रह्मचर्य का पालन कराया जाता है और वैदिक प्रणाली का अनुसरण



Figure 1: A person sitting on a chair, wearing a light-colored, patterned garment. The image is heavily stylized with a grainy, high-contrast aesthetic.

के प्रति आकर्षण को उन्होंने लक्ष्य किया था, अतः सन् १८९८ ई० में उन्होंने काशी में सेंट्रल हिंदू कालेज की स्थापना की। इस कार्य में उन्हें काशी-नरेश की सक्रिय सहायता प्राप्त थी और उन्होंने ही इस कालेज के लिए विस्तृत स्थान प्रदान भी किया। इससे उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त हुई। यह स्मरण रखना चाहिए कि जब महामना पं० मदन-मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रीगणेश किया, तो एनी बेसेंट ने उदारतापूर्वक अपने इस कीर्तिस्तंभ को विश्वविद्यालय में सम्मिलित करने की अनुमति प्रदान कर दी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का प्रारंभ इसी कालेज से हुआ और यह कालेज अब भी उसका अंग है। एनी बेसेंट और थियोसोफिकल सोसायटी द्वारा स्थापित अनेक संस्थाएँ आज देश के विभिन्न भागों में स्थित हैं जहाँ उनके आदर्शों के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाती है।

थियोसोफिकल सोसायटी की अध्यक्षता

सन् १९०७ ई० में एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसायटी की अध्यक्षता चुनी गयीं और वह आजीवन इस पद पर बनी रहीं। इस पद पर रहते हुए वह रहस्य-साधना में विशेष रूप से प्रवृत्त हुईं। इस समय उन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की जिसमें सोसायटी ने अपने बहुत-से नेताओं के पूर्वजन्म और भावी जीवन के संबंध में बातें लिखी थीं। उन्होंने लिखा कि सोसायटी के संस्थापक आल्फ्रेड पूर्व जन्म में सम्राट् अशोक थे। श्री जे० कृष्णमूर्ति उनकी संरक्षता में थे। उनके विषय में उन्होंने लिखा कि कृष्णमूर्ति के रूप में ईसा ने अवतार लिया है। सोसायटी के बहुत-से लोग कृष्णमूर्ति को दैवी व्यक्ति के रूप में सम्मानित करने लगे। इन सब बातों का बड़ा प्रतिकूल परिणाम हुआ। जे० कृष्णमूर्ति के पिता ने एनी बेसेंट के विरुद्ध मद्रास हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया और अपने पुत्र को अपने अधिकार में लेने के लिए प्रार्थना-पत्र दिया। हाई कोर्ट ने एनी बेसेंट के विरुद्ध निर्णय दिया। अंत में प्रिवी काउंसिल से उनकी जीत हुई और कृष्णमूर्ति को एनी बेसेंट की संरक्षता में रहने की अनुमति मिली, पर इस घटना से सोसायटी और एनी बेसेंट का ख्याति को बड़ा धक्का लगा।

राजनीति में प्रवेश : कांग्रेस की अध्यक्षता

सन् १९१३ ई० के लगभग एनी बेसेंट ने सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। सन् १९१४ ई० में उन्होंने 'कामन वील' नामक एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया, जो थोड़े ही दिन बाद 'न्यू इंडिया' के नाम से दैनिक पत्र के रूप में प्रकाशित होने लगा। इस पत्र द्वारा उन्होंने बड़ी निर्भीकता के साथ भारत के लिए स्वशासन की माँग को सरकार के सामने रखा। इनके लेखों और भाषणों ने तत्कालीन राजनीति में हलचल मचा दी। सन् १९१७ में मद्रास सरकार ने भयभीत होकर उनके ऊपर मद्रास

प्रांत से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार की इस आज्ञा के विरुद्ध घोर प्रतिक्रिया हुई। देश की जनता ने एक स्वर से प्रतिबंध उठाने के लिए माँग की और स्थान-स्थान पर आंदोलन किया। जनमत के सम्मुख सरकार को बाध्य होकर अपनी आज्ञा को वापस लेना पड़ा। एनी बेसेंट की राजनीतिक सेवाओं और लोक-प्रियता के कारण इसी वर्ष इन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। उस समय किसी नेता के लिए यह बड़े ही गौरव-सम्मान का पद था, जो एनी बेसेंट को प्रदान किया गया। एनी बेसेंट विदेशी महिला थीं, अतः उनके लिए यह स्वाभाविक ही था कि वह भारत का ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्णतया संबंध-विच्छेद करना उचित न समझें। वह ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत रहते हुए भारत को स्वशासन दिलाने के पक्ष में थीं क्योंकि राष्ट्र-मंडल में रहने पर ही वह भारत और इंग्लैंड दोनों का हित मानती थीं। सन् १९१६ ई० में जब महात्मा गाँधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया, तो एनी बेसेंट उनके विचारों से सहमत न हो सकीं। परिणामस्वरूप वह धीरे-धीरे सक्रिय राजनीति से पृथक् होती गयीं और उनका समय शिक्षा तथा थियोसोफी के कार्यों में ही व्यतीत होने लगा। सन् १९२४ ई० में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में वह थोड़े समय के लिए अवश्य सम्मिलित हुई थीं, किंतु इस समय तक वह राजनीति से पूर्णतया अलग हो चुकी थीं। देश के उत्थान के लिए उन्होंने जो कार्य किये और उनका जो व्यापक प्रभाव पड़ा, उसके संबंध में श्रीमती सरोजिनी नायडू ने कहा था 'यदि एनी बेसेंट न होतीं, तो महात्मा गाँधी भी न होते।' श्रीमती नायडू के इन शब्दों से एनी बेसेंट के महत्त्व को समझा जा सकता है।

सर्वशुक्ला सरस्वती

एनी बेसेंट के समग्र जीवन और कार्यों का मूल्यांकन करने पर ज्ञात होता है कि उनके व्यक्तित्व का मूलाधार 'धर्म' था। यह आश्चर्य की बात है कि विदेशी महिला होते हुए भी उन्होंने हिंदू-जीवन, आदर्श और धर्म-ग्रंथों को अपनी प्रेरणा का स्रोत माना और उन्हीं के पुनरुत्थान के लिए एकनिष्ठ भाव से अपना सारा जीवन लगा दिया। उनकी बौद्धिक प्रतिभा अत्यंत प्रखर और तीव्र थी। वह केवल आदर्शवादी ही नहीं थीं, वरन् उनमें विचारों के कार्यान्वयन तथा संगठन की अपूर्व क्षमता विद्यमान थी। लेखन तथा वक्तृत्व कला ने उनकी सफलता में बड़ा योग दिया। भाषण करते समय जब वह भारत के महान गौरव का चित्र अंकित करतीं और वर्तमान अधोगति को शब्दों में साकार करतीं तो श्रोताओं के नेत्रों से अश्रुपात होने लगता, उनकी वाणी में ऐसी शक्ति थी। बनारस के एक प्रकांड संस्कृतज्ञ ने उनकी वाणी के वैभव से प्रभावित होकर उन्हें 'सर्वशुक्ला सरस्वती' कहा था। उनका जीवन अध्यवसायी था। अध्ययन और अनुभव द्वारा उन्होंने भारत की आत्मा का दर्शन किया इसलिए जनता के हृदय में उनका स्थान इतना ऊँचा था। वह उदार, सहिष्णु, त्यागी और अनुशासनप्रिय थीं। अपने दैनिक

है, उसे श्रेष्ठतम बौद्धिक एवं आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त करनी है, तो उसे कुछ आदर्श आश्रमों की स्थापना अवश्य करनी होगी, जहाँ 'मार्गत्रय' की शिक्षा और योगाभ्यास कराया जा सके। प्राचीन आश्रमों में विद्या के अन्य अंगों, कला और शिल्प की भी शिक्षा दी जाती थी, किंतु आध्यात्मिकता के पुट के साथ। "भारत में कुछ ऐसे 'तपोवन' होने चाहिए जहाँ 'पराविद्या' के जिज्ञासु आत्मबोध प्राप्त कर सकें और भारत पुनः संसार का आध्यात्मिक गुरु बन सके।"†

प्रकृति और सौंदर्य—एनी बेसेंट के विचार में "यद्यपि भारत आज दीन हो गया है फिर भी उसे प्राकृतिक सौंदर्यान्द की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उसे प्रकृति-प्रदत्त प्रेरणा में अविश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ के ऋषियों ने यह शिक्षा दी है कि आध्यात्मिक दरिद्रता का अनुभव करना सर्वथा हेय है, चाहे भौतिक दृष्टि से हम अभावग्रस्त ही क्यों न हों। आधुनिक विज्ञान और अंग्रेजी भाषा की शिक्षा कला के स्थान की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। अपनी आत्मा को खोकर संसार की संपूर्ण समृद्धि को भी प्राप्त कर लेना भारत के लिए लाभप्रद नहीं है" ‡

पहले कहा जा चुका है कि सौंदर्य और संस्कृति का घनिष्ठ संबंध है। सौंदर्य पर बल देते हुए एनी बेसेंट का कहना है कि हमें अपने नगरों को सुंदर बनाना चाहिए, किंतु सर्वप्रथम पाठशालाओं को रुचिर रूप प्रदान करना चाहिए। हमें अपने बालकों के चतुर्दिक सौंदर्य एवं आनंद की प्रतिष्ठा करनी चाहिए, जिससे उनमें परस्पर प्रेम, सद्भावना और सम-संबंधों का विकास हो। हमें अपनी पाठशालाओं, विद्यालयों, विश्व-विद्यालयों में प्राचीन काल की भाँति कला की स्थापना करनी चाहिए। गाँवों में भी कला और शिल्प की स्थापना अनिवार्य है। वेश-भूषा के संबंध में भी एनी बेसेंट भारतीय पहनावों को सुंदर समझती हैं। उनका कथन है कि "हम पूर्व की सुंदर और सुरुचिपूर्ण वेशभूषा धारण करें, पाश्चात्य देशों के भद्दे और कलाहीन वस्त्रों को न पहनें। हममें से प्रत्येक व्यक्ति सौंदर्य का संदेशवाहक बने अपनी भाषा में, अपनी क्रियाशीलता में। सारा सौंदर्य भारतीय रीति-रिवाजों में छिपा हुआ है। इसके वजाय कि बाहर के भद्दे तौर-तरीके अपनाओ, उनका सुधार करो, तुम उन्हें छिपाते क्यों हो, यानी तुम उनसे लज्जित हो। भारतीय होने के नाते तुम्हारा धर्म है कि तुम अपने चतुर्दिक सौंदर्य का प्रसार करो, अपने को कुरूप और विकृत न होने दो।" §

Ⓐ **आश्रम-धर्म**—एनी बेसेंट वेदांत के अनुशासन से सहमत हैं और जीवन में चार आश्रम की व्यवस्था को स्वीकार करती हैं। इन चार आश्रमों में से प्रथम दो आश्रम—ब्रह्मचर्य और गृहस्थ—व्यक्ति के जीवन में बहिर्मुखी शक्तियों के विकास के प्रतीक हैं, जिनमें

† Besant, A : 'The Besant Spirit', p. 50

‡ Ibid. p. 55

जोव प्रवृत्ति-मार्ग की ओर अग्रसर होता है। यह प्रवृत्ति-मार्ग कर्म का वह महान मार्ग है, जिसका अनुसरण सारा संसार करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में इस मार्ग पर अपने ढंग से चलता है। मनुष्य के जीवन में ब्रह्मचर्य और गृहस्थ-आश्रम का जो काल होता है, उसे प्रवृत्ति-मार्ग कहते हैं। जीवन के शेष दो आश्रम—वानप्रस्थ और संन्यास—व्यक्ति के लिए संसार से विरक्त होने के निमित्त सोपानमात्र हैं। वानप्रस्थ निवृत्ति का प्रथम सोपान है और संन्यास दूसरा या अंतिम सोपान। जीवन के इन दोनों आश्रमों को निवृत्ति-मार्ग कहते हैं। जीवन के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण रखने के लिए आश्रम-जीवन से परिचित होना आवश्यक है। (इसीलिए हमारे पूर्वजों ने बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ इस मार्ग का निर्माण किया है, ताकि मनुष्य इस पर चल सके। आश्रम-जीवन की व्यवस्था के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति की वहिर्मुखी एवं अंत-मुखी शक्तियों में वास्तविक संतुलन स्थापित हो जाता है, अतः वह यह अनुभव करता है कि इससे अधिक पूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्वक नियोजित एवं व्यवस्थापूर्ण जीवन अन्य कोई नहीं है। जीवन के दो छोरों—जन्म और मृत्यु—के बीच कालयापन या जीवन व्यतीत करने का यह सर्वोत्तम साधन है।) आश्रम-व्यवस्था का यह आदर्श केवल एक राष्ट्र के लिए ही नहीं है, वरन् यह सार्वभौमिक और सार्वकालिक है। इसके अंतर्गत जीवन का पूर्वाद्ध भाग कर्म की प्रेरणा से आंदोलित तथा उत्तरार्द्ध भाग शांति एवं आत्मतुष्ट होता है। पूर्व हो या पश्चिम, सर्वत्र समान रूप से पूर्ण व्यवस्थित जीवन के इस प्राचीन आदर्श को पुनरुज्जीवित किया जा सकता है, इसके अनुसार पुनः जीवन व्यतीत किया जा सकता है। इस व्यवस्था को स्वीकार कर लेने पर अध्ययनकाल में विवाह और इसी के समान खेदजनक वृद्धावस्था में लोगों में धन और शक्ति के प्रति मोह के दृश्यों को नहीं देखना पड़ेगा।‡

वर्ण-धर्म—आश्रम-धर्म में विश्वास करने के साथ ही एनी बेसेंट भारत की वर्ण-व्यवस्था का भी समर्थन करती हैं। उनका कथन है कि वर्ण-व्यवस्था समाज के संगठन में सहायता प्रदान करती है। इसके आधार पर 'अनेकता में एकता' के आदर्शवादी सिद्धांत की पूर्ति होती है।

समाज व्यक्तियों का समुदाय मात्र नहीं है, वरन् उनका एक संगठित रूप है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी मनोवृत्ति के अनुसार एक निश्चित कार्य करता है और समाज के संचालन में योग देता है। यही वर्ण-धर्म है, यही जाति-व्यवस्था है। प्रत्येक बालक में अपने विशेष गुण होते हैं। किसी में वकील और किसी में डाक्टर बनने का शक्ति छिपी होती है, जिसके द्वारा वह समाज में एक विशेष स्थान प्राप्त करता है। एनी बेसेंट आरंभ में सबके लिए सामान्य शिक्षा आवश्यक समझती हैं, किन्तु बाद में वह व्यक्ति की विशेष योग्यता को विकसित करने पर बल देती हैं।

एनी बेसेंट का कहना है कि आज के प्रगतिशील लोग 'जाति' शब्द पर आपत्ति करते हैं। कारण यह है कि 'जाति' शब्द का दुरुपयोग किया गया है। अतः हम 'जाति' के स्थान पर 'व्यवसाय' शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। नाम जो कुछ भी हो, पर समाज के संचालन के लिए यह व्यवस्था है आवश्यक। प्राचीन आर्यों में चार जातियाँ थीं और प्रत्येक अपने विशिष्ट कार्य द्वारा समाज-सेवा, और देश-सेवा करती थी। किसी जाति का सदस्य होना जन्म पर ही नहीं, वरन् मुख्यतः कार्य पर ही निर्भर था। आज भी समाज-संगठन के लिए यह व्यवस्था एक वैज्ञानिक पद्धति है।

आदर्श अध्यापक — भारतीय शिक्षा-पद्धति में अध्यापक के आदर्श को बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अध्यापक को अपने ज्ञान में पूर्ण, आत्मज्ञानी और सत्य का बोध करने वाला होना चाहिए। उसे विधेयात्मक, दृढ़ विचार-युक्त जिज्ञासु और पूर्ण आदर्श से समन्वित होना चाहिए। उसमें इन गुणों को व्यावहारिक रूप देने की क्षमता और शक्ति अपेक्षित है। अध्यापक में तुच्छता, निर्जीवता और उदासीनता की भावना नहीं होनी चाहिए। उसमें निराशा विषाद और यांत्रिकता की भावना भी नहीं होनी चाहिए। उसमें आनंद और आश्वासन की भावना होनी चाहिए। अध्यापक की तुलना अग्नि से की जा सकती है। जिस प्रकार अग्नि में उष्णता तथा प्रकाश होता है, उसी प्रकार अध्यापक में भी विचारों को उत्तेजना और ज्ञान का तेज या प्रकाश होना आवश्यक है, जिससे छात्र उसके जीवन से प्रेरणा और प्रकाश ग्रहण कर सकें।

व्यक्ति के जीवन को पूर्ण उद्योगिता बनाना ही शिक्षा की चरम परिणति है। इस लक्ष्य तक छात्र के पहुँचने में अध्यापक अत्यधिक सहायक हो सकता है। जो बालक स्वयं प्रयत्नशील हैं, उन्हें सत्य तक पहुँचने में शिक्षक को सहायता करनी चाहिए और उन्हें यह सिखाना चाहिए कि सत्य की प्राप्ति के उपरांत वह किस प्रकार उन सत्यों में लीन या आनंदित रहें।

अध्यापक को शिक्षा-पद्धति का दास नहीं होना चाहिए। यद्यपि शिक्षा-पद्धति एक अनिवार्य साधन है, तथापि अध्यापक को इस बात में सदैव सावधान रहना चाहिए कि यह शिक्षा के उद्देश्य में सहायक होकर मनुष्य के जीवनोद्देश्य में सहायता प्रदान करे। उसे छात्रों की मौलिकता एवं स्वतंत्रता की भावना का स्वागत करना चाहिए। शिक्षा कोई ऐसा मानदंड नहीं है जिसके अनुसार छात्र अपने जीवन को ढालें, वरन् वह एक प्रेरणा है। यह आशा की जाती है कि छात्र प्रेरणा से अनुप्रेरित हों और उनके जीवन में इस प्रेरणा के प्रति प्रतिक्रिया हो।

अध्यापक को अधिक से अधिक परिश्रम के साथ शिक्षा संबंधी प्रत्येक विषय को स्वयं छात्र के जीवन से संबद्ध करना चाहिए। कोई भी विषय ऐसा नहीं है, जो छात्र के जीवन

† इस शीर्षक के अंतर्गत लिखी हुई बातों का आधार श्री जी० एम० अरुण्डेल का एक लेख है जो एनी बेसेंट के विचारों के अनुकूल है।

से पृथक् हो, जो उसके निजी विकास का अंग न हो और देर या सबेर जिसकी आवश्यकता उसके जीवन में न पड़े। दर्शन, इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान और अर्थ-शास्त्र आदि सभी विषयों का उसके जीवन से घनिष्ठ संबंध है। ये विषय उसके जीवन के अंग के रूप में उसके आत्मन्वेषण में सहायक होते हैं और इन विषयों की यही महत्ता है।

अध्यापक को चाहिए कि वह सत्य की खोज में कठिनाइयों और बाधाओं तथा त्रुटियों एवं असफलताओं से छात्र को पूर्णतया बचाने का प्रयत्न न करे, वरन् प्रत्येक उपाय से उसमें उद्देश्य तक पहुँचने की इच्छाशक्ति को सजीव बनाये रखे। किंतु इस कार्य में छात्र के ऊपर किसी प्रकार का अनावश्यक दबाव नहीं पड़ना चाहिए। दंड और कठोर आज्ञा की भाँति दबाव शिक्षा का नकारात्मक रूप है। 'व्यवस्था' (order) और 'स्वतंत्रता' (freedom) एक दूसरे के परिपूरक शब्द हैं।

अध्यापक को छात्र के शरीर और आत्मा दोनों का ध्यान रखना चाहिए। यदि अध्यापक में सहज ज्ञान है, तो उसे सभी बातों से ऊपर उठ कर छात्र की 'आत्माका मित्र' बनना चाहिए और आत्मा की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए शरीर को उसके अनुकूल बनाना चाहिए। उसे हर प्रकार से शरीर की आयु का ध्यान रखना चाहिए, किंतु साथ ही आत्मा की आयु का ध्यान भी आवश्यक है क्योंकि शरीर आत्मा का वाहन है, उसके महान उद्देश्य की पूर्ति का साधन है। अध्यापक चिरंतन आत्मा और शरीर को संबद्ध करने वाली एक महत्वपूर्ण शृङ्खला की भाँति है। यह शरीररूपी वाहन ही आत्मा को पुनः वाह्य जगत् में ले आता है। अध्यापक छात्र की आत्मा का मित्र, साथी और प्रतिनिधि है, अतः उसे अधिकार है कि वह आत्मा के कल्याण के लिए कभी-कभी शरीर को दुःख भी दे। किंतु अध्यापक में छात्र की आत्मा के ज्ञान के साथ ही इस बात का विवेक भी होना चाहिए कि वह केवल छात्र की आत्मोन्नति के लिए ही उसके शरीर को कष्ट दे—अपनी आत्मा के लिए नहीं, अपने मार्ग पर, अपनी इच्छा के अनुरूप चलाने के लिए नहीं। आधुनिक सिद्धांत शिक्षा में स्वतंत्रता पर बल देते हैं, किंतु हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ है 'आत्मा की स्वतंत्रता'। शरीर की स्वतंत्रता भूठी स्वतंत्रता है, वह आत्मा को केवल बंदी बनाये रख सकती है। विकास का प्रयोजन आत्मा की स्वतंत्रता है। अध्यापक को चाहिए कि वह छात्र को जीवन के परम उद्देश्य तक पहुँचने में योग दे। यदि शिक्षा और अध्यापक, पाठ्य-सामग्री के माध्यम से उस उच्च उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ सुभाव बालक को नहीं देते तो दोनों अपने कर्तव्य से च्युत होंगे।

आदर्श विद्यार्थी—(भारतीय शिक्षण-पद्धति में जिस प्रकार अध्यापक का आदर्श होना अनिवार्य है, उसी प्रकार विद्यार्थी को भी आदर्श होना चाहिए) एनी बेसेंट के विचार में उपनयन संस्कार से छात्र के ब्रह्मचर्य-जीवन का प्रारंभ होता है और उसका शैशवकाल समाप्त हो जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार के उपरांत छात्र का आत्मसंयमपूर्ण जीवन प्रारंभ होता

है। मनु के कथन को पुष्ट करते हुए वह कहती है कि यज्ञोपवीत में तीन सूत्र तीन प्रकार के संयम के प्रतीक हैं—मानसिक संयम, वाक्संयम तथा कर्मसंयम। शैशव को पशु-सुलभ स्वच्छंदता का काल कहा गया है। यज्ञोपवीत के उपरांत ही वास्तव में बालक मानवीय जीवन में प्रवेश करता है, जिसकी विशेषताएँ हैं—आत्मस्वामित्व और आत्मसंयम की प्राप्ति। अद्यपि बालक कुछ समय तक दूसरे के शासन में रहता है, लेकिन केवल आत्मस्वामित्व की प्राप्ति के लिए। जिस प्रकार पौधे का पालन और उसकी रक्षा का भार माली पर होता है, उसी प्रकार कोमल पौधा-रूपी छात्र का पालन और रक्षा अन्य लोग करते हैं, जिससे वह शक्तिशाली बन कर आगामी जीवन के तूफानों से अकेले ही जूझ सके। यज्ञोपवीत के उपरांत छात्र को मंत्रोपदेश दिया जाता है और उसका धार्मिक जीवन शुरू होता है। यह धार्मिक जीवन उसे सावधान करता रहता है कि अब वह भौतिक जगत् का एक स्वच्छंद प्राणी नहीं है, वरन् उसे अपना संबंध देवों और ईश्वर अर्थात् आध्यात्मिक जगत् से स्थापित करना चाहिए, जो उसका वास्तविक जीवन है।

एनी बेसेंट के अनुसार विद्यार्थी अथवा ब्रह्मचारी को अपना ध्यान चार बातों पर केन्द्रित करना चाहिए 'सेवा' 'स्वाध्याय' 'सरलता' और 'संयम'। इन चारों के अनुकूल ही उसका नित्यका जीवन व्यतीत होना चाहिए। इनमें से प्रत्येक 'स' का संबंध शिक्षा के एक विशेष विभाग से है और यह चारों मानव-जीवन के चार विशिष्ट अंगों से संबंधित हैं। अब हम इन चारों 'स' को विस्तार में देखेंगे।

सेवा—एनी बेसेंट का कथन है कि सेवा एक प्रकार का 'कर्तव्य' है जो ईश्वर, गुरु तथा माता-पिता के ऋण से उन्मुख होने के लिए किया जाता है। इससे बालक की आध्यात्मिक प्रवृत्ति का प्रस्फुटन होता है। यह आध्यात्मिक विकास केवल सेवा, समर्पण और आत्मत्याग द्वारा ही संभव है। यह विकास, सेवा-अर्पण करने से ही परिपोषित होता है, न कि लेने से। छात्र के इस विकास में धर्म से ही सहायता प्राप्त होती है। प्रत्येक छात्र को ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, जिसने उसे संसार के नाना सुख-सुविधाएँ दी हैं। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन भी सेवा के अंतर्गत ही आ जाता है। इस अध्ययन से ही ऋषि-ऋण का परिशोध होता है, अतः द्विजों का कर्तव्य है कि इस 'तत्त्व' को अपने जीवन में धारण करें। वेदों आदि का अध्ययन ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों के लिए अनिवार्य है, परंतु इनका पढ़ाना केवल ब्राह्मणों का कार्य है। एनी बेसेंट धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन सब वर्णों के लिए इसलिए आवश्यक समझती हैं क्योंकि धर्म ही हमें सिखाता है कि हम सब प्राणी एक आध्यात्मिक सूत्र से बंधे हैं, अतः धर्म एकता का पाठ पढ़ाता है। एकता की भावना ही हमें सच्ची नैतिकता प्रदान करती है। छात्र को गुरु के प्रति श्रद्धा, सम्मान और विश्वास रखना चाहिए और अपने माता-पिता की उन्हीं के द्वारा दिए हुए तन से सेवा करनी चाहिए।

स्वाध्याय—ज्ञान-प्राप्ति के लिए अपने मस्तिष्क को बाह्य जगत् में प्रयुक्त करने को

स्वाध्याय कहते हैं। इसके द्वारा बौद्धिक शक्ति की वृद्धि, मस्तिष्क का प्रशिक्षण और उसकी शक्तियों का स्वाभाविक विकास होता है। तथाकथित धर्म-निरपेक्ष विषयों की गणना भी इसी के अंतर्गत की जा सकती है। ध्यान रहे कि इन विषयों की शिञ्चा केवल उनके समाधान या ज्ञान के लिए नहीं, वरन् मस्तिष्क की तर्क आदि विभिन्न क्रियाओं को अनुशासित करने के लिए दी जानी चाहिए।

सरलता—या सादगी विद्यार्थी-जीवन के अत्यंत अनिवार्य गुणों की ओर इंगित करती है अर्थात् विद्यार्थी का रहन-सहन कैसा होना चाहिए, उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए तथा नैतिकता संबंधी सभी तथ्य इसके अंतर्गत आते हैं।

आत्मसंयम—यहाँ आत्म-संयम से तात्पर्य है अपने शरीर पर पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करना अर्थात् शरीर का इस प्रकार प्रशिक्षण, निर्देशन तथा व्यवस्थित करना, जिससे वह इतना विकसित हो, इतना उपादेय हो एवं योग्य साधन बन सके कि हमारे सब कार्य सुचारु रूप से चल सकें। अपने शरीर पर पूर्ण स्वामित्व स्थापित करने के लिए 'ब्रह्मचर्य' का पालन करना आवश्यक है। ब्रह्मचर्य के पालन के लिए शारीरिक और मानसिक पवित्रता आवश्यक है। बिना मानसिक पवित्रता के शारीरिक पवित्रता असंभव है। ब्रह्मचारी को जब तक वह पूरा अध्ययन समाप्त न कर ले तब तक विवाह नहीं करना चाहिए। अल्प आयु में विवाह करने से ब्रह्मचर्य-व्रत का खंडन होता है और फलस्वरूप शारीरिक और मानसिक शक्ति का ह्रास होता है। इसीलिए प्राचीन काल में विद्याध्ययन समाप्त करने तक बालक गुरु के घर में रहता था।

शिञ्चा के उपर्युक्त चार तत्त्व मानव-प्रकृति के चार अंगों—आध्यात्मिक, बौद्धिक, नैतिक तथा शारीरिक—से क्रमशः संबंधित हैं। इन चार अंगों की शिञ्चा का विस्तार-पूर्वक वर्णन हम आगे करेंगे। इससे पूर्व यह जानना आवश्यक है कि सादगी के अंतर्गत किन-किन गुणों को ग्रहण करना ब्रह्मचारी के लिए अनिवार्य है।

विद्यार्थी के धारण करने योग्य गुणों की विवेचना करने से पूर्व हमें यह समझ लेना चाहिए कि एनी बेसेंट का गुण से क्या तात्पर्य है और विभिन्न गुणों का उद्गम कहाँ से होता है। किसी संवेग की मन में स्थायी स्थिति अर्थात् संवेगों का स्थायी भाव में परिणत होना ही गुण है। संसार में मूल स्थायी भाव दो ही होते हैं, प्रेम और घृणा। अन्य संवेग इन्हीं दो मूल स्थायी भावों से उत्पन्न हैं, कुछ प्रेम से और कुछ घृणा से। गुणों की उन्नति प्रेम नामक स्थायी भाव से होती है तथा दुर्गुणों की उत्पत्ति घृणा नामक स्थायी भाव से। नैतिक शिञ्चा प्रेम के स्थायी भाव को प्रेरित करती है और उससे उत्पन्न सद्गुणों की वृद्धि करती है और घृणा नामक स्थायी-भाव तथा उससे उत्पन्न दुर्गुणों को दूर करने का प्रयत्न करती है। एनी बेसेंट का कथन है कि ब्रह्मचारी को अपने भीतर निम्नलिखित सद्गुणों को उत्पन्न करना चाहिए।

आज्ञा-पालन—इन गुणों में से शास्त्रों द्वारा समर्पित प्रथम गुण है आज्ञापालन। छात्र

शिक्षा देना। इसके साथ ही उन्हें पढ़ने-लिखने का ज्ञान कराना अनिवार्य है। उन्हें धर्म और नैतिकता भी सिखानी है। पीढ़ियों से उनमें अभश्य और अपेय वस्तुओं के सेवन की जो आदत पड़ी हुई है, उसे दूर करना तथा उनके शरीर और मन को पवित्र बनाना होगा। हमें पिछड़े वर्ग को ऊपर उठाना होगा। उन्हें प्रतिदिन स्नान करने और स्वच्छ वस्त्र पहनने की शिक्षा देनी होगी। संतुलित और शुद्ध आहार उनकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। उनकी आत्मा के विकास के लिए उनके शरीर को पुष्ट और बृढ़ बनाना है। यदि हम मानव-समाज के इस पिछड़े वर्ग की सहायता नहीं करते हैं, तो ईश्वर के सम्मुख किस मुँह से अपने उत्थान की प्रार्थना करेंगे।

रात्रि-पाठशालाएँ

एनी बेसेंट का विचार है कि सभी देशप्रेमी स्त्री-पुरुषों का कर्तव्य है कि वे उन लोगों के बीच शिक्षा का प्रसार करें, जो जीवन की कठिनाइयों और प्रतिकूलताओं के कारण शिक्षा से वंचित हैं। हमें देश की उस जनता के बीच शिक्षा का प्रसार करना है, जो सहायता के लिए हमारी ओर देख रही है। शिक्षा-प्रसार के लिए उन्होंने रात्रि-पाठशालाओं की स्थापना को महत्त्वपूर्ण माना है, जिससे दिन में काम करने वाले लोग रात्रि को पढ़ना-लिखना सीख सकें। उनका कहना है कि दिन में काम करने वाला बालक यदि रात को पढ़ने के लिए पाठशाला आता है, तो इससे स्पष्ट है कि उसके हृदय में शिक्षा प्राप्त करने की बलवती जिज्ञासा है। उसके लिए शिक्षा की कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे उसका मार्ग प्रशस्त हो सके। काम में लगे हुए व्यक्ति को हमें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि उसके कार्य में सुविधा हो सके। आज शिक्षा का सबसे बड़ा दोष यह है कि वह लोगों के कार्य में सहायक नहीं बन पाती, वरन् उनके जीवन से पृथक् रहती है। इसका परिणाम यह होता है कि उनके जीवन में शिक्षा का बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग नहीं हो पाता। अतः हमें उनको ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो उनकी आजीविका में भी सहायता कर सके।

स्त्री-शिक्षा

एनी बेसेंट की राष्ट्रीय शिक्षा योजना में सर्वसाधारण की शिक्षा के साथ ही स्त्री-शिक्षा को विशेष स्थान प्राप्त है। वह भारतीय नारी को उसके गौरवपूर्ण अतीत के कारण, बड़े सम्मान की दृष्टि से देखती हैं और उनकी वर्तमान परिस्थिति से परिचित होने के कारण, वे उनके उज्ज्वल भविष्य की कल्पना करती हैं। स्त्री-शिक्षा से संबंधित उनके विचारों में, उनकी दार्शनिक अवधारणा, 'अनेकता में एकता' और उससे संबंधित 'व्यक्तिगत विभिन्नता' के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की छाप स्पष्टरूप से दृष्टि गोचर होती है। शिक्षा के भारतीयकरण की भावना से प्रेरित होकर उन्होंने सदैव प्राचीन भारत के स्त्रीरत्न को आदर्शरूप स्वीकार किया है।

वर्तमान समय में स्त्री-आदर्श की व्याख्या, एनी बेसेंट ने बड़े ही ^{की} ~~कुशल~~ ^{हकी} की है। उनके अनुसार, “अतीत काल में भारतीय नारी क्या थी, इसे हम जानते हैं। अनेक अनुविधाओं के होते हुए भी आज उसका क्या रूप है, उसे भी हम देख रहे हैं—उससे बढ़ कर मन्दर पृष्ण इस पृथ्वी पर नहीं हैं। भविष्य में वे कैसी होंगी—इसे कौन बता सकता है? हम भविष्य में भारत में उस नारीत्व की आशा करते हैं, कल्पना करते हैं जिसमें—गार्गी की बुद्धिमत्ता, सावित्री का साहस और वाक्चातुर्य, सीता का अटल प्रेम, दमयंती की स्वाभिमानपूर्ण सहनशीलता तथा शकुंतला की पतिभक्ति का पूर्ण-रूप से समावेश हो।”

एनी बेसेंट स्त्रियों के लिए शिक्षा को आवश्यक मानती हैं। उनके विचार में नारियों को दर्शन, विज्ञान, साहित्य और कला आदि सभी विषयों की शिक्षा पुरुषों के समान मिलनी चाहिए। स्त्री होने के नाते ज्ञानभंडार के किसी भी अंश से उन्हें वंचित नहीं किया जाना चाहिए। नये और स्वतंत्र भारत के निर्माण के लिए जिस प्रकार बुद्धिमान और संत पुरुषों की आवश्यकता है उसी प्रकार विदुषी और साध्वी नारियों की भी। इन्हीं के ऊपर नवीन भारत की सुदृढ़ आधारशिला का आरोपण होगा। उसे दर्शन और विज्ञान-सम्मत धर्म का पालन करना होगा। (एनी बेसेंट का कथन है कि स्त्री पुरुष से भी बढ़कर सत्य का व्यवहार करेगी क्योंकि यदि पुरुष जन्म से नियमों और विधानों का निर्माता है तो नारी जन्मजात व्यवस्थापिका होती है।) उसमें अपने अधीन ज्ञान को व्यवहार में लाने की सहज प्रवृत्ति होती है क्योंकि वह केवल बौद्धिक ज्ञान की प्राप्तिमात्र से संतुष्ट नहीं होती। ज्ञान को व्यावहारिक रूप देने में वह बाधाओं से भयभीत नहीं होती और उसके लिए आवश्यकता पड़ने पर त्याग भी करती है। पत्नी, माता और व्यवस्थापिका के रूप में घरेलू कार्यों में त्याग करना उसके नैतिक कार्यों का अंग होता है। अपने इन त्यागों को वह पुरुष की भाँति गिनती नहीं है। त्याग उसका स्वभाव है। पारिवारिक जीवन के कल्याण की भावना से उसका मस्तिष्क इतना अभिभूत होता है कि वह अपने निजी सुखों की भी चिंता नहीं करती। उसकी निजी और परिवार की सुविधाओं में कहीं अंतर्विरोध नहीं पड़ता। नारी के इसी त्याग और सेवा-भावना को यदि राष्ट्र की ओर उन्मुख कर दिया जाय तो वह ब्यापक रूप ग्रहण कर लेगा और वह उसी त्याग की भावना से राष्ट्र की सेवा भी करने लगेगी।

असाधारण प्रतिभा वाली बालिका के विषय में एनी बेसेंट का कहना है कि कुछ ऐसी बालिकाएँ भी होती हैं जो अपनी विशिष्टताओं को अधिक पूर्णरूप में विकसित करना चाहती हैं, वे व्यापक शिक्षा प्राप्त करना चाहती हैं। उनके इस निजी विकास में उनकी रुचि के अनुसार सहायता मिलनी चाहिए। भारत में ऐसी कन्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं जो यहाँ की प्राचीन नारियों की प्रतिभा और ज्ञान को साकार कर सकें।

I have
a great
joy
in
your
life



इतने संपन्न परिवार में जन्म लेने पर भी रवीन्द्रनाथ का पालन-पोषण विलासिता-पूर्वक नहीं हुआ। इन्होंने लिखा है, “हमारे जीवन में भोग-विलास का आयोजन नहीं के बराबर था। कुल मिलाकर तब की जीवन-यात्रा आज से बहुत सीधो-सादी थी।...हम लोग थे नौकरों के ही शासन-अधीन। अपने कर्तव्य को सरल करने के लिए उन लोगों ने हमारा हिलना-डुलना एक प्रकार से बंद कर दिया था।...हमारे आहार में शौकीनी की गंध भी नहीं थी। कपड़े-लत्ते भी इतने ज्यादा साधारण थे कि आजकल के लड़कों के सामने उसकी सूची रखने में सम्मानहानि की अशंका होती है। दस साल की उमर के पहले कभी भी किसी दिन किसी काम में मोजे नहीं पहने और जाड़े के दिनों में एक सफ़ेद कुरता—कमीज पर—और एक सफ़ेद कोट काफ़ी था। इस उद्वरण से इनके सादे जीवन का अनुमान किया जा सकता है। नौकरों द्वारा लगाये गये प्रतिबंध के प्रति अपनी प्रतिक्रिया का उल्लेख करते हुए इन्होंने कहा, “उधर, बंधन कितना ही कठिन क्यों न हो, अनादर या अ-लाड़ एक ज़बरदस्त स्वाधीनता है, और उस स्वाधीनता से हमारे मन मुक्त थे।” अपने बाहर वाले मकान की दूसरी मंजिल पर दक्षिण-पूर्व कोने के कमरे में नौकरों के बीच इनके दिन कटते थे। नौकरों के कठोर प्रतिबंध तथा बाहर न जाने देने के कारण इनका जीवन एकांत में ही व्यतीत होता था। वह खिड़की से प्रकृति के दृश्यों को देखा करते और उनमें लीन रहते। उनके शब्दों में “खिड़की के नीचे ही एक पक्के घाट वाला तालाब था। उसके पूरव की तरफ़ चहार-दीवारी से सटा हुआ एक बड़ा-भारी चीनी बटवृक्ष था, और दक्षिण की तरफ़ नारियल के पेड़ों की कतार। लकीर-बंधन में बंदी मैं खिड़की की झिलमिली खोल कर प्रायः दिन भर उस तालाब को ‘तसवीरों वाली किताब’ की भाँति देखता हुआ बिता देता था।”† इस एकांत जीवन और प्रकृतिनिराक्षर का परिणाम यह हुआ कि रवीन्द्रनाथ वचन से ही गंभीर और चिन्तनशील बन गये।

शिक्षा

अपने भाई और भानजे को स्कूल जाते देखकर रवीन्द्र ने भी पढ़ने जाने के लिए हठ किया। यह हठ पढ़ने के विचार से नहीं बरन् बाहर निकल पाने की अभिलाषा से था। विद्यालय जाने के लिए यह रोने लगे। इस समय का वर्णन करते हुए कवि ने लिखा है, “मेरा मन घर से बाहर निकलने के लिए फड़फड़ा उठा। जो हमारे शिक्षक थे, उन्होंने मेरे मोह का विनाश करने के लिए प्रबल चपेटाघात के साथ एक सारगर्बित वाक्य सुनाया, ‘अभी तो स्कूल जाने के लिए रो रहे हो, किसी दिन नहीं जाने के लिए,

† रवीन्द्र साहित्य, भाग १८ जीवन-स्मृति : पृष्ठ ८

‡ ” ” ” ” १०

इससे बहुत ज्यादा रोना पड़ेगा।'....उस दिन का वह गुरु-वाक्य और गुरुतर चपेटा-घात आज भी मेरे मानस-पट पर स्पष्ट जागृत है। इतनी बड़ी अव्यर्थ भविष्यवाणी मेरे जीवन में और किसी दिन कर्णगोचर न हुई।''

सर्वप्रथम इन्हें ओरिएंटल सेमेनरी स्कूल में भर्ती किया गया, किंतु यहाँ इनका मन नहीं लगा। यहाँ के वातावरण से इनका कोमल मन त्रस्त हो गया। 'पाठ न सुना सकने पर विद्यार्थी को वहाँ बेंच पर खड़ा करके उसके दोनों हाथ पसार कर उन पर कक्षा की बहुत-सी सिलेटे इकट्ठी करके लाद दी जाती थीं।' नौकरों के बीच भी इनकी शिक्षा चलती थी। उन्हीं के बल पर इनकी साहित्य-चर्चा का आरंभ हुआ। चाणक्य के श्लोकों का बंगला अनुवाद और रामायण का पाठ नौकरों के बीच होता था। इस समय रवीन्द्रनाथ की अवस्था सात-आठ वर्ष की थी, किंतु इसी आयु में उनके हृदय में कवित्व का बीजारोपण हो चुका था।

ओरिएंटल सेमेनरी में अधिक दिनों तक इनकी शिक्षा नहीं हुई। उसके बाद यह नार्मल स्कूल में भर्ती किये गये। नार्मल स्कूल में विद्यालय का कार्य आरंभ होने के पूर्व गैलरी में बैठकर सब लड़के सस्वर कविता पाठ करते थे। ऐसी व्यवस्था संभवतः मनोरंजन के लिए की गयी थी। कविता के शब्द और स्वर दोनों अंग्रेजी के थे। इस संबंध में उन्होंने लिखा है, "मेरी कुछ समझ में न आता था कि हम क्या मंत्र पढ़ रहे हैं और कौन सा अनुष्ठान कर रहे हैं। प्रतिदिन वही एक अर्थहीन राग अलापना मेरे लिए सुखदायक नहीं था।"† "क्रमशः नार्मल स्कूल की स्मृति जहाँ धुंधली अवस्था पार करके परिस्फुट होने लगती है वहाँ किसी भी अंश में वह लेशमात्र मधुर नहीं मालूम होती।"‡ यहाँ लड़कों का संपर्क इतना अशुचि और ऐसा असम्मानप्रद था कि रवीन्द्रनाथ दोपहर का अवकाश का समय नौकर के साथ अकेले में बिताते थे। यहाँ के वातावरण से यह इतना ऊब चुके थे कि मन ही मन सोचते थे कि एक साल, दो साल, तीन साल, और भी, न मालूम कितने साल इस तरह बिताने पड़ेंगे। एक शिक्षक के विषय में इन्होंने लिखा है, "शिक्षकों में एक की बात मुझे याद है, वे ऐसी कुत्सित भाषा का प्रयोग किया करते थे कि उनके प्रति अश्रद्धावश उनके किसी प्रश्न का मैं उत्तर ही नहीं देता था।"* संभवतः बचपन के यही कटु अनुभव इनके मन में जमते गये और फलस्वरूप आगे चल कर इन्होंने आजीवन शिक्षा सुधार के लिए प्रयत्न किया तथा आदर्श शिक्षा संस्था के रूप में 'विश्व-भारती' की स्थापना की।

† रवीन्द्र साहित्य, भाग १८, 'जीवन-स्मृति' पृष्ठ २३

‡ वही पृष्ठ २४

* वही

रवीन्द्रनाथ की शिक्षा की व्यवस्था स्कूल से अधिक घर पर की गयी थी। समुचित शिक्षा-दीक्षा के लिए घर पर नाना विद्याओं का आयोजन किया गया था। संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी, चित्रकला, संगीत और तत्त्वदर्शन आदि की शिक्षा के लिए अलग-अलग अध्यापक नियुक्त थे। ६ बजे प्रातःकाल से लेकर ९ बजे रात तक पढ़ाई का यह क्रम चलता था। अनवरत शिक्षा का यह क्रम कितना कठिन और अरुचिकर रहा होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है।

यज्ञोपवीत एवं देश-भ्रमण

बारह वर्ष की अवस्था में रवीन्द्रनाथ का यज्ञोपवीत संस्कार विधिपूर्वक हुआ। इसी वर्ष इनके पिता महर्षि देवेन्द्रनाथ देश-भ्रमण के लिए निकले और इन्हें अपने साथ लेते गये। कवि के जीवन पर इस यात्रा का बड़ा प्रभाव पड़ा और इसने इनकी काव्य-प्रतिभा को विशेष प्रेरणा प्रदान की। प्रयाग, कानपुर, अमृतसर आदि स्थानों की यात्रा करते हुए यह डलहौजी गये। डलहौजी की पर्वतीय छटा को देखकर रवीन्द्रनाथ मुग्ध हो गये। इस यात्रा में इनके पिता ने इनको शिक्षा-दीक्षा का भी ध्यान रखा। वह इन्हें अंग्रेजी, संस्कृत आदि की शिक्षा स्वयं देते थे। डलहौजी में कवि ने मुक्त रूप से पर्वत को घाटियों और चोटियों का भ्रमण किया। यह अवसर इनके जीवन का प्रथम सुखद एवं स्वच्छंद काल था।

विदेश यात्रा

रवीन्द्रनाथ के मँझले भाई श्री सत्येन्द्रनाथ अहमदाबाद में जन्मे थे। उनकी पत्नी ज्ञानदानन्दिनी अपने बच्चों के साथ इंग्लैंड में थीं। सन् १८७८ ई० में सत्येन्द्रनाथ को भी इंग्लैंड जाना था, अतः वह रवीन्द्रनाथ को उच्च शिक्षा के लिए अपने साथ लेते गये। इस समय इनकी अवस्था सत्रह साल की थी। छः महीने तक भाई के साथ अहमदाबाद और बंबई में रहने के उपरांत वह इंग्लैंड रवाना हो गये। वहाँ ब्राइटन के पब्लिक स्कूल में यह भर्ती हो गये। इस स्कूल में यह बहुत दिन नहीं रह सके। इसमें स्कूल का कोई दोष नहीं था। उन दिनों तारकनाथ पालित लंदन में थे। उन्होंने रवीन्द्रनाथ को लंदन बुला लिया। लंदन में, एक मकान में रवीन्द्रनाथ अकेले रहते थे और हारमोनियम पर स्वर-साधना करते थे तथा एक अध्यापक से लैटिन की शिक्षा प्राप्त करते थे। इस शिक्षा से कुछ सीखने का अवसर इन्हें न मिल सका। तत्पश्चात् यह वर्कर नामक एक अध्यापक से शिक्षा लेने लगे, किंतु कुछ समय बाद अपनी भाभी का बुलावा पाकर टौर्की नामक स्थान को चले गये। सारांश यह कि विद्यालय की शिक्षा के नाम पर रवीन्द्रनाथ के हाथ कुछ भी नहीं लगा। हाँ, वहाँ भी यह काव्य-रचना और अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन में दत्तचित्त रहे। सन् १८८० ई० में यह पुनः स्वदेश

लौट आये। कानून की शिक्षा प्राप्त करने के ध्येय से रवीन्द्रनाथ सन् १८८१ ई० में पुनः इंग्लैंड गये, किन्तु वहाँ जाकर इनका विचार परिवर्तित हो गया और वह फिर भारत चले आये।

गार्हस्थ्य जीवन

अब रवीन्द्रनाथ का विवाह हो गया और इनके पिता ने जमींदारी की देखभाल तथा व्यवस्था का भार इन्हें सौंपा। यद्यपि रवीन्द्रनाथ बड़े जमींदार के पुत्र थे, फिर भी अपनी प्रजा के साथ उनका व्यवहार बड़ा सुन्दर था। किसानों के कष्टों को दूर करने के लिए वह उपाय सोचा करते थे। उनका कहना था कि 'इन असहाय, दुखी और सरल किसानों तथा मजदूरों को अपना भाई समझने में मुझे सुख प्राप्त होता है।' प्रजा का कष्ट निवारण करते हुए इन्होंने जमींदारी की उन्नति और सुव्यवस्था की। जमींदारी के कार्यों में व्यस्त होते हुए भी यह काव्य-रचना और साहित्य-साधन में लगे रहे। समय के साथ-साथ इनकी कल्पना प्रौढ़ होती गयी और इनकी रचनाएँ साहित्य के सम्मुख उपस्थित होती रहीं। जमींदारी के कार्यों में यह कई वर्षों तक लगे रहे। इसी बीच इनकी पत्नी, पुत्री और सबसे छोटे पुत्र का देहांत हो गया। यद्यपि इन दुःखद घटनाओं का कवि के जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा, तथापि इन्होंने अपने को संयमित रखा और अपने को परोपकार आदि के कार्यों में व्यस्त रख कर शोक को विस्मृत करने का प्रयत्न किया।

इन दिनों की अपनी अनुभूतियों की चर्चा करते हुए कवि ने लिखा है,....'इतने में न जाने कहाँ से इस मृत्यु ने आकर अत्यन्त प्रत्यक्ष जीवन के एक प्रांत में छायाभर में दरार कर दी; और तब सहसा मैं कैसा हक्का-बक्का-सा हो गया। सोचने लगा, यह क्या ! यह कैसा गोरखबंधा !'....'फिर भी, इस दुःसह दुःख के भीतर से मेरे मन में एक आकस्मिक आनन्द की हवा बहने लगी। इससे मुझे बड़ा आश्चर्य होता। जीवन बिल्कुल अविचलित निश्चित नहीं, इस दुःख के संवाद से भी मन का भार हलका हो गया।'

शान्तिनिकेतन की स्थापना

बोलपुर के समीप रवीन्द्रनाथ के पिता ने थोड़ी जमीन खरीदी थी और वहीं एक छोटा-सा मकान भी बनवाया था। यह स्थान उन्हें बड़ा प्रिय था। इस मकान का नाम-करख उन्होंने 'शांतिनिकेतन' किया था। सन् १९०१ ई० में कवि ने यहाँ एक स्कूल खोला और स्वयं भी इसमें शिक्षक का कार्य करने लगे। अपने शिक्षा-काल में उन्हें विद्यालयों की शिक्षा का जो कटु अनुभव हुआ था और शिक्षा के विषय में उनकी जो धारणा बन गई थी उसी आधार पर उन्होंने इस स्कूल में शिक्षा की योजना कार्यान्वित की। इन्होंने बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता देकर यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में एक नवीन प्रयोग आरंभ किया। शिक्षा के विभिन्न अंगों के अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था यहाँ की गयी जिसमें

विभिन्न देशों के अध्यापक आये। उदारता और विभिन्न संस्कृतियों के संगम-स्थल के रूप में शांतिनिकेतन दिन प्रति दिन उन्नति करता गया और 'विश्वभारती' के रूप में वह आज शिक्षा की अद्वितीय संस्था के रूप में वर्तमान है।

राजनीति के क्षेत्र में

रवीन्द्रनाथ राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, सक्रिय राजनीति में उन्होंने विशेष भाग नहीं लिया, किन्तु देशभक्त थे और देशसेवा करने का उनका अपना ढंग था। वह राजनीति के प्रवक्ता नहीं थे, किन्तु उन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा देश में जागरण उत्पन्न किया। आज से कितनी वर्षों पूर्व उन्होंने जो गीत लिखा वह आज हमारा राष्ट्रीय गान है। शांतिनिकेतन का कार्य करते हुए उन्होंने राजनीति में भी रुचि ली। ग्राममुधार और हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य की ओर उन्होंने सदैव ध्यान दिया। बंग-भंग के दिनों में, जब पूरे बंगाल और समस्त देश में विदेशी शासन के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया हो रही थी, तब उन्होंने सक्रिय राजनीति में भी भाग लिया। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन में भी भाग लिया और देश की जनता को प्रोत्साहित किया। सन् १९१९ ई० में जब जनरल डायर ने जलियाँवाला बाग में पंजाब के निरीह प्राणियों पर अमानुषिक अत्याचार किया तब इस अत्याचार से रवीन्द्र का हृदय कांप उठा। उन्होंने अंग्रेजी सरकार के इस कुकृत्य के विरोध में सरकार द्वारा प्रदत्त 'सर' की उपाधि को वापस कर दिया। गांधी जी और गुरुदेव में मैत्री थी और वे दोनों सत्य एवं अहिंसा में विश्वास करते थे, किन्तु खादी के प्रश्न पर वह गांधी जी से मतैक्य स्थापित न कर सके। खादी के विषय में किया गया गांधी-रवीन्द्र पत्रव्यवहार बड़ा प्रसिद्ध है और उसके पढ़ने से दोनों के विचारों का पूरा ज्ञान होता है।

पुरस्कार और उपाधियाँ

महान् कवि और साहित्यकार के रूप में रवीन्द्रनाथ की ख्याति देश की सीमाओं का अतिक्रमण करके विदेशों में धीरे-धीरे फैलने लगी। विश्व के अन्य साहित्यकार उनकी रचनाओं की ओर आकर्षित हुए और अन्य देशों में उनके प्रशंसकों की संख्या बढ़ने लगी। शांतिनिकेतन का कार्य करते हुए उन्होंने 'गीतांजलि' और 'साधना' की रचना की। 'गीतांजलि' की बंगला रचनाओं को उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया। सन् १९१२ ई० में रवीन्द्र पुनः इंग्लैंड गये। वहाँ सुप्रसिद्ध चित्रकार राटेन्स्टाइन तथा कवि यीट्स आदि से इनका संपर्क हुआ। उन्होंने 'गीतांजलि' को पढ़ा और उसके महत्त्व को समझा। सन् १९१३ ई० में ५० वर्ष की अवस्था में कवि को 'गीतांजलि' पर 'नोबेल पुरस्कार' प्राप्त हुआ। पुरस्कार का सारा धन कवि ने शांतिनिकेतन की उन्नति में लगा दिया। तत्पश्चात् कलकत्ता विश्वविद्यालय ने इन्हें डी० लिट० की उपाधि तथा सन् १९१४ ई० में भारत सरकार ने 'सर' की उपाधि से विभूषित किया। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कवि ने सन् १९१९ ई० में 'सर' की उपाधि लौटा दी।

दिग्बिजय

रवीन्द्र ने संसार के जितने देशों का भ्रमण किया और उन्होंने जो सम्मान प्राप्त किया वह संसार के विरले व्यक्तियों को ही मिला होगा। एक ही बार नहीं कई बार सारे विश्व का परिभ्रमण किया और विश्व को भारतीय प्रेम और सौहार्द्र का संदेश दिया। सन् १९२० ई० में वह पुनः योरोप और अमेरिका गये। दोनों महाद्वीपों में इनका अभूतपूर्व स्वागत हुआ। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगेन में वहाँ के छात्रों ने इनके सम्मान में दीपोत्सव मनाया तथा जुलूस निकाला। स्वीडन में इनका सम्मान हुआ और जर्मनी की राजधानी बर्लिन में, विश्वविद्यालय से भाषण देकर जब यह बाहर आये तो लगभग पन्द्रह हजार सुशिक्षित व्यक्ति इनके सम्मान में बाहर खड़े थे, जिन्हें हाल में खड़े होने का सुयोग नहीं मिल सका था।

योरोप परिभ्रमण के पश्चात् उन्होंने एशियाई देशों की यात्रा की। बर्मा, मलाया, जावा आदि देशों की यात्रा करते हुए यह चीन गये। चीन में कवि का हार्दिक स्वागत हुआ। इसी यात्रा में वह जापान, बाली और कंबोडिया भी गये। उन्होंने मध्यपूर्व के देशों की भी यात्रा की और इस प्रकार सारे विश्व में भारत की प्रतिभा का उज्ज्वल प्रकाश विकीर्ण किया।

सन् १९२८ ई० में ऑक्सफ़र्ड विश्वविद्यालय ने उन्हें 'हिक्ट व्याख्यानमाला' में दर्शन के ऊपर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया। यह स्मरण रखने की बात है कि इसके पूर्व इस व्याख्यानमाला में किसी अन्य भारतीय को आमंत्रित नहीं किया गया था। ऑक्सफ़र्ड में व्याख्यान देकर कवि ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया।

सन् १९३० ई० में कवि ने रूस की यात्रा की। यह वहाँ की व्यवस्था से बड़े प्रभावित हुए। रूस के साम्यवादी शासन के विषय में कवि ने अपने मित्रों को बहुत से पत्र लिखे जो बाद में संग्रह के रूप में 'रूस की चिट्ठी' के नाम से प्रकाशित हुए। रवीन्द्र ने वहाँ कई भाषण दिये और अपनी रचनाएँ पढ़कर सुनायीं।

रचनाएँ

रवीन्द्रनाथ प्रतिभा के मूर्त रूप थे। उन्होंने अपनी लेखनी से साहित्य के विभिन्न अंगों की पुष्टि की और नवीन रचनाओं से साहित्य कोष को संपन्न बनाया। काव्य, नाटक, कहानी, आलोचना, बाल-साहित्य और चित्रकला आदि सभी विषयों पर रचनाएँ की और इन सभी क्षेत्रों में उन्हें अद्वितीय सफलता प्राप्त हुई। अपने जीवन के अंत तक कवि कर्म में व्यस्त रहे। 'संध्यासंगीत' 'प्रभात संगीत' 'प्रकृति प्रतिशोध' 'कल्पना' 'सिंधु' 'मानसी' 'सोनारतारी' 'मालिनी' 'गीतांजलि' 'लिपिका' और 'मुकुटधर' आदि रवीन्द्र के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं।

रवीन्द्र ने वैष्णव भक्तों की भाँति पदों की रचना की जिनमें उन्होंने अपने हृदय की समस्त निरीहता, कोमलता, विनय और करुणा को उँडेल दिया है। उन्होंने न केवल सुशिक्षित एवं साहित्यिक व्यक्तियों के लिए लिखा, वरन् बच्चों के लिए भी बालोपयोगी साहित्य की रचना की क्योंकि बालकों की शिक्षा की ओर उनका विशेष ध्यान था। रवीन्द्रनाथ ने संगीत और कला में नई शैली का प्रवर्तन किया। इस शैली में सरलता, सरसता और आधुनिकता है। यद्यपि बाल्यावस्था में उन्हें चित्रकला की शिक्षा मिली थी, तथापि अपने जीवन में वह इस ओर विशेष ध्यान नहीं दे सके थे। एकाएक सत्तर वर्ष की अवस्था में उन्होंने चित्रकला की ओर रुचि प्रदर्शित की। इनके बनाये हुए अनेक चित्र हैं जिनको देखने से इनकी कला-कुशलता का परिचय मिलता है।

जीवन के अंतिम वर्ष और प्रस्थान

सन् १९३१ ई० में कवि ने सत्तर वर्ष की अवस्था पूरी की। इस अवसर पर कलकत्ता में एक विशाल महोत्सव मनाया गया, जिसका कार्यक्रम कई दिनों तक चलता रहा। इसी बीच गाँधीजी गिरफ्तार कर लिये गये। इस संवाद से कवि को बड़ा कष्ट हुआ और उन्होंने उत्सव को बंद करा दिया। अंग्रेजों के दमन का चक्र तीव्रता के साथ चलने लगा। देश के नेता बंदी बनाये जाने लगे। सन् १९३२ ई० में यरवदा जेल में गाँधीजी ने अनशन प्रारंभ कर दिया, जब उनके आमरण अनशन का उन्नीसवाँ दिन हो गया, तो कवि को चिंता हुई। वह यरवदा जेल पहुँचे और इक्कीसवें दिन उन्होंने अपने सामने गाँधीजी का अनशन तुड़वाया। सन् १९४० ई० में ऑक्सफ़र्ड विश्वविद्यालय ने कवि को डी० लिट्० की उपाधि दी। इसी वर्ष कवि के मित्र और सहयोगी सी० एफ० ऐण्ड्रूज़ का देहांत हो गया। इनके देहांत से कवि शोकातुर हो गये। उमी साल कवि बहुत अस्वस्थ हो गये। वह बीमार रहने लगे और अंत में सात अगस्त सन् १९४१ ई० को उन्होंने इस संसार से महाप्रस्थान किया।

जीवन-दर्शन

रवीन्द्रनाथ ठाकुर मूलतः कवि थे। उन्होंने कला के कुटीर में आत्म-प्रकाश का दर्शन किया और इस प्रकाश को अपनी वाणी के माध्यम से सारे विश्व में फैलाया। उन्होंने पाश्चात्य जगत् को भारत की आत्मा का संदेश दिया, पूर्व के ज्ञान और आत्मबोध से उन्हें परिचित कराया। इस दृष्टि से वह एशिया की आत्मा के सबसे बड़े संदेशवाहक थे। अपने वंशगत उत्तराधिकार और वातावरण के प्रभाव से उनकी प्रतिभा का सर्वतोन्मुखी विकास हुआ। साहित्य, दर्शन, कला और संगीत आदि में उन्होंने अपने व्यक्तित्व को स्फुटित किया। इतना ही नहीं उन्होंने अपनी तुलिका की नॉक में एकतारे की भंकारारी और प्रतिभा की इसी पूर्यता के कारण वह 'विश्वकवि' और 'गुरुदेव' के नाम से संसार में पूज्य हुए।

उनकी कविता में विचारों की गंभीरता है और उससे प्राप्त होने वाला आनंद, हमारी ऐंद्रियिक संवेदना को ही जागृत नहीं करता, वरन् हृदय को भी प्रभावित करता है। वह मानव के सूक्ष्म विचारों के चरम शिखर पर स्थित है और उनमें सौंदर्यान्वेषण की जो भावना है वह सत्य के मंदिर तक पहुँचाने में सक्षम है। रवीन्द्रनाथ के विचार में, लक्ष्य की दृष्टि से, काव्य और दर्शन एक ही मंजिल की ओर यात्रा करने वाले दो पथिक हैं। उनका लक्ष्य एक है, केवल मार्ग भिन्न हैं। यद्यपि रवीन्द्रनाथ काव्य और दर्शन दोनों का लक्ष्य एक मानते हैं, तथापि, यदि हम उनके काव्य में तर्कसंगत और सुव्यवस्थित अध्यात्मदर्शन को खोज करें, तो निराशा होना पड़ेगा, क्योंकि उनका दर्शन कवि-कल्पना है, हृदय की वेदना है, अध्यात्म के सिद्धांतों का तर्कयुक्त निरूपण नहीं। संभवतः इसी लिए डा० राधाकृष्णन् ने उनके संबंध में कहा है कि 'रवीन्द्र में दर्शन-पद्धति की अपेक्षा दार्शनिक वातावरण अधिक है।'

रवीन्द्रनाथ ने स्वयं दर्शन-विषयक अपनी मौलिकता का दावा नहीं किया है। 'बंगभाषे लेखक' में उन्होंने स्वीकार किया है कि 'द्वैत और अद्वैत के विवाद में मैं केवल मौन रह सकता हूँ।' उनके इस कथन से सामान्य जन संभवतः यह समझें कि केवल व्यक्तिपूजा की भावना से ही प्रेरित होकर उनके प्रशंसकों ने उन्हें 'गुरुदेव' कहा है, किंतु ऐसा विचार सत्य के निकट नहीं है। तथ्य यह है कि रवीन्द्रनाथ के विश्वास आत्मानुभव पर आधारित हैं। जिस सत्य का उन्होंने साक्षात्कार किया, वह पोथी पढ़ कर नहीं प्राप्त किया गया है, दर्शनशास्त्र के अध्ययन द्वारा अधिगत सत्य नहीं है, वरन् सहज या प्रातिभ ज्ञान द्वारा साक्षात्कृत है। अपने सहज ज्ञान के द्वारा ही उन्होंने सत्य का बोध प्राप्त किया। अतः कवि होने के नाते स्वभावतः उन्होंने इस बौद्धिक द्वंद्व में पड़ना उचित नहीं समझा। किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि वह द्वैत और अद्वैत संबंधी विचारों से पूर्णतया तटस्थ रहे। उन्होंने अपने चित्रों और काव्य के माध्यम से सत्य की जो अभिव्यक्ति की तथा उनकी कृतियों एवं भाषणों में जो दर्शन-विषयक प्रभूत विचार बिखरे पड़े हैं उनके आधार पर आस्तिक दर्शन की रूप-रेखा निश्चित की जा सकती है।

समन्वयवादी दृष्टिकोण

रवीन्द्रनाथ ने सत्य की उपलब्धि के लिए आत्मानुभव को ही साधन माना और उसी का अनुगमन किया, अतः उन्होंने सत्य के साक्षात्कार में सहायक उन पद्धतियों का प्रति-वाद किया जो मनुष्य के भावात्मक पक्ष की सर्वथा अपेक्षा करती हैं। उनके विचार में अनुभव स्वयं एक महान समन्वयकारी प्रक्रिया है। उसके प्रतिकूल कोरी तर्कवादिता मुख्यतः विश्लेषण-प्रधान है। उन्होंने ब्रह्मसमाज, उपनिषद्, वैष्णव विचारधारा, बौद्ध और ईसाई धर्म के नाना पक्षों और प्रभावों को आत्मसात् किया। इन विरोधी विचार-धाराओं के बीच उन्होंने शांति-स्थापन या समन्वय का कार्य किया। उन्होंने किसी एक विचारधारा का पक्ष नहीं लिया क्योंकि उनके विचार में 'विरोधी शक्तियों के बीच संगति

की स्थापना में ही सृष्टि है' और 'संबंध में हो सत्य का मौलिक रूप से निवास है।' इस समन्वयी दृष्टि से उन्होंने ज्ञान के सभी अंगों को ग्रहण किया और इसी समन्वय की भावना को अपनी रचनाओं में व्यक्त किया।

इस प्रकार दर्शन के क्षेत्र में उन्होंने प्रकृतिवाद तथा विश्ववाद, मानववाद तथा प्रपत्ति और अंतस्थ एवं परस्थ के छोरों को निकट लाने का प्रयत्न किया है। रवीन्द्रनाथ ने जीवन के आनंद में विश्वास रखते हुए भी अपने नीतिशास्त्र में 'सुखवाद' का विरोध किया है क्योंकि उन्होंने 'आनंद' को 'सुख' से श्रेष्ठ माना है। उन्होंने व्यष्टि और समष्टि स्वतंत्रत और नियतिवाद तथा तपस्या एवं अहंसंबन्धी आदर्शों में संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया है। उनके सौंदर्य-सिद्धांत में प्रमाण (External Harmony) और लावण्य (Internal Harmony) को उचित स्थान प्राप्त है। उन्होंने इतना औचित्य को ध्यान में रखते हुए अपनी रचनाओं में मानव और देवता दोनों की अभिव्यक्ति की है अपनी कला द्वारा रोमांटिक तथा यथार्थवादी, दोनों आदर्शों की तुष्टि की है। सच्चं दार्शनिक की भाँति उन्होंने स्वीकार किया है कि सत्य को ग्रहण करना कठिन है, उसका व्याख्या करना और भी कठिन है तथा किसी सिद्धांत से उसकी तुलना करना सबसे कठिन कार्य है।

अद्वैतः ब्रह्म

रवीन्द्रनाथ प्रेम और मृत्यु में अंतर नहीं मानते हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा इन दोनों की अभिन्नता को प्रमाणित किया है। प्रेम और मृत्यु की अभिन्नता प्रतिपादित करते हुए उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार सच्चे प्रेम में प्रेमी मनुष्य का संपूर्ण व्यक्तित्व प्रियतम में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार अहंकार की मृत्यु से भी मनुष्य का व्यक्तित्व विश्वात्मा में लय हो जाता है। व्यक्तित्व का लय हो जाना दोनों दशाओं में अनिवार्य है, अतः तात्त्विक दृष्टि से दोनों में कोई अंतर नहीं है, वरन् दोनों लगभग अभिन्न हैं। जिस प्रकार प्रेम के क्षेत्र में किये जाने वाले त्याग में मधुरता होती है, उसी प्रकार 'अहं' की मृत्यु भी 'परमपुरुष' के प्रति भक्ति बन जाती है। उनके ये विचार वैष्णव विचारधारा के सर्वथा अनुकूल हैं, अतः रवीन्द्रनाथ के धर्म को 'वैष्णव अद्वैत' कह सकते हैं क्योंकि वह अपने 'परमपुरुष' को 'अद्वैतम्' कहते हैं।

शंकर ने जिस निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन किया है उसके प्रतिकूल रवीन्द्रनाथ ने कोई तर्कसंगत युक्तियुक्त प्रमाण नहीं दिया है। वह इतना अवश्य कहते हैं कि मनुष्य निर्गुण ब्रह्म की ओर तभी आकर्षित हो सकता है जब उसका मानवीकरण हो जाता है, दूसरे शब्दों में वह निर्गुण ब्रह्म को ही 'परमपुरुष' कहते हैं जो ब्रह्म का मानवीकृत रूप (Humanised form) है। उनके विचार में बहुत कम व्यक्ति ऐसे हैं जो योग-साधना में रुचि लें, योग-मार्ग का अवलंब लेकर ब्रह्म की अनुभूति प्राप्त करें, अतः साधारण जनों के लिए ईश्वर का मानवीरूप अधिक ग्राह्य है। उन्होंने परमपुरुष को स्वयं-

सिद्ध माना है, उसकी सत्ता को सिद्ध करने के लिए वह किसी प्रकार के प्रमाण देने के पक्ष में नहीं है और न प्राचीन तथा परंपरागत प्रमाणों को उपस्थित करते हैं। उच्च कोटि की अस्तित्वता में अनुभव को प्रमाण से कहीं श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है, विशेषतः ईश्वर के संबंध में। रवीन्द्रनाथ का भी यही विचार है कि ब्रह्म के विषय में अथवा उसके अस्तित्व के संबंध में किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार हम प्रकाश के अस्तित्व का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार ईश्वर की सत्ता की भी अनुभूति करनी चाहिए। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि रवीन्द्रनाथ जब ब्रह्म की कल्पना 'परमपुरुष' या 'विश्वात्मा' के रूप में करते हैं, उसे व्यक्तित्व प्रदान करते हैं या उसका मानवीकरण करते हैं तो उसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि ब्रह्म मनुष्य के रूप में है। वह उसे मानव की कोटि में नहीं लाते हैं, वरन् उसे उच्च एवं श्रेष्ठ 'उत्स' मानते हैं जिसके लिए मनुष्य प्रयत्न तो करता है, किन्तु उसे प्राप्त नहीं कर पाता।

आत्मा का स्वरूप

उपनिषद् ब्रह्म के स्वरूप को तीन भागों में विभक्त करते हैं—'सत्य' 'ज्ञान' और 'अनंत'। इसी आधार पर रवीन्द्रनाथ मानवात्मा के भी तीन रूप निश्चित करते हैं—'मैं हूँ', 'मैं जानता हूँ', और 'मैं व्यक्त करता हूँ'। 'मनुष्य की यही तीन दिशाएँ हैं; और इन तीनों को लेकर एक अखंड सत्य है'। उनके विचार में सत्य के यही तीनों भाव मनुष्य को विविध प्रकार के क्रिया-कलापों की प्रेरणा प्रदान करते हैं। इन तीनों की प्रेरणाओं पर विचार करने से ज्ञात होता है कि 'मैं हूँ' अथवा मुझे अपने अस्तित्व की रक्षा करनी है, इस भावना से प्रेरित होकर हाँ मनुष्य अपने जीवन-यापन के साधनों को जुटाता है, व्यवसाय, नौकरी या अन्य कार्य करता है जिनसे उसकी 'बने रहने' की आवश्यकताओं को पूर्ण होती है। मनुष्य की आत्मा का दूसरा रूप या भाव है—'मैं जानता हूँ'। यही भाव मनुष्य को जिज्ञासु बनाता है जिससे मनुष्य ज्ञान-विज्ञान की ओर उन्मुख होता है। इस जिज्ञासा का उपयोग केवल अपने अस्तित्व की रक्षा के साधनों के जानने के लिए ही नहीं होना चाहिए, वरन् उस परम सत्य को जानने, अपनी ज्ञानमयी प्रकृति के साथ एकाकार होने के लिए भी करना चाहिए। तीसरा भाव है—'मैं व्यक्त करता हूँ'। इसे रवीन्द्रनाथ ने ब्रह्म के अनंतस्वरूप के अंतर्गत माना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उन्होंने ब्रह्म के तीनों रूपों के साथ मानवात्मा के भावों को संयुक्त करके देखा है और इसीलिए इन्हें इतना महत्त्वपूर्ण माना है।

रवीन्द्रनाथ कहते हैं कि जब केवल अपने अस्तित्व-रक्षा अथवा 'बने रहने' की भावना की ही प्रबलता मनुष्य में होती है तब वह संकीर्णता, और स्वार्थपरता की ओर अग्रसर होता है। जब वह अपने और अपने वंश को बनाये रखने का ही प्रयत्न करता है, तब वह 'अहं' में पूर्णतया आबद्ध होता है। किन्तु जब वह अपने ही भाँति अन्य व्यक्तियों की रक्षा का

अनुभव करने लगता है तब उसका आत्म-विस्तार होता है, उसमें 'अहं' की संकीर्णता नष्ट होती है। दूसरों को भी आत्म-रूप में देखना ही मानवात्मा की महानता है, यही उसका गौरव है। अन्य व्यक्तियों से अपने एकत्व-बोध के लिए मनुष्य अपने को नाना प्रकार से 'व्यक्त' करता है।

एक सच्चे अद्वैतवादी की भाँति रवीन्द्रनाथ का विश्वास है कि 'परमपुरुष' ही एकमात्र सत्य है। सीमित (Finite) पदार्थ या व्यक्ति की कोई पृथक् सत्ता नहीं होती है। जीव का आदर्श है विश्व-आत्मा में अपने निजत्व को पूर्णतया लय कर देना। 'मानव धर्म' में उन्होंने कहा है कि "धर्म हमारे निजत्व की, 'विश्वमानव' (Universal Person), जो स्वयं में मानव भी हूँ, (मेविलयन द्वारा) मुक्ति है।" जब सीमाबद्ध जीव अपने निजत्व को असीम में लय कर देता है तभी वह माया से मुक्ति प्राप्त करता है। यह माया अविद्या से उत्पन्न होती है। इससे छूट कर ही जीव सत्यं, शिवं और अद्वैतम् में लीन होकर मोक्ष प्राप्त करता है। रवीन्द्रनाथ के विचार में वस्तुओं का सत्य ज्ञान एकता के परम सिद्धांत के संबंध में ही जाना जा सकता है। 'क्रिएटिव यूनिटी' में उन्होंने लिखा है, "इस संसार का सत्य क्या है? संसार का सत्य उसके अनेक जड़ पदार्थों में नहीं है, वरन् उनके माध्यम से अभिव्यक्त होने वाली एकता में है। हमारा वस्तुओं का समस्त ज्ञान उन्हें विश्व के संबंध में जानना है—उसके संबंध में जो कि परम सत्य है।" किंतु रवीन्द्रनाथ के विचार में वह परम सत्य संबद्ध-पूर्णता (coherence) के परे है क्योंकि एक अद्वैतवादी की भाँति वह उसकी श्रेष्ठता को संबद्ध-पूर्णता से भी ऊपर स्वीकार करते हैं।

तथ्य और सत्य

रवीन्द्रनाथ ने तथ्य और सत्य के अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा है कि ज्ञान के जिस राज्य में हमारा मन विचरण करता है, उसका रूप द्विपक्षीय है। उसका एक पक्ष तथ्य है और दूसरा सत्य। जो कुछ जैसा है, वैसा ही होना तथ्य है और जो वस्तु तथ्य का आधार है, जिस पर तथ्य अवलंबित है वह सत्य है। "मेरा व्यक्ति-रूप है अपने आप में आबद्ध 'मैं'। यह जो तथ्य है, यह है अंधकारवासी। यह स्वयं अपने को प्रकट नहीं कर सकता। इसका परिचय जब भी कोई पूछेगा तो एक बड़े सत्य के माध्यम से, जिस पर यह आधारित है, इसका परिचय देना पड़ेगा। पूछने पर कहना पड़ेगा, 'मैं भारतीय हूँ।' किंतु 'भारतीय' क्या है? वह तो एक अविच्छिन्न वस्तु है, उसे न छुआ जा सकता है, न पकड़ा जा सकता है। किंतु इस व्यापक सत्य के द्वारा ही तथ्य का परिचय होता है। तथ्य खंडित होता है—स्वतंत्र होता है, सत्य में ही वह अपने वृहत् ऐक्य को प्रकाशित करता है। मैं व्यक्तिगत 'मैं'—तथ्य में 'मैं मनुष्य हूँ' इस तथ्य को जब प्रकट करता हूँ, तभी 'विराट एक' के प्रकाश में मैं नित्यता से उद्भासित हो जाता हूँ। तथ्य में सत्य का प्रकाश ही वास्तव में प्रकाश है।" † रवीन्द्र के विचार में सत्य और शोभन का ग्रहण केवल बाहरी दिशा

† 'साहित्य के पथ पर' : पृष्ठ ३९-४०

से करने से मनःतृप्ति नहीं होती है। सत्य से प्रेम हुए बिना उसे ग्रहण नहीं किया जा सकता। वैसे तो सत्य से दूर चले जाने पर भी उसके पास लौटा जा सकता है, किंतु सत्य को यदि कृत्रिम शासन की विवशता व अंधरूप मान लिया जाय तो फिर उसके पास लौटने का रास्ता ही बन्द हो जाता है।

जगत् और माया

रवीन्द्रनाथ के विचार में सत्ता के कई स्तर हैं। उनके अनुसार इस दृश्य संसार में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ सत्ता है क्योंकि वह 'परमपुरुष' के अत्यन्त निकट है। उन्होंने जिसे परमपुरुष कहा है वह वास्तव में ब्रह्म (परम सत्य) का मानवीकृत रूप है। यहाँ यह पूछा जा सकता है कि जब मानव 'परमपुरुष' के अत्यंत निकट है, तो उसकी अनुभूति सीमित क्यों है? रवीन्द्रनाथ ने माया या अविद्या को इसका कारण बताया है। यद्यपि वह माया को स्वीकार करते हैं, फिर भी उनके विचार शंकराचार्य से भिन्न हैं। शंकराचार्य के विचार में माया न सत् है और न असत् है, यह अनिर्वचनीय है। रवीन्द्रनाथ माया को दोनों मानते हैं अर्थात् माया 'सत्' और 'असत्' दोनों है। वह उसे एक तात्त्विक सत्ता के रूप में मानते हैं। रवीन्द्रनाथ वल्लभाचार्य और उनके सुप्रदाय की माया-संबंधी मान्यता से भी थोड़ा मतभेद रखते हैं। वल्लभ के अनुसार मनुष्य का ब्रह्म से पृथक्ता का अनुभव ही माया अथवा अविद्या है। यह पृथक्त्व की भावना केवल एक विवर्त है। किंतु रवीन्द्रनाथ के लिए माया का अस्तित्व है भी और नहीं भी है। उनके विचार में माया की सत्ता धुँएँ के समान है, जो अग्नि को आवृत भी कर लेता है और उसका पूर्वाभास भी देता है। इस प्रकार रवीन्द्रनाथ की माया का सिद्धांत शंकर के सिद्धांत से भिन्न होते हुए वल्लभाचार्य के विचारों से कुछ साम्य रखता है।

रवीन्द्रनाथ ने यद्यपि आध्यात्मिकता पर बल दिया है, तथापि इसका अर्थ यह नहीं है कि वह संसार की वास्तविकता से अन्यमनस्क हैं। उनके विचार में यह संसार न तो बंधन है और न विभ्रम ही है। यह आत्मविकास का अवसर प्रदान करने वाला तथा आत्मबोध का साधन है। यही वह मार्ग है जिसका निर्देश उपनिषद् के ऋषियों ने गीता में किया है। वह जीवन को आनंदमय मानते हैं। उनका कथन है कि जब स्वयं ब्रह्म ने ही सृष्टि-रचना के बंधन को स्वीकार किया है, तब क्या हम इस सांसारिक बंधन को स्वीकार नहीं करेंगे? यदि हमने मांस और चर्ममय शरीर धारण किया है, तो हमें इसके लिए कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। मानवीय संबंध आध्यात्मिक जीवन के स्रोत हैं। ईश्वर 'आसमानों सुल्तान' नहीं है, वह सर्वव्यापी है। प्रत्येक वस्तु में हम उसका दर्शन करते हैं।

ब्रह्म और जगत्

ब्रह्म और जगत् के संबंध में विचार करते हुए रवीन्द्रनाथ इस नानारूपात्मक जगत् में 'एकता' की अभिव्यक्ति का दर्शन करते हैं। उनके मत में यह एकता ही अपने को संसार

के विविध रूपों में व्यक्त कर रही है। यही विश्व-में संगति की स्थापना करती है। जैसे संगीत के एक ही स्वर को कई लयों में गाया जाता है, किन्तु लय का स्वर से पृथक् कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार इस नानारूपात्मक संसार का महत्त्व तभी तक है जब तक उसकी विविधता के भीतर 'एकता' की स्थिति है। उनके मत में विश्व के तथाकथित नियम 'विविधता में एकता' के प्रतिबिम्ब हैं और 'परम एकता' ही सारे नियमों का नियम है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उस दशा में जब कि एक बार मनुष्य अपने निजत्व को 'परमपुरुष' में लय कर देता है, तो उसके कर्म-स्वातंत्र्य पर विश्व के नियमों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रवीन्द्रनाथ की दृष्टि में ऐसा होना संभव है। उनके विचार में कोई भी व्यक्ति अहं का विसर्जन करके प्रेम के माध्यम से ब्रह्म में लीन हो सकता है। इससे भी बढ़कर वह इस बात पर सदैव बल देते हैं कि केवल प्रेम द्वारा ही परम सत्य का साक्षात्कार और परम एकता की प्राप्ति की जा सकती है। इस प्रकार प्रेम हमें नियमों के बन्धन से परे होने में सहायता देता है। 'साधना' में उन्होंने कहा है—“जिन्होंने यह जान लिया है कि आनंद की अभिव्यक्ति नियमों के माध्यम से होती है, उन्होंने ही नियमों से परे होना सीख लिया है।”† उनके अनुसार स्वाधीनता का अर्थ नियमों से मुक्ति नहीं है वरन् नियमों को अपने में आत्मसात् कर लेना है। इसी को वह जीवन का सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन व सर्वश्रेष्ठ धर्म मानते हैं। हम अपने अनिर्दिष्ट की पूर्ति तभी करते हैं जब अनेकता से एकता के आनंद की ओर और नियमों के बंधन से प्रेम की ओर अग्रसर होकर अपनी सीमाबद्धता को असीम के साथ जोड़ दें। रवीन्द्रनाथ के विचार में 'धर्म' 'रिलीजन' से अधिक गंभीर और अर्थगर्भित शब्द है। धर्म ही सभी वस्तुओं की अंत-प्रकृति, सारतत्व और निहित सत्य है। धर्म जीवन का अंतिम उद्देश्य है जो हम सबके भीतर गतिशील है। जब हम कोई अनुचित कार्य करते हैं तो कहते हैं कि हमसे धर्म-प्रतिकूल कार्य हो गया; तात्पर्य यह है कि अपनी वास्तविक प्रकृति के प्रति झूठा कार्य हुआ। अतः कहा जा सकता है कि 'धर्म' हमारे अनिर्दिष्ट का लक्ष्य है। इस अर्थ में 'परम-पुरुष' ही सीमाबद्ध मनुष्य का धर्म है।

परमपुरुष की अनुभूति का साधन : प्रेम

रवीन्द्रनाथ ने भक्ति-योग द्वारा परम-पुरुष की अनुभूति पर बल दिया है। उनके अनुसार बहुत कम व्यक्ति हैं जो योग-साधन द्वारा ब्रह्म की अनुभूति प्राप्त करें। साधारण व्यक्तियों के लिए ब्रह्म का मानवीकृत रूप ही ग्राह्य है, अतः वे प्रेम या भक्ति द्वारा ही ईश्वर तक शीघ्र पहुँच सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी रवीन्द्रनाथ ने प्रेम को ज्ञान से ऊँचा स्थान दिया है और उसे ब्रह्म की अनुभूति का श्रेष्ठ साधन या मार्ग माना है। 'साधना' में

† Tagore : 'Sadhna', p. 119

उन्होंने लिखा है 'कि बुद्धि हर्ष ज्ञेय वस्तुओं से पृथक् करती है, किन्तु प्रेम अपनी विलीनता के द्वारा लक्ष्य को पहचानता है और उससे एकता स्थापित करता है।' प्रेम में विभिन्न अस्तित्व के अंतर्विरोध नष्ट हो जाते हैं। प्रेम में द्वैत और अद्वैत में विरोध नहीं रहता। चेतना के उच्चतम रूप को प्रेम में लीन करके ही हम 'ब्रह्मविहार' की प्राप्ति कर सकते हैं। 'ब्रह्मविहार' को स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि पुत्र के प्रति माता का जो प्रेम होता है उसी अपरिमेय प्रेम से विश्व को अपना समझकर देखना ही 'ब्रह्मविहार' है।

उनके विचार में प्रेम ज्ञान की सिद्धि है क्योंकि ज्ञान यदि सत्य है तो उसे 'एकता' का ग्रहण करना आवश्यक है। बुद्धि का कार्य विश्लेषण है और प्रेम का संश्लेषण या समन्वय। बुद्धि विषय और विषयी में भेद करके चलती है, वह दोनों के भेद को भूलती ही नहीं है और जब तक यह द्वैत की भावना वर्तमान रहती है तब तक विषय में विषयी का पर्यवसान नहीं हो सकता। अतः विषय और विषयी के भेद को तिरोहित करने के लिए बुद्धि के स्थान पर अंतःज्ञान का सहारा लेना होगा। अंतःज्ञान इस भेद को दूर कर के एकता का आभास प्रदान करता है। ज्ञान के दृष्टिकोण से एकता ग्रहण करने को अंतःज्ञान कहते हैं और उसी को मानव-अनुभव के दृष्टिकोण से प्रेम। रवीन्द्रनाथ के दर्शन का लक्ष्य मानव रूप में 'परमपुरुष' की प्रतीति है, अतः वह उसे प्रेम ही कहते हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं, कि रवीन्द्रनाथ रहस्यवादी हैं, क्योंकि कल्पना की श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति से बचने का प्रयास वह नहीं करते; परंतु फिर भी वह नश्वर जगत् के प्रति उदासीन नहीं हैं। उनकी देन यही है कि वह व्यावहारिक जगत् में सक्रिय रुचि और अद्वैत की भावना, दोनों में संगति स्थापित करते हैं। उनके विचार में वैराग्य और ज्ञानमार्ग ही केवल परम सत्य के साक्षात्कार के साधन नहीं हैं। उनका कहना है कि संसार और उसके अनुभवों का त्याग करने के लिए कहना वैसा ही है जैसे शरीर को छोड़ कर कूद पड़ना। हम वैराग्य मार्ग का अनुसरण करके संसार में अंतर्निहित एकता का अनुभव नहीं कर सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि इस प्रकार के कार्य हमें द्वैत की ओर ले जायेंगे। उनके विचार में केवल प्रेम—जो सक्रिय रूप में एकता की प्रतीति कराता है—द्वारा ही हम जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इस प्रकार रवीन्द्रनाथ ने अपने दर्शन में अद्वैत और वैष्णव भक्ति का समन्वय किया है। ऐसा प्रयत्न केवल रवीन्द्रनाथ ने ही नहीं किया है, किन्तु वल्लभाचार्य ने भी किया है। इसे 'वैष्णव-अद्वैत' कह सकते हैं। रवीन्द्रनाथ और वल्लभाचार्य दोनों के विचार में अद्वैत तर्क और प्रमाण के परे है, अतः दोनों ने ईश्वर को 'परम ऐक्य' माना है और दोनों ने प्रेम को सभी भेदों से परे होने का साधन स्वीकार किया है।

शिक्षा-दर्शन

रवीन्द्रनाथ ने जिस प्रकार जीवन-दर्शन के संबंध में समन्वयकारी अंतर्दृष्टि से विचार किया है, उसी प्रकार उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी समन्वय को विशेष महत्त्वपूर्ण माना है। उनके शिक्षा-दर्शन में आदर्शवाद और प्रकृतिवाद, आदर्शवाद और व्यवहारवाद, व्यक्तिवाद और समाजवाद, राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद में यह समन्वयकारी दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। उन्होंने व्यक्ति के जीवन को भी एक समन्वय माना है, अतः शिक्षा के सभी उपक्रमों—लक्ष्य, पाठ्यविषय आदि में यही दृष्टिकोण परिलक्षित है।

जीवन का चरम लक्ष्य

रवीन्द्रनाथ के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है—'मनुष्य को मनुष्य' बनाना। उनके विचार में, मनुष्य को जो जिस रूप में देखता है, वह उसी के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित करता है और लक्ष्य के अनुरूप ही समस्त शिक्षा का आयोजन करता है। मनुष्य को तीन रूपों में देखा जा सकता है, (१) वह एक जीव है, (२) वह एक सामाजिक जीव है और (३) वह आत्मा है। भारतीय आदर्शवादी परंपरा के अनुसार मनुष्य के प्रथम दो रूपों की सार्थकता तीसरे रूप के अंतर्गत रहने में ही है। मनुष्य का वास्तविक रूप आत्मा है।

जीवन की इन विभिन्न स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा है कि आहार-संग्रह तथा आत्म-रक्षा की प्रवृत्ति का जहाँ तक प्रश्न है, मनुष्य का जीवन पशु-पक्षियों के समान ही है। किंतु मनुष्य केवल 'जीव' नहीं है वह 'एक सामाजिक जीव है'। मनुष्य की विशिष्टता इस बात में है कि वह केवल आहार-संग्रह और अपनी रक्षा करके ही संतोष का अनुभव नहीं करता, वह समाज के प्रति भी अपने दायित्व को समझता है। वह समाज के अन्य व्यक्तियों के हितार्थ अपने व्यक्तिगत सुखों को तिलांजलि दे सकता है। इसी दृष्टि से मनुष्य पशु-पक्षियों से श्रेष्ठ है। किंतु मनुष्य को केवल 'सामाजिक जीव' कह देने से भी उसके पूर्ण स्वरूप का परिचय नहीं मिलता। कारण, सामाजिकता तो उसके पूर्ण रूप का एक पक्ष है, एक अंग है। मनुष्य का पूर्ण परिचय एवं उसके जीवन की समग्रता का बोध तभी प्राप्त हो सकता है जब हम उसे आत्मा के रूप में देखें। अपने इस रूप में वह समस्त सृष्टि से तद्रूप होता है। भारतीय ऋषियों के आदेश—'आत्मानं विद्धि' अर्थात् आत्मा को जानो—का रवीन्द्रनाथ पूर्णतया समर्थन करते हैं। आत्मा की अनुभूति प्राप्त करने को ही, उन्होंने मानव-जीवन की चरम सिद्धि माना है।

मनुष्य का सामान्य जीवन उसके आदर्श जीवन का अनुगामी होता है। इसी कारण, जहाँ मनुष्य को आहार, निद्रा आदि की मूल प्रवृत्तियाँ उसे सामान्य जीव की भाँति जीवन

व्यतीत करने के लिए प्रेरित करती है, वहीं सामाजिक जीवन की प्रेरणा उसे उन पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए बाध्य करती है। समाज के लिए इसी व्यक्तिगत भूख, प्यास, स्वार्थ आदि के त्याग करने को 'धर्म' कहते हैं। अतः मनुष्य के 'जीव-धर्म' को संयत करके उसे समाज-धर्म के अनुकूल करना ही सामाजिक जीव की शिक्षा का प्रधान कार्य है। रवीन्द्रनाथ का कथन है कि भारत में मानव के सत्य को, उसके वास्तविक स्वरूप को सामाजिकता तक ही सीमित नहीं माना गया है। यह सत्य समाज-धर्म को पहचानने और उसका अनुसरण करने तक ही सीमित नहीं है। इस सत्य की प्राप्ति आत्मा को प्राप्ति अथवा आत्मोपलब्धि है। अतः जीव-धर्म और समाज-धर्म दोनों को 'आत्म-उपलब्धि के अनुगत करने की साधना' ही शिक्षा है।

पाश्चात्य सभ्यता और लक्ष्य के संबंध में विचार करते हुए रवीन्द्रनाथ ने कहा है कि पश्चिम ने मनुष्य को किसी स्थान पर लक्ष्य निर्धारित नहीं करने दिया है। कारण, पाश्चात्य सभ्यता का मूल-मंत्र अथवा सारतत्व है 'प्रगति' (Progress)। 'प्रगति' का अर्थ है निरंतर चलते रहना, लक्ष्य तक पहुँचना नहीं; 'शिकार के पीछे दौड़ते रहना, शिकार पाना नहीं'।† अतः जीवन के प्रत्येक कार्य—धनार्जन, ज्ञानार्जन आदि में वहाँ के लोगों का उद्देश्य है निरंतर अग्रसर होना; उनके कार्यों का कोई अंत नहीं है क्योंकि उनका कोई निर्दिष्ट लक्ष्य नहीं है। उनके यहाँ जीवन के दो ही भाग देखने में आते हैं—एक शिक्षा ग्रहण करने का और दूसरा संसार में कार्य करने का। इस प्रकार कार्य करते-करते, बिना किसी लक्ष्य की पूर्ति के ही वहाँ लोगों की जीवन-यात्रा सहसा समाप्त हो जाती है। किंतु भारत का जीवन-दर्शन इससे सर्वथा भिन्न है। हमारे जीवन का एक लक्ष्य है और उस लक्ष्य तक पहुँचने में ही जीवन की सार्थकता मानी गयी है। हमारे जीवन का परम लक्ष्य है 'आत्मोपलब्धि'—आत्मा की प्राप्ति; और इसकी प्राप्ति के लिए जीवन को चार भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम दो भाग, पाश्चात्य जगत् की तरह शिक्षा ग्रहण करने और संसार में कार्यरत रहने के हैं और अंतिम दो धीरे-धीरे संसार के बंधनों को शिथिल करने और ब्रह्म के साक्षात्कार करने के लिए हैं। मनुष्य और मनुष्य के लक्ष्य के प्रति ऐसा दृष्टिकोण होने के कारण ही भारतवर्ष अपने धर्म-मार्ग से कभी विपथ नहीं हुआ है, अपनी आस्था पर अडिग रहा है और सनातन सत्य के प्रति अपना अटल विश्वास बनाये रख सका है। हमारे देश में 'आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति कुतश्चन' के मंत्र का सतत स्मरण होता रहा है और ब्रह्मानन्द को जान कर मनुष्य किसी से भयभीत नहीं रहा। इसी 'ब्रह्म के आनन्द,' 'एक' के आनन्द को भारत ने जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य माना है और रवीन्द्रनाथ के अनुसार यही शिक्षा का भी चरम लक्ष्य है।

† 'Not the game but the chase.'

व्यक्तिवाद का आदर्श

रवीन्द्रनाथ मूलतः व्यक्तिवादी हैं और उनके विचार में प्रत्येक मनुष्य को अपने विचारों के अनुसार, अपने ढंग से जीवन को बनाने का अधिकार और स्वतंत्रता है। किंतु उनके इस व्यक्तिवाद का स्वरूप मूलतः भारतीय है, जिसके कारण पाश्चात्य देशों के व्यक्तिवाद की तुलना में इसमें एक विशेषता पायी जाती है। उनके व्यक्तिवाद में मानव-एकता ही नहीं वरन् समग्र सृष्टि—मानव एवं प्रकृति—की एकता को विस्तृत स्थान प्राप्त है। उनके विचार में जगत् की विविधता के बीच इस मौलिक एकता का कारण है हममें से प्रत्येक में सर्वोत्तमानी ब्रह्म की स्थिति। ब्रह्म का अंश होने हुए भी प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न एवं अद्वितीय है। प्रत्येक व्यक्ति के माध्यम से ब्रह्म अपनी अद्वितीय परन्तु आंशिक अभिव्यक्ति करता है। प्रत्येक में ब्रह्म की इसी अभिव्यक्ति के कारण व्यक्ति मानव-एकता का बोध करता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के माध्यम से, पृथक्-पृथक् ढंग से, हम ब्रह्म की पूर्ण अनुभूति का प्रयत्न करते हैं। पुनः प्रकृति में भी ब्रह्म की अभिव्यक्ति के कारण, हम मानव-एकता के साथ-साथ, मानव और प्रकृति के बीच भी एकता का अनुभव करते हैं। इसी एकता के कारण, रवीन्द्रनाथ, वैयक्तिकता के विकास पर अनपेक्षित बल नहीं देते क्योंकि अनपेक्षित बल व्यक्ति के अहंकार को विकृत कर देता है और उसके व्यक्तित्व के विकास में बाधा पहुँचाता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व तभी पूर्ण होगा जब वह इसी मौलिक एकता का अनुभव करेगा। इसी अनुभव के आधार पर व्यक्ति वास्तविक स्वतंत्रता का बोध करेगा, अपने सत्य रूप का बोध करेगा। 'व्यक्ति-स्वातन्त्र्य' हमारे देश में आरंभ से ही साधना का त्रिषय रहा है।

उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट है कि 'व्यक्ति-स्वातन्त्र्य' से व्यक्ति की भौतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य नहीं, वरन् उसकी आत्मा की स्वतंत्रता अथवा आत्मा की मुक्ति से है। 'व्यक्ति-स्वातन्त्र्य' व्यक्ति समाज के नियम-संग्रह के बंधन में रहकर ही प्राप्त करेगा। अतः व्यक्ति का समाज के साथ यथार्थ संबंध जानने के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य को उसके सत्य रूप में देखा जाय। कारण, मनुष्य को समाज के प्रयोजनवादी दृष्टिकोण से देखने पर उसका वास्तविक व्यक्तित्व हमारी दृष्टि से ओझल हो जायगा। उदाहरण के लिए, यदि हम ग्राम को केवल खटाई की दृष्टि से देखें तो उसे कच्चा तोड़कर, उसके स्वाभाविक विकास में बाधा पहुँचायेंगे और उसका पूरा रूप नहीं देख पायेंगे; यदि वृद्ध को केवल ईंधन की दृष्टि से देखें तो उसकी संपूर्ण सुंदरता के बोध से वंचित रहेंगे; इसी प्रकार क्षणिक प्रयोजनों एवं आवश्यकताओं के आधार पर हम व्यक्ति को केवल सैनिक, वणिक्, नागरिक, देशभक्त आदि के रूप में ही देख सकेंगे और इन्हीं रूपों में उसकी सार्थकता को आँकेंगे। मनुष्य को इस एकांगी दृष्टि से देखने में भी किंचित् हित है परन्तु यदि हम अपनी दृष्टि एकांगी ही रखेंगे तो उसने अंत में अधिक अहित की ही

पायेंगे। इसी एकांगी दृष्टि से बचने के लिए हमारे देश में मनुष्य को सत्य-रूप में देखने पर बल दिया गया है क्योंकि उसकी आत्मा सब प्रकार के प्रयोजनों से बड़ी है। रवीन्द्र-नाथ ने चारण्य के निम्नांकित विचार का समर्थन किया है :—

त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत् ।

ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत् ॥

अर्थात् मनुष्य की आत्मा कुल, ग्राम, जनपद और पृथ्वी से भी बड़ी है। रवीन्द्रनाथ के विचार में “मनुष्य की आत्मा को समस्त देशिक और क्षणिक प्रयोजनों से पृथक् करके विशुद्ध और बृहत् रूप में देखना होगा, तभी संसार के समस्त प्रयोजनों के साथ उसके सत्य संबंध और जीवन के क्षेत्र में उसके यथार्थ स्थान का निर्णय करना संभव हो सकता है।”† मनुष्य की आत्मा विशाल है, व्यापक है और उसकी मर्यादा की कहीं सीमा नहीं है, अतः उसकी समाप्ति ब्रह्म में ही है।

रवीन्द्रनाथ कहते हैं कि भारतवर्ष आरम्भ से ही जानता था कि मनुष्य का अंतिम लक्ष्य समाज नहीं है। समाज का निर्माण इसलिए हुआ है कि वह मनुष्य को मुक्ति के मार्ग में अग्रसर कराने का प्रयत्न करे। रवीन्द्रनाथ के विचार में मनुष्य ने जो सभी प्रकार के सामाजिक संगठन बनाए हैं, उनसे यह व्यक्त होता है कि एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ आध्यात्मिक संबंध है। इस आध्यात्मिक संबंध के कारण दूसरे मनुष्यों की कल्याण-कामना से प्रेरित होकर मनुष्य सामाजिक संगठनों का निर्माण करता है। उन्होंने स्वीकार किया है कि समाज और सामाजिक कर्तव्य में ही मनुष्य के व्यक्तित्व की पूर्ति है। उनके व्यक्तिवाद में एकता की भावना निहित है, अतः वह सामाजिक दलों का निर्माण, मनुष्य के आध्यात्मिक महत्त्व के आधार पर करने के पक्ष में है। वह केवल सामाजिक प्रगति के लिए समाज-सेवा को महत्त्व नहीं देते, बरन् व्यक्ति के आध्यात्मिक उत्थान के लिए उसे महत्त्वपूर्ण मानते हैं। अतः व्यक्ति और समाज में विरोध नहीं है। ‘व्यक्ति-स्वातंत्र्य’ की प्राप्ति के लिए समाज एक अनिवार्य माध्यम है।

रवीन्द्रनाथ सब मनुष्यों में ब्रह्म की अभिव्यक्ति के कारण व्यक्ति को दो रूपों में देखते हैं—प्रथम, वह समाज का एक अंग है। उसका अस्तित्व समाज से परे नहीं है। सब मनुष्यों से आत्मीयता स्थापित करके ही वह ब्रह्म को पाने की चेष्टा कर सकता है। द्वितीय, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के माध्यम से ब्रह्म अपनी आंशिक परन्तु अद्वितीय अभिव्यक्ति करता है, अतः प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से भिन्न है और स्वयं में पूर्ण है। रवीन्द्रनाथ अपनी शिचा-पद्धति में व्यक्ति के इन दोनों रूपों में से किसी पक्ष की उपेक्षा नहीं करते। प्रथम पक्ष को, वह जीवन के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक

† ‘रवीन्द्र साहित्य,’ भाग २५, पृष्ठ ८८

और द्वितीय पक्ष को शिक्षण-पद्धति में अधिक महत्त्वपूर्ण मानते हैं। प्रत्येक बालक में अपनी व्यक्तिगत विशेषताएँ होती हैं जिन्हें अध्यापक को ढूँढना और विकसित करना है। कारण, इन वैयक्तिक विशेषताओं और क्षमताओं के हनन से बालक के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास न हो सकेगा। यही कारण है कि रवीन्द्रनाथ सबके लिए समान शिक्षा के सिद्धांत के विरोधी हैं। वह व्यक्तिगत प्रभेदों का बलिदान कर के बाह्य रूप से शिक्षा में समरूपता लाने के पक्ष में नहीं हैं।

राष्ट्रवाद और अन्तर्राष्ट्रवाद

रवीन्द्रनाथ ने जिस प्रकार व्यक्ति और समाज के बीच के विरोध को दूर किया है उसी प्रकार राष्ट्रीयता और अन्तर्राष्ट्रीयता के बीच के विरोध को, 'अनेकता में एकता' के आदर्शवादी सिद्धांत के आधार पर दूर करने की चेष्टा की है। उन्हीं के शब्दों में "यद्यपि मानव-जातियों में प्राकृतिक भेद हैं, जिनकी रक्षा और सम्मान करना चाहिए, तथापि इन भेदों के होते हुए भी हमारी शिक्षा का उद्देश्य मानव-एकता का बोध तथा विरोधों के बीच सत्य की खोज होना चाहिए।"† रवीन्द्रनाथ अन्तर्राष्ट्रवाद की भावना को सही दिशा में विकसित करना चाहते थे। मानव-जाति की एकता और उसके माध्यम से ब्रह्म की अभिव्यक्ति की भावना में ही उनके अन्तर्राष्ट्रवाद का मूल स्रोत निहित है। वह उन सभी प्रयत्नों को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं करना चाहते जो सृष्टि में अन्तर्निहित, अविभाज्य मौलिक एकता के बोध में बाधक हैं। यही कारण है कि उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक दलवदियों के भेद को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। वह स्वीकार करते हैं कि मनुष्य इसलिए सामाजिक संगठन करता है क्योंकि उसके भीतर दूसरे मनुष्यों से आध्यात्मिक संबंध स्थापित करने की आंतरिक प्रेरणा है। इसके प्रतिकूल राजनीतिक संगठनों के पीछे संकीर्ण एकाकीपन की भावना होती है। यद्यपि वह सामूहिक संस्कृति के महत्त्व को स्वीकार करते हैं, फिर भी राष्ट्रवाद के छद्म-रूप में राजनीतिक गुटबंदी को नहीं मानते। इसीलिए उन्होंने योरोप के संकुचित राष्ट्रवाद का विरोध किया और अन्तर्राष्ट्रीयता में अपना विश्वास प्रकट किया। यह स्पष्ट है कि उनके अन्तर्राष्ट्रवाद का आधार आर्थिक व राजनीतिक नहीं है वरन् मौलिक रूप से आध्यात्मिक और मानवतावादी है। मानव-बंधुत्व में उनका दृढ़ विश्वास था। अतः वह अंतःसांस्कृतिक एवं अंतर्जातीय संपर्क को बढ़ाना चाहते थे और इस प्रकार वर्तमान युग के चरम लक्ष्य—मानव-जाति की एकता—की पूर्ति करना चाहते थे। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर उन्होंने 'विश्व-भारती' की स्थापना की।

अन्तर्राष्ट्रीयता के समर्थक होने के कारण, वह उसकी प्राप्ति के लिए किसी देश को राष्ट्रीयता का बलिदान नहीं चाहते थे। अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना को आध्यात्मिक

† Tagore : Thoughts on Education, 'The Visva-Bharti Quarterly', Vol. XIII, 1947, p

आधार पर विकसित करने के कारण, वह प्रत्येक राष्ट्र के उत्थान एवं विकास में ही वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य की प्राप्ति मानते हैं। इस संबंध में उनके विचार एक पत्र में मिलते हैं, जिसे उन्होंने शांतिनिकेतन के एक सह-अध्यापक को लिखा था।† इस पत्र में उनका कहना है कि विद्यार्थियों में अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम और सम्मान के भाव विकसित होने चाहिए। उनमें मातृभूमि के प्रति भक्ति और पूजा का भाव इष्ट है। जिस प्रकार माता-पिता में दिव्यता की भावना निहित होती है उसी प्रकार मातृभूमि में दिव्यता का भाव निहित है। यही मातृभूमि हमारे पूर्वजों की जन्मभूमि और शिक्षा का का केन्द्र है। अतः वह भी उतनी ही पूजनीय है जितने माता-पिता। विद्यार्थियों को कभी भी संकुचित दृष्टिकोण से दूसरे देशों की तुलना में मातृभूमि के प्रति घृणा, उपहास, उपेक्षा और अन्याय करना नहीं सीखना चाहिए क्योंकि राष्ट्रीय उत्तराधिकार और उसकी विशेषताओं की उपेक्षा करने से स्वतंत्रता की प्राप्ति या रक्षा नहीं हो सकती है। जब हम अपने चरित्र को राष्ट्र की प्रमुख विशेषताओं और महानताओं के अनुकूल पूर्ण बनायेंगे तभी सच्चे अर्थों में विश्वनागरिक के कर्तव्यों का पालन कर सकेंगे। अपनी राष्ट्रीय विशेषताओं की उपेक्षा करके दूसरे राष्ट्रों से मिलना लाभप्रद नहीं होता। इस प्रकार के आत्मघात और आत्मविनाश के द्वारा हमें कुछ भी उपलब्ध नहीं होगा। अपने निजीपन का विनाश करके हम जो कुछ भी प्राप्त करेंगे, वह नगण्य होगा। अतः हमारे लिए यही शुभ है कि हम विस्तृत अर्थों में, व्यापक दृष्टिकोण से अपने राष्ट्रीय मार्ग का अनुगमन करें। विदेशों का अनुकरण हमारे लिए वरदान नहीं होगा।

संगतिपूर्णा विकास

समन्वयवादी दृष्टिकोण होने के कारण, रवीन्द्रनाथ ऐसी शिक्षा में विश्वास करते हैं जो मनुष्य को पूर्ण बनाए। उपनिषदों की परंपरा के अनुसार वह जीवन के दो पक्ष स्वीकार करते हैं—आंतरिक (आध्यात्मिक) तथा बाह्य (सामाजिक)। आध्यात्मिक पक्ष मनुष्य-जीवन के शाश्वत लक्ष्य—आत्मानुभूति अथवा परम-पुरुष से योग-स्थापन की ओर संकेत करता है। उनके अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव-मन का उत्थान और विस्तार करके 'योग' की प्राप्ति की जा सकती है। योग का तात्पर्य है मन का मानव और प्रकृति के साथ आत्मीयता-पूर्ण संबंध-स्थापन। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रथम आवश्यकता यह है कि व्यक्ति का चरित्र निर्मल हो और द्वितीय, वह अपनी साधना में निरन्तर रत रहे। अतः रवीन्द्रनाथ ने स्पष्ट कहा है कि विद्यालयों को बालकों के लिए केवल पाठ पढ़ने के स्थल नहीं होने चाहिए। उनका काम आत्मा का निर्देश तथा आत्मिक प्रेम की प्रेरणा प्रदान करना भी है। सामाजिक पक्ष मनुष्य के जीवन के समाज-संबंधी क्रिया-कलापों एवं नियम और बंधन तथा वातावरण में

† विद्या और विद्यालय का आदर्श, 'शिक्षा', जूलाई, १९५२, पृष्ठ १३०

उसकी व्यावहारिक कुशलता की ओर संकेत करता है। शिक्षा द्वारा इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यकता इस बात की है कि विद्यालय बालकों को विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के लिए अवसर प्रदान करें ताकि इन क्रियाओं के माध्यम से वे अपनी क्रियात्मक शक्तियों को व्यावहारिक रूप दे सकें। इसके अतिरिक्त बालकों को विद्यालय में अपनी सृजनात्मक एवं रचनात्मक क्षमताओं के विकसित होने के लिए भी सुविधाएँ मिलनी चाहिए। कारण, इन शक्तियों एवं क्षमताओं की निरंतर गतिशीलता से चरित्र-निर्माण में सहायता मिलती है तथा उसमें संचित दोष और विनाश की ओर ले जाने वाले तत्व स्वयं नष्ट हो जाते हैं। सामाजिक पक्ष की शिक्षा के संबंध में रवीन्द्रनाथ ने पाश्चात्य शिक्षादर्श की व्यावहारिकता को भारतीय शिक्षण-पद्धति में स्थान देने का समर्थन किया है और कहा है कि भारतीय शिक्षादर्श को शक्तिशाली एवं यथार्थ रूप में कार्यान्वित करने के लिए पाश्चात्य प्रतिभा का समन्वय करना चाहिए क्योंकि उसमें मार्ग को प्रशस्त बनाने की क्षमता तथा व्यावहारिक उद्देश्य की ओर ले चलने की शक्ति है। यहाँ यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि भारतीय आदर्शानुसार सामाजिक पक्ष को सदैव आध्यात्मिक पक्ष के अनुगत रहना होगा। 'भारतवर्ष ने प्रत्येक व्यक्ति को जीवन के प्रतिदिन के भीतर से, समाज के प्रत्येक संबंध के भीतर से उसे मुक्ति का अधिकार देने की चेष्टा की है।'

रवीन्द्रनाथ ने अपनी शिक्षा-योजना में यद्यपि आध्यात्मिक पक्ष पर अधिक बल दिया है, फिर भी उन्होंने सामाजिक पक्ष की उपेक्षा नहीं की है। सामाजिक पक्ष को उन्होंने आध्यात्मिक पक्ष के उद्देश्य की प्राप्ति में एक साधन के रूप में स्वीकार किया है। इस प्रकार उन्होंने ईशोपनिषद् के सत्य को व्यावहारिक रूप दिया है जिसके अनुसार, 'जो लोग केवल अविद्या अर्थात् संसार की ही उपासना करते हैं वे अन्ध तमस् में प्रवेश करते हैं, और उससे भी अधिक अंधकार में वे प्रवेश करते हैं जो केवलमात्र ब्रह्मविद्या में ही निरत हैं।'† 'विद्या और अविद्या दोनों को ही जो एकत्र जानते हैं वे अविद्या के द्वारा मृत्यु से उत्तीर्ण होकर विद्या के द्वारा अमृत को प्राप्त करते हैं।'‡ कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार संसार और सांसारिक बंधन मनुष्य के अंतिम लक्ष्य नहीं हैं वरन् उसके अंतिम उद्देश्य अमरत्व की प्राप्ति में केवल साधन मात्र हैं, उसी प्रकार शिक्षा का सामाजिक पक्ष आध्यात्मिकता की प्राप्ति का साधन-मात्र है। हम पहले भी देख चुके हैं कि 'समाज मनुष्य का अंतिम लक्ष्य नहीं है, मनुष्य का चिर-अवलम्बन नहीं है; समाज बना

† अन्धं तमः प्रविशन्ति ये अविद्यानुपासते ।

ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रतः ॥

‡ विद्याञ्चाविद्याञ्च यस्तद्वेदोभयं सह,

अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यायामृतमश्नुते ।

है मनुष्य को मुक्ति के मार्ग में अग्रसर कराने के लिए ।' अतः हमें दोनों पक्षों में संगति स्थापित करके चलना चाहिए ।

रवीन्द्रनाथ के विचार में जीवन एक समन्वय है । मानव-जीवन में उसके विभिन्न अंगों एवं तत्वों में संगति की स्थापना होनी चाहिए । जीवन के शारीरिक, बौद्धिक तथा सामाजिक पक्षों को आध्यात्मिक पक्ष से अलग नहीं किया जा सकता । जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इन्हें एकरूप होना पड़ेगा । रवीन्द्रनाथ के अनुसार सत्य एक है । अतः शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए बालक को सत्य की एकता का बोध कराना । परन्तु बालक को सत्य का वह रूप भी जानना आवश्यक है जिस रूप में वह सामाजिक जगत् में बालक के जीवन को प्रभावित करता है । सत्य की स्पष्ट रूपरेखा निर्धारित करते हुए उन्होंने दो प्रकार के सत्यों को स्वीकार किया है—व्यावहारिक सत्य और परम सत्य । व्यावहारिक सत्य का संबंध हमारे व्यावहारिक जीवन तथा प्रयोजनवादी उद्देश्यों से है और वह हमारे सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है । परम सत्य व्यावहारिक प्रयोजनों से परे है, प्रेरणाप्रद है, और हमारे जीवन को प्रेरणा प्रदान करता है । इस प्रकार का सत्य भोज्य पदार्थ की भाँति नहीं है, वरन् हमारी भूख के समान है, जो सारी चीजों को पचा कर हमारे शरीर के अंगों का संगतिपूर्ण विकास करती है और शरीर को शक्ति-शाली बनाती है । 'धर्म' इसी प्रकार का सत्य है । रवीन्द्रनाथ पाठ्यक्रम में सत्य के इन दोनों रूपों का समावेश करने के पक्ष में हैं । दूसरे शब्दों में, वह शिक्षा में मनुष्य के आध्यात्मिक, मानसिक, नैतिक तथा शारीरिक संवर्द्धन करने वाले तत्वों को सम्मिलित करना चाहते हैं । उन्होंने वर्तमान शिक्षापद्धति को इसीलिए एकांगी माना है कि इसमें केवल बौद्धिक उन्नति की ओर ही ध्यान दिया जाता है । शिक्षा को सर्वतोमुखी बनाने के लिए ही उन्होंने आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों पक्षों के विकास को आवश्यक माना है । हाथों के प्रशिक्षण के लिए 'हस्तकला' तथा आत्मा के प्रशिक्षण के लिए 'धर्म' को उन्होंने अपने आश्रमवासियों के लिए इसी कारण अनिवार्य बनाया ।

रवीन्द्रनाथ ने जीवन की विभिन्न अवस्थाओं अथवा आश्रमों में भी संगति स्थापित करके चलने के लिए आदेश किया है । हमारे जीवन का उद्देश्य है ब्रह्म की प्राप्ति । अतः हमारे संपूर्ण जीवन को इसी उद्देश्य के अनुकूल व्यतीत होना चाहिए । यही कारण है कि रवीन्द्रनाथ बल देकर स्पष्ट करते हैं कि शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान एवं विषय-शिक्षा तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए । हमारे देश में प्राचीन काल में शिक्षा से तात्पर्य था ब्रह्मचर्य अर्थात् ब्रह्म में विचरण करना । हमारा संपूर्ण जीवन धर्ममय होना अनिवार्य था और इसीलिए शिक्षा का कार्य था बालक के जीवन को धर्म-व्रत के लिए तैयार करना । निष्कर्ष रूप में ब्रह्मचर्याश्रम में बालक को अपनी इच्छा-शक्ति का विश्व की इच्छा-शक्ति के साथ एकीकरण कर लेना चाहिए अन्यथा बालक का ज्ञान, प्रेम और कर्म उसके अहंभाव से प्रेरित होगा जिसका परिणाम उचित न होगा । नियम और

संयम का जीवन बालक के लिए भोग और त्याग दोनों को सरल बना देता है। इस प्रकार ब्रह्मचर्याश्रम में उच्च ज्ञान को ग्रहण करके व्यक्ति को गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिए। इस द्वितीय आश्रम में शुभ कर्मों द्वारा उसे अपनी आत्मा को और अधिक वलशाली बनाना चाहिए। इसके उपरांत जीवन के तृतीय भाग, वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करके व्यक्ति को अपने जीवन के संचित ज्ञान एवं अनुभव को दूसरों को दान करना चाहिए और अपने आत्म-ज्ञान की वृद्धि करनी चाहिए। चतुर्थ आश्रम संन्यास में व्यक्ति को संसार के सब बंधन छोड़कर अकेले उस अद्वैत ब्रह्म से एकाकार होने के लिए प्रस्तुत होना चाहिए। 'मनुष्य के जीवन को इस प्रकार से चलाने से ही उसका आद्यांत-संगतिपूर्ण तात्पर्य प्राप्त किया जा सकता है।' यही जीवन-साधना का पथ है। रवीन्द्रनाथ के अनुसार इस पथ पर चलते समय हम जगत के संबंधों की उपेक्षा नहीं कर सकते। उनके भीतर से निकलकर ही हम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकेंगे अन्यथा 'यदि पथ को वैराग्य से छोड़ दिया जाय, तो अपथ में तो सात गुना चक्कर खाते फिरना होगा।'

रवीन्द्रनाथ ने जीवन के उपरोक्त चार आश्रमों की तुलना दिन के चार स्वाभाविक अंशों—पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न और सायाह्न से की है। मनुष्य जीवन के यह चार विभाग उसके स्वाभावानुकूल ही किये गये हैं। जिस प्रकार दिन के पूर्वाह्न में धीरे-धीरे प्रकाश और उष्णता की वृद्धि होती है और उत्तराह्न में ह्लास, ठीक उसी प्रकार मानव-जीवन के प्रथम दो आश्रमों में इन्द्रिय-शक्ति की क्रमशः उन्नति होती है और बाद के दो आश्रमों में अवनति। जीवन का यह स्वाभाविक क्रम, मनुष्य को कर्म और त्याग में संगति स्थापित करके चलने के लिए मार्ग निर्देशन करता है, अर्थात् जीवन के प्रथम अर्द्ध-भाग में कर्मशील रहना परन्तु उत्तराह्न में बाहरी उपकरणों का त्याग करके एक अंत-रात्मा में निमग्न रहना। जो इन्द्रिय शक्ति घटने पर भी त्याग के लिए प्रस्तुत नहीं होता उसको सब कुछ विवशात् छोड़ना पड़ता है।

धर्म का स्वरूप :—

भारत के प्राचीन दार्शनिकों की भाँति रवीन्द्रनाथ का विश्वास है कि अन्य विषयों की तरह धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। धर्म को नपे-तुले रूप में विद्यार्थियों को ग्रहण नहीं कराया जा सकता है और न उसे शिक्षा-व्यवस्था द्वारा शासित किया जा सकता है। धर्म की भावना उत्पन्न करने या उसकी शिक्षा देने के लिए उपयुक्त वातावरण और धार्मिक जीवन के प्रकाश की अपेक्षा होती है। इसीलिए उन्होंने धार्मिक शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत की प्राचीन गुरुकुल-व्यवस्था को एकमात्र साधन माना है। उन्होंने अनुभव किया कि उपनिषदों में धार्मिक विचार उत्पन्न करने की अद्भुत शक्ति है क्योंकि उनमें संकीर्णता की भावना नहीं है। उन्होंने कहा है, "उपनिषदों ने इस विचित्र जगत-संसार को ब्रह्म के ही अनंत सत्य में, ब्रह्म के ही अनंत ज्ञान में विलीन

देखा है। उपनिषदों ने किसी विशेष लोक की कल्पना नहीं की, किसी विशेष मंदिर की रचना नहीं की, किसी विशेष स्थान में उनकी विशेष मूर्ति की स्थापना नहीं की, एकमात्र ब्रह्म को ही परिपूर्ण-रूप से सर्वत्र उपलब्धि करके सर्व-प्रकार की जटिलता और कल्पनाओं के चाञ्चल्य को दूर हटा दिया है। धर्म की विशुद्ध सरलता का ऐसा विराट आदर्श और कहाँ है ?†

रवीन्द्रनाथ ने धर्म को 'परिपूर्णता और सरलता का आदर्श' माना है। पर आज संसार में धर्म का प्रचलित रूप अत्यंत दुर्बल और जटिल हो गया है। धर्म अनेकों क्रिया-कर्म, मंत्र-मंत्र और वादों में जकड़ दिया गया है। इसके अतिरिक्त एक-एक धर्म के अंतर्गत कई-कई मंत्रदाओं की स्थापना हो गयी है। इन संप्रदायों में उपासना, पूजा, क्रिया-कर्म की अपनी अपनी विधियाँ हैं; ईश्वर के स्वरूप और उसको प्राप्त करने के पृथक-पृथक मार्ग हैं जिसके कारण प्रायः उनमें परस्पर संघर्ष, द्वेष और विरोध भी चलता रहता है। अतः इस प्रकार का धर्म संसार में शान्ति के स्थान पर अशांति ही फैलाता है। धर्म ने जो आज यह विकृत रूप धारण कर रखा है उसका एक मात्र कारण है कि हमने धर्म को अपने अनुरूप बनाने का प्रयत्न किया है। हमने धर्म को स्वार्थवश व्यवहार-योग्य एवं उपयोगी बनाने की चेष्टा की है। इसके प्रतिकूल उत्तम तो यह होगा कि हम अपने को धर्म के अनुरूप बनाने का प्रयत्न करें। धर्म किसी स्थान विशेष, काल विशेष के अनुसार नहीं होता है। उसका आदर्श अमर और सनातन है। उसका रूप नहीं बदलता और अपने इसी रूप में वह सदैव धारण करने योग्य है। यही कारण है कि उपनिषद् में कहा गया है :—

‘यो वै भूमा तत् सुखं नात्पे सुखमस्ति ।’

अर्थात्, “जो भूमा है वही सुख है, जो अल्प है उसमें सुख नहीं। उस ‘भूमा’ को यदि हम धारणा-योग्य बना लेने के लिए ‘अल्प’ कर लेते हैं तो उससे दुःख की ही सृष्टि होगी। फिर दुःख से रक्षा कैसे होगी ? इसलिए, संसार में रहकर हमें भूमा की उपलब्धि करनी होगी, सांसारिक प्रयोजन के लिए, उस भूमा को खण्डित और जड़ित करने से काम नहीं चलेगा” ‡

रवीन्द्रनाथ कहते हैं कि उपनिषद् के ब्रह्म अगोचर ब्रह्म हैं। वह विश्वव्यापी हैं, वह सर्वान्तर्यामी हैं। वह ‘सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ हैं। ‘उनके सत्य से ही हम सत्य हैं और उनके आनन्द से ही हम व्यक्त हैं।’ अतः ऐसे ब्रह्म की प्राप्ति के लिए किसी प्रकार के बाह्य आडंबरों की आवश्यकता नहीं है, कोई विशेष मुहूर्त छाँटने की आवश्यकता नहीं है और न कहीं दूर जाने की ही आवश्यकता है। जिस प्रकार दिन का प्रकाश देखने के लिए केवल आँख खोलने की आवश्यकता है उसी प्रकार ब्रह्म को पाने के लिए केवल

† ‘रवीन्द्र साहित्य’ भाग २५, पृष्ठ ७

‡ ‘रवीन्द्र साहित्य’, भाग २५, पृष्ठ ५.

हृदय में तीव्र इच्छा जाग्रत करने की आवश्यकता है। रवीन्द्रनाथ का कथन है जो सहज ढंग से प्राप्त किया जा सकता है उसे नाना प्रकार के साधनों द्वारा प्राप्ति की चेष्टा उसे और अधिक दुर्लभ बना देगी।

विदेशियों और उनके अनुगामी भारतीयों का यह आरोप है कि 'प्राचीन हिन्दू-शास्त्रों में पाप की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है, यही हिन्दू-धर्म की असंभूयता और निरुद्धता का परिचय है।' किन्तु जिन बातों को लेकर हिन्दू-धर्म को निरुद्ध कहा जाता है उन्हीं बातों को रवीन्द्रनाथ उसकी श्रेष्ठता और महानता का आधार मानते हैं। उनके अनुसार हमारे शास्त्रकार पाप की समस्या से पूर्णतया परिचिन्त थे। वे जानते थे कि जब मनुष्य की आत्मा ब्रह्म में रम जाती है, चित्त ईश्वर की ओर लग जाता है और उसे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है तब पाप और सब प्रकार के दोष स्वतः नष्ट हो जाते हैं। हृदय में ईश्वर-आनन्द का प्रकाश होते ही पाप रूपी अंधकार स्वयं नष्ट हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि माँ को यह उपदेश दिया जाय कि तुम्हें बच्चे के पालन-पोषण में लापरवाही न करना चाहिए, तुम्हें यह करना चाहिए और यह नहीं करना चाहिए तो उपदेशों का कहीं अंत नहीं होगा। माता को बच्चे के प्रति कर्तव्य-पालन का उपदेश देने वाली एक संहिता बन जायेगी। किन्तु यदि माता को यह ज्ञात है कि बालक को 'प्यार करना' है तो किसी अन्य उपदेश की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार जब अंतःकरण में ब्रह्म का प्रकाश भर जायेगा तब पाप के विषय में कुछ कहने-सुनने का अवकाश ही नहीं रह जायेगा। रवीन्द्रनाथ का मत है कि पारश्चात्य धर्मशास्त्रों ने पाप और पाप से मुक्ति की समस्या को उलभनपूर्ण बना दिया और बुद्धिवादी विचारणा ने ईश्वर को खंडित एवं धर्म को दुर्बल बना दिया है।

रवीन्द्रनाथ के अनुसार वर्तमान युग में धर्म-प्रचारकों की दशा भी विचित्र है। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कभी जीवन में धर्म को धारण नहीं किया, जिन्होंने धर्म की अनुभूति नहीं प्राप्त की, आज धर्म का प्रचार करते हैं। इस प्रकार के प्रचारक धर्म में हमें अनुरक्त नहीं करते वरन् उसे हमारे जीवन से पृथक् करते हैं। विभिन्न धर्म-संप्रदायों ने धर्म को विचित्र रूप दे डाला है। उपासना के लिए मंदिर, मस्जिद और गिरजाघरों की व्यवस्था करके धर्म को स्थान-विशेष तक सीमित कर दिया है। इसी प्रकार दिन और समय का बंधन लगा कर धर्म को सीमित कर दिया गया है। सभी धर्म-संप्रदायों को अपनी-अपनी मान्यतायें हैं जिन्हें वे लक्षण-रेखा समझते हैं। अपनी बनायी हुई परिधि के भीतर रहना धर्म और उसके बाहर जाना अधर्म समझते हैं। धर्म की इसी कृत्रिम सीमा की रक्षा करने के लिए इनमें संघर्ष और उपद्रव होता है। धर्म इसी रेखा की रक्षा का पर्याय बन गया है। ऐसा प्रतीत होता है मानो धर्म कोई ऐसी पृथक् वस्तु है जिसका हमारे जीवन से कोई संबंध नहीं। मनुष्य के दैनिक व्यापारों का उसमें कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार के सीमा-निर्धारण और संकुचित दृष्टिकोण के कारण ही आज मनुष्य के बीच विषमता और

द्रोह उत्पन्न करना धर्म का लक्षण हो गया है ।

रवीन्द्रनाथ इस प्रकार के सीमित एवं संकुचित धर्म को सच्चा धर्म नहीं मानते हैं । उनका कथन है कि “संसार के समस्त वैषम्यों में जो एक मात्र ऐक्य है, समस्त विरोधों में जो शान्ति लाता है और समस्त विच्छेदों में जो एक-मात्र मिलन का सेतु है, उसी को धर्म कहा जा सकता है ।” † उनके विचार में धर्म के अंतर्गत संपूर्ण मनुष्यता समाविष्ट है और धर्म जीवन के संपूर्ण क्षेत्रों में समन्वय स्थापित करता है । धर्म की इस समन्वयकारी प्रवृत्ति की उपेक्षा करके जब उसे खंडों में विभक्त किया जाता है, देश-जाति सापेक्ष बनाया जाता है, संकुचित एवं सीमित बनाया जाता है तब वह विनाशकारक हो जाता है ।

वह स्पष्टतः घोषणा करते हैं कि भारतवर्ष में धर्म का यह संकुचित रूप एवं संकीर्ण आदर्श नहीं रहा है । “हमारा धर्म ‘रिलीजन’ नहीं है, वह मनुष्यत्व का एकांश नहीं है; वह राजनीति से तिरस्कृत नहीं है, वह युद्ध से वहिष्कृत नहीं है, व्यवसाय से निर्वासित नहीं है, दैनन्दिन व्यवहार से दूरीकृत नहीं है । समाज के किसी विशेष-अंश में उसे प्राचीर-बद्ध करके मनुष्य के आराम-आमोद से, काव्य-कला से, ज्ञान-विज्ञान से उसकी सीमा-रक्षा के लिए सर्वदा पहरा नहीं खड़ा है । ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ आदि आश्रम इस धर्म को ही जीवन में, संसार में, सर्वतोभाव से सार्थक करने के सोपान हैं । धर्म संसार के आंशिक प्रयोजन-साधन के लिए नहीं है; समग्र संसार ही धर्म-साधन के लिए है । इस तरह धर्म ने गृह में गृह-धर्म, राज्य में राजधर्म होकर भारतवर्ष के समग्र समाज को एक अखंड तात्पर्य प्रदान किया था” ‡ हमारे यहाँ जीवन की सफलताओं—कीर्ति, यश आदि को तभी सार्थक माना जाता था जब वह धर्म के अनुकूल प्राप्त की जाती थीं । अतः व्यक्ति का संपूर्ण जीवन, उसका प्रत्येक कार्य, धर्ममय होना चाहिए । धर्म जीवन के किसी भी क्षेत्र से परे नहीं है ।

धर्म-साधन की विधि—रवीन्द्रनाथ के अनुसार धर्म, “हमारे संपूर्ण जीवन का सत्य है । अव्यक्त के साथ हमारे व्यक्तित्व के संबंधों की चेतना है, यह हमारे जीवन के गुरु-त्वाकर्षण का वास्तविक केंद्र है ।” तथ्य यह है कि धर्म अनुभूति है वह केवल सीखने या जानने की वस्तु नहीं है । यही कारण है, कि वह धर्म की शिक्षा को अन्य विषयों की भाँति पाठ्यक्रम का विषय नहीं बनाना चाहते हैं और न उसे समय-सारणी की सीमा में बाँधना चाहते हैं । धार्मिक शिक्षा के लिए, धार्मिक आलोक की प्राप्ति, सादगी का जीवन तथा उचित वातावरण की आवश्यकता है । जब साधन साध्य के अनुरूप होते हैं तभी सफलता शीघ्रता से मिलती है । अतः ब्रह्म, ‘जो अन्तर में है, जो आत्मा में है उन्हें अन्तर में ही, आत्मा में ही’ प्राप्त करना चाहिए ।

† ‘रवीन्द्र-साहित्य’, भाग २५, पृष्ठ ५७

‡ ‘रवीन्द्र-साहित्य’, भाग २५, पृष्ठ ५८

उनके विचार में, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए 'सोना पाने की-सी चेष्टा न करके आलोक पाने की-सी चेष्टा करनी चाहिए।' कारण, 'सोना पाने की-सी चेष्टा' अर्थात् नाना प्रकार के बाह्य उपकरण अनेक विरोध, वैमनस्य का कारण बनकर ब्रह्म की प्राप्ति को और अधिक दुःसाध्य बना देते हैं। इसके विपरीत 'आलोक पाने की-सी चेष्टा' में जैसे केवल आँख खोलने की आवश्यकता है उसी प्रकार ब्रह्म के पाने के लिए केवल हृदय के उन्मीलन की आवश्यकता है। केवल हृदय में इच्छा-शक्ति को वलवती करना है। मनुष्य के जीवन में इच्छा-शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि इसी के द्वारा विश्व-शक्ति, अर्थात् ब्रह्म के साथ सामंजस्य की स्थापना की जा सकती है और उसके आनंद को प्राप्त किया जा सकता है। रवीन्द्रनाथ ने मन को निखिल ब्राह्मांड में प्रसारित करके ब्रह्म की अनुभूति करने के लिए गायत्री मंत्र का ध्यान सर्वोत्तम साधन माना है, यह उद्बोधन मंत्र 'वाहर के साथ अंतर और अंतर के साथ अंतरतम का योग कराता है; और हमें स्पष्ट रूप से यह आभास देता है कि ब्रह्म ही इस जगत को तथा हमारी बुद्धियों को प्रेरित करता है। ब्रह्म ही परम सत्य है और उसे जानने पर विश्व के सभी रहस्य स्वयमेव प्रकट हो जाते हैं। रवीन्द्रनाथ कहते हैं कि ब्रह्म के ध्यान करने की यह वैदिक पद्धति बड़ी सरल और उदार है। सरल इसलिए है कि बाह्य जगत और अपनी बुद्धि को कहीं ढूँढ़ने जाने की आवश्यकता नहीं है और उदार इस कारण है कि इसमें देश, काल, जाति और संप्रदाय तथा व्यक्ति विशेष की प्रकृति की कोई अपेक्षा नहीं है।

प्राचीन भारत में इस उद्बोधन-मन्त्र के सदृश्य ही प्रार्थना का मन्त्र भी था :

असतोमा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माऽमृतंगमय।

अर्थात् मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जाओ, अन्धकार से प्रकाश की ओर ले जाओ, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाओ। परन्तु रवीन्द्रनाथ ने यहाँ यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रार्थना-मन्त्र को केवल कानों से सुनने और मुख से उच्चारण करने मात्र से सार्थकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। हम सत्य, ज्योति और अमृत को तभी प्राप्त कर सकेंगे जब अपने संपूर्ण जीवन से उसे पाने की चेष्टा करेंगे। हम जिसकी इच्छा करेंगे वही हमें प्राप्त होगा। धन, मान-सम्मान की इच्छा हमें अनेकता, वैषम्य और विरोध की ओर ले जायेगी। इसी प्रकार सत्य, आलोक और अमृत की इच्छा हमें 'एक' की ओर ले जायेगी। अतः यह सब केवल 'इच्छा' का ही 'धर्म' है।

हमें अपनी 'इच्छा' को यथार्थ रूप से जानना चाहिए। इच्छाशक्ति को आरम्भ से ही उचित दिशा में, उचित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नियंत्रित करना चाहिए अन्यथा सांसारिक कामनाओं का कहीं अन्त नहीं। 'इच्छा को नष्ट करना हमारी साधना का विषय नहीं है, इच्छा को विश्व-इच्छा के साथ एक-सुर में बाँधना ही हमारी सकल शिक्षा का चरम लक्ष्य' है। इच्छाशक्ति को मर्यादित रखने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है। यही कारण है कि भारत में शिक्षा ब्रह्मचर्यव्रत और धर्मव्रत थी। सत्य, अहिंसा,

इन्द्रिय-निग्रह, दान, कर्म आदि को तपस्या कहा गया है। विद्यार्थी इसी प्रकार क तपस्यापूर्ण जीवन व्यतीत करता था। नियम संयम के अभ्यास द्वारा अपनी आत्मा में और विश्व में ब्रह्म का साक्षात्कार करता था। रवीन्द्रनाथ का कथन है कि ब्रह्म के प्रति अनुराग का अर्थ यह नहीं है कि ससार की उपेक्षा की जाय अथवा उससे विरक्त हुआ जाय। वह संसार से विरक्त होने को, उसके प्रति विमुख होने को ब्रह्म के प्रति विरक्त होना मानते हैं। मनुष्य को यह विचार करना चाहिए कि उसमें धैर्य कितनी मात्रा में है, वह दूसरों के अपराधों को क्षमा कर सकता है या नहीं, ईर्ष्या-द्वेष, घृणा, दूसरों की निन्दा, लोभ आदि दुर्गुण उसमें हैं या नहीं और वह अपने अहंकार को जीत सका है या नहीं। इस प्रकार जब वह अपने को टटोलेंगा, अपने दोषों को झुक-झुक कर देखेगा और आत्म-परिष्कार करेगा तब उसे यह ज्ञात होगा कि ब्रह्म की प्राप्ति की दिशा में वह कहाँ तक अग्रसर हो सका है, ब्रह्म के सत्य स्वरूप को इस विश्व में कहाँ तक देख सका है।

ब्रह्मचर्य सादे जीवन का प्रतीक है। सादगी और धार्मिक शिक्षा के लिए उपयुक्त वातावरण का महत्व सर्वाधिक है। इनको पूर्ति ऐसे वातावरण में ही सम्भव है जहाँ सत्य के आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति में कृत्रिम आवश्यकताओं का समूह बाधा न उत्पन्न करता हो, जहाँ जीवन में सरलता और अवकाश हो, जहाँ वायु स्वच्छ हो, प्रकृति पूर्णतया शान्त हो और मनुष्य अनादि जीवन में पूर्ण आस्था रखते हुए निवास कर सके।

शिक्षा के प्राचीन भारतीय आदर्श

रवीन्द्रनाथ के जीवन-दर्शन और शिक्षा-दर्शन में साम्य है। उन्होंने भारतीय आदर्श-वादी दर्शन के अनुसार जीवन और शिक्षा का अन्तिम लक्ष्य परम सत्य की अनुभूति ही माना है। स्वभावतः उन्होंने भारतीय शिक्षादर्शों के उपयोग का समर्थन किया है।

तपोवन आश्रम—रवीन्द्रनाथ भारत की तपोवन शिक्षा-व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे। प्राचीन भारत के शिक्षा-प्रयोग में उन्हें अपने देश की समस्याओं का समाधान प्राप्त हुआ। तपोवन स्थित आश्रमों में सरल एवं जीवन के पूर्ण आदर्शों की शिक्षा दी जाती थी और वहाँ जीवन-विकास के लिए पवित्र तथा अनुकूल वातावरण प्राप्त होता था। उन्होंने कहा है कि ऐसे स्थलों में बालकों को शिक्षा देना व्यर्थ है, जो उन्हें सत्य के मार्ग से दूर ले जाते हैं। ऐसे स्थानों में जहाँ जीवन व्यक्तिगत हित के लिए संघर्ष से भरा हुआ है और व्यक्ति का ध्यान केवल अपने ही स्वार्थों पर केन्द्रित है जहाँ मनुष्य केवल अपने हितों और सुखों के लिए जीवन को कृत्रिम ढंग से व्यतीत करता है, वहाँ शिक्षा देने से बालकों के मन में असामयिक इच्छाएँ उत्पन्न होती हैं। बौद्धिक जीवन के बीजारोपण के समय और विकास की प्राथमिक स्थिति में कोमल, शांत एवं आदर्शपूर्ण वातावरण की आवश्यकता होती है, अतः बालकों को ऐसे क्षेत्रों से दूर रखना चाहिए, जहाँ मनुष्य केवल अपने स्वार्थों तथा क्षुद्र आवश्यकताओं के लिए संघर्ष-रत है। उन्हें ऐसे स्थानों

में रखना चाहिए जहाँ उनके अनुकूल विकास की संभावनाएँ हों, जहाँ वे स्वतन्त्रता पूर्वक जीवनानुभवों के मार्ग पर शांतिपूर्वक चल सकें, जीवनानुभवों को संचित कर सकें, और जहाँ आध्यात्मिक उत्तराधिकार उनकी प्रतीक्षा करता हो।

शिक्षा में ग्रामीण आदर्श—रवीन्द्रनाथ प्राचीन भारत की तपोवन शिक्षा-व्यवस्था में आस्था रखने के साथ ही साथ, भारतीय शिक्षा में 'ग्रामीण-आदर्श' की पुनः स्थापना का समर्थन करते हैं। ग्राम्य जीवन की विशेषताएँ हैं—सरलता, धन-धान्य की पूर्णता एवं अतिथि-सत्कार, अर्थात् सामाजिक भावना का विकास। इसके विपरीत नगर के जीवन की विशेषताएँ हैं—कृत्रिमता, शिक्षा की आधुनिक व्यवस्था, व्यापार-वृत्ति फलः स्वरूप स्पर्धा के भाव की जागृति, अर्थात् वैयक्तिक भावना का विकास। शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वैयक्तिक और सामाजिक दोनों पक्षों के विकास की अपेक्षा है। इसके अतिरिक्त, वैयक्तिक और सामाजिक, दोनों आदर्शों में संपूर्ण सामन्जस्य की आवश्यकता है। यदि हम वर्तमान परिस्थिति पर ध्यान दें तो यह स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि आज गाँवों के स्थान पर नगरों की संख्या बढ़ती जा रही है; अर्थात् वैयक्तिक आदर्श की प्रधानता मिल रही है। 'भारतमाता मुख्यतः ग्रामवासिनी है।' पाश्चात्य सभ्यता के फेर में उसके आदर्शों की उपेक्षा की गयी है। अतः हमें पुनः 'ग्रामीण आदर्श'—सामाजिक आदर्श की स्थापना करना आवश्यक है। केवल यही नहीं, 'मानवीय सभ्यता की रक्षा के लिए' भी इस आदर्श को पुनः प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए।

रवीन्द्रनाथ ने ग्रामों की तुलना स्त्री से की है—“जनपद स्त्रियों के समान हैं। मानव जाति की रक्षा के लिए उनकी रक्षा करना आवश्यक है। नगरों की अपेक्षा वे प्रकृति के अधिक समीप हैं, अतएव वे जीवन स्रोत के निकट संयर्क में हैं।” यही कारण है कि रवीन्द्रनाथ ने 'शांतिनिकेतन' की स्थापना एक गाँव के शांत वातावरण में की और अपने आश्रम में ग्रामीण आदर्श को प्रमुखता दी।

विद्यार्थी और ब्रह्मचर्य—प्राचीन भारतीय आदर्शों और व्यवहारों में रवीन्द्रनाथ का दृढ़ विश्वास था, अतः उन्होंने ब्रह्मचर्य-व्यवस्था की बहुत प्रशंसा की है और इसीलिए शिक्षा को ब्रह्मचर्य व्रत और धर्मव्रत कहा है। उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन विद्यार्थी के लिए अनिवार्य बताया है। उनके अनुसार विद्यार्थी को संयमी, विलास से पृथक, पवित्र हृदय वाला होना चाहिए। उसमें अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठा और गुरु के प्रति भक्ति अपेक्षित है। इन आदर्शों को अपने सम्मुख रखकर ही विद्यार्थी मानवता के साक्षात्कार की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। शिक्षा, सांसारिक जीवनयापन की तैयारी है और योगसाधन द्वारा 'परमपुरुष' के साथ सम्बन्ध-स्थापन का साधन है। अतः विद्यार्थी के लिए विद्या प्राप्ति और जीवन के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति, दोनों ही दृष्टि से ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है।

आदर्श अध्यापक—भारतीय परंपरा के अनुसार रवीन्द्रनाथ भी मानते हैं कि शिक्षा में अध्यापक का उत्तरदायित्व सबसे अधिक है। इसीलिए उसे आत्मसंयमी तथा त्यागी होना चाहिए क्योंकि इन्हीं गुणों द्वारा वह छात्रों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। अध्यापक को पूर्वग्रही, असहिष्णु, चंचल, निम्नविचार वाला, अहंकारी और संकीर्ण स्वभाव का नहीं होना चाहिए। उसे आलस्य और प्रमाद से दूर रहना चाहिए। यदि अध्यापक विद्यार्थियों पर शुभ प्रभाव डालना चाहता है तो उसे अपना आचरण शुद्ध रखना चाहिए क्योंकि सात्विक आचरण द्वारा ही वह छात्रों की भक्ति, स्नेह और सम्मान का पात्र हो सकता है। प्रत्येक दृष्टि से आदर्श अध्यापक ही छात्र के जीवन का पूर्ण विकास कर सकता है, किंतु शिक्षक को बालकों पर अपने विचार लादना नहीं चाहिए। जो अध्यापक बालक के स्वभाव और उसकी प्रवृत्तियों को नहीं समझता है, वह शिक्षा देने के लिये पूर्णतया अनुपयुक्त होता है। वह अध्यापक सही रूप में शिक्षा नहीं दे सकता जो स्वयं भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील नहीं रहता है। शिक्षक और छात्र में सजीव संपर्क होना चाहिए। जब एक मन से दूसरे मन का संपर्क होता है, तभी आनंद की उत्पत्ति होती है। यह आनंद सृजनात्मक होता है और विद्यालय में जो शिक्षक प्रति-क्षण आत्म-साक्षात्कार करता है, वही अपनी ज्ञानराशि सरलता पूर्वक छात्र को दे सकता है।

रवीन्द्रनाथ का कहना है कि बालकों का ऐसा स्वभाव होता है कि वे अध्यापकों द्वारा प्रदान की जाने वाली विद्या को सीखने में तो बहुत विलम्ब करते हैं, किन्तु उनके मनोभावों को सीखने में उन्हें कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ता है। अतः शिक्षण-कार्य में जो कुछ अन्याय अविचार, अर्धैर्य, क्रोध और पक्षपात होता है, उसे बालक अन्य ग्रहणीय बातों की अपेक्षा शीघ्र ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए दोषों के संक्रामक रोग से बालकों को बचाने के लिए अध्यापकों को स्वयं अपने चरित्र और व्यवहार के विषय में विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए।

अध्यापक और दंड—रवीन्द्रनाथ बालकों को दंड देने के संबंध में अध्यापक को सचेत करते हैं। शिक्षा में बालकों को दंड देने की जो परिपाटी चली आ रही है, उन्होंने उसका सदैव विरोध किया है। उन्होंने स्वयं अपने अनुभवों से सीखा था कि विद्यार्थी को दंड देना किसी भी दशा में उचित नहीं है। बच्चों के स्वतंत्र विकास के पक्षपाती होने के कारण वह अपराध के लिए बालकों को दंड देने के पक्ष में नहीं हैं। उनका कथन है कि अपराध करना बालकों का काम है और क्षमा करना शिक्षकों का धर्म है। वह लिखते हैं, 'अब अगर हममें से कोई छात्रों के व्यवहार से क्रुद्ध और भयभीत होकर, विद्यालय के अमंगल की आशंका से असहिष्णु होकर उन्हें तत्काल दंड देने के लिए उद्यत हो जाता है, तो मेरे अपने छात्र-अवस्था के समस्त पाप एक क्रतार में खड़े होकर मेरे मुँह की ओर देखते हुए हँसने लगते हैं।'.... 'मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि लड़कों के अपराधों को हम

बड़ों के पैमाने पर नापा करते हैं और यह भूल जाते हैं कि छोटे लड़के भरने के समान वेग से चलते हैं। वह जल यदि दोषों का स्पर्श करता है, तो हताश होने का कोई कारण नहीं क्योंकि गतिशीलता में सभी दोषों का सहज प्रतिकार विद्यमान है। वेग जहाँ रुकता है, वहीं खतरा है और वहाँ सावधान होना ही चाहिए। अतः शिक्षक को स्वयं अपराध से डरना चाहिए, छात्रों को उतना नहीं। अध्यापक को उचित है कि वे बालकों को उचित मार्ग की ओर प्रेरित करें।

शिक्षा का माध्यम—रवीन्द्रनाथ ने स्वीकार किया है कि बालकों को पूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए विदेशी भाषा उचित माध्यम नहीं है। विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षा देना एक बहुत बड़ा दोष है, जिसके कारण बालक अध्ययन से विरक्त होने लगते हैं। उनके विचार में अधिकांश छात्र स्वभावतः विदेशी भाषा सीखने में असमर्थ होते हैं। भारत में ऐसे छात्र, अंग्रेजी के बिना पर्याप्त ज्ञान के ही, किसी प्रकार मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए विवश होते हैं। ऊँची कक्षाओं में इसका परिणाम बड़ा हानिकारक होता है। अंग्रेजी शिक्षा का परिणाम यह होता है कि हम अनिवार्यतः पश्चिम से प्रेरणा लेने को बाध्य होते हैं। उनका कहना है कि बालकों की शिक्षा उनकी मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था होने पर ही उनका पूर्ण विकास हो सकता है। राष्ट्रीय शक्ति का यह कितना भयंकर अव्यय है कि इस देश के हजारों विद्यार्थियों को ऊँची कक्षाओं में उस विदेशी भाषा का व्यवहार करना पड़ता है, जिसे सीखने की योग्यता उनमें नहीं है यद्यपि उनमें सीखने की इच्छा है।

उनके अनुसार 'अनेकता में एकता' का सिद्धांत शिक्षा के माध्यम के विषय में भी पूर्ण रूप से चरितार्थ होता है। उनका कहना है कि पहले लैटिन ही सारे योरोप की संघीय भाषा थी, किंतु वास्तव में वहाँ एक संघीय संस्कृति का विकास तभी संभव हुआ जब वहाँ के देशों ने अपनी-अपनी भाषाओं का विकास कर लिया। यही बात अपने देश के विषय में भी सत्य है। एक समय था जब हमारे देश में संस्कृति व विचारों के आदान-प्रदान की भाषा संस्कृत थी, किंतु वास्तव में विचारों की समृद्धि के लिए राष्ट्रीय भाषा के साथ-साथ सभी प्रांतीय भाषाओं का पूर्ण विकास होना चाहिए। इस प्रकार रवीन्द्रनाथ ने बालकों को मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने को आवश्यक माना है। मातृभाषा में शिक्षा पाने पर ही बालक का उचित विकास हो सकता है।

पाठ्य-विषय

रवीन्द्रनाथ के शिक्षादर्शन के सांकेतिक शब्द हैं—'संपूर्णता,' 'संबद्धता' और 'समन्वय'। वह मनुष्य को पूर्ण बनाने वाली शिक्षा में विश्वास करते हैं। उपनिषदों की परंपरा के अनुसार जैसा हम पहले भी देख चुके हैं, वह मानव जीवन के दो पक्ष स्वीकार करते हैं—आंतरिक (आध्यात्मिक) तथा बाह्य (सामाजिक)। इन्हीं दोनों पक्षों का विकास शिक्षा का उद्देश्य है। प्रथम पक्ष का विकास मनुष्य को जीवन के परम सत्य, 'एकता',

के साक्षात्कार में सहायक है और द्वितीय पक्ष उसके जीवन के समाज संबंधी व्यावहारिक सत्यों के जानने में। मनुष्य के आंतरिक विकास में सहायक है 'धर्म' की साधना और सामाजिक विकास में समाज संबंधी विषय—कला और विज्ञान। अतः वह पाठ्य विषय में दोनों प्रकार से संबंधित विषयों का समावेश चाहते हैं। परंतु रवीन्द्रनाथ के विचार में जीवन एक समन्वय है। मानव जीवन के विभिन्न अंगों में संगति की स्थापना आवश्यक है; जीवन के बौद्धिक और शारीरिक पक्ष से आध्यात्मिकता को दूर नहीं किया जा सकता। अतः सभी सामाजिक विषयों की शिक्षा इस प्रकार दी जानी चाहिए कि वे आध्यात्मिक पक्ष के अंतर्गत रहते हुए बालक के आंतरिक और सामाजिक विकास में सहायक हों। दूसरे शब्दों में, परम सत्य और व्यावहारिक सत्यों में संगति की आवश्यकता है। यह संगति इस आधार पर सरलता पूर्वक की जा सकती है कि प्रथम प्रकार का सत्य अर्थात् धर्म, अन्य विषयों की भाँति पढ़ाने का विषय नहीं है, वह सूचना मात्र नहीं है, वह है प्रेरणा-प्रद सत्य। अतः सभी विषयों को इस सत्य से प्रेरणा प्राप्त करते हुए, बालक का बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार का विकास करना चाहिए। रवीन्द्रनाथ वर्तमान शिक्षा-पद्धति को एकांगी बताते हैं। वह बालक को केवल बौद्धिक उन्नति पर ही ध्यान देती है। व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए सत्य के दोनों रूपों का पाठ्य-विषय में प्रतिनिधित्व आवश्यक है।

रवीन्द्रनाथ के जीवन-दर्शन के संबंध में हमने देखा कि उपनिषद् में ब्रह्म के स्वरूप को तीन भागों में विभक्त किया गया है—सत्यं, ज्ञानं और अनन्तं। ब्रह्म के इन्हीं तीनों रूपों के अनुरूप मानव-आत्मा की भी तीन दिशाएँ हैं—'मैं हूँ', 'मैं जानता हूँ', और 'मैं व्यक्त करता हूँ'। यह तीनों दिशाएँ मिलकर मानव के पूरे रूप का परिचय देती हैं। यदि हम मानव-आत्मा की इन दिशाओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्धारित करें तब भी हम उपर्युक्त निष्कर्ष पर ही पहुँचेंगे। 'मैं हूँ', यह ब्रह्म के सत्य स्वरूप के अंतर्गत है, अतः ब्रह्म के इस रूप को जानने के लिए बालकों को शारीरिक विज्ञान, मनोविज्ञान, चिकित्सा-शास्त्र, समाज-शास्त्र का अध्ययन आवश्यक है। 'मैं जानता हूँ'—यह ब्रह्म के ज्ञान स्वरूप के अंतर्गत है, अतः ब्रह्म के इस रूप को जानने के लिए, नीति-शास्त्र, धर्म-शास्त्र, भाषा, इतिहास, भूगोल गणित-शास्त्र नाना-विज्ञान आदि विषयों का अध्ययन करना अनिवार्य है। 'मैं व्यक्त करता हूँ', यह ब्रह्म के अनंत स्वरूप के अंतर्गत है, अतः विभिन्न प्रकार के हस्त-कौशल, संगीत और कला ब्रह्म के इस रूप को व्यक्त करने के लिये सहायक साधन हैं। ब्रह्म के इन तीनों रूपों को लेकर ही 'एक अखंड सत्य' होता है, अतः बालक के संपूर्ण विकास के लिए उसकी शिक्षा में इन तीनों पक्षों में से किसी की भी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। पाठ्य-क्रम को इतना व्यापक होना चाहिए कि बालक अपनी रूचि के अनुसार विषयों का अध्ययन कर सकें। विषयों की सार्थकता बालक के सामाजिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विकास में निहित है।

यही कारण है कि रवीन्द्रनाथ ने बहुत पूर्व ही शांतिनिकेतन में 'संपूर्णता' के सिद्धांत का शिचा में प्रयोग किया। 'ग्रहण-ज्ञान' को ही उन्होंने 'बुद्धिमत्ता' कहा। विद्यालयों का उद्देश्य बालकों के शारीरिक अंगों को केवल शिचित बनाना और आकस्मिक समय के लिए प्रस्तुत करना ही नहीं है वरन् जीवन-शक्ति और विश्व-शक्ति के बीच संगति स्थापित करना है।

शिचा-कला के सिद्धांत

रवीन्द्रनाथ का विश्वास है कि अध्यापक और छात्र के बीच सजीव संपर्क होना चाहिए। इसी कारण वह प्रत्येक अध्यापक के लिए बाल्य प्रकृति की भली-भाँति जान-कारी अनिवार्य समझते हैं। प्रचलित शिचा-पद्धति से भिन्न, वह बालक का विकास एक स्वतंत्र प्राणी की भाँति, स्वतंत्र परंतु साथ ही आदर्श वातावरण में चाहते हैं। इस संबंध में उन्होंने कुछ विशेष तथ्यों की ओर शिचा-जगत का ध्यान आकर्षित किया है :—

बालक के प्रति सहानुभूति—रवीन्द्रनाथ वर्तमान शिचा-पद्धति से बहुत ही असंतुष्ट थे क्योंकि इसमें न तो बालक की प्रकृति की ओर ध्यान दिया जाता है और न उसके प्राकृतिक परिपार्श्व की ओर। बालक को विद्यालय की चहार दीवारी में सीमित करके उसे जीवन के मुक्त प्रवाह से विलग कर दिया जाता है। परिणामतः बालक का जीवन बहुत कुछ अंशों में कृत्रिम बन जाता है जिससे शिचा का वास्तविक मूल्य नष्ट हो जाता है। उनके अनुसार "शाला की पद्धति अनुशासन की पद्धति है जो व्यक्ति को नगर्य समझती है। शाला रूपी इस यंत्र में सभी परिणाम एक समान निकालने का दुराग्रह रहता है। शाला एक काल्पनिक ऋजु रेखा पर चलना चाहती है, परन्तु वास्तविक जीवन काल्पनिक सीधी रेखा से भिन्न है।"*

रवीन्द्रनाथ को बालक के प्रति असीम सहानुभूति है। उनके अनुसार बालक में जन्म-जात प्रवृत्तियाँ होती हैं। वह उनकी अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्रता चाहता है। वह प्रकृति से शुद्ध है। उसका अपना व्यक्तित्व है। बालक के व्यक्तित्व और उसकी मनोवृत्तियों की किसी प्रकार अवहेलना नहीं करनी चाहिए। वर्तमान शिचा-पद्धति बालक के मानसिक जगत की इस सजीवता की ओर तनिक भी ध्यान न देकर उसके प्रति अन्याय करती है। इस सजीव तथ्य अर्थात् बालक की प्रकृति के साथ सहानुभूति के स्थान पर शालाओं में इसका विरोध ही किया जाता है। बालक खुली हवा में प्रकृति के प्रांगण में स्वच्छंद प्राणी की भाँति विचरण करके अपना शारीरिक विकास चाहता है। वह प्रकृति की विशाल पुस्तक से ज्ञान ग्रहण करके मानसिक विकास करना चाहता है तथा प्रकृति की पवित्र एवं प्रभावशाली शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव करके, उससे एकात्मियता स्थापित करके, सत्य को पहचान कर अपनी आत्मोन्नति करना चाहता है। परन्तु शालाओं में पुस्तकें पाठ्य-

* लक्ष्मी लाल के० ओडः रवीन्द्रनाथ ठाकुर का शिक्षा दर्शन, 'शिक्षा', जुलाई १९५७,

विषय, समय-सारिणी आदि का बंधन बालक के प्राकृतिक जीवन-प्रवाह में बाधाएँ उपस्थित करते हैं। रवीन्द्रनाथ बालक को उसके इन कृत्रिम बंधनों से मुक्त कराना चाहते हैं। वह बालक का प्राकृतिक एवं स्वतंत्र विकास चाहते हैं।

बालक के प्राकृतिक विकास के लिए, रवीन्द्रनाथ शाला के शुद्ध एवं वास्तव्यपूर्ण वातावरण पर बल देते हैं। आजकल शाला का प्रेम रहित वातावरण और शिक्षकों का क्रूर एवं असहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बालक के अंदर अनेक भावना-प्रथियों को जन्म देता है। बालक-शिक्षक के नाम से ही भयभीत हो जाता है और स्कूल से अपना पीछा छुड़ाना चाहता है। यही कारण है कि रवीन्द्रनाथ स्कूल के वातावरण को कौटुम्बिक वातावरण में परिवर्तित करना चाहते हैं। शिक्षकों को माता के सदृश्य बालकों के प्रति सहानुभूति और प्रेमपूर्ण व्यवहार करने के लिये सचेत करते हैं।

मानव और प्रकृति के बीच प्रत्यक्ष संबंध द्वारा शिक्षा—बालक के प्राकृतिक विकास के लिए रवीन्द्रनाथ, प्रकृति और मानव के बीच सक्रिय संबंध पर बल देते हैं। उनके अनुसार यदि जीवन का उद्देश्य आत्मानुभूति है तो उसकी प्राप्ति का साधन संसार को जान लेना मात्र नहीं है क्योंकि ज्ञान से तो केवल हमारी शक्ति बढ़ती है। परम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संपूर्ण सृष्टि से समरस होने की, उसके साथ तादात्म्य स्थापित करने की आवश्यकता है। मनुष्य और प्रकृति ब्रह्म के ही व्यक्त रूप हैं। रवीन्द्रनाथ ने अपने शिक्षा-दर्शन में मानव-जगत से भी अधिक प्राकृतिक जगत के साथ एकात्म्यता स्थापित करने पर महत्व दिया है। इस महत्व का कारण संभवतः यह भी है कि मनुष्य की अपेक्षा प्रकृति के विभिन्न रूपों द्वारा ब्रह्म की अभिव्यक्ति अधिक स्पष्ट रूप में परिलक्षित होती है। अतः मनुष्य का प्रकृति के साथ निकटता और घनिष्ठता का अनुभव प्रत्यक्ष संबंध की स्थापना द्वारा होना चाहिए। बालक को उसकी पवित्र तथा प्रभावशाली शक्ति का अनुभव करना चाहिए।

प्रकृति के प्रभावों और उसकी शक्ति में विश्वास रखने के कारण रवीन्द्रनाथ बालक को प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा देने के पक्षपाती हैं। वह बालक को प्रकृति के संपर्क में इसलिए और लाना चाहते हैं क्योंकि इससे उसे यथार्थ जगत का बोध सफलता पूर्वक हो जाता है। प्रकृति-प्रदत्त ज्ञान के लिए बालक को कोई मूल्य भी नहीं चुकाना पड़ता। उदाहरण के लिये पृथ्वी पर नंगे पैर घूमने से उसके रहस्य—ऊँचाई, नीचाई, मृदुता, कंकरीलापन आदि गुण सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। प्रकृति के संपर्क में रहने से बालक में कठिनाई सहन करने की क्षमता भी स्वभावतः आ जाती है। प्राकृतिक जीवन व्यतीत करना, सादगी का जीवन व्यतीत करना है। विद्याध्ययन काल में विद्यार्थियों को सीधा और सरल जीवन व्यतीत करना चाहिए। रवीन्द्रनाथ के अनुसार, अमीरी की अपेक्षा गरीबी ज्यादा अच्छी शिक्षक है। अमीरी यथार्थ जगत का बोध नहीं करा पाती। प्रकृति से प्रत्यक्ष संबंध-स्थापन के साथ-साथ रवीन्द्रनाथ बालक को, प्रारंभिक ज्ञान मानव के प्रत्यक्ष संबंध

द्वारा भी देने के पक्ष में हैं। इसीलिए वह आश्रम के पवित्र, एकांतमय प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण जैसे नदी या उसका किनारा, सूर्योदय एवं सूर्यास्त, अध्यापक, मित्र आदि के बीच बालक को शिचा प्रदान करने के पक्षपाती हैं। प्रकृति के शुभ संसर्ग में, पाठशाला की आत्मीयता एवं पारिवारिक वातावरण में बालक का जो सांवेदनिक, सांवेगिक, एवं बौद्धिक विकास होता है वह बालक के हर प्रकार के विकास में शैक्षिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। रवीन्द्रनाथ के प्रकृति संबंधी विचार रूसो से किसी सीमा तक मिलते जुलते हैं। दोनों आरंभ में पुस्तकीय ज्ञान के विरोधी हैं। दोनों राबिनसनक्रूसो के प्रायद्वीप का वातावरण शिचा के लिए उपयुक्त समझते हैं।

प्राकृतिक और सामाजिक शक्तियों में संतुलन—रवीन्द्रनाथ के जीवन-दर्शन का अध्ययन करते समय हम देख चुके हैं कि उनका दृष्टिकोण समन्वयवादी है। बालक की प्रकृति के संबंध में उनके विचारों में यही दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। वह कहते हैं कि आरंभ में बालक के सारे कार्य 'स्व' की भावना से प्रेरित होते हैं। 'स्व' से यहाँ तात्पर्य है आत्म-प्रेम अथवा अपने जीवन से प्रेम। बालक आरंभ में जो भी ज्ञान ग्रहण करता है वह इसी स्व-संबंधी कार्यों के संपादन द्वारा। उसके उपरांत ज्ञान प्राप्त करने के लिए वह जीवन भी त्याग सकता है और अंततः जब उसकी बुद्धि परिपक्व हो जाती है तब पूर्ण जैविक व्यतीत करने के लिये वह समाज में तत्पर होता है। रवीन्द्रनाथ के इन विचारों की तुलना रूसो के अभावात्मक सिद्धांत से की जा सकती है जिसमें १५ वर्ष की आयु तक बालक के आचरण का आधार आत्म-प्रेम ही रहा है। १५ वर्ष के उपरांत बालक अन्यो से प्रेम करना सीखता है। रवीन्द्रनाथ और रूसो में अंतर यह है कि रवीन्द्रनाथ की नैतिकता का आधार सामाजिक न होकर आध्यात्मिक है। संपूर्ण सृष्टि में एक ही परम-पुरुष की अभिव्यक्ति है। परम-पुरुष की अनुभूति एकांत में संभव नहीं वरन् संपूर्ण सृष्टि—मानव और प्रकृति, जहाँ जरा भी जीवन की ज्योति भलकती हो—समरस होने में ही प्राप्त हो सकती है। रवीन्द्रनाथ के अनुसार 'स्व' के दो पक्ष हैं—पहला निजी और दूसरा सामाजिक। पहले पक्ष में स्वार्थ की भावना निहित है और दूसरे में परार्थ की। पहला, व्यक्ति को भौतिकता की ओर खींचता है और दूसरा अध्यात्म की ओर। अतः दोनों में संतुलन स्थापन की आवश्यकता है। इस संतुलन को रवीन्द्रनाथ ने 'स्व' की तुलना दीपक से करके स्पष्ट किया है। यदि दीपक अपना तेल अपने पास जमा रखना चाहे और अपना प्रकाश अपने ही पास सीमित रखना चाहे तो स्वयं भी अंधेरे में रहेगा और दूसरों को भी अंधेरे में रखेगा। परन्तु यदि दीपक अपने प्रकाश का प्रसार दूसरों के लिए करता है तो स्वयं भी प्रकाशित होता है और इस प्रकार अपने वास्तविक लक्ष्य (आत्मानुभूति) की पूर्ति करता है। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति समाज के कार्यों में भाग लेकर, समाज-सेवा द्वारा अपनी भी उन्नति कर सकता है और अपने अंतिम लक्ष्य की

अतः शिक्षा में भी रवीन्द्रनाथ मनुष्य की 'प्राकृतिक' और 'सभ्य' या 'सामाजिक' शक्तियों के बीच संतुलन स्थापित करने पर बल देते हैं। उनके अनुसार आधुनिक शिक्षण-कला में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वह बालकों की समाज-विरोधी प्रवृत्तियों को दूर करें, तभी समाज को शक्ति अर्जित कर सकेगी। पाश्चात्य जगत की ओर लक्ष्य करते हुए रवीन्द्रनाथ का कथन है कि रूसो के समय से ही, योरोप में छोटे बालकों पर प्रकृति के महत्वपूर्ण प्रभाव को स्वीकार किया गया किंतु जीवन में औद्योगीकरण और यंत्र-करण के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण इस धारणा को व्यावहारिक रूप देना असंभव हो गया। बालकों का जीवन प्रकृति से दूर हटता गया और स्वस्थ संवेगात्मक जीवन, कठिन नियमों और अनुशासनों में बंधता गया। इसका परिणाम यह हुआ कि आरंभ में ही बालक का व्यक्तिगत स्वभाव और आत्म-विश्वास समाप्त हो गया। कठोर नियंत्रण में शिक्षित बालकों की मूलशक्तियाँ, आत्म-प्रकाशन की भावना से प्रेरित होकर आगे चलकर निरंतर दुर्बलों को पीड़ित करने के रूप में व्यक्त होती रहीं और वहाँ का जीवन अविकसित ही रह गया। इस भयंकर परिस्थिति से बचने के लिए और अपनी पूर्णता प्राप्त करने के लिए रवीन्द्रनाथ का मतव्य है कि हमें मूल शक्ति के विचार से जंगली और मानसिक दृष्टि से सभ्य बनने की आवश्यकता है। हमारे भीतर प्रकृति के बीच प्राकृतिक और समाज के बीच मानव बने रहने की योग्यता होनी चाहिए। 'मानव में असभ्यता और सभ्यता को उसी अनुपात में होना चाहिए, जितना पृथ्वी पर स्थल और जल है, जिसमें पहले का महत्व अधिक है।' अतः प्राकृतिक एवं सामाजिक शक्तियों में इस प्रकार का संतुलन व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों दृष्टिकोण से हितकर होगा।

यही कारण है कि रवीन्द्रनाथ ने प्रकृति का महान समर्थक होते हुए भी, शिक्षक, पाठशाला या पुस्तकों की पूर्णतया उपेक्षा नहीं की है। वह प्राकृतिक साधनों के माध्यम से, प्रत्यक्ष वस्तु तथा मनुष्यों के संपर्क द्वारा, बालकों को प्रारंभिक ज्ञान अवश्य देना चाहते हैं, पर इसके उपरांत उन्होंने पुस्तकीय ज्ञान को ही आवश्यक माना है। उनकी शिक्षा में शास्त्रीय साहित्य एवं संस्कृति को प्रमुख स्थान प्राप्त है। उनका अटूट विश्वास है कि बालक का पूर्ण विकास मानवसमाज के पूर्वाजित अनुभवों पर निर्भर है यद्यपि वह विज्ञान का ज्ञानका बालक के लिए आवश्यक समझते हैं तथापि व्यक्ति और समाज दोनों का हित ध्यान में रखने के कारण ही वह उसकी शिक्षा साधन के रूप में देना चाहते हैं साध्य के रूप में नहीं। वह विज्ञान का ज्ञान वैयक्तिक अनुभव के आधार पर देना चाहते हैं परंतु विज्ञान के विद्यार्थी को भावना से शून्य व्यक्ति के रूप में नहीं देखना चाहते हैं।

स्वतंत्रता—रवीन्द्रनाथ के शिक्षण-कला संबंधी सिद्धांत एक दूसरे से सह संबंधित हैं और उन सब को एक सूत्र में बाँधने वाला केन्द्रीय तथ्य है उनका बालक के 'प्राकृतिक विकास' में विश्वास। अतः स्वभावतः रवीन्द्रनाथ बालकों को स्वतंत्रता प्रदान करने के

समर्थक हैं। उन्होंने स्वयं अपने आश्रम में बालकों को स्वतंत्र और आनन्दित रखने के सिद्धांत को व्यावहारिक रूप दिया। वह बालकों की स्वतंत्रता पर तनिक भी प्रतिबंध लगाना नहीं चाहते थे। उनके विचार में बालकों को धूल में खेलने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। खुली हवा से बढ़ कर स्वास्थ्यप्रद और आकाश से बढ़कर प्रेरणादायक अन्य कोई वस्तु नहीं है। सभी प्रकार की शारीरिक और मानसिक उन्नति के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है। वह बालक को कक्षा के बंधन में भी नहीं बांधना चाहते क्योंकि अधिक मात्रा में किये जाने वाले नियमित कार्य, बालक के विकास में बाधा उपस्थित करते हैं। इसीलिए उनके आश्रम में, नित्य के पाठ-अध्ययन के अतिरिक्त बालक अपने मन के अनुसार अपनी रुचि के कामों और खेलों को चुनते हैं। उनका पढ़ना-लिखना पुस्तकों और अभ्यास-पुस्तिकाओं तक ही सीमित नहीं है। बालक कहानी कहते हैं, सुनते हैं और स्वतंत्रता पूर्वक अन्य कार्यों में भाग लेते हैं। आश्रम का वातावरण स्वतंत्रता की भावना से ओतप्रोत रहता है। बालकों पर किसी प्रकार का बाहरी अनुशासन नहीं लादा जाता है; इसका परिणाम यह होता है कि उनमें विना सिखलाये अपने आप उत्तर-दायित्व की भावना जाग्रत हो जाती है। बालक आश्रम को आत्मीयता की दृष्टि से देखते हैं।

रवीन्द्रनाथ का विचार है कि बालकों को किसी विशेष स्वभाव के अपनाने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। प्रकृति ने बालकों को शक्ति का सर्वोत्तम दान दिया है। हमारे सभ्य परिवारों में, बालकों की इस शक्ति और शिष्टाचार के नियमों में बराबर संघर्ष चला करता है। अतः संकुचित सामाजिक व्यवहारों को उन पर लादना नहीं चाहिए। रवीन्द्रनाथ पद्धतियों की अपेक्षा मनुष्य की आत्मा में अधिक विश्वास करते हैं। उनका कहना है कि शिक्षा का प्रयोजन मन की मुक्ति है और मन की यह मुक्ति स्वतंत्रता के मार्ग पर चल कर ही प्राप्त की जा सकती है। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि यद्यपि वह स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं, तथापि यह स्वतंत्रता स्वच्छंदता नहीं है क्योंकि स्वच्छंदता के अर्थ में स्वतंत्रता निस्तत्व है। पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति सामाजिक संबंधों की पूर्ण संगति में ही की जा सकती है, जिनका अनुभव हम संसार में करते हैं।

उनका कहना है कि प्राचीन भारत में स्वतंत्रता का जो आदर्श रहा है, वह योरोपीय स्वतंत्रता के आदर्श से भिन्न है। योरोप में स्वतंत्रता का अर्थ भौतिक स्तर पर स्वतंत्र होने—खाने, पीने, मौज उड़ाने की स्वतंत्रता—से माना जाता है। इस प्रकार की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए भी नाना प्रकार के साधनों की आवश्यकता पड़ती है। किन्तु भारतवर्ष में स्वाधीनता को इस रूप में कभी भी स्वीकार नहीं किया गया है। कारण, यहाँ 'इच्छा' और 'कर्म' के बंधन से भी स्वतंत्र होने का प्रयत्न किया गया है। वास्तविक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए निरंतर साधना की आवश्यकता है। रवीन्द्रनाथ कहते हैं, 'स्वाधीन हो गये समझ लेने से स्वाधीन नहीं हुआ जा सकता नियम अर्थात्

अधीनता के भीतर से बिना निकले स्वाधीन होना संभव नहीं।' यद्यपि देखने में यह कथन स्वतः-विरोधी प्रतीत होता है तथापि उनके विचार में यह सत्य है कि 'परतंत्रता के भीतर से ही स्वतंत्रता के आने का पथ है।' तात्पर्य यह कि जितना ही व्यक्ति नियमों का पालन करता है उतनी ही उसकी आत्मा मुक्त होती जाती है।

वास्तविकता यह है कि रवीन्द्रनाथ बालक को शारीरिक स्वतंत्रता उसी मात्रा में देना चाहते हैं जहाँ तक वह प्राकृतिक वातावरण से शुभ शिक्षा एवं प्रेरणा ग्रहण कर सके। पर वह बालक को 'यम' और 'नियम' के पालन से मुक्ति नहीं देना चाहते। कारण, यम और नियम का बंधन बालक की वास्तविक स्वतंत्रता—आत्मा की मुक्ति—के लिए अनिवार्य है। वह बालक को समाज के अन्य सदस्यों के प्रति अपने कर्तव्य के बंधन से छुटकारा नहीं दिलाना चाहते, क्योंकि कर्तव्य पालन से स्वयं उसकी आत्मोन्नति होगी। हाँ, वह बालक को आज की भौतिक सम्यता के कृत्रिम बंधनों से अवश्य मुक्त रखना चाहते हैं।

सामाजिक शिक्षा एवं स्वशासन—स्वतंत्रता को उपर्युक्त रूप में ग्रहण करते हुए रवीन्द्रनाथ का कहना है कि बालकों को सामाजिक व्यवहार के संपर्क में लाना चाहिए। समाज में रहकर ही बालकों का सम्यक् विकास संभव है। सामाजिक संपर्क में आने के लिए उन्हें अधिक से अधिक अवसर दिया जाना चाहिए जिससे उनके व्यवहारों में सामाजिकता आ सके। इस संबंध में रवीन्द्रनाथ के विचारों की तुलना प्रो० फ़िडले ने अमेरिका के दार्शनिक ड्यूई से की है। प्रो. फ़िडले के अनुसार "दोनों की ही पनीत विश्वास है कि व्यक्ति का विकास समाज के अंदर रह कर ही संभव है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है तथा बालक की शिक्षा का आधार, सामाजिक प्रवृत्तियाँ हैं, फलतः शिकागो की प्रयोग-शाला तथा बोलपुर के शांतिनिकेतन में पारिवारिक भावना का समावेश किया गया है। दोनों स्थानों पर बालक के सम्मुख समाज के जटिल संबंधों को अधिक सामान्य रूप में, लघुरूप में तथा आदर्शरूप में प्रस्तुत किया जाता है। दूसरे शब्दों में दोनों ही शिक्षा-शास्त्रियों के विचार में शाला एक लघु समाज है।" दोनों में यह समानता होते हुए भी ध्यान रहे कि दोनों के जीवन के लक्ष्य भिन्न होने के कारण दोनों के सामाजिक जीवन एवं सामाजिक वातावरण का आदर्श भिन्न है। ड्यूई वर्तमान में समाज की भौतिक उन्नति करना चाहते हैं, पर रवीन्द्रनाथ समाज को केवल साधन मानकर प्रत्येक व्यक्ति की आत्मोन्नति करना चाहते हैं।

बालकों में सामाजिक प्रवृत्ति के उचित दिशा में विकास के लिए, रवीन्द्रनाथ का कथन है कि उन्हें सहकारी क्रिया-कलापों में लगाना चाहिए। सहकारी क्रिया-कलाप न केवल बौद्धिक क्षेत्र में, वरन् शिक्षा के सभी क्षेत्रों में प्राप्य होने चाहिए। यहाँ यह ध्यान

† लक्ष्मी लाल के० ओड़ : रवीन्द्रनाथ ठाकुर का शिक्षा-दर्शन 'शिक्षा', जुलाई, १९५७ पृष्ठ २४

रखना आवश्यक होगा कि इन कार्यों के संपादन में बालक को 'स्वशासन' का भी अवसर प्राप्त हो। 'स्वशासन' के आधार पर बालक में स्वावलम्बन, सहयोग, उत्तरदायित्व आदि नैतिक गुणों का विकास होगा। 'स्वशासन', स्वतंत्रता एवं सामाजिक शिष्टा का आवश्यक अंग है और उन्हीं के फलस्वरूप प्राप्त होता है। रवीन्द्रनाथ के आश्रम-समाज में अनेक ऐसे कार्यों में बालकों को भाग लेना होता है जिनसे उनकी सामाजिक दृष्टि से स्वयमेव शिष्टा हो जाती है। दूर-दूर से आये हुए बालक बड़े स्नेह और मैत्री भाव से मिलकर रहते हैं, साथ-साथ भोजन करते हैं, खेलते हैं तथा अनेक सामाजिक उत्सव और पर्व मनाते हैं। भ्रमण, नाट्य-प्रयोग, संगीत और साहित्य प्रदर्शन आदि अनेक संगठन-संबंधी कार्यों में व्यावहारिक रूप से बालक सामाजिक भावना का विकास करते हैं। अध्यापकों और विद्यार्थियों में परस्पर प्रेम और आदर का भाव विद्यमान है और वे आश्रम के कार्य संचालन में सहयोग देना अपना कर्तव्य समझते हैं।

क्रिया द्वारा शिष्टा — बालक प्रकृति से क्रियाशील होता है। वह पल भर भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। वह अपनी ज्ञानेन्द्रियाँ, कर्मेन्द्रियों और मन को सक्रिय रूप से प्रयोग करना चाहता है। अतः रूसो, ड्यूई, गाँधी आदि शिष्टा-शास्त्रियों की भांति रवीन्द्रनाथ बालक को वास्तविक क्रिया द्वारा शिष्टा देने के पक्ष में हैं। यहाँ यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यद्यपि सामान्यतः ये सब 'क्रिया' पर बल देते हैं फिर भी भिन्न जीवनादर्श होने के कारण इन सबकी क्रियाओं एवं क्रिया-विधि में विभिन्नता है।

यदि हम रवीन्द्रनाथ के आश्रम पर दृष्टि डालें तो पता चलता है कि विभिन्न कार्यों द्वारा वहाँ पर बालक अपनी शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं आत्मिक उन्नति करते हैं। व्यायाम, आवास स्वच्छ रखना आदि कार्य बालक के शारीरिक विकास में सहायक हैं। प्रकृति एवं मनुष्यों से प्रत्यक्ष संबंध द्वारा बालक आरंभिक ज्ञान ग्रहण करते हैं और इस प्रकार उनका मानसिक विकास होता है। बाद में पुस्तकीय अध्ययन भी इस ओर सहायक होता है। ऋतुपूर्व और उत्सव मनाना, अतिथि-सत्कार, बीमारों की सेवा, सहपाठियों, पड़ोसी ग्रामवासियों की सहायता और सेवा विद्यार्थियों में नैतिक अथवा सामाजिक गुणों का विकास करते हैं। शिष्टाचार के नियम, जैसे नमस्कार करना, दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना, भोजन के समय कैसे उठना बैठना आदि, वास्तविक परिस्थितियों में क्रियाओं द्वारा विद्यार्थियों को सिखाया जाता है। आत्मिक उन्नति के लिए सौन्दर्यबोध आवश्यक है; इस दिशा में संगीत की शिष्टा, चित्रांकन, प्रकृति का निरीक्षण एवं संपर्क-स्थापन आदि कार्य बालक को सहायता प्रदान करते हैं। प्रातः वेतालिक तथा दोनों समय समवेत उपासना बालक को 'आत्मीय एकता' का अनुभव कराती है। अतः विभिन्न कार्यों द्वारा बालक अपने संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करते हैं। बालक का यह विकास भारतीय परंपरा के सर्वथा अनुकूल है। कारण, जब कि अन्य शिष्टा-शास्त्री 'क्रिया द्वारा सीखने' (Learning by doing) पर बल देते हैं, भारतीय आदर्श क्रिया द्वारा

पूर्णरूप से जीने और 'जीने द्वारा सीखने' (Learning by living) पर बल देता है। रवीन्द्रनाथ को श्रेय है कि उन्होंने अपने आश्रम में इस सिद्धांत को व्यावहारिक रूप प्रदान किया।

रचनात्मक अभिव्यक्ति—रवीन्द्रनाथ के विचार में शिक्षा की कोई प्रणाली तब तक पूर्ण नहीं हो सकती जब तक उसमें बालक की रचनात्मक शक्ति की अभिव्यक्ति के लिए स्थान न हो। उनके अनुसार मनुष्य में 'दैहिक प्यास' के साथ ही एक और प्यास होती है और वह है अपने को व्यक्त करने की। अपनी इस प्यास की तृप्ति मनुष्य साहित्य संगीत, नृत्य, और चित्रकारी द्वारा करता है। यह प्यास इतनी प्रबल होती है कि इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। कारण, यह अतर्वासी 'एक की वेदना है' जो रूप, स्वर, वाणी, नृत्य आदि किसी न किसी रूप में अपने को व्यक्त करना चाहती है। रवीन्द्रनाथ के जीवन-दर्शन और शिक्षा-दर्शन में पाठ्य-विषय पर विचार करते हुए हमने देखा कि ब्रह्म के तीन रूपों के अनुसार ही मानव आत्मा के भी तीन रूप हैं—'मैं हूँ', 'मैं जानता हूँ' और 'मैं व्यक्त करता हूँ।' मनुष्य की यह प्यास उसकी आत्मा की 'मैं व्यक्त करता हूँ' की दिशा से संबंधित है। विभिन्न प्रकार के हस्त-कौशल और कलाओं के माध्यम से अभिव्यक्ति की कुशलता प्राप्त की जा सकती है क्योंकि वे हमारी आध्यात्मिक भव्यता एवं अंतःप्रकृति के सहज उद्गार हैं। अतः रवीन्द्रनाथ रचनात्मक अभिव्यक्ति की क्षमता में वृद्धि करने पर, केवल व्यावहारिक जीवन के विचार से ही नहीं, वरन् आध्यात्मिक विचार से भी, विशेष बल देते हैं।

रवीन्द्रनाथ का कथन है कि मनुष्य अपने मन की बहुत-सी बातों को शब्दों में नहीं प्रकट कर पाता। अतः उसे रेखाओं, रंगों, ध्वनियों और गतियों के माध्यम से व्यक्त करने का ढंग सीखना चाहिए। इनमें पारंगत होकर वह केवल अपनी प्रकृति को ही नहीं व्यक्त करेगा, वरन् अपने 'अंतर्वासी' को व्यक्त करने के प्रयास में लगे हुए प्रत्येक देश और काल के मनुष्य को समझने की क्षमता भी प्राप्त करेगा। शिक्षा की उपयोगिता केवल तथ्यों को एकत्रित करने में नहीं है, वरन् मनुष्य को जानने और स्वयं को दूसरों के जानने देने में है। तथ्य यह है कि प्रत्येक मनुष्य का यह कर्त्तव्य है कि 'वह बुद्धि की भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के साथ-साथ किसी सीमा तक व्यक्तित्व की भाषा पर भी अधिकार प्राप्त करे।' रवीन्द्रनाथ 'जीवन' के अभिव्यक्तीकरण संबंधी सभी क्रियायों के करने के लिए बालक को स्वतंत्रता और प्रोत्साहन देने का समर्थन करते हैं।

रवीन्द्रनाथ ने रचनात्मक अथवा सृजनात्मक क्रिया और निर्माण-क्रिया में भेद किया है। दोनों को एक नहीं माना जा सकता। कारण, दोनों के लक्ष्य में विभिन्नता है। उन्हीं के शब्दों में, "मनुष्य का सर्वोत्तम परिचय यह है कि 'मनुष्य स्रष्टा' है। आज की सभ्यता उसे मजदूर बनाती है, मिस्त्री बनाती है और महाजन बनाती है। लोभ दिखाकर 'स्रष्टा' को छोटा बनाती है। मनुष्य निर्माण करता है व्यवसाय के लिए और 'सृष्टि' करता है

आत्मा की प्रेरणा से । व्यवसाय का प्रयोजन जब बहुत ज्यादा बढ़ता ही जाता है, तब आत्मा की वाणी रुक जाती है ।” अतः आत्मा की प्रेरणा को व्यक्त करना, स्रष्टा बनना विद्यार्थी के लिए आवश्यक है ।

कल्पना का मुक्त विकास—स्रष्टा बनने के लिए विद्यार्थी को कल्पना करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए । कारण, प्रत्येक सृजन अथवा आविष्कार के मूल में कल्पना का अपना आवश्यक स्थान है । आज का मनोविज्ञान भी इसी तथ्य का समर्थक है कि कल्पना-शक्ति का यदि ठीक दिशा में निर्देशन किया जा सके तो यह शैक्षिक दृष्टिकोण से बड़ी ही लाभप्रद हो सकती है । आज का मनोविज्ञान अपने सिद्धांतों की पुष्टि प्रयोग, अनुसंधान तथा तर्क के आधार पर करता है । परन्तु रवीन्द्रनाथ ने आत्मानुभूति, चिन्तन तथा बालक के प्राकृतिक विकास के आधार पर इस शक्ति का महत्व पहचाना ।

कल्पना करने की स्वतंत्रता केवल वयस्कों के ही लिए आवश्यक नहीं है वरन् बालक के लिए भी है । कल्पना के मुक्त प्रवाह द्वारा बालक अपनी उन इच्छाओं की तृप्ति कर लेता है जिनकी पूर्ति वास्तव जगत में कठिन और कभी-कभी पूर्णतया असंभव है । रवीन्द्रनाथ मांटेसरी से इस विषय में सहमत नहीं है कि कल्पना बालक को यथार्थ जगत से दूर ले जाती है । इसके विपरीत रवीन्द्रनाथ का कथन है कि यथार्थ जगत बड़ा कठोर है, वह बालक की भावनाओं का ध्यान नहीं रख सकता है । कल्पना द्वारा बालक क्षण भर में चन्द्रलोक और परिलोक की सैर कर लेता है । अतः कल्पना-जगत के सुख से बालक को वंचित कर देना मानो उसके जीवनको नीरस एवं निरानंद बना देना है । इसलिए रवीन्द्रनाथ, प्लेटो और मांटेसरी से भिन्न, छोटे बच्चों को काल्पनिक कहानियाँ सुनाने के पक्ष में हैं । कहानियाँ सुनने से बालकों में अनेक नैतिक गुणों का विकास होता है । कहानियाँ सुनते समय बालक जब कहानी के अनेक पात्रों के साथ एकाकार स्थापन करता है तो उसके बहुत से मनोद्वेगों को संतुष्टि प्राप्त होती है और कभी-कभी यदि उसके मन में भावना ग्रंथियाँ हैं तो उन्हें सुलभाने में उसे सहायता मिलती है । कहानियों द्वारा ही बालक में सृजन की भावना जागृत होती है और भविष्य में वह सृजन के लिए कल्पना करता है ।

अचेतन मन और विशुद्ध वातावरण की आवश्यकता—रवीन्द्रनाथ के अनुसार बालक का अचेतन मन चेतन मन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है । अपने अचेतन मन के माध्यम से बालक जीवन के अनेक पाठ बिना किसी श्रम या थकान के सीख लेता है । पूर्व पीढ़ियों के संचित अनुभव भी वह इसी माध्यम के द्वारा प्राप्त करता है । ज्ञान की यह अचेतन शक्ति बालक के जीवन के साथ एकरस होती है । इस संबंध में रवीन्द्रनाथ ने बालक के विकास की तुलना एक वृक्ष से की है । जिस प्रकार वृक्ष अपने चारों ओर के वातावरण से अपने पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेता है उन्ही प्रकार

बालक भी अनजाने ही अपने समीपवर्ती वातावरण से प्रभावों को ग्रहण करता है। यही कारण है कि रवीन्द्रनाथ बालक का विकास विशुद्ध, प्राकृतिक एवं सुशिक्षाप्रद वातावरण में चाहते हैं। उनके लिए शिक्षा के नियमों और प्रणालियों से भी बढ़कर महत्वपूर्ण वस्तु वातावरण है।

बालक एक विकासशील प्राणी है। अतः बालक के स्वस्थ मानसिक एवं आत्मिक विकास के लिए उसके चारों ओर प्राकृतिक सौन्दर्य के अतिरिक्त, आत्मीय-प्रेम से पूर्ण वातावरण का होना आवश्यक है। आत्मीय-प्रेम से पूर्ण वातावरण का तात्पर्य है जहाँ गुरु और शिष्य परम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकत्रित हुए हों जहाँ दोनों साथ-साथ रहकर शारीरिक क्षुधा एवं आत्मिक क्षुधा की तृप्ति करें।[†] ऐसा ही आत्मीयता पूर्ण वातावरण, प्रत्येक पाठशाला में वांछनीय है।

शिक्षण-पद्धति

शिक्षण : बालक की प्रकृति के अनुरूप—रवीन्द्रनाथ वर्तमान शिक्षण-पद्धति से असंतुष्ट थे। उनके अनुसार बालक की प्रकृति के अनुरूप ही शिक्षण-पद्धति की व्यवस्था होनी चाहिए। बालक को शिक्षित करने के लिए केवल सविचार प्रशिक्षण की ही आवश्यकता नहीं है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्वयं पहले बालक को ही अग्रसर होना चाहिए। अध्यापकों के विचार में बालक को शिक्षा देने का सर्वोत्तम साधन मन को एकाग्र करना है, किन्तु प्रकृति के अनुसार शिक्षा देने का सर्वोत्तम साधन मन को वितरित करना है। बालकों को चाहिए कि वे तथ्यों को अपने आप सीखें। इससे उनके मस्तिष्क को पूर्ण गतिशीलता और खोज का आनन्द प्राप्त होगा। अचानक सफलता प्राप्त करने पर उन्हें अपनी क्षमता का पता चलेगा। और इस तरह वे सृजनात्मक जीवन के पाठ सोखेंगे। यही कारण है कि रवीन्द्रनाथ ने अपनी शिक्षण-पद्धति में खेल को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है।

खेल और काम—रवीन्द्रनाथ की विशेषता यह है कि यद्यपि उन्होंने अपनी शिक्षण-पद्धति में खेल को महत्व दिया है फिर भी खेल और काम को विरोधी न ठहराकर, उन दोनों में सामंजस्य स्थापित किया है। उनके अनुसार बालक में अन्तर्निहित स्वाभाविक जिज्ञासा और सामाजिक प्रवृत्ति उसे उन क्रियाओं की ओर प्रवृत्त करती है जिन्हें वयस्क 'खेल' कहते हैं। यह ध्यान में रखने की बात है कि यद्यपि हम खेल को व्यर्थ का कार्य समझते हैं, तथापि बालक की चेतना के विकास के लिए वह एक गम्भीर क्रिया है। खेल की इस प्रक्रिया में दिवास्वप्न, कल्पना, वास्तविकता का निर्माण, वयस्क जिससे परे हैं, आदि क्रियाएँ सम्मिलित हैं। ये क्रियाएँ सभी बालकों के लिए सामान्य हैं। धीरे-

† तुलना कीजिए—ओं सह नाववतु । सहनीभुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै । तेजस्विनावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै ।

धीरे बालक की प्रवृत्ति खेल-क्रियाओं की ओर से प्रयोजनपूर्ण क्रियाओं की ओर होती जाती हैं। खेल से प्रयोजनपूर्ण कार्यों की ओर अग्रसर होने के अवस्थान काल में ही बाह्य अनुशासन से बालक में आंतरिक अनुशासन उत्पन्न होता है। कारण, प्रयोजनपूर्ण कार्य में बालक अपने कार्य में निहित उद्देश्य को समझने लगता है और यही उद्देश्य आंतरिक अनुशासन की पुष्टि करता है। रवीन्द्रनाथ बालक की कल्पनापूर्ण खेल की प्रवृत्ति से पूर्णतया परिचित थे और यही कारण है कि शांतिनिकेतन में छोटी कक्षाओं के बालक खेल संबंधी अनेक क्रियाओं में मग्न रहते हैं। खेल की इस शिक्षण-प्रक्रिया में शिक्षक का कार्य है कि वह खेल को उद्देश्यपूर्ण बनाए। परन्तु कैसे? बालकों को शिक्षा देकर नहीं, वरन् उनके साथ खेलकर। सफल शिक्षक वही है जो बालक की इस प्रवृत्ति से परिचित है और उसको सद्कार्यों को ओर प्रेरित करता है।

रवीन्द्रनाथ बालक को आरंभ में खेल द्वारा शिक्षा देने के पक्ष में इसलिए और हैं कि जबरदस्ती और यांत्रिक ढंग से दी हुई शिक्षा बालक के अन्दर आत्महीनता की भावना का विकास करती है। बालक के निर्माण काल में जब उसकी प्रवृत्तियाँ दबा दी जाती हैं और इस प्रकार जब उसमें आत्महीनता का भाव उदय हो जाता है तब वही बालक बाद में चलकर शारीरिक और आर्थिक दोनों दृष्टिकोणों से दुर्बल व्यक्तियों से बदला लेता है। खेल में बालक की प्रवृत्तियों का पूर्णरूप से अभिव्यक्तीकरण हो जाने पर उसके अंदर आत्महीनता की ग्रंथि-निर्माण का कोई प्रश्न ही नहीं उठता और स्वभावतः दूसरों को सताने और कष्ट देने की भावना का स्वयमेव निराकरण हो जाता है। खेल से न केवल बालक बल्कि किशोर और प्रौढ़ भी किसी सीमा तक इस दिशा में लाभ उठा सकते हैं। यांत्रिक शिक्षा का एक दोष और है। वह बालक को बाहरी सकेतों एवं सुझावों (External suggestions) के प्रति ठीक दृष्टिकोण निर्धारित करना नहीं सिखलाती। अतः बालक रेडियो, सिनेमा, समाचार-पत्र आदि द्वारा दिये गये सुझावों को एकदम बिना सोचे समझे ग्रहण कर लेता है। इस दोष से बचने के लिये रवीन्द्रनाथ बालकों को आरंभ में प्रकृति, मानव और आसपास के ग्रामीण वातावरण के प्रत्यक्ष संपर्क में रखना चाहते हैं ताकि इनसे प्रेरणा ग्रहण करके, वे बाह्य सुझावों को समझना सीखें और उनके प्रति प्रतिरोध करने की क्षमता उनमें उत्पन्न हो। उपर्युक्त दोनों प्रकार के दोष पाश्चात्य जगत में पाये जाते हैं और पाश्चात्य प्रणाली का अनुसरण करने के कारण हमारी शिक्षण-पद्धति में भी आ गये हैं। इनका हमें भरसक निराकरण करना चाहिए।

शिक्षण-प्रक्रिया में खेल के माध्यम से आरंभ में बालकों की मूल प्रवृत्तियाँ और उद्देश्य प्रशिक्षित हो जाते हैं और उनमें कुछ अंशों में सहयोग की भावना जाग्रत हो जाती है। पर कुछ समय बाद खेल की प्रक्रिया में ही शिक्षक और छात्र के सम्मुख नैतिक और भावात्मक समस्याएँ उपस्थित होती हैं। रवीन्द्रनाथ कहते हैं कि साथ-साथ मिलकर रहने की कला केवल कोरे शिक्षा-दर्शन विषयक उपदेश से नहीं सीखी जा सकती है। खेल से

प्रयोजनपूर्ण कार्यों की ओर अवस्थान के संक्रमण-काल में जो नैतिक समस्याएँ उपस्थित होती हैं उन्हें बालक को स्वयं सुलभाना चाहिए। शिक्षक का कार्य उन समस्याओं के समाधान में केवल मार्ग निर्देश करना है। मार्ग निर्देशन की सबसे उत्तम विधि है बालक के कार्य-विशेषकर शारीरिक श्रम संबंधी कार्य—में शिक्षक स्वयं भी भाग लें। कारण यह है कि सभी कार्यों के पीछे (जो अब खेल नहीं हैं) कोई-न-कोई प्रयोजन अवश्य होता है। बालक की नैतिक समस्याओं के समाधान में यही 'प्रयोजन' सहायता करता है न कि शिक्षक। वास्तविकता यह है कि बालक के दैनिक कार्य उनके सामने नैतिक समस्याओं को ठोस कठिनाई के रूप में उपस्थित करते हैं और बालक से समाधान की माँग करते हैं। इसी समाधान की प्रक्रिया में बालक व्यावहारिक रूप से जीवन में नैतिक सिद्धांतों का मूल्य जान लेते हैं।

सविचार प्रशिक्षण—इस प्रकार खेल और काम तथा दिवा-स्वप्न एवं प्रयोजनपूर्ण संयोग के द्वारा विकास करके बालक किशोरावस्था में प्रवेश करता है। इस अवस्था में बालक को शिक्षा की आवश्यकता है, अतः उसका बौद्धिक प्रशिक्षण करके ज्ञान की प्राप्ति करानी चाहिए। विभिन्न विषयों का ज्ञान देते समय मुख्य बात जो ध्यान में रखनी चाहिए वह यह है कि तथ्य बालकों को इस प्रकार दिए जायें जो 'उनके मन में आंदोलन' खड़ा कर दें, उनकी विचार-शक्ति को उत्तेजित करें और वह उन्हें और अधिक समझने की चेष्टा करें। इस संबंध में रवीन्द्रनाथ ने लिखा है, शब्द का अर्थ समझना ही बड़ी बात नहीं है। "शिक्षा का सबसे बड़ा अंग 'समझा देना' नहीं, बल्कि 'मन-पर आघात करना' है। उस आघात के भीतर जो चीज बज उठती है, किसी बालक से यदि उसकी व्याख्या करने को कहा जाय, तो वह जो कुछ कहेगा वह महज लड़कपन जैसी ही कोई चीज होगी। किन्तु जो बात वह मुँह से कहता है उससे उसके मन में ध्वनित कहीं ज्यादा होता है। जो लोग विद्यालय की शिक्षकता करके केवल परीक्षा द्वारा ही संपूर्ण फल निर्यय करना चाहते हैं वे इस चीज की कोई खबर ही नहीं रखते।"† इस कथन को उन्हीं के जीवन के कई अनुभवों से भली-भाँति समझा जा सकता है। 'जीवन स्मृति' में उन्होंने लिखा है कि 'बचपन में बहुत-सी बातें मेरी समझ में नहीं आती थीं, किन्तु वे मेरे मन में आंदोलन खड़ा कर देती थीं।' "बचपन में जब कि मैं अंग्रेजी कुछ नहीं जानता था तब बहुत-सी तस्वीरों वाली एक किताब 'ओल्ड क्युरिओसिटी शॉप' लेकर मैंने शुरू से आखीर तक पढ़ डाली थी। उसका मैं पन्द्रह-आना हिस्सा नहीं समझ सका था, अत्यन्त अस्पष्ट छाया-जैसी कोई चीज मन में बनाकर, नाना रंगों के छिन्न सूत्रों में गाँठ बाँध कर, उसी से मैंने अपने मन में तस्वीरों को गूँथ लिया था। मैं किसी परीक्षक के हाथ पड़जाता तो एक बड़ा शून्य पाता, इसमें संदेह नहीं, किन्तु मेरे लिए वह पढ़ना उतना बड़ा शून्य नहीं हुआ।" रवीन्द्र-

† 'रवीन्द्र-साहित्य', भाग १८, पृष्ठ ५१

नाथ के अनुसार सब कुछ समझ जाना ही नहीं बरन तत्वों का आभास पाना ही बालक की ज्ञान-वृद्धि लिये श्रेयस्कर है। यही कारण है कि हमारे देश में प्राचीन काल में कथक कहानियों में बड़े-बड़े संस्कृत के शब्द उपयोग करते या ऐसी तत्वकथाएँ लिखते जिन्हें श्रोतागण पूर्णरूप से समझ नहीं पाते थे, केवल उनका आभास पाते थे। इस आभास की प्राप्ति मात्र ही बालक के लिए महत्वपूर्ण है। कारण, 'अन्तरात्मा के अन्तः-पुर में जो काम चल रहा है, बुद्धि के क्षेत्र में हर वस्तु उसका संवाद आकर नहीं पहुँचता।' रवीन्द्रनाथ का यह सिद्धांत आदर्शवादी शिक्षण पद्धति के सर्वथा अनुकूल है क्योंकि इसके अनुसार शिक्षक का कार्य बालक को एक संशय (Suspense) की स्थिति में ला देना मात्र है, बालक के लिए सब कुछ सरल बना देना नहीं। ज्ञान-प्राप्ति के लिए बालक को स्वतः क्रियाशील होना है।

रवीन्द्रनाथ बालक को संसार का पीढ़ियों दर पीढ़ियों द्वारा सभी क्षेत्रों में अर्जित ज्ञान प्रदान करना अवश्य चाहते हैं पर इस ज्ञान को देने की विधि में परिवर्तन चाहते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में वह वस्तु-पाठ और प्रकृति-अध्ययन (Nature Study) पर बल देते हैं। वह विज्ञान के ज्ञान को केवल शिक्षक के मौखिक रूप से दिये गए व्याख्यान या केवल लेबोरेटरी में किये गये कार्य के आधार पर नहीं देना चाहते, बरन् सजीव प्रकृति के संपर्क एवं अध्ययन के रूप में। वह पाठ द्वारा केवल बौद्धिक प्रशिक्षण तथा खेल द्वारा केवल शारीरिक प्रशिक्षण में ही विश्वास नहीं करते बरन् बौद्धिक ज्ञानार्जन का हस्त-कार्यों के साथ समन्वय करना चाहते हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह अपने आश्रम में तरह-तरह की उपयुक्त योजनाओं (Projects) की खोज, संचालन और पूर्ति के लिए आतुर रहते थे। सार रूप में सभी प्रकार का ज्ञान बालक की रुचि के आधार पर उसे प्रदान किया जाना चाहिए। बालक की विशेष क्षमता का आदर करना चाहिए। यही कारण है कि उन्होंने शांतिनिकेतन में विभिन्न विषयों के ज्ञान के लिए विभिन्न विभागों का आयोजन किया और विद्यार्थी को यह सुविधा प्रदान की कि वह अपनी रुचि अनुसार जिस विभाग में चाहे उसमें अध्ययन कर सकता है।

रवीन्द्रनाथ वर्तमान शिक्षा पद्धति से संतुष्ट नहीं हैं। स्कूलों और कालेजों में दी गई शिक्षा बालक आजीवन आत्मसात नहीं कर पाते। जबर्दस्ती लादा हुआ ज्ञान वे शीघ्र ही भूल भी जाते हैं। तथ्य यह है कि उनकी बुद्धियों को बिल्कुल ही प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। पुस्तकें भी जो प्रयोग की जाती हैं उनका वास्तविक जीवन से अधिक संबंध नहीं होता। आज की शिक्षण-पद्धति की सब से बड़ी कमी यह है कि अधिकतर बालक तथ्यों एवं सिद्धांतों को रट लेते हैं, उन्हें समझते नहीं; कुछ व्यक्ति यदि किसी विषय का विशेष ज्ञान प्राप्त भी कर लेते हैं तो उनका ध्यान केवल ज्ञान के एक पक्ष तक ही सीमित रहता है, इसके अतिरिक्त यदि कुछ व्यक्ति सब विषयों का ज्ञान ग्रहण भी कर लेते हैं तो उनका ज्ञान व्यावहारिक नहीं होता; रवीन्द्रनाथ मन की तीनों शक्तियों का

विकास चाहते हैं। वह ज्ञान, प्रेम और क्रिया में सह-संबंध स्थापित करना चाहते हैं। यही कारण है कि रवीन्द्रनाथ खल द्वारा उद्वेगों के प्रशिक्षित होने और निकट के वातावरण से समाश्रित हो जाने तथा विभिन्न विषयों का ज्ञान ग्रहण कर लेने में ही शिक्षा की समाप्ति नहीं स्वीकार करते। वह विषयों के ज्ञान के साथ-साथ संगीत कला आदि द्वारा बालक के संवेगों को स्थिर करना चाहते हैं। इसके उपरांत वह बालक को राष्ट्र को आर्थिक और सामाजिक वास्तविक परिस्थितियों से व्यावहारिक रूप में परिचित कराना चाहते हैं; तत्पश्चात् विदेशी संस्कृतियों और उनके विभिन्न जीवनादर्शों से। इस प्रकार बालक को एक सफल नागरिक एवं विश्वनागरिक बनाने की क्षमता उनकी शिक्षा-व्यवस्था में निहित है।

शिक्षण का केन्द्र : संपूर्ण जीवन—शिक्षा के मुख्य तीन अंग हैं—शिक्षक, पाठ्य-विषय तथा शिक्षार्थी। शिक्षा-इतिहास पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि शिक्षण-प्रक्रिया में किसी न किसी अंग को एक समय पर प्रधानता मिलती रही। प्राचीन काल में हमारे देश में गुरु तथा उसका आध्यात्मिक अनुभव शिक्षण का केन्द्र माना जाता था और शिक्षा के अन्य अंगों को उसी के अनुरूप होना पड़ता था। फिर संसार भर में पाठ्य-विषयों को प्रधानता मिली। बालक की रुचि की उपेक्षा करके विषयों का अध्ययन अनिवार्य माना गया। आजकल बालमनोविज्ञान की प्रगति के कारण शिक्षा का केन्द्र बालक, उसकी रुचियाँ और अनुभव माना गया है। रवीन्द्रनाथ इन तीनों में से किसी भी अंग पर बल देने के पक्ष में नहीं हैं। कारण, ऐसा करने से साम्यता नष्ट हो जावेगी। शिक्षण का केन्द्र ऐसा होना चाहिए जिसमें इन तीनों को यथास्थान प्राप्त हो सके। वह केन्द्र है 'जीवन'; किसी विशेष बालक का जीवन नहीं और न मानव-जीवन के किसी विशेष पक्ष से संबंधित जीवन, वरन् जीवन अपने समग्र रूप में अर्थात् 'संपूर्ण' जीवन जो अपने श्रेष्ठतम एवं उत्कृष्ट रूप में अध्यापक और छात्र को मिलकर जीना है। 'संपूर्ण जीवन' को शिक्षण का केन्द्र मानने से शिक्षा के विभिन्न अंगों में, ज्ञान के विभिन्न पक्षों में अथवा विभिन्न विषयों में स्वभावतः सह-संबंध स्थापित हो जाता है। शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति तब तक असंभव है जब तक शिक्षा का केन्द्र बालक का 'संपूर्ण जीवन' नहीं माना जायगा। 'संपूर्ण जीवन' के लिए बालकों में रुचियों के जाग्रत करने में ही शिक्षा की सफलता एवं सार्थकता है। उन सभी ज्ञानों, सभी सूचनाओं एवं सामाजिक प्रयोजनों की उपेक्षा की जानी चाहिए जो आध्यात्मिक जीवन की प्रेरणा से संयुक्त नहीं हैं। शिक्षक एक कलाकार है। वह बालक के जीवन का निर्माता है, उसे बालक के संपूर्ण जीवन का निर्माण करना चाहिए। पाठशाला को कुछेक कार्यों का स्थल नहीं होना चाहिए वरन् संपूर्ण जीवन से संबंधित कार्यों का। पाठ्यक्रम का लक्ष्य होना चाहिए बालकों को व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन के अभिव्यक्तीकरण के लिए अवसर प्रदान करना। बालक को कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं ग्रहण करना चाहिए जो

उसके सामूहिक जीवन के रूप में उसकी कुशलता या प्रसन्नता में बाधा पहुँचाता हो। अतः पाठशालाओं में वातावरण की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। शिक्षण-पद्धति का उद्देश्य होना चाहिए बालकों को नित्यप्रति के दैनिक जीवन का कार्यक्रम निर्धारित करने और मिलकर रहने में सहायता प्रदान करना, ताकि वे सब आनन्दपूर्वक सफल जीवन व्यतीत कर सकें।

एकता का सिद्धांत—शिक्षा-दर्शन के क्षेत्र में रवीन्द्रनाथ की मुख्य देन यह है कि उन्होंने सत्य की एकता (Unity of truth) और विचार की एकता (Unity of thought) पर विशेष बल दिया है। उनकी शिक्षा योजना में संपूर्णता एवं एकता के सिद्धान्त निहित हैं और वास्तव में उन्होंने इन सिद्धांतों को शान्तिनिकेतन तथा श्रीनिकेतन में व्यावहारिक रूप प्रदान किया। उन्होंने प्रकृति को बालक के विकास में एकसूत्रता लाने वाली शक्ति माना है। प्रकृति के कई रूप हैं, अतः उन्होंने उन सबको क्रमवद्ध किया है। बालक के लिए प्रकृति परात्मात्म (Super-personal) की वृद्धि और विकास का अचेतन संकेत है जिसके संबंध में किसी प्रकार का प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है। वह बालक के स्वप्न और क्रीड़ा के लिए पृष्ठभूमि के रूप में सदैव प्रस्तुत रहती है। किशोरों के लिए वही प्रकृति वैज्ञानिक या लयात्मक जिज्ञासा (Lyrical Curiosity) का विषय बन जाती है। हमें प्रकृति के इन दोनों पक्षों पर बालक को शिक्षा देते समय ध्यान देना चाहिए। बाल्यावस्था और किशोरावस्था को पार कर चुकने वाला प्रौढ़ प्रकृति को मिट्टी के रूप में देखता है, जिसके ऊपर राष्ट्र और देशवासियों का विकास हुआ है और जो मनुष्य के आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए पृष्ठभूमि के रूप में है। अतः प्रकृति वह केन्द्र स्थल है जहाँ मनुष्य को रुचियाँ और आकांक्षाएँ आकर मिलती हैं। रवीन्द्रनाथ के अनुसार प्रकृति का जो ज्ञान प्रयोगशालाओं में प्राप्त किया जाता है, वह अकेले पर्याप्त नहीं है; वरन् जब हमारे मन के ज्ञानात्मक और क्रियात्मक पक्ष में संबद्धता स्थापित हो जाती है, अर्थात् जब हम प्रकृति को केवल जानते ही नहीं वरन् उसके अनुरूप जीवन व्यतीत करते हैं, तभी हम विशाल और गहन स्वतंत्रता की प्राप्ति करते हैं। 'यह स्वतंत्रता उसी को प्राप्त होती है, जो जंगल के वृक्ष की भाँति संघर्ष में आत्म-संतोष प्राप्त करता है और बाल्यावस्था के धुँधले स्वप्नलोक से क्रमशः प्रौढ़ता के स्पष्ट प्रकाश की ओर अग्रसर होता है।'† स्वतंत्रता स्वच्छंदता नहीं है। वास्तविक स्वतंत्रता विश्व को केवल जानने-मात्र में नहीं है, वरन् उससे समरस होने में, उससे एकरस होने में है। 'प्रेम और क्रिया' के माध्यम से ही पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है।।

रवीन्द्रनाथ और फ्राँबेल—रवीन्द्रनाथ को श्रेय है कि उन्होंने फ्राँबेल की भाँति

† The Visva-Bharati Quarterly, May-Oct., 1947, p. 37

शिक्षा के क्षेत्र में खेल, आनंद, स्वतंत्रता, आत्म-रचनात्मक अभिव्यक्ति, एकता आदि पारि-भाषिक शब्दों को प्रविष्ट किया है और सभी प्रकार के ज्ञान में समन्वय और संबद्धता स्थापित करने का प्रयत्न किया है। फ्रॉबेल की भाँति उन्होंने भी उन स्तरों का वर्णन किया है जिनसे होकर बालक प्रौढ़ता प्राप्त करता है—सर्वप्रथम वातावरण के प्रति-बालक के संवेगों की अनुकूलता, तत्पश्चात् बुद्धि की शिक्षा और प्रशिक्षण तथा अंत में अपनी व्यक्तिगत पृथकता को जानते हुए, अपने समाज तथा मानव-समाजों के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को समझते हुए मानव-जाति में सूत्रबद्धता स्थापित करना।

यहाँ हमें यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यद्यपि दोनों का लक्ष्य एक ही है अर्थात् एकता की प्राप्ति, तथापि दोनों की शिक्षण-विधियों में महान अंतर है। फ्रॉबेल जड़ जगत् से 'उपहार' और 'व्यापार' को ईश्वर के प्रतीक रूप में स्वीकार करके, उनके सहारे से ईश्वर की एकता का बोध बालक को कराना चाहता है। इससे भिन्न रवीन्द्रनाथ स्पष्ट घोषणा करते हैं कि 'जो अंतर में हैं, उन्हें अंतर में ही जानो।' बाह्य उपादान उसकी प्राप्ति को और अधिक दुर्गम बना देते हैं। वास्तविकता यह है कि फ्रॉबेल के नाना प्रकार के 'उपहार' और 'व्यापार' द्वारा बालक ऐंद्रियिक ज्ञान तो अवश्य किसी मात्रा तक ग्रहण कर लेता है, परन्तु उनके पीछे रहस्य को न समझने के कारण एकता का बोध प्राप्त करने में असफल रहता है।

फ्रॉबेल, रवीन्द्रनाथ की भाँति ही, वैयक्तिक और जातीय विकास में विश्वास करता है, पर वह यह बताने में अक्षम है कि व्यक्ति अपना भावी विकास किस प्रकार करे। इसका कारण यह है कि "फ्रॉबेल ईश्वर को एक अमूर्त सिद्धांत—एकता के रूप में स्वीकार करता है, परन्तु टैगोर ईश्वर को विश्व-पुरुष के रूप में मानते हैं, जो कि यथार्थ के अधिक समीप है तथा मानव-मन एवं जीवन के सभी अंगों को स्पर्श करने वाला है। '...वे आत्मिक संसार को इस संसार से पृथक् नहीं मानते, बल्कि इस संसार का ही अंतरतम सत्य मानते हैं।'[†] अतः रवीन्द्रनाथ ब्रह्म की मानव और प्रकृति में अभिव्यक्ति मानने के कारण, व्यक्ति के विकास का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। रवीन्द्रनाथ के अनुसार व्यक्ति का विकास उपदेश द्वारा संभव नहीं, वरन् एक विशिष्ट वातावरण में जीवन-यापन द्वारा ही संभव है। व्यक्ति का आत्मिक विकास प्राकृतिक सौंदर्य एवं परिवारिक भावना से पूर्ण आश्रम में निवास, नियम-संयम का जीवन, ललित कलाओं के माध्यम से कलात्मक भावनाओं के अभिव्यक्तीकरण, पास-पड़ोस के मानवीय समाज से संबंध और उसकी सेवा, तथा विश्व की विभिन्न संस्कृतियों में 'अनेकता में एकता' के सिद्धांत के आधार पर समन्वय तथा मानवता से प्रेम द्वारा ही

† लक्ष्मी लाल के० ओड : रवीन्द्रनाथ ठाकुर का शिक्षा-दर्शन, 'शिक्षा', जुलाई, १९५७ पृष्ठ २३

संभव है। निष्कर्ष रूप में, समस्त सृष्टि से समरस होकर ही व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकेगा।

तथ्य यह है कि ब्रह्म के त्रिविध स्वरूप—‘सत्य’, ‘ज्ञान’ और ‘अनंत’ के अनुरूप ही मनुष्य की जो तीन दिशाएँ हैं, ‘मैं हूँ’, ‘मैं जानता हूँ’ और ‘मैं व्यक्त करता हूँ’, उनको केवल मनुष्य के जीवन में व्यक्तिगत स्तर पर ही क्रियान्वित नहीं होना चाहिए, वरन् सामाजिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी। कारण, व्यक्तिगत स्तर पर कार्य करने से वह व्यक्ति को स्वार्थी बना देती है और व्यक्ति अपने सत्य-रूप से दूर हटता चलता है। यदि व्यक्ति ‘एकता’ का बोध प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपनी तीनों दिशाओं को ब्रह्म के स्वरूप में समस्वर करना होगा। यह कैसे संभव है? ‘मैं हूँ’ का वास्तविक रूप तभी विकसित होगा जब व्यक्ति समझेगा कि ‘आरों की स्थिति में ही मेरी स्थिति है’। ‘मैं जानता हूँ’ का वास्तविक रूप केवल अपने दैहिक अस्तित्व को बनाये रखने वाले उपादानों को जानना-मात्र नहीं है, वरन् ‘अपनी ज्ञानमय प्रकृति के साथ संगति रखकर ज्ञान-विज्ञान को जानना ही यथार्थ जानना है’। इसी प्रकार ‘मैं व्यक्त करता हूँ’ का वास्तविक रूप तभी प्रदर्शित होगा जब व्यक्ति अपने वास्तविक अस्तित्व अर्थात् ‘अन्यों की स्थिति में अपनी स्थिति’ की अनुभूति करके, अपनी ज्ञानमय प्रकृति से एकाकार स्थापित करके, इसी ज्ञान को अपने विविध कार्यों में अभिव्यक्त करता है। वह कार्य हैं—विभिन्न प्रकार की सेवाएँ और त्याग। व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को जानकर, जब आनन्दमय हो उठता है तो वह अपने भावों को नाना प्रकार की ललित कलाओं के माध्यम से व्यक्त करता है। ‘असोमता बोध’ ही ‘एकता’ अथवा ‘अद्वैतः’ की प्राप्ति का साधन है।

जीवन-दर्शन पर आधारित संस्थाएँ

रवीन्द्रनाथ विश्वविद्यालयों को ज्ञान और विद्या के ऋय-विक्रय अथवा यांत्रिक प्रसार का केन्द्र नहीं मानते हैं। उनके विचार में विश्वविद्यालय ऐसे स्थल हैं, जिनके माध्यम से मनुष्य अपनी मानसिक संपत्ति दूसरों को देने में समर्थ होता है। इसके साथ ही मानवता की सेवा तथा विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और मानव-समूहों के बीच के विभेदों को दूर करने तथा उनमें समन्वय स्थापित करने की दृष्टि से उन्होंने विश्वभारती की स्थापना की कल्पना की। इन्हीं आदर्शों को लेकर विश्वभारती की स्थापना के निम्नांकित उद्देश्य माने गये—

(१) सत्य के विभिन्न पक्षों का साक्षात्कार करने में मानव-मन का अनेक दृष्टि-कोणों से अध्ययन करना।

(२) अतर्निहित एकता के आधार पर पूर्व की विभिन्न संस्कृतियों का सहिष्णु पूर्वक अध्ययन, खोज तथा उनमें घनिष्ठ संबंध की स्थापना।

(३) प्राच्य जीवन और विचारों को दृष्टि में रखते हुए पाश्चात्य विचारधारा से समन्वय-स्थापन ।

(४) पाश्चात्य और प्राच्य विचारों में संगति स्थापित करके विश्वशांति के लिए मौलिक स्थितियों को सुदृढ़ बनाना तथा दोनों का आदान-प्रदान करना । इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर एक सांस्कृतिक केन्द्र के रूप में शांतिनिकेतन की स्थापना हुई और वहाँ साहित्य, धर्म, इतिहास, विज्ञान, कला, बौद्ध, हिंदू, जैन, इस्लाम, ईसाई और सिक्ख आदि धर्मों के अध्ययन की व्यवस्था की गयी । इन विभिन्न धर्मों तथा संस्कृतियों के अध्ययन, इनमें सहकारिता और सहचिंतन की भावना का प्रारंभ किया गया । जाति, धर्म, वर्ण आदि के भेदों के परे एक परमसत्ता के नाम पर पाश्चात्य और प्राच्य विद्वानों तथा चिंतकों को विचार-विनिमय करने का अवसर प्रदान किया गया । रवीन्द्र नाथ ने विश्वभारती में शिक्षा के लिए एक उचित वातावरण की सृष्टि की, जिसमें छात्रों की क्षमताओं का सम्यक् विकास हो सके ।

भारत सरकार ने विश्वभारती को एक अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय का रूप दे दिया है जिसमें निम्नांकित विभाग शिक्षा, धर्म, संस्कृति और कला के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं—

(१) पाठभवन, (२) शिक्षाभवन, (३) कलाभवन, (४) संगीतभवन, (५) विनयभवन, (६) शिल्पभवन, (७) श्रीनिकेतन, (८) हिंदीभवन और (९) चीनाभवन ।

विश्वभारती के अंतर्गत शांतिनिकेतन और श्रीनिकेतन सांस्कृतिक और ग्रामीण विषयों के अध्ययन के मुख्य केन्द्र हैं । विश्वभारती की मुख्य विशेषता है शिक्षा के लिए उपयुक्त वातावरण प्रस्तुत करना तथा रचनात्मक अभिव्यक्ति एवं कार्य-कलापों के लिए अवसर प्रदान करना । यहाँ छोटे बच्चों, बड़े बच्चों, युवक छात्रों और शोध-विभाग के छात्रों के लिए अलग-अलग छात्रावास हैं और महिलाओं के लिए अलग छात्रावास है । यहाँ विद्यार्थियों को खुले मैदानों में शिक्षा दी जाती है और उनके व्यक्तित्व के विकास पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है । यहाँ का पाठ्यक्रम इतना व्यापक बनाया गया है कि उसमें बालक की विभिन्न रुचियों के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था की गयी है । बालक के पूर्ण विकास के लिए उसके व्यक्तिगत और सामाजिक विकास, दोनों का पूर्ण ध्यान रखा जाता है । बालकों को आसपास के दीन-दुखी लोगों के संपर्क में आने और उन्हें जीवन के विविध पक्षों का अनुभव प्राप्त करने का अवसर दिया जाता है । इस प्रकार विश्वभारती को भारत में एक नये जीवन का प्रारंभ करने वाली शिक्षा-संस्था के रूप में देखा जा सकता है, जिसकी स्थापना में कविगुरु रवीन्द्रनाथ के शिक्षा-संबंधी आदर्श साकार रूप प्राप्त कर सके हैं ।



रूप न में रहते समय गांधीजी ने एडविन अर्नाल्ड द्वारा किया गया गीता का अनु-
 उन्त्थार्थ जिससे गीता की दिव्यता पर उनकी श्रद्धा बढ़ी। गांधीजी ने बैरिस्टरी की तैयारी
 कि गानु- अन्य महत्त्वपूर्ण पुस्तकों का अध्ययन भी किया। उनका संपर्क डॉ० एनीबेसेंट
 लगेगाजी थियोसोफिस्ट लोगों से भी हुआ। इसी समय उन्होंने बुद्ध-चरित (Light of
 तीर्थों प्रौर बाइबिल का अध्ययन किया। इन तीनों पुस्तकों ने उनके जीवन और
 इन्होंने अत्यधिक प्रभावित किया। इनके अध्ययन के सारतत्व के रूप में वह इस
 नि सि थेर पहुँचे कि 'त्याग में ही धर्म' है। १० जून, सन् १८९१ ई० को बैरिस्टर होकर
 इन्होंने भारत के लिए प्रस्थान किया। गांधीजी जब बंबई पहुँचे तब इनके मित्र
 डा० मेहता ने गुजरात के कवि-दार्शनिक श्री रायचंद भाई से इनका परिचय कराया।
 रायचंद भाई सत्य और अहिंसा की मूर्ति थे। गांधीजी को उनसे धार्मिक प्रेरणा प्राप्त
 हुई और आगे भी वह समय-समय पर धर्म-विषयक शंकाओं के निवारण के लिए उनसे
 परामर्श करते रहे।

दक्षिण अफ्रीका की यात्रा—गांधीजी बैरिस्टर तो हो गये, किंतु स्पष्ट ढंग से बोलने,
 निर्भकता से तर्क करने और न्यायालय में अपने पक्षको उपस्थित कर सकने का अभ्यास
 उन्हें नहीं था। अतः मित्रों की राय से, बंबई हाईकोर्ट में जाकर कुछ दिनों तक अनु-
 भव प्राप्त करने का उन्होंने निश्चय किया। बंबई पहुँचकर गांधीजी ने कानून का अध्ययन
 और भोजन का प्रयोग, दोनों को साथ-साथ चलाया। कानून के पेशे में उन्हें विशेष सफलता
 नहीं मिल सकी और वह पाँच-छः मास बाद पुनः राजकोट चले आये। राजकोट आकर
 इन्होंने अपनी वकालत का कुछ सिलसिला जमाया ही था कि सेठ अब्दुल्ला की फर्म के
 एक हिस्सेदार ने एक मुकदमे के संबंध में इन्हें दक्षिण अफ्रीका बुलाया। अतः अप्रैल
 सन् १८९३ ई० में गांधीजी दक्षिण अफ्रीका चले गये।

दक्षिण अफ्रीका में गांधीजी को अनेक कठु अनुभव प्राप्त हुए। प्रवासी भारतीयों
 को वहाँ नानाप्रकार से पीड़ित और अपमानित किया जाता था। रंग-भेद के आधार पर
 ऐसे कानून बनाये गये थे जिनसे द्विवश होकर प्रवासी भारतीय दक्षिण अफ्रीका छोड़ दें।
 उन्हें ट्रेन में उच्च श्रेणी में यात्रा करने, सड़क की पटरी पर चलने आदि के अनेक
 अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। भारतीय होने के कारण स्वयं गांधीजी को कई
 बार अपमानित होना पड़ा। एक बार यह सेठ अब्दुल्ला के फर्म के मुकदमे के बारे में
 डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। इनके पास प्रथम श्रेणी का टिकट था फिर भी इन्हें
 ट्रेन से उतार दिया गया, इनका सामान फेंक दिया गया और रात भर यह शीत में ठिठु-
 रते रहे। इस घटना ने इन्हें न केवल भारतीयों वरन् मानवता के प्रति कर्तव्य का बोध
 कराया और इसी दिन से इनकी सक्रिय अहिंसा का प्रारंभ हुआ। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका
 के प्रवासी भारतीयों को तत्कालीन परिस्थिति से परिचित कराया और अपने अधिकारों
 की रक्षा के लिए सचेत किया। इन्होंने जाति-धर्म की भेद-भावना को दूर करके समस्त

भारतीयों को संगठित होने के लिए आह्वान किया। गांधीजी के इस प्रयत्न के फलस्वरूप एक मसजद की स्थापना हुई जिसके द्वारा गांधी जी ने भारतीयों के कष्टों के निवारण सरकारी अधिकारियों से पत्र-व्यवहार किया। अधिकारियों ने भारतीयों के प्रति सहभूति प्रकट की, उनके कष्टों को दूर करने की माँग को न्यायोचित माना और गांधी को इस दिशा में थोड़ी सफलता भी प्राप्त हुई।

दक्षिण अफ्रीका में अन्य कार्यों के साथ-साथ, गांधी जी के धार्मिक विचारों का भी चलता रहा। उनके मुसलमान व ईसाई मित्र उन्हें अपने धर्म में लाना चाहते। इस स्थिति में धर्म का वास्तविक रूप जानने के लिए उन्होंने बाइबिल और कुरान का अध्ययन किया; मैक्समूलर-कृत 'भारत क्या सिखाता है?' तथा उपनिषदों के अनुवाद को भी उन्होंने पढ़ा। इस संबंध में उन्होंने रायचंद भाई से पत्रों के द्वारा कई बार विचार विमर्श किया। रामचंद भाई के पत्रों से उनके मन में हिन्दू धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़ी, किंतु साथ ही, अन्य धर्मों के प्रति उनके मन में सहिष्णुता का संचार हुआ। टॉलस्टॉय की पुस्तक 'द किंगडम ऑफ़ गॉड इज़ विदिन यू' के अध्ययन का भी गांधीजी के ऊपर विशेष प्रभाव पड़ा। रायचंद भाई से अहिंसा और टॉलस्टॉय से प्रेम का पाठ उन्होंने पढ़ा। टॉलस्टॉय से हस्तकौशल या व्यवसाय के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने का विचार भी ग्रहण किया, जिसे भविष्य में उन्होंने अपनी शिक्षा-योजना का प्रमुख अंग बनाया।

सेठ अब्दुला की फर्म के जिस मुकदमे के संबंध में गांधीजी दक्षिण अफ्रीका गये थे उसका निर्णय हो जाने पर वह भारत वापिस लौटने की तैयारी करने लगे। किंतु इसी समय उन्हें ज्ञात हुआ कि प्रवासी भारतीयों को नेटाल की काउंसिल के लिए सदस्य निर्वाचित होने के अधिकार से वंचित करने के लिए एक बिल पेश हो रहा है। अतः भारतीयों के अधिकारों की रक्षा के लिए उन्हें वहाँ रुकना पड़ा। असेम्बली में इस बिल पर जब वाद-विवाद चल रहा था तभी गांधीजी ने बिल के विरोध में, भारतीयों से हस्ताक्षर करा के एक आवेदन-पत्र भेजा। यद्यपि इस आवेदन-पत्र पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया और वह बिल स्वीकृत भी हो गया फिर भी इस काम से भारतीयों में नयी जागृति उत्पन्न हुई। यह पहला अवसर था जब प्रवासी भारतीयों ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संगठित होकर प्रयास किया था। इस बिल के विरोध में आंदोलन जारी रखने के लिए गांधीजी ने सन् १८९४ ई० में 'नेटाल इंडियन कांग्रेस' की स्थापना की। इसी वर्ष दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने प्रत्येक गिरमिटिया भारतीय (गिरमिटिया पाँच वर्ष का अनुबंध-पत्र लिखकर दक्षिण अफ्रीका में मजदूरी करने जाता था) पर पच्चीस पाँड वार्षिक कर लगाने के नानून का मसविदा तैयार किया। नेटाल काँग्रेस ने गांधीजी के नेतृत्व में इस कर का विरोध किया जिसके फलस्वरूप सरकार ने पच्चीस पाँड के स्थान पर कर को घटा कर तीन पाँड कर दिया। कांग्रेस को यह तीन पाँड का कर भी अन्यायपूर्ण प्रतीत हुआ और उसने निश्चय किया किसी न किसी दिन इस कर को भी हटाना है।

गांधीजी के दक्षिण अफ्रीका में इस प्रकार समाज-सेवा में तन्मय होने का कारण उनकी आत्म-साक्षात्कार की प्रवृत्ति थी। उन्होंने सेवा-धर्म इसीलिए स्वीकार किया था कि 'ईश्वर की पहिचान सेवा से होगी।' प्रवासी भारतीयों को अधिकार दिलाने में समय लगेगा इस कारण अपने कुटुंब को लेने तथा भारत में दक्षिण अफ्रीका के प्रवासी भारतीयों के पक्ष में जनमत तैयार करने के विचार से गांधीजी भारत आये। यहाँ आकर उन्होंने लोकमान्य तिलक, गोखले आदि भारतीय नेताओं से भेंट की और दक्षिण अफ्रीका की स्थिति का परिचय उन्हें दिया। इसी बीच दक्षिण अफ्रीका से एक तार आया जिसके अनुसार गांधीजी अपने कुटुंब के साथ सन् १८९७ ई० में फिर दक्षिण अफ्रीका लौट गये। जहाज़ से उतरने पर गोरों की उत्तेजित भीड़ ने उन पर हमला किया और उन्हें अपमानित करने का कोई भी प्रयत्न शेष नहीं रखा, किन्तु गांधीजी धैर्य पर अटल रहे। हमला शांत होने पर वह डरबन में उतरे।

बोअर युद्ध; फ़िनिक्स आश्रम की स्थापना

दक्षिण अफ्रीका में अहिंसात्मक प्रतिकार द्वारा भारतीयों के पक्ष का समर्थन करके गांधीजी अंग्रेजों का विरोध अवश्य कर रहे थे किन्तु जब-जब अंग्रेजों पर विपत्ति आयी, उन्होंने उनकी सहायता भी की। यह कार्य उनकी अहिंसात्मक नीति के सर्वथा अनुकूल था। सन् १८९९ ई० में जब बोअर युद्ध आरंभ हो गया तब गांधीजी ने यथाशक्ति अंग्रेजों की सहायता की। उन्होंने रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा आहतों की सेवा-सुश्रूषा की। बोअर युद्ध समाप्त होने के पश्चात् सन् १९०१ ई० में, नेटाल में मि० खान और मि० मनसुखलाल नाज़र को कांग्रेस का कार्य सौंप कर और आवश्यकता पड़ने पर पुनः आने का आश्वासन देकर गांधीजी भारत आये। यहाँ आकर उन्होंने देश की स्थिति का अध्ययन किया और बम्बई में अपनी वकालत शुरू की ही थी कि उन्हें दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह-आंदोलन को जारी रखने के लिए पुनः वापस लौटना पड़ा। उन्होंने अपने परिवार को भारत में ही छोड़ दिया। सन् १९०४ ई० में गांधीजी ने अहिंसात्मक संघर्ष को तीव्र करने के लिए 'इंडियन ओपिनियन' नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। इस पत्रिका के संचालन-प्रकाशन में व्यय अधिक होता था, अतः कम व्यय में उसे सुचारु रूप से संचालन करने के लिए गांधीजी ने डरबन के समीप फ़िनिक्स आश्रम की स्थापना की। इस आश्रम की स्थापना उन्होंने रस्किन की पुस्तक—'अन टू दिस लास्ट'—के आदर्शों पर की, जिसका अध्ययन गांधीजी ने हाल में ही किया था। इस पुस्तक के संबंध में गांधीजी ने लिखा है, 'मेरे जीवन में यदि किसी पुस्तक ने तत्काल महत्त्वपूर्ण परिवर्तन कर डाला तो यह वही पुस्तक है।' बाद में गांधीजी ने इस पुस्तक का अनुवाद 'सर्वोदय' के नाम से किया। फ़िनिक्स आश्रम के निवासी पवित्रता, स्वाद-संयम, स्वेच्छा से दीन जीवन व्यतीत करना, शारीरिक परिश्रम, निर्भयता, आत्म-निर्भरता और सहनशीलता आदि गुणों का पालन करते थे। वहाँ रहनेवालों के लगभग तीस बच्चे गांधीजी के आदर्शों पर

प्राप्त करते थे। बालक तीन घंटे पढ़ते, दो घंटे खेतों करते और दो घंटे प्रेस का काम करते थे। इसके अतिरिक्त यदि रात में समय मिलता तो बच्चे अपने आप पढ़ते थे। यहाँ साहित्यिक शिक्षा की अपेक्षा चरित्र-निर्माण पर विशेष बल दिया जाता था। इस प्रकार फ़िनिकस आश्रम में गांधीजी के शिक्षादर्शों को व्यावहारिक रूप प्राप्त हुआ। सन् १९०८ ई० में सबसे प्रथम गांधीजी ने अपने शैक्षिक विचारों को अपनी पुस्तक 'हिन्द-स्वराज' में प्रकट किया। उन्होंने बताया कि 'साक्षरता शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। मैकॉले द्वारा निर्धारित शिक्षा-पद्धति भारत को बंधन में ही रखेगी। अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम के रूप में हानिकारक है। प्रत्येक भारतीय को हिंदी का काम चलाऊ ज्ञान होना चाहिए।' इसके बाद गाँधीजी के शैक्षिक विचारों में अधिक परिवर्तन नहीं हुआ। गांधीजी इस आश्रम में अधिक दिनों तक नहीं रह सके, जिसका उन्हें बाद में भी दुःख रहा। कारण यह था कि वह अब तक संवैधानिक विधि से भारतीयों को अधिकार दिलाने की चेष्टा कर रहे थे, अतः जोहेनेसबर्ग में जाकर वकालत करने लगे। उन्होंने अपने परिवार को भी भारत से यहाँ बुला लिया।

जोहेनेसबर्ग का जीवन—जोहेनेसबर्ग में गांधीजी ने 'सर्वोदय' के सिद्धांतों के अनुकूल अपना जीवन व्यतीत करना आरंभ किया। उन्होंने स्वयं श्रम एवं सादगी का जीवन अपनाया और अपने बच्चों को भी इसी अनुशासन में रखा। उनके बच्चे नौकरों के साथ घरेलू कार्यों में हाथ बँटाते। अतः उनके बच्चों को कभी भी किसी प्रकार के शारोरिक श्रम में संकोच का अनुभव नहीं होता था। उन्होंने अपने बच्चों को स्वेच्छापूर्वक अनुशासन, श्रम की महत्ता, आत्म-साहाय्य और स्वच्छता की शिक्षा दी। वह अपने साथ बच्चों को भी भ्रमण के लिए दफ़्तर तक ले जाते थे और रास्ते में शिक्षाप्रद बातें भी बताते थे। सबसे बड़े पुत्र हरिलाल के सिवाय बाक़ी सब पुत्रों की शिक्षा इसी प्रकार हुई। समयाभाव के कारण गांधीजी अपने बच्चों को साहित्यिक शिक्षा न दे सके जिसका दुःख उन्हें रहा, किंतु संतोष इसी बात का था कि उनके चरित्र-गठन में किसी प्रकार की कमी नहीं रखी गयी। उन्होंने 'आत्मकथा' में लिखा है कि, "मेरी पत्नी धारणा है कि बच्चों को माँ-बाप की सूरत-शकल की विरासत जैसे मिलती है वैसे उनके गुण-दोषों की विरासत भी जरूर मिलती है।" बच्चों को अंग्रेजी की शिक्षा न देने के विषय में, गांधीजी और उनके मित्र मि० पोलक में बहस होती थी। वह उनसे सदैव यही कहा करते थे कि जो माँ-बाप अपने बच्चों से, बचपन से ही अंग्रेजी बुलवाने लगते हैं वे उनका और देश का द्रोह करते हैं। इससे बालक अपने देश के धार्मिक और सामाजिक विरासत से वंचित रहते हैं और उतने अंश में देश और जगत् की सेवा करने के कम योग्य होते हैं। गांधी जी अपने बच्चों से सदैव गुजराती में ही बात करते थे। जोहेनेसबर्ग में रहते हुए, गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन चलाने के साथ-साथ व्रत, उपवास, ब्रह्मचर्य, प्राकृतिक चिकित्सा आदि पर प्रयोग भी करते रहते थे।

सत्याग्रह; टॉलस्टॉय आश्रम

सन् १९०६ ई० में दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने 'न्यू एशियाटिक लॉ' बनाया । गांधीजी अब इस निष्कर्ष पर पहुँच चुके थे कि अफ्रीकी सरकार से वैधानिक विधि द्वारा एशियावासियों के अधिकार दिलाना कठिन है । अतः इस कानून का विरोध करने के लिए उन्होंने सामूहिक सत्याग्रह आंदोलन का सूत्रपात किया । जोहेनेसबर्ग में हजारों नर-नारी एकत्र हुए और उन्होंने अहिंसात्मक प्रतिकार की शपथ ली । अफ्रीका में रहने वाले चीनी तथा अन्य एशियायी प्रवासियों ने भारतीयों का साथ दिया । यह आंदोलन चल ही रहा था कि वहाँ की जुलू नामक आदिमवासी जाति के लोगों ने सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया । इस विद्रोह को दबाने में भी गांधीजी ने सरकार का साथ दिया । समय-समय पर गांधीजी की इन निःस्वार्थ सेवाओं से भी अंग्रेजों का हृदय-परिवर्तन न हुआ । इस विद्रोह के सिलसिले में गांधीजी को जोहेनेसबर्ग छोड़ना पड़ा । उन्होंने अपने परिवार को फ्रिनिक्स आश्रम भेज दिया । सत्याग्रह-आंदोलन के कारण गांधीजी और उनके साथियों को कई बार जेल जाना पड़ा ।

सन् १९११ ई० में गांधीजी ने एक ऐसे आश्रम की स्थापना की आवश्यकता का अनुभव किया जहाँ सत्याग्रही कैंदियों के परिवार रह कर धार्मिक जीवन व्यतीत करें । अपने इस विचार को कार्यरूप में परिष्कृत करने के लिए उन्होंने ट्रांसवाल में एक आश्रम की स्थापना की और इसका नाम 'टालस्टाय फ़ॉर्म' रखा । यहाँ का जीवन धार्मिकता से ओत-प्रोत था । फ़ॉर्म पर सभी धर्मों के अनुयायी रहते थे । वे परस्पर एक दूसरे का सम्मान करते हुए जीविकार्जन तथा आत्मोन्नति का उपाय करते थे । गांधीजी ने शीघ्र ही यह भी अनुभव किया कि टॉलस्टॉय फ़ॉर्म के निवासियों के बालकों की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए ।

यह फ़ॉर्म गांधीजी के शिक्षा-प्रयोग के लिए एक आदर्श प्रयोगशाला बन गया । उन्होंने फ़ॉर्म को घर के वातावरण में परिवर्तित कर दिया और चरित्र को सब प्रकार की शिक्षा की नींव माना । उनका विचार था कि यदि चरित्र सुदृढ़ हो तो शेष सारी बातों को बच्चे स्वयं सीख लेते हैं । यहाँ उन्होंने बच्चों को साहित्यिक शिक्षा देने की भी व्यवस्था की । भोजन बनाने से लेकर सफ़ाई करने तक का सारा काम बालक स्वयं करते थे । बच्चे बागवानी करते, पेड़ काटते, गड्डे खोदते और इस प्रकार उन्हें फिर अतिरिक्त शारीरिक श्रम की आवश्यकता नहीं पड़ती थी । गांधीजी ने इसके साथ ही व्यावसायिक प्रशिक्षण की ओर भी ध्यान दिया । भोजन, सफ़ाई, सैंडिल बनाने और बढ़ईगरी आदि का काम बच्चों को सिखाया जाने लगा और इस प्रकार व्यावसायिक एवं हस्तकौशल की शिक्षा द्वारा उन्होंने बालकों को बहुमुखी विकास करने और आत्मनिर्भर होने का मार्ग दिखाया । गांधीजी ने अब तक ज्ञानार्जन के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण को संयुक्त किया था, पर किसी व्यवसाय को शिक्षा का माध्यम बनाने का

प्रयास नहीं किया था। आश्रम में विभिन्न धर्म के बालकों को एक-सी धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था करने के द्वारा गांधीजी इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सब धर्मों की शिक्षा का सारतत्व 'नैतिकता के सिद्धांत' हैं जो सब मानव-प्राणियों के लिए समान हैं। अतः यहीं आश्रम पर उन्हें नैतिक धर्म का आभास प्राप्त हुआ जिसे बाद में 'नीति-धर्म' की पुस्तक का सन् १९१२ ई० में रूप मिला। इसके अतिरिक्त वह प्रत्येक बालक के लिए यह भी आवश्यक समझते थे कि वह अपने धर्म की विशिष्ट पूजा-विधि भी जाने। सार्वभौम नैतिक धर्म के सिद्धांतों के पालन के साथ-साथ बालक अपने धर्म के सिद्धांतों एवं कर्मविधि का पालन भी करे। फ़ॉर्म पर अपने शिक्षा प्रयोगों के बहुत पूर्व गांधी जी इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि 'आत्मा की शिक्षा स्वयं से एक महान कार्य है। यह चरित्र-निर्माण में तथा ईश्वर-प्राप्ति अथवा आत्म-साक्षात्कार में सहायक है।' गांधीजी के विचार में जिस प्रकार शारीरिक और मानसिक शिक्षा के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है उसी प्रकार आत्मा की शिक्षा के लिए भी प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इस आत्मिक प्रशिक्षण में शिक्षक का स्थान सर्वोपरि है। यहीं पर उन्होंने शिक्षा में भी अहिंसा के सिद्धांत का प्रयोग किया, अतः वह शारीरिक दंड के पक्ष में न थे।

सन् १९१३ ई० में सत्याग्रह आंदोलन का प्रसार ट्रांसवाल से नेटाल तक हो गया। स्थान-स्थान पर सभाएँ और हड़तालें हुईं। जनता के इस विरोध के फलस्वरूप भारत के तत्कालीन वायसराय लार्ड हार्डिंज ने दक्षिण अफ्रीका की सरकार के पास अपना प्रति-रोधपूर्ण पत्र भेजा। अंत में सन् १९१४ ई० में दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने 'एशियायी लॉ' को हटाया, तीन पौंड का कर भी उठा लिया और सबको स्वतंत्र रूप से बसने की सुविधा प्रदान की। दक्षिण अफ्रीका में गांधीजी के बीस वर्ष के संघर्षमय जीवन व्यतीत करने पर यह 'सत्य' और 'अहिंसा' की विजय थी।

भारत-आगमन—सन् १९१४ ई० में गांधीजी इंग्लैंड होते हुए भारत आये। बंबई में बड़े समारोह के साथ उनका स्वागत हुआ। बंबई से गोखले के साथ वह पूना गये। भारत में उनके आगमन से पूर्व ही 'फ़िनक्स' के कुछ साथी यहाँ आ चुके थे। इन लोगों के साथ सी० एफ़० ऐंड्रूज भी थे। भारत में कार्य करने के पूर्व गांधी जी देश की स्थिति का अध्ययन करना चाहते थे, अतः फ़िनक्स के साथियों को उन्होंने ऐंड्रूज को सौंप दिया और स्वयं देश के कई स्थानों के भ्रमण पर निकल पड़े। सी० एफ़० ऐंड्रूज फ़िनक्स के साथियों के साथ कुछ दिनों तक तो गुश्कुल कांगड़ी में रहे किंतु बाद में शांतिनिकेतन चले आये जहाँ रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने इन लोगों के प्रति असीम स्नेह प्रदर्शित किया।

फ़िनक्स-वासियों को शांतिनिकेतन में पृथक् आवास दे दिया गया जहाँ वे अपने आदर्शों और दैनिक कार्य-क्रम के अनुसार रहते थे। कुछ समय बाद गांधी जी भी शांतिनिकेतन आये। उन्होंने शांतिनिकेतन के छात्रों को आत्मनिर्भर होने का पाठ पढ़ाया।

फ़िनिक्स-परिवार के लोग अपना सारा कार्य स्वयं करते थे, अतः शांतिनिकेतन के छात्रों ने भी ऐसा ही प्रयोग आरंभ किया। कुछ दिनों तक तो शांतिनिकेतन के छात्र भी फ़िनिक्स-वासियों की भाँति ही अपना सारा कार्य स्वयं करते रहे, किंतु उनसे यह क्रम अधिक दिनों तक नहीं चल सका। रवीन्द्रनाथ ने इस संबंध में यह अवश्य कहा, 'इस प्रयोग में स्वतंत्रता की कुंजी है।'

सत्याग्रह-आश्रम, साबरमती—गांधीजी ने दक्षिण अफ़्रीका में ही फ़िनिक्स के आदर्शों पर भारत में एक आश्रम स्थापित करने का संकल्प किया था। अतः उन्होंने २५ मई, सन् १९१५ ई० को अहमदाबाद में 'सत्याग्रह आश्रम' की स्थापना की। जब अहमदाबाद में प्लेग का प्रकोप हुआ तब गांधीजी ने वहाँ से आश्रम को हटा लिया और उसे स्थायी रूप से साबरमती ले आये। आरंभ में उनके साथ दक्षिण अफ़्रीका के वीस साथी थे। आश्रम में एक विद्यालय भी खोला गया जिसमें बच्चों को साहित्यिक शिक्षा दी जाती थी और अपढ़ प्रौढ़ों को भी पढ़ाया जाता था। यहाँ भी शिक्षा के अतिरिक्त व्यावसायिक और हस्तकौशल की शिक्षा सब लोगों को समान रूप से दी जाती थी। सारे कार्य फ़िनिक्स के आदर्शों पर ही होते थे। आश्रम में पाठ्यक्रम, विषय, पाठन-विधि आदि पर विचार-विमर्श होता था। यद्यपि आश्रमवासी गांधीजी के शिक्षा-सम्बन्धी सभी विचारों से सहमत नहीं थे फिर भी विचारों के आदान-प्रदान से गांधीजी के शिक्षा-संबन्धी विचार दृढ़ होते चले गये।

गांधीजी भारत के राजनीतिक कार्यों में क्रमशः व्यस्त होते गये। गोखले की मृत्यु के कारण उनके ऊपर राजनीति के संचालन का विशेष उत्तरदायित्व आ पड़ा, अतः उन्होंने राजनीति की बागडोर अपने हाथों में ली। फिर भी, शिक्षा के संबंध में वह सदैव सोच-विचार करते रहे। सन् १९२१ ई० में उन्होंने देश के सामने राष्ट्रीय शिक्षा के विषय में अपने विचारों को प्रकट किया जिसमें उन्होंने वर्तमान शिक्षा-पद्धति के दोषों को बताया और इस बात पर बल दिया कि शिक्षा को राष्ट्र की आवश्यकताओं तथा आदर्शों के अनुकूल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत का हित आज विद्यालयों में 'आत्मनिर्भर शिक्षा' पर अवलंबित है। भिन्न-भिन्न समयों पर किये गये प्रयोगों के आधार पर उनके शिक्षा-विषयक विचारों को सन् १९३७ ई० में वर्धा शिक्षा-योजना का रूप-प्राप्त हुआ।

स्वतंत्रता संग्राम और गांधीजी—देश की स्वतंत्रता के लिए किए गये आरंभिक सत्याग्रह-आंदोलनों में १९२०-२२ का असहयोग आंदोलन और सन् १९३० ई० का नमक क़ानून-विरोधी आंदोलन प्रसिद्ध हैं। खादी-प्रचार, हिंदू-मुस्लिम एकता, अछूतोंद्वारा आदि को उन्होंने स्वतंत्रता-संग्राम का अंग बनाया और उन्हें रचनात्मक कार्य की संज्ञा प्रदान की। सन् १९३१ ई० में सरकार को बाध्य होकर काँग्रेस से संधि करनी पड़ी जिसके कारण काँग्रेस ने आंदोलन स्थगित कर दिया और गांधीजी गोलमेज काँफ़्रेस में भाग

लेने के लिए लंदन गये। लंदन सम्मेलन में देश की समस्याओं पर कोई समझौता न हो सका। गांधीजी की इच्छा के विरुद्ध सरकार ने हरिजनों को पृथक् निर्वाचन का मताधिकार दे दिया। गांधीजी ने सरकार के इस कार्य के विरोध में अनशन किया जिसके फलस्वरूप सरकार ने पृथक् मताधिकार को वापस ले लिया। सन् १९३४ ई० में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन के पश्चात् गांधीजी कांग्रेस से पृथक् हो गये और कांग्रेस से बाहर रहकर ही देश की सेवा करने का निर्णय किया। फिर भी, उन्होंने कांग्रेस के पथ-प्रदर्शन का कार्य सदैव किया।

कांग्रेस से पृथक् होकर गांधीजी पूर्णतया अछूतोद्धार और ग्रामोद्योग के विकास में लग गये। अत्यधिक परिश्रम के कारण उनका स्वास्थ्य गिर गया। सन् १९३५ ई० में वह वर्षा के निकट सेगाँव में एक ग्रामवासी की भाँति निवास करने लगे। सेगाँव का नाम बाद में सेवाग्राम रख दिया गया। सन् १९३६ ई० की फरवरी में कांग्रेस ने असेंबली का चुनाव लड़ा और देश के सात प्रांतों में मंत्रिमंडलों की स्थापना की। गांधीजी ने इन मंत्रिमंडलों को सदैव निर्देश दिया। उन्हीं के सुभाव पर मद्य-निषेध, बुनियादी शिक्षा, जेल सुधार आदि कार्य हुए। सन् १९३९ ई० में द्वितीय महायुद्ध के आरंभ होने पर अंग्रेजी सरकार ने युद्ध में भारत के सम्मिलित होने की घोषणा कर दी। अतः मंत्रिमंडलों ने उसके विरोध में त्याग-पत्र दे दिया और प्रांतों का शासन गवर्नरों के अधिकार में चला गया।

सन् १९४२ ई० में गांधीजी ने अंतिम स्वतंत्रता आंदोलन का सूत्रपात किया। ८ अगस्त, सन् १९४२ को बंबई में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हुई जिसमें 'भारत छोड़ो' आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सरकार ने आंदोलन का दमन करने का निश्चय किया और ९ अगस्त के प्रातःकाल गांधीजी तथा कार्यसमिति के अन्य नेताओं को क़ैद कर लिया। इस गिरफ्तारी से देश में भयंकर उपद्रव शुरू हो गया। गांधीजी महादेव देसाई और कस्तूरबा के साथ आशाखां महल में बंद कर दिये गये। आशा खां महल में ही गांधीजी के निजी सचिव महादेव देसाई और कुछ दिनों बाद कस्तूरबा का देहांत हो गया। इन दोनों की मृत्यु से गांधीजी शोक में डूब गये। बीमार होने के कारण सन् १९४४ ई० में गांधीजी छोड़ दिये गये।

द्वितीय महायुद्ध के समाप्त होने पर सरकार ने भारत को स्वतंत्रता देने का आयोजन किया। शिमला कांग्रेस की असफलता के पश्चात् कैबिनेट मिशन भारत आया। सन् १९४६ ई० के आरंभ में कैबिनेट मिशन के चार नेताओं ने 'भारत छोड़ने' की बात स्वीकार की। मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस के साथ मंत्रिमंडल बनाना स्वीकार कर लिया, किंतु अंत में वह अपनी बात से हट गयी और जिन्ना ने 'सीधी कार्रवाई' की घोषणा कर दी। देश के विभाजन के आधार पर अंग्रेजी सरकार ने १५ अगस्त सन् १९४७ ई० को

है। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है, सत्य के प्रति आग्रह; सत्य जो शाश्वत एवं सत् है उसके प्रति आग्रह 'सत्याग्रह' है। 'सत्याग्रह आत्म-शुद्धि की लड़ाई है; वह धार्मिक लड़ाई है।' इसमें प्रेम के आधार पर शत्रु के मन पर विजय प्राप्त करना है, उसे सत्य के प्रति जागरूक करना है, उसे उसके कर्तव्य का बोध कराकर उसकी आत्मोन्नति करना है। दूसरे शब्दों में, पशुबल का प्रतिरोध पशुबल से नहीं अपितु आत्मबल से करना है। सत्याग्रह का आधार प्रेम है। अतः सत्याग्रही अत्याचारी के अत्याचारों से घृणा करता है, स्वयं अत्याचारी से नहीं। वह अन्याय और अत्याचार के निराकरण के लिए स्वयं दुःख सहन करता है और विपत्ती को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं देता। सत्याग्रही अनैतिकता और अधर्म को न स्वयं सहन करता है और न दूसरों को करते हुए देख सकता है।

गांधीजी ने अपने जीवन में अहिंसा के महत्त्व का अनुभव किया था। उनका कहना है कि बुराई हमारे भीतर भी है और बाहर भी। आंतरिक बुराइयाँ—भय, क्रोध, वासना, द्वेष, मोह आदि—बाहरी बुराइयों से अधिक घातक हैं। बाहरी बुराइयों को आंतरिक बुराइयों (घृणा, क्रोध, द्वेष) के आधार पर जीतने से मनुष्य का आध्यात्मिक विकास रुक जाता है। व्यक्ति के अन्दर जितनी मात्रा में आन्तरिक बुराइयाँ घर कर लेती हैं उसी मात्रा में वह सत्य से दूर हो जाता है। अतः बुराई का प्रतिकार बुराई से नहीं, वरन् भलाई से ही किया जा सकता है। सर्वप्रथम भारतीय और चीनी दार्शनिकों ने यह विचार किया था कि बुराई की औषधि भलाई ही है। वेद और उपनिषद् यह घोषणा करते हैं कि अंततः बुराई पर भलाई की विजय होती है। जब ईसाई धर्म इस बात पर बल देकर कहता है कि उदार प्रेम हिंसक मनुष्य को जीत लेता है तब वह प्राच्य ज्ञान के निकट आ जाता है। हिंसा की क्रोधाग्नि अहिंसा द्वारा ही शांत की जा सकती है। आंतरिक बुराइयों पर भी नैतिक गुणों द्वारा ही विजय प्राप्त की जा सकती है। नैतिक साहस, प्रेम और मानवता अहिंसा को प्रोत्साहन देते हैं और अहिंसा के पथ पर चलकर ही व्यक्ति सत्य के दर्शन कर सकता है। गीता ने सत्याग्रह में गांधीजी के विश्वास को और गहरा बना दिया।

गांधीजी के दर्शन में 'सत्याग्रह' शब्द बड़ा सारगर्भित है। ईश्वर में दृढ़ विश्वास के बिना सत्याग्रही सफल नहीं हो सकता। अहिंसा में उसकी पूर्ण श्रद्धा होनी आवश्यक है, पर अहिंसा का पालन करते हुए भी जब तक उसे ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं होगी तब तक वह किसी कार्य में सफल नहीं हो सकता। बिना ईश्वर की अनुकंपा के उसमें यह भी साहस नहीं हो सकता है कि वह बिना क्रोध, भय और प्रतिकार की भावना से मर भी सके। पर क्या बौद्ध या भौतिकवादी, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वह भी सत्याग्रही हो सकते हैं? हाँ। यह कैसे संभव है? वास्तविकता यह है कि ईश्वर से गांधीजी का तात्पर्य सदा किसी पूर्ण पुरुष से नहीं है, वरन् उनका कथन है कि नैतिक

व्यवस्था, आध्यात्मिक व्यवस्था या सत्य चाहे वह अन्य किसी भी रूप में क्यों न हो, परमसत्ता या ईश्वर ही है। हम यह देख चुके हैं कि गांधीजी के विचार में सत्य ही ईश्वर है। आरंभ में गांधीजी कहा करते थे कि ईश्वर सत्य है, किंतु बाद में वह यह कहने लगे कि सत्य ही ईश्वर है। अपनी इस धारणा में परिवर्तन करके गांधीजी ने सरलतापूर्वक उन लोगों को भी अपना लिया जो मानवता या अन्य किसी वस्तु को ईश्वर के रूप में मानते थे और जिसके लिए वे अपना सर्वस्व त्याग करने को भी उद्यत रहते थे।

यहाँ पर सत्याग्रह के संबंध में फैले हुए दो भ्रांत विचारों का निराकरण कर लेना आवश्यक है। सत्याग्रह का अर्थ है सभी प्रकार की बुराइयों से असहयोग। अतः यह निषेधात्मक आदर्श नहीं है। रवीन्द्रनाथ ठाकुर को गांधीजी के असहयोग आंदोलन के विषय में एक बार इसी प्रकार का भ्रम हो गया था। किंतु गांधीजी ने सदैव कहा कि बुराइयों से असहयोग का अर्थ है अच्छाई के साथ सहयोग। जो सत्याग्रही सामान्य हित के लिए युद्ध कर रहे हैं उनमें आपस में सहयोग की भावना अवश्य होनी चाहिए। फिर, एक सत्याग्रही अपने विरोधी के सद्गुणों के साथ सदा सहयोग करता है। अतः सत्याग्रह एक विधायक अदर्श है। दूसरे, हमें यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि सत्याग्रह कायरो का अस्त्र है। उन्होंने 'यंग इंडिया' में 'द डाक्ट्रिन ऑफ़ द सोर्ड' शीर्षक के अंतर्गत लिखा है कि "मेरा विश्वास है कि यदि मुझे कायरता और हिंसा दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं हिंसा को ही चुनने की राय दूंगा, किंतु मेरा विश्वास है कि अहिंसा हिंसा से असंख्य-गुना श्रेष्ठ है। क्षमा एक सैनिक का गुण है।"† 'हरिजन' में उन्होंने लिखा था कि "हिंसा नपुंसकता से कहीं श्रेयस्कर है। एक हिंसक व्यक्ति से अहिंसक बन जाने की आशा रहती है, किंतु नपुंसक व्यक्ति के अहिंसक बनने की कोई आशा नहीं रहती"।‡ उपनिषद् यह घोषणा करते हैं कि शरीर और मन से शक्तिहीन कायर पुरुष कभी भी आत्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता है। सत्य की उपलब्धि केवल वीर पुरुष कर सकते हैं। नैतिक दृष्टि से सत्याग्रही वीर होता है।

सत्याग्रह में कठोर आत्मानुशासन की आवश्यकता होती है। बिना आत्मानुशासन के व्यक्ति अपने को सुमंस्कृत नहीं बना सकता अथवा आत्मसंस्कृति नहीं प्राप्त कर सकता। आत्मसंस्कृति से तात्पर्य है नैतिक गुणों—आज्ञापालन, आत्मसम्मान, आत्मा-बलंबन, आत्मत्याग आदि—का अर्जन करना। एक सैनिक के लिए भी नैतिक चरित्र आवश्यक है, किंतु सैनिक और सत्याग्रही में यह अंतर है कि सैनिक को केवल बाह्य अनुशासन की आवश्यकता पड़ती है, परंतु सत्याग्रही को इस बाह्य अनुशासन के अतिरिक्त आत्मानुशासन की अधिक आवश्यकता पड़ती है। सैनिक बाहरी आज्ञा का पालन करता

† 'Young India', Aug. 1, 1920

‡ 'Harijan', 1939

के रहते पूर्ण अहिंसा का पालन नहीं कर सकता तो इस जीवन में पूर्ण सत्यकी उपलब्धि भी संभव नहीं।

परम उद्देश्य : मुक्ति; साधन : कर्मयोग

हिंदू धर्म और दर्शन में विश्वास करने के कारण गांधीजी ने जीवन का परम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति माना है। मुक्ति से गांधीजी का सामान्य तात्पर्य है शरीर से आत्मा की मुक्ति। शरीर से मुक्त होकर आत्मा शाश्वत आनंद का अनुभव करती है। गांधीजी मुक्ति के अंतिम स्वरूप की चिंता कम करते हैं और इस जीवन पर विशेष ध्यान देते हैं कि किस प्रकार इस संसार में सर्वोत्तम जीवन व्यतीत किया जा सकता है जो मुक्ति-पथ पर अग्रसर कर सके। अतः उनकी शिक्षा का केन्द्र नीति-शास्त्र है, न कि दर्शन-शास्त्र। उनके विचार में प्रत्येक मनुष्य को शुद्ध जीवन व्यतीत करना चाहिए। आत्म-शुद्धि या नैतिक गुणों के अर्जन द्वारा ही सच्चा ज्ञान मिलता है।

हम देख चुके हैं कि गांधीजी के लिए ईश्वर 'नैतिक विधान' है। 'वह स्वयं में विधान और विधायक दोनों ही है।' अतः ईश्वरीय नैतिक विधान का पालन ही 'धर्म' है। गांधीवादी दर्शन में धर्म नैतिकता के बराबर है। पवित्र जीवन या नैतिक जीवन व्यतीत करना ही धर्म का सर्वोत्तम रूप है। भारतीय परंपरा के सर्वथा अनुकूल गांधीजी धर्म को संकीर्ण रूप में नहीं, वरन् 'सृष्टि के व्यवस्थित नैतिक विधान' के रूप में ग्रहण करते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपने आत्मोत्थान के लिए उत्तम नैतिक जीवन व्यतीत करना चाहिए।

उत्तम नैतिक जीवन से गांधीजी का तात्पर्य उस जीवन से नहीं है जिसे लोक-समाज से पृथक् रहकर तपस्या के साथ बिताया जाता है और जिसे संन्यास की संज्ञा प्रदान की जाती है। गांधीजी की नैतिकता का स्वरूप गीता पर आधारित है। वह गीता के नैतिक सिद्धांत के मध्यबिंदु—कर्मफल त्याग एवं निष्काम कर्म—में आस्था रखते हैं। कर्मफल-का त्याग देहधारी के लिए असंभव है। यदि कर्म के द्वारा व्यक्ति में क्रोध, घृणा, लोभ, मोह और स्वार्थपूर्ण इच्छाएँ उत्पन्न होती हैं, जो उसके आध्यात्मिक विकास में बाधक हैं, तो कर्म के इस दोष से बचने के लिए कर्म-संन्यास की आवश्यकता नहीं है। इस दोष से मुक्ति का उपाय है फलेच्छा और आसक्ति से मुक्त होकर केवल कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर, लोककल्याणार्थ निष्काम कर्म करना। गांधीजी का कहना है, 'निषिद्ध केवल फलासक्ति है, विहित है अनासक्ति' † 'कर्म मात्र का त्याग गीता के संन्यास को भाता नहीं। गीता का संन्यासी अतिकर्मी है तथापि अति-अकर्मो है, ‡ क्योंकि वह

† गांधीजी : 'गीता माता', पृष्ठ ११२

‡ वही पृष्ठ १११

कर्मफल का त्याग करता है और यही संन्यास का सच्चा रूप है। अतः गांधीजी प्रत्येक व्यक्ति के लिए सहयात्री प्राणियों के हित के लिए निष्काम कर्म में विश्वास करते हैं। वह व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों और इच्छाओं के दमन में विश्वास नहीं करते; वह केवल उनको रूपांतरित करना चाहते हैं। वह व्यक्ति की मूल प्रेरणाओं एवं संवेगों को युक्ति एवं अंतर्प्रेरणा के अनुसार बनाना चाहते हैं। गांधीजी एक व्यक्ति को समाज के पुरस्कार या दंड, प्रतिष्ठा या निरादर के कारण नैतिक बनाना नहीं चाहते। उनका कहना है कि मनुष्य के अपने अंतस्तल में जो नैतिक नियम स्थित है उसी के अनुसार उसे आचरण करना चाहिए। मानव-जीवन की पवित्रता और दिव्यता में विश्वास करने के कारण वह उसके भीतर उठने वाले आंतरिक नैतिक नियम की दिव्यता में विश्वास करते हैं। अतः मनुष्य को अपनी वास्तविक, दिव्य स्वप्रकृति—दिव्य प्रेरणा—से प्रेरित होकर कर्म करने चाहिए। यह दिव्य प्रेरणा कर्तव्य की प्रेरणा है। यह व्यक्ति के विवेक को जाग्रत करती है। इस प्रेरणा के द्वारा व्यक्ति अपनी आंतरिक बुराइयों का निराकरण करके अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं का उन्मूलन एवं दिव्यीकरण कर सकेगा। फलस्वरूप लोकहितार्थ कर्म द्वारा, विश्वकल्याण द्वारा अपनी आत्मा को ऊँचा उठाकर अपने इष्टमार्ग का सरलतापूर्वक अनुसरण कर सकेगा।

मनुष्य-जीवन के दो पक्ष

गांधीजी के अनुसार धर्म और नैतिकता से मनुष्य-जीवन का प्रत्येक क्षेत्र व्याप्त होना चाहिए। मनुष्य-जीवन का विभाजन दो पक्षों में किया जा सकता है—निजी और सामाजिक। निजी पक्ष से तात्पर्य है व्यक्ति का अपना गुप्त जीवन। सामाजिक पक्ष का क्षेत्र विस्तृत होता है। उसमें परिवार, समाज और राज्य भी सम्मिलित होते हैं। यद्यपि जीवन का इन दो पक्षों में विभाजन कर दिया गया है फिर भी दोनों अविभाज्य हैं। व्यक्ति को अपना निजी जीवन अहिंसा के आदर्श के अनुरूप व्यतीत करना चाहिए। उसे उन सभी व्रतों का पालन करना चाहिए जिनका हम पहले वर्णन कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त गांधीजी चाहते हैं कि व्यक्ति एक सादा एवं सरल जीवन व्यतीत करे। सरल जीवन व्यतीत करने का विचार गांधीजी ने रस्किन की प्रसिद्ध पुस्तक, 'अट्टु दिस लास्ट' से ग्रहण किया। यही विचार गांधोवादी नीति-शास्त्र का आधार है। सरल व्यक्तियों द्वारा सरल समाज की रचना हो सकती है जिसमें विलास की वस्तुओं के लिए प्रति-योगिता नहीं होगी। इस प्रकार सभी व्यक्ति शांतिपूर्ण और समरस जीवन व्यतीत करेंगे। सरल जीवन-संबंधी नीति-शास्त्र में यह धारणा निहित है कि 'कोई भी व्यक्ति दूसरे के श्रम पर अपना जीवन व्यतीत न करे।' गांधीजी ने वर्ण-धर्म को स्वीकार किया है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका के लिए श्रम करना चाहिए। किंतु जीविकाार्जन के लिए केवल मानसिक श्रम ही पर्याप्त नहीं है। यह प्रश्न पूछे जाने पर कि क्यों नहीं

मानसिक श्रम करने वाले शारीरिक श्रम करने वालों के बराबर समझे जायँ, गांधीजी ने उत्तर दिया था, “बौद्धिक कार्य बड़ा महत्त्वपूर्ण है और निस्संदेह उसका जीवन में एक स्थान है, किंतु मैं तो सबके लिए शारीरिक श्रम आवश्यक समझता हूँ। किसी भी व्यक्ति को इससे छुटकारा नहीं मिलना चाहिए। शारीरिक श्रम से मानसिक कार्य की क्षमता भी बढ़ती है।”† गोता के अध्ययन ने गांधीजी का विश्वास कायिक श्रम में और भी बढ़ा दिया। उसके अनुसार ‘यज्ञ किए बिना खाने वाला चोरी का अन्न खाता है, यह कठिन शाप अयज्ञ के लिए है।’ गांधीजी का कहना है कि ‘यहाँ यज्ञ का अर्थ कायिक श्रम या रोटी-श्रम ही शोभा देता है।’‡ सरल जीवन की दूसरी विशिष्टता है कि यह एक प्रार्थनापूर्ण जीवन है। प्रत्येक व्यक्ति को हृदय से अत्यंत नम्रतापूर्वक ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। यह प्रार्थना धन या दूसरे भौतिक पदार्थों के लिए नहीं करनी चाहिए, वरन् नैतिक शक्ति, सत्य-दर्शन और सच्चरित्रता के लिए करनी चाहिए। सरल जीवन स्वयं ही एक प्रार्थना है।

व्यक्ति के जीवन के सामाजिक पक्ष को भी धर्म और नीति के अनुकूल होना चाहिए। अद्वैत में विश्वास करने के कारण गांधीजी एक ही आत्मा को सब प्राणियों में व्यक्त देखते हैं, अतः वह समाज-सेवा में विश्वास करते हैं। समाज-सेवा का क्षेत्र व्यापक होना चाहिए। उस क्षेत्र में जीवन के विभिन्न विभाग सम्मिलित होने चाहिए। नैतिक धर्म के सामाजिक पक्ष में कुछ जटिल समस्याएँ हैं जिनके निराकरण में प्रत्येक व्यक्ति को दृढ़तापूर्वक प्रयत्नशील रहना है। पहली समस्या है धनी और गरीब का संबंध। इस समस्या के समाधान के लिए गांधीजी ने दो सूत्रों को सुझाव के रूप में दिया है—प्रथम, सबकी भलाई में ही व्यक्ति की भलाई है। द्वितीय, प्रत्येक पेशा सम्मानित है; नाई के कार्य का भी वही महत्त्व है जो वकील के कार्य का। गांधीजी धनी वर्ग को खत्म करने के पक्ष में नहीं और न वह पूर्ण रूप से गरीब वर्ग के अस्तित्व को ही बनाए रखना चाहते हैं। खाना और कपड़े पर सबका समान अधिकार है चाहे उनके पेशे एक दूसरे से भिन्न क्यों न हों। गांधीजी धनी वर्ग द्वारा धन के अर्जन के विरोधी नहीं, पर धनी वर्ग को ‘तेनत्यक्तेन भुंजीथा’ के आदेश के पालन का परामर्श देते हैं। दूसरी समस्या है अस्पृश्यता-निवारण। गांधीजी कहते हैं कि यह दोष संसार भर में किसी न किसी रूप में अवश्य फैला हुआ है, पर भारत में इसने धर्म का रूप ग्रहण कर लिया है। उनका विचार है, जब कि एक ही आत्मा सब मनुष्यों में व्याप्त है तो कोई भी अस्पृश्य नहीं है, अतः अस्पृश्यता-निवारण का अर्थ है ‘समस्त संसार के साथ मित्रता रखना, उसका सेवक बनना।’ तीसरी समस्या है विभिन्न धर्मों के प्रति समभाव रखना। गांधीजी के विचार में, “सब धर्म ईश्वरदत्त हैं, पर

† N. K. Bose : ‘Studies in Gandhism’ p. 87

‡ गांधीजी : ‘धर्म और नीति’, पृष्ठ १५३

मनुष्य-कल्पित होने के कारण मनुष्य द्वारा उनका प्रचार होने के कारण वे अपूर्ण हैं। ईश्वर-दत्त धर्म अग्रगण्य है। '...सब अपनी-अपनी दृष्टि से जब तक वह दृष्टि बनी है तब तक, सच्चे हैं। पर भूटा होना भी असंभव नहीं है। इसलिए हमें सब धर्मों के प्रति समभाव रखना चाहिए। इससे अपने धर्म के प्रति उदासीनता नहीं आती, बल्कि स्वधर्म-विषयक प्रेम अंधा न रहकर ज्ञानमय हो जाता है, अधिक सात्विक, निर्मल बनता है। सब धर्मों के प्रति समभाव आने पर ही हमारे दिव्य चक्षु खुल सकते हैं।'†

चौथी समस्या का संबंध सामाजिक सभ्यता में यंत्र के स्थान और कार्य से है। गांधीजी ने आधुनिक सभ्यता की इसलिए भर्त्सना की है क्योंकि उसके केन्द्र में यंत्र की प्रतिष्ठा है। अपनी पुस्तक 'हिन्द स्वराज्य' में उन्होंने आधुनिक सभ्यता को राक्षसी सभ्यता कहा है क्योंकि इसमें मनुष्य यंत्रों द्वारा कुचला जाता है। यंत्रों ने मनुष्य के अंगों को बेकार बना दिया और उसके दीर्घकालीन गुणों का विनाश कर दिया है। किंतु आगे चलकर उनके इस विचार में कुछ परिवर्तन हुआ। उन्होंने कहा कि आदर्श रूप में तो मैं यंत्र का पूर्ण रूप से बहिष्कार करूँगा जैसे कि मैं इस शरीर रूपी यंत्र का भी जो कि पूर्ण सत्य या मुक्ति की प्राप्ति में बाधक है। परंतु शरीर की भाँति यंत्र भी रहेंगे क्योंकि शरीर की भाँति वे भी आवश्यक हैं। गांधीजी यंत्रों का विरोध नहीं करते, वरन् उसके अमानुषिक व्यवहार का बहिष्कार करते हैं। वह ऐसे सरल यंत्रों के पक्ष में हैं जो मनुष्य को उसकी मनुष्यता से दूर नहीं ले जाते। उनके विचार में चरखा, सिलाई की मशीन आदि ऐसे ही यंत्र हैं। ऐसे यंत्र श्रम की बचत करते हैं और गाँवों में रहने वाले बहुत से लोगों को बेकार नहीं बनाते। गांधीजी अपनी योजना में ऐसे यंत्रों को स्थान देते हैं। किंतु हानिप्रद और हानिरहित यंत्रों में भेद करना कठिन है। किसी भी यंत्र को हानिप्रद या हानिरहित बनाया जा सकता है। यंत्रों का हानिप्रद या हानिरहित होना प्रयोगकर्ता पर आश्रित है। ऐसी दशा में सिलाई की मशीन भी शोषण का साधन बन सकती है और उससे हिंसा उत्पन्न हो सकती है। यंत्र न अच्छा है और न बुरा। इसका नैतिक मूल्य कुछ भी नहीं है। इसका अच्छा या बुरा होना उसके संचालक पर निर्भर है। फिर एक सरल यंत्र के उत्पादन के लिए ही जटिल यंत्रों का निर्माण आवश्यक हो जाता है। अतः एक बार यंत्रों को प्रोत्साहन देने के पश्चात् उनकी हानियों से बचना सरल नहीं है।

इस प्रकार निजी और सामाजिक जीवन-संबंधी सात्विक नियमों का पालन करके व्यक्ति अपना आत्मोत्थान कर सकता है। आत्मोत्थान द्वारा ही विश्वकल्याण संभव है। 'वैयक्तिक साधना सामूहिक विकास का एक आवश्यक अंग है।' व्यक्ति को अपने चरम लक्ष्य—मुक्ति की प्राप्ति के लिए इसी साधना-मार्ग का अनुसरण करना अनिवार्य है।

† गांधीजी : 'धर्मनीति', पृष्ठ १५६

महात्मा गांधी

जन्मो सारे सभिया करि सभे न कोउ

किं मे असुविली. A-khas २४३

5. B. Pattabhi Sitaramayya : *Gandhi and Gandhism*, Vols. I and II
6. Louis Fischer : *The Life of Mahatma Gandhi*
6. K. L. Srimali : *The Wardha Scheme*, 1949
7. M. S. Patel : *The Educational Philosophy of Mahatma Gandhi*
8. Hindustani Talimi Sangh : *Educational Reconstruction* (2nd Ed.),
Sevagram (Wardha)
9. *The Visva-Bharati Quarterly. Education Number*, May-Oct., 1947
10. Chandra Shankar Shukla : *Gandhi's View of Life*.

श्री अरविंद घोष

जीवन और कार्य

श्री अरविंद प्राचीन भारतीय ऋषि-परंपरा के आधुनिक उन्नायक के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अपने रहस्यमय व्यक्तित्व द्वारा एशिया की आत्मा का संसार को साक्षात्कार कराया और यही कारण है कि प्राचीन योग के सहज साधक और आत्मद्रष्टा के रूप में लोग उनका समादर करते हैं। श्री अरविंद के इस दिव्य व्यक्तित्व की प्रशंसा करते हुए रोमां रोलां ने कहा है: "देखो, वह अरविंद घोष आते हैं। उनमें एशिया की प्रतिभा और योरोप की प्रतिभा का वह पूर्णतम सामंजस्य आज प्राप्त हुआ है जिसकी दीर्घकाल से प्रतीक्षा हो रही थी।" उन्होंने भावी संतान के लिए जिस गौरवमयी परंपरा का निर्माण किया है वह विशाल और समृद्धिशालिनी है। उन्होंने जो कुछ कहा या लिखा है वह उच्चप्रेरणा, सहज ज्ञान एवं क्रांतिदर्शिता से ओतप्रोत है।

जन्म एवं शिक्षा

भारत के इतिहास में १५ अगस्त का बड़ा भारी महत्त्व है। इसी दिन दीर्घकालीन परतंत्रता के पश्चात् देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। यही तिथि श्रीरामकृष्ण परमहंस की महासमाधि के महोत्सव की भी है और संयोगवश इसी दिन सन् १८७५ ई० में श्री अरविंद का जन्म भी कलकत्ते के घोष-परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम डा० कृष्णधन घोष और माता का नाम स्वर्णलता देवी था। अरविंद के दो बड़े भाई थे जिनका नाम विनयभूषण और मनमोहन था।

श्री अरविंद की बाल्यावस्था के विषय में विशेष विवरण तो नहीं मिलता, किंतु इतना ज्ञात है कि उनकी शिक्षा का आरंभ दार्जिलिंग के लोरेटो कॉन्वेंट में हुआ जहाँ भाषा का माध्यम अंग्रेजी थी और किसी भी भारतीय भाषा की शिक्षा वहाँ नहीं दी जाती थी। ऐसे शिक्षालय में भर्ती किए जाने का कारण यह था कि उनके पिता पाश्चात्य सभ्यता के कट्टर पोषक थे और वह नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र भारतीय भाषा-संस्कृति के संपर्क में आये और इसीलिए वह अपने घर में भी ऐसे नौकर नहीं रखते थे जो अंग्रेजी के अतिरिक्त बंगला भी जानता हो। दार्जिलिंग के लोरेटो कॉन्वेंट में श्री अरविंद ने दो वर्षों तक शिक्षा प्राप्त की।



सात वर्ष की अवस्था में सन् १८७९ ई० में उनके माता-पिता ने उनको बहिन सरोजनी के साथ उन्हें भाइयों सहित आगे की शिक्षा के लिए इंगलैंड भेज दिया। वहाँ अरविंद और उनके दोनों भाई मैन्चेस्टर ग्रामर स्कूल में भर्ती किए गये, किंतु आयु कम होने के कारण अरविंद की शिक्षा का भार ड्रिवेट दंपति को सौंपा गया जो इनकी देखभाल माता-पिता की भाँति करते थे। ड्रिवेट दंपति की देखरेख में उन्होंने लैटिन भाषा का पूर्ण अभ्यास किया और अंग्रेजी के शेक्सपियर आदि विद्वानों की रचनाओं को चाव के साथ पढ़ा। लैटिन भाषा में उन्होंने ऐसी दक्षता प्राप्त कर ली कि सन् १८८५ ई० में वह लंदन के सेंट पॉल स्कूल में भर्ती कर लिये गये। बालक अरविंद की प्रतिभा से प्रभावित होकर स्कूल के प्रधानाध्यापक ने बड़े प्रेमपूर्वक इन्हें ग्रीक पढ़ाना प्रारंभ किया, जिसमें इनकी प्रगति आश्चर्यजनक हुई। अपने विद्यार्थी-जीवन में भी वह स्वभावतः एकांतप्रिय और शांत थे। अधिक व्यक्तियों से मिलना-जुलना और सामाजिक जीवन में उनकी विशेष रुचि नहीं थी। वह एक गंभीर विद्यार्थी थे तथा विचारों के संसार में लीन रहा करते थे। सत्रह वर्ष की आयु में ही उन्हें केंब्रिज के किंग्स कॉलेज की एक सर्वोच्च छात्रवृत्ति मिल गयी। तब उन्होंने फ्रांसीसी भाषा, इतिहास, इटालियन, स्पेनिश तथा जर्मन भाषाओं का भी अभ्यास किया। यहाँ यह स्मरणीय है कि चौदह वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने काव्य-रचना प्रारंभ कर दी थी।

अरविंद को केंब्रिज में ट्रिपोज के प्रथम भाग की परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त हुई। इस भाग की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने पर साधारणतः बी० ए० की उपाधि दी जाती है, किंतु ऐसा केवल उस दशा में होता है जब परीक्षा तीसरे वर्ष ली जाती है। वह विश्वविद्यालय की उच्च परीक्षा नहीं देना चाहते थे क्योंकि इंगलैंड में विश्वविद्यालय के बाहर ऐसी उपाधियों का बहुत कम महत्त्व था। अतः अरविंद ने पिता की आज्ञा पाकर इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा दी और उसमें वह विशिष्टता के साथ उत्तीर्ण भी हुए, किंतु घुड़सवारी में असफल रहे। उनके बड़े भाई ने तो इसकी चिंता न की, किंतु उनके मँझले भाई मनमोहन को इस असफलता से विशेष दुःख हुआ।

इक्कीस वर्ष की आयु तक अरविंद बौद्धिक दृष्टि से परिपक्व हो गये। ग्रीक, लैटिन, जर्मन और अंग्रेजी भाषाओं पर तो उनका विशेष अधिकार हो गया, किंतु अब तक वह अपनी मातृभाषा तथा दूसरी भारतीय भाषाओं से अपरिचित ही रहे। इस आयु तक वह अंग्रेजी के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषाओं में भी काव्य-रचना करने लगे थे।

देशभक्ति की भावना का बीजारोपण

इंगलैंड में शिक्षा प्राप्त करते समय ही अरविंद के हृदय में देशभक्ति की भावना का बीजारोपण हो गया था। यद्यपि उनके पिता पक्के साहब थे, किंतु इसके साथ ही वह बड़े ही उदार एवं दयालु थे। रोगियों की सेवा में धन लगा देने के कारण वह कभी-कभी

समय से पैसा नहीं भेज पाते थे जिसके कारण अरविंद और उनके भाइयों को अभाव और दरिद्रता का जीवन भी व्यतीत करना पड़ता। वे तथा उनके भाई जाड़े के दिनों में कोट के बिना हो रह जाते थे और उन्हें कभी-कभी नियमित भोजन भी नहीं मिलता था। इस प्रकार उन्हें गरीबी के दुःखों का अनुभव छात्र-जीवन में ही हो गया। इनके पिता इनको जो पत्र लिखते थे उनमें वह ब्रिटिश सरकार के अन्याय, हृदयहीनता और अत्याचार का वर्णन करते थे तथा भारतीय समाचार-पत्रों की कतरनें भी भेजा करते थे। पिता के इन पत्रों द्वारा अरविंद को देशभक्ति का पहला पाठ पढ़ने को मिला। आगे चल कर वह केंब्रिज में 'इंडियन मजलिस' के मंत्री बन गये। यह एक भारतीय संस्था थी जिसकी स्थापना सन् १८६१ ई० में हुई थी। के० जी० देशपांडे, हरीसिंह गौड़, बीच क्राफ्ट और परेरा आदि भारतीय उन दिनों इनके साथी थे। अपने इंग्लैंड-प्रवास के अंतिम दिनों में वह लंदन में कुछ उग्र विचार के भारतीयों से मिले और 'लोटस ऐंड डैगर' नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था के प्रत्येक सदस्य ने भारत से ब्रिटिश राज्य को समाप्त करने की प्रतिज्ञा की। इस प्रकार के वातावरण और प्रभावों का फल यह हुआ कि उनके हृदय में देशभक्ति को भावना दृढ़ हो गयी। नरम विचार वाले भारतीय राजनीतिज्ञों के प्रति यह असहिष्णु बन गये। उनके हृदय में विद्रोहपूर्ण राष्ट्रीयता को नींव पड़ गयी।

स्वदेश-आगमन

सन् १८६३ ई० में अरविंद ने स्वदेश के लिए प्रस्थान किया, किंतु दुर्भाग्यवश भारत पहुँचने के पूर्व ही इनके पिता का देहांत हो गया। बात यह हुई कि उन्हें अपने बैंकर्स से पता चला कि जिस जहाज द्वारा अरविंद चले हैं वह दुर्भाग्यवश लिस्बन के समीप डूब गया। वृद्ध पिता को इस समाचार से इतना शोक हुआ कि वह इस आघात को सहन न कर सके और उनका देहांत हो गया। किंतु यह समाचार गलत था। अरविंद 'कार्थेज' नामक जहाज से रवाना हुए थे जो लंदन से दो दिन पहले ही चल चुका था और सन् १८६३ ई० के फ़रवरी मास में सुरक्षित रूप से बंबई पहुँच गया था।

गार्हस्थ्य जीवन और भविष्य की तैयारी

जब अरविंद इंग्लैंड में थे उन्हीं दिनों बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ भी वहाँ थे। उन्हें जेम्स काटन से अरविंद की प्रतिभा और योग्यता के विषय में पता चला। उन्हें यह भी मालूम हुआ कि वह बड़ौदा राज्य की सेवा के लिए प्रस्तुत हैं। उन्होंने अरविंद को बुलाकर उनसे भेंट की और नौकरी की सारी शर्तें वहीं निश्चित कर दीं। भारत पहुँचने पर अरविंद ने बड़ौदा राज्य की सेवा करनी आरंभ कर दी। यहाँ से उनके जीवन-विकास में एक नया मोड़ उपस्थित हुआ क्योंकि वास्तव में बड़ौदा में रहते हुए उन्होंने अपने भावी जीवन की तैयारी प्रारंभ की। सबसे पहले उनकी नियुक्ति अस्थायी

रूप में लगान-बंदोबस्त विभाग में दो सौ रुपये प्रति मास पर हुई। कुछ समय उन्होंने स्टाम्प और रेवेन्यू विभाग, कुछ दिनों सेक्रेटेरियट का काम और कुछ दिनों डिस्पैच की रिपोर्ट लिखने का काम भी किया। इन कार्यों को करते हुए वह शिक्षा-संबंधी कार्यों की ओर आकर्षित हुए, अतः उन्हें बड़ौदा स्टेट कॉलेज में पहले फ्रेंच भाषा का तत्पश्चात् इंग्लिश लिटरेचर का लेक्चरर बना दिया गया। बाद में वह कॉलेज के उपाचार्य भी हो गये और भारतीय राजनीतिक इतिहास में लेक्चर देने लगे। इस समय उनका मासिक वेतन साढ़े सात सौ रुपया हो गया था।

बड़ौदा में रहते हुए ही अरविंद का विवाह सन् १९०१ ई० में मृणालिनी नामक एक सुंदर एवं सुशील कन्या से हुआ। ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति से पाणिग्रहण होने पर भी मृणालिनी को प्रायः सारा जीवन वियोग में ही व्यतीत करना पड़ा। यद्यपि पति-पत्नी के संबंध अंत तक बड़े ही प्रेमपूर्ण थे, फिर भी अरविंद के साथ रहने का अवसर उन्हें बहुत कम मिला। सन् १९१८ ई० में पांडीचेरी जाते समय कलकत्ते में इल्फुंजा से मृणालिनी देवी का देहांत हो गया।

राज्य की सेवा करते हुए अरविंद अपने भावी जीवन की तैयारी में दत्तचित्त थे। यहाँ रहकर उन्होंने मराठी, गुजराती, संस्कृत और बंगला आदि भारतीय भाषाओं का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। इस समय ज्ञान का संचय ही उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। उन्होंने भारतीय जीवन के विशाल क्षेत्र, उसकी प्राचीन संस्कृति और उसकी प्रेरणा से घनिष्ठ परिचय प्राप्त किया। भारतीय दर्शन का उन्हें अब तक बड़ा ही सीमित ज्ञान था। अब उन्होंने संस्कृत साहित्य का विस्तृत अध्ययन किया और वेद और गीता के दर्शन में पांडित्य प्राप्त किया और इस प्रकार अपनी अंतरात्मा की खोज आरंभ की। श्री अरविंद ने लगभग १३ वर्षों तक बड़ौदा राज्य की सेवा की। यहाँ के जीवन के अंतिम भाग पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि इस समय इनके भीतर एक तीव्र ज्वाला जल रही थी जिसमें यह अपना सर्वस्व स्वाहा करने की तैयारी कर रहे थे। यह ज्वाला थी भारतमाता को परतंत्रता से मुक्त करने की और ईश्वर का साक्षात्कार करके, तद्रूप होकर उसके दिव्य ज्ञान, दिव्य शक्ति और आनंदरूपी अमृत को मानव-जाति का कल्याण करने के लिए संचार करने की।

सक्रिय राजनीति में

बड़ौदा में रहते हुए ही अरविंद ने राजनीतिक कार्य आरंभ कर दिया था, किंतु राज्य की सेवा में नियुक्त होने के कारण ऐसी स्थिति नहीं थी जिसमें वह स्वतंत्रतापूर्वक कार्य कर सकते। अवकाश मिलने पर वह अपने कुछ साथियों के साथ गुप्त रूप से बंगाल के राजनीतिक आंदोलन की तैयारी करते रहे। सन् १९०५ ई० में जब बंगाल का दो भागों में विभाजन हो गया तब पूरे देश और विशेषतः बंगाल में राजनीतिक

आंदोलन आरंभ हो गया। इसी समय राज्य की सेवा से त्याग-पत्र देकर अरविंद ने सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया और बंगाल चले आये। इस समय कलकत्ते में एक राष्ट्रीय कॉलेज की स्थापना हुई जिसके ये आचार्य नियुक्त किये गये। इस कॉलेज द्वारा सारे उत्तर भारत के नवयुवकों को राष्ट्रीयता का मंत्र देकर यह राजनीतिक क्रांति करना चाहते थे। उन्होंने अंग्रेजी में 'वंदेमातरम्' और बंगाल में 'युगांतर' नामक पत्रों का प्रकाशन आरंभ किया और स्वयं ही उनका संपादन भी किया। सन् १९०७ ई० में 'वंदेमातरम्' में एक क्रांतिकारी लेख के छापने के अभियोग में श्री अरविंद को जेल जाना पड़ा। जेल जाने के पूर्व वही इन पत्रों की नीति के एकमात्र संचालक रहे। राष्ट्रीयता और नवजागरण के प्रसार में इन पत्रों ने अमूल्य सेवाएँ कीं। सन् १९०८ ई० में माणिकटोला बमकेस में उन पर अभियोग लगाया गया, किंतु वह निर्दोष सिद्ध हुए। सन् १९०८ ई० में उन्हें अलीपुर षडयंत्र केस में पुनः बंदी बना लिया गया। यह मुकदमा एक वर्ष तक चलता रहा, किंतु अंत में वह निर्दोष सिद्ध हुए और ठीक एक वर्ष जेल में विचाराधीन कैदी की भाँति रह कर वह बाहर आये।

दैवी संदेश

जीवन में श्री अरविंद को कुछ विचित्र अनुभव हुए। यद्यपि उनकी आध्यात्मिक साधना तो निरंतर चल ही रही थी, किंतु जेल के एकांत जीवन में उन्होंने इधर और प्रगति की। जेल की प्रत्येक वस्तु में उन्हें भगवान कृष्ण का दर्शन होने लगा। एक दिन जब वह ध्यानमग्न थे तब उन्हें संदेश मिला, 'शीघ्र ही जेल से बाहर जाकर तुम्हें देश का उद्धार करना है। देश का उद्धार करने का अभिप्राय है सनातन धर्म का उद्धार।' जेल से निकलने के बाद उनका जीवन पूर्णतया बदल गया। जेल में उन्हें न केवल भगवान् के दर्शन हुए, बल्कि वहाँ रहकर वह एक परिपक्व अविच्छुब्ध राजनीतिक तत्त्वज्ञानी हो गये। इस समय तक उनका जीवन ईश्वरीय अनुभूति से आप्लावित हो चुका था।

पांडीचेरी की ओर

जेल से बाहर आने के बाद एकमात्र नेता के रूप में एक वर्ष तक वह आंदोलन को पुनरुज्जीवित करने का प्रयास करते रहे। उन्होंने अंग्रेजी में 'कर्मयोगी' और बंगला में 'धर्म' नामक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किये, किंतु उनके हृदय में अंतःसंघर्ष जारी था। फलस्वरूप उनके भीतर एक ऐसी प्रेरणा जगी जिसने राजनीतिक क्षेत्र से उन्हें विरक्त कर दिया और वह उस आत्मानुभूति के क्षेत्र में विचरण करने लगे जिसमें चेतना के निम्नस्तरीय मोह से मुक्त होकर नवीन अनुभव प्राप्त होते हैं।

सन् १९०६ ई० में सिस्टर निवेदिता को विश्वस्त सूत्र से ज्ञात हुआ कि अरविंद पुनः गिरफ्तार होने वाले हैं और इस बार उन्हें देश-निष्कासन का डंड मिलेगा। इस

सूचना के प्राप्त होने पर अरविन्द ने देशवासियों के नाम एक खुली चिट्ठी प्रकाशित की जिसे उनका अंतिम राजनीतिक वसीयतनामा कहा जा सकता है और वह राजनीति से संन्यास लेकर फरवरी सन् १९१० ई० में गुप्त रूप से चंद्रनगर की फ्रांसीसी बस्ती में चले गये। तदुपरांत वह वहाँ से अप्रैल मास में पांडीचेरो पहुँच गये। पांडीचेरी पहुँच कर अरविन्द योग-साधना में तल्लीन हो गये और उन्हें यह अनुभव होने लगा कि यह आध्यात्मिक कार्य बहुत महान् है तथा उसमें उन्हें अपनी सारी शक्ति लगा देनी चाहिए।

साधना-काल

सन् १९१० ई० से सन् १९१४ ई० तक का काल आर्थिक दृष्टि से उनके लिए बड़ा कष्टप्रद रहा, किंतु योगसाधना में वह लीन रहे। पांडीचेरी में सबसे पहले वह श्री शंकर चेट्टी के यहाँ ठहरे। वह चेट्टी के मकान के सबसे ऊपरी भाग में रहते थे और एकांत में साधना करते थे। कुछ समय पश्चात् वह एक किराये के मकान में चले गये और अपने कुछ साथियों के साथ भोजनादि बनाने का सारा कार्य करते हुए साधना करने लगे। सन् १९१४ ई० में उन्होंने 'आर्य' का प्रकाशन आरंभ किया। इसी वर्ष फ्रांसीसी महिला मीरा रीचार्ड उनसे मिलने आयीं और श्री अरविन्द के योग से बहुत प्रभावित हुईं। उन्होंने श्री अरविन्द की सेवा तथा योग-साधना में अपना जीवन अर्पित कर दिया तथा सन् १९२० ई० से वह पांडीचेरी में ही श्री अरविन्द के साथ बस गयीं और आज भी वहाँ का सारा प्रबन्ध वही कर रही हैं। यही मीरा रीचार्ड आगे चल कर माता जी के नाम से प्रसिद्ध हुईं। ज्यों-ज्यों श्री अरविन्द की साधना बढ़ती गयी, उनकी और लोग आकर्षित होने लगे। साधकों की संख्या बढ़ जाने के कारण पांडीचेरी में एक विशाल आश्रम की स्थापना हो गयी जिसमें देश-विदेश के जिज्ञासु आज भी योग की शिक्षा ग्रहण करते हैं।

सिद्धि-प्राप्ति

निरंतर साधना के कारण श्री अरविन्द में दिव्य शक्तियों का जागरण हो गया था। उनकी दीर्घ साधना का फल २४ नवंबर सन् १९३६ ई० को प्राप्त हुआ। इसी दिन उन्हें सिद्धि की प्राप्ति हुई। इस दिन उन्हें यह अनुभव हुआ कि उनका अधिकार उस अनंत ज्ञान और अनंत शक्ति वाले मन या विज्ञान पर है जिसके द्वारा असंख्य जीवों के भूत, भविष्य और वर्तमान को, उनकी निरंतर होने वाली आंतरिक बाह्य मानसिक और शारीरिक क्रियाओं को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है और उन्हें भगवान का साक्षात्कार कराने, उनके शरीर, मन और प्राण का रूपांतर कराने और उन्हें दिव्य बनाने के लिए उनमें आवश्यक ज्ञान और शक्ति का संचार किया जा सकता है।

इस शक्ति को प्राप्त कर लेने के पश्चात् श्री अरविन्द पूर्णतया एकांत जीवन बिताने

लगे और अपना बाह्य संपर्क केवल माताजी के साथ बनाये रखा। उन्होंने वर्ष में चार ऐसी तिथियाँ निश्चित कर दीं जिन पर सर्वसाधारण उनका दर्शन कर सकता था।

महासमाधि

अपने जीवन के अंतिम वर्षों में श्री अरविंद के गुर्दे में रोग हो गया। बहुत दिनों तक उन्होंने उसे नियंत्रित रखा, किंतु अंत में २ दिसम्बर सन् १९५० ई० को उन्होंने इस संसार को त्याग कर दिव्य लोक को प्रस्थान किया। उनकी महासमाधि के अवसर पर डा० राजेंद्र प्रसाद ने इन शब्दों में अपना उद्गार प्रगट किया था—“वे प्राचीन ऋषियों की भाँति साहसी और निर्भीक विचारक थे। ... वे जो संदेश छोड़ गये हैं, आध्यात्मिकता की जो सुवास बिखरे गये हैं, वह न केवल देश की आने वाली पीढ़ियों को, वरन् सारे संसार को प्रेरणा देती रहेगी। भारत इनकी स्मृति की पूजा और प्रतिष्ठा करता रहेगा और उन्हें अपने महान् मुनियों और देवदूतों में स्थान देगा।”

जीवन-दर्शन

श्री अरविंद का दर्शन ज्ञेयवादी (Gnostic) है। उन्होंने अपने दर्शन में जीवन को ज्ञेयवादी व्याख्या की है। वह विकास (Evolution) में विश्वास करते हैं और उन्हीं के शब्दों में इस विकास का लक्ष्य है—विश्व में व्याप्त दिव्य-शक्ति का प्रगतिशील बोध। उनका कथन है कि एकता की अंतःप्रेरणा में दर्शन का आदि और अंत निहित है। उनकी सभी रचनाओं में इस अंतःप्रेरणा की छाप है क्योंकि उनके समस्त-विचार मौलिक रूपसे इसी अंतःप्रेरणा पर आधारित हैं। उनके अनुसार इस संसार के समस्त विकासशील प्राणियों का एक ही प्रयोजन और लक्ष्य है—पूर्ण और अखंड चेतना की उपलब्धि। मनुष्य को व्यक्तिगत और सामूहिक या सामाजिक रूप में इसी पूर्ण और अखंड चेतना की प्राप्ति करनी है। वह यह मानते हैं कि सृष्टि-रचना के पीछे एक प्रयोजन है, इसका एक लक्ष्य है—परम चेतना (Supreme Consciousness) की प्राप्ति। उनके विचार में इसी चेतना के प्रस्फुटित होने को मानसिक विकास कहते हैं। विकास के स्तरों को बताते हुए उन्होंने कहा है कि विकास-क्रम की आरंभिक अवस्था में जड़ पदार्थ से वनस्पति-जगत् के रूप में प्राण का विकास हुआ। इसी विकास के दूसरे स्तर पर प्राण से पशु-मन का विकास हुआ जिसे प्रथम चेतन-चेतना कह सकते हैं। इसी पशु-मन या ऐंद्रिय मानसिकता से मन (Mind proper) अथवा मानव-मन का विकास हुआ। इस मानव-मन का गुण है : विचार करना, तर्क करना। विकास का यह वह स्तर है जहाँ पहुँच कर ऐसी मानव-चेतना का पूर्ण जागरण होता है जो स्वयं अपने विषय में भी विचार करती है।

①

चेतना के विकास-क्रम की दो विशेषताएँ हैं। प्रथम : पदार्थ, प्राण, मन और बुद्धि— इनका अस्तित्व पृथक्-पृथक् नहीं है, वरन् प्रत्येक अनुवर्ती स्तर अपने पूर्ववर्ती स्तर से जुड़ा हुआ है। इस विषय में श्री अरविद का तर्क यह है कि किसी पदार्थ या वस्तु से वही चीज़ उत्पन्न हो सकती है जो पहले से ही उसमें अंतर्निहित हो; केवल अंतर्निहित ही बहिर्मुख हो सकता है। जड़ पदार्थ में से प्राण इसलिए विकसित हुआ क्योंकि वह उसमें पहले से ही अंतर्निहित था; प्राण पदार्थ में प्रच्छन्न रूप में विद्यमान था। इसी प्रकार प्राण से मन का विकास इसलिए हुआ कि वह प्राण में अंतस्थ था; अतः प्राण और मन, दोनों पदार्थ में निहित थे। इसी भाँति, बुद्धि और चेतना (Consciousness Proper) दोनों प्राण मन (Vital mind) में निहित थे और साथ ही पूर्ववर्ती स्तर पदार्थ में भी। अतः चेतना अव्यक्त रूप में प्राण और पदार्थ दोनों में निहित थी। इसलिए इस विकास-क्रम में मौलिक तत्व चेतना है जो विकास के सभी स्तरों को व्यक्त या अव्यक्त रूप में सूत्र-बद्ध किये हुए है। पदार्थ-चेतना का ही नाम और रूप है जो अचेतन-अवस्था में रहता है। श्री अरविद का कथन है कि ब्रह्मांड की समग्रयोजना है—इसी चेतना, इसी अंतिम सत्य की प्रगतिशील अभिव्यक्ति करना। श्री अरविद इस विकास-क्रम को यांत्रिक और स्वचालित नहीं मानते हैं, मनुष्य के विकास-क्रम को तो निश्चय ही नहीं, क्योंकि यह क्रम विकास की प्रक्रिया की सोद्देश्य योजना करता है और उसकी गति को अग्रसर करता है। वह इस विकास-क्रम को चेतना का चेतन-विकास मानते हैं। यद्यपि मनुष्य विकास-मात्रा को व्यक्ति या समष्टि रूप में अग्रसर कर सकता है, तथापि इसे गति-विमुख नहीं कर सकता, पीछे नहीं लौटा सकता क्योंकि चेतना का पूर्ण-विकास या सिद्धि दैवी चेतना द्वारा पूर्वनिर्दिष्ट होती है।

विकास-क्रम की दूसरी विशेषता यह है कि प्रत्येक उच्च स्तर पर पहुँच कर विकसित चेतना, अपने पूर्ववर्ती और अनुवर्ती स्तरों को अपने ढंग से और अपने नियमों के अनुरूप प्रभावित करती है। उदाहरण के रूप में, प्राण और पदार्थ का समवाय रूप प्राणी है। यह पदार्थयुक्त प्राणी पदार्थ से पृथक् या भिन्न रूप में कार्य करता है क्योंकि जड़ पदार्थ की भाँति वह कठोर यांत्रिक नियमों से शासित नहीं होता है। इसी प्रकार मनयुक्त प्राणी केवल प्राणयुक्त चीजों और जड़ पदार्थ से भिन्न रूप में कार्य करता है। इसी प्रकार, बुद्धियुक्त मन का विकास हो जाने पर उसका कार्य पूर्ववर्ती स्तरों से भिन्न होता है। बुद्धि और तर्कयुक्त मनुष्य अपने भौतिक वातावरण और पाशविक प्रवृत्ति को पुनः नये रूप में ढालने का प्रयत्न करता है। पुनः संगठन की यह प्रक्रिया, विशेषकर मानव-प्रवृत्ति की एक चेतन-आवश्यकता (Conscious Need) होती है जो वन-स्पति-जगत् की सहज क्रिया से भिन्न होती है। चेतना के इन तीन स्तरों का मनुष्य ने अपनी चेतना के प्रकाश में, बुद्धि के प्रकाश में वर्गीकरण किया है और क्रम बद्ध बनाया

श्री अरविंद के अनुसार विकास की यह प्रक्रिया निरंतर अग्रसर हो रही है और विकास-क्रम में चेतना की एक ऐसी स्थिति का आना अवश्यभावी है जिसे वह अतिमानसिक स्तर कहते हैं। इस स्तर तक पहुँच जाने पर, पृथ्वी पर एक नवीन चेतना, एक नवीन जाति का उदय होगा। उन्होंने बताया है कि चट्टानों और खनिजों से वनस्पति की उत्पत्ति हुई, वनस्पति से पशु उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार पशु से मानव का विकास हुआ और अब मानव से अतिमानव का विकास होना अनिवार्य है।

श्री अरविंद कहते हैं कि अपनी सीमित बुद्धि और तर्कशक्ति के कारण मनुष्य के लिए उस नवीन चेतना के स्तर की कल्पना करना कठिन है, जैसे वनमानुष के लिए मनुष्य के रूप में अपने भावी विकास की कल्पना करना कठिन रही होगी। जिस प्रकार मानवी चेतना के विकास के इस स्तर पर भी हमें उच्च स्तर के कुछ विशेष संकेत मिलते हैं, उसी प्रकार वनमानुष को भी उस तर्क की भाँकी मिली होगी जिसे मनुष्य की विशेषता मानी जाती है। ये संकेत हमें सहज ज्ञान, अंतःप्रेरणा और दैवी प्रकाश के रूप में प्राप्त होते हैं। उच्चकोटि के वैज्ञानिक और गणितज्ञ अपने अनुसंधानों और आविष्कारों का श्रेय अपने सहज ज्ञान को ही देते हैं। अंतःप्रेरणा के द्वारा ही कवि और कलाकारों को यथार्थ के सौंदर्य का बोध होता है। प्राचीन या आधुनिक सभी साधु-संतों और रहस्यवादियों को, जो बहुत ही विकसित प्राणी होते हैं, सत्य की प्रत्यक्षानुभूति होती है जिसे दैवी प्रकाश भी कहते हैं। चेतना के ये अतिसामान्य रूप तर्क या मानव-बुद्धि की उपज नहीं हैं। चेतना के अतिसामान्य रूप यदाकदा मानव-चेतना के क्षेत्र में अवतरित होते हैं। इन्हीं के द्वारा चेतना के उच्चतम और श्रेष्ठतम स्वरूप का आभास मिलता है। जिस प्रकार तर्क और युक्ति मानव मन की विशेषताएँ हैं उसी प्रकार सहज ज्ञान, अंतःप्रेरणा और दैवी प्रकाश अतिमानव की विशेषताएँ हैं।

चेतना की इस अतिसामान्य स्थिति को प्राप्त करना मानव-चेतना के लिए दुर्लभ है। यह हमारी इच्छा-शक्ति के परे है। अतिमानसिक चेतना केवल अतिमानव के ही सहज, पूर्ण और शाश्वत अधिकार की वस्तु है, किंतु फिर भी यदि मनुष्य अपनी वर्तमान चेतना को और अधिक श्रेष्ठ, विकसित और अतिचैतन्य बनाए तो अतिमानव को जन्म देने में समर्थ हो सकेगा। पूर्ववर्ती स्तरों पर विकास की प्रक्रिया अपनी प्राकृतिक एवं स्वाभाविक गति के अनुसार धीरे-धीरे होती है, किंतु अब मानव-चेतना के स्तर पर यदि मनुष्य चाहे तो अपने विचार एवं चेतनप्रयास द्वारा, अपनी सुव्यवस्थित, प्रबल एवं प्रयत्ननिष्ठ इच्छाशक्ति द्वारा अतिमानस के स्तर पर शीघ्र ही पहुँच सकता है। अचेतन और चेतन विकास-क्रम में यही अंतर है कि अचेतन स्तर पर विकास करने में शताब्दियों एवं अगणित जन्म लग जाते हैं, किंतु चेतन-विकास द्वारा मनुष्य समय और काल की दूरी का अतिक्रमण करके, शीघ्र ही, गतिपूर्वक उच्चतम विकास प्राप्त कर सकता है।

इस अतिमानसिक स्तर को प्राप्त कर लेने पर अज्ञान का नाश हो जाता है और

फिर प्रकाश ही प्रकाश, ज्ञान ही ज्ञान रहता है। मानसिक क्षेत्र की उच्चतम ऊँचाई पर पहुँच कर भी प्रकाश और अन्धकार, ज्ञान और अज्ञान दोनों मिले-जुले रूप में ही रहते हैं। इस स्तर पर भी संदेह, द्वैतभाव और अनिश्चय के तत्व वर्तमान रहते हैं। इस स्तर पर मनुष्य अंधकार से कम अंधकार की ओर अग्रसर होता है। दूसरे शब्दों में, उसका प्रत्यक्षीकरण आंशिक होता है। किंतु अतिमानसिक स्तर पर पहुँच जाने पर मनुष्य प्रकाश से अधिक प्रकाश, ज्ञान से अधिक ज्ञान की ओर अग्रसर होता है। अतिमानस के स्तर पर पहुँच कर मानसिक चेतना के सभी भेद, द्वैतभाव, अज्ञान, शंका, संदेह और आंशिक प्रत्यक्षीकरण का नाश हो जाता है।

श्री अरविंद के विचार में यह संभव नहीं है कि मनुष्य एक ही छलांग में अतिमानस के उच्च स्तर पर पहुँच सके। अतः मानसिक स्तर से अतिमानस तक पहुँचने के लिए उन्होंने दो और स्तरों की बात की है—उपरिमन तथा दिव्यमन। मानसिक स्तर अज्ञान और अन्धकार का स्तर है और अतिमानसिक स्तर पूर्ण प्रकाश और ज्ञान का स्तर है। इन दोनों के संघि-स्थल पर गोधूली की भाँति अंधकार और प्रकाश मिले-जुले होते हैं। इस स्थल के पार अतिमानस की सीमा में उपरिमन और दिव्यमन की स्थिति है। अतिमानस विकास की वह अवस्था है जहाँ प्रत्यक्ष, निश्चित एवं पूर्ण ज्ञान का जाज्वल्यमान प्रकाश है। यह ज्ञान की वह अवस्था है जिसमें विषयी और विषय में कोई भेद नहीं रह जाता। यही आत्म-ज्ञान की अवस्था है। मानसिक स्तर पर सत्य की उपलब्धि के लिए इच्छा-शक्ति को प्रयत्न, संघर्ष और श्रम करना पड़ता है, किंतु इस स्तर पर पहुँच कर वह चेतना की आत्मशक्ति के सहज प्रकाशन के रूप में व्यक्त होने लगती है। यहाँ इच्छा करते ही सत्य की उपलब्धि हो जाती है क्योंकि इस स्तर पर ज्ञान और इच्छा में अभेद होता है। इस अतिमानसिक स्तर पर पहुँच जाने पर अभूतपूर्व शांति का अनुभव होता है, आनंद द्वारा सृष्टि का रहस्य स्पष्ट हो जाता है तथा हर्षातिरेक की इस स्थिति में सत्ता की सत्यता का बोध हो जाता है।

श्री अरविंद का विचार है कि यह अवस्था मौलिक रूप में वेदांतिक विचारधारा के सत्, चित्, आनंद का ही स्वरूप है। यहाँ केवल सत्, चित्, आनंद का एकीकरण कर दिया गया है। सांसारिक जीवन और अस्तित्व का आधार यही एकीकृत चेतना है। यह एकीकृत चेतना अपने श्रेष्ठ नियमों के अनुकूल सांसारिक जीवन और अस्तित्व के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति करती है। श्री अरविंद की भविष्यवाणी है कि उच्च आध्यात्मिक स्थिति आ रही है और उसका आना निश्चित है। उसका आगमन अतीत में किए गए सभी मानव प्रयत्नों की चरम परिणति का सूचक होगा।

पाप की समस्या

मानव की सभी समस्याओं में सबसे जटिल समस्या पाप की है—वैयक्तिक और

सामाजिक दोनों क्षेत्रों में। इसकी मूल प्रकृति, कारण तथा निदान के विषय में श्री अरविंद का कथन है कि सामान्य रूप से इस प्रश्न को निराश होकर छोड़ दिया जाता है, प्रायः यह भी बलपूर्वक कहा जाता है कि मनुष्य के आदिम स्वभाव में पाप, अज्ञान और अविवेक निहित हैं और इनका उन्मूलन असाध्य है, केवल मूलप्रवृत्त्यात्मक स्तर पर व्यक्ति के जीवन में और विशेषकर सामाजिक जीवन में थोड़ा सुधार ही सकता है। अनेक सुधारकों, आदर्शवादियों और परमज्ञानियों ने भी इस समस्या को सुलझाने की चेष्टा की है और कुछ लोगों ने तो इसे समूल नष्ट करने की चर्चा भी की है, परंतु भूत और वर्तमान के तमाम प्रयत्नों की अपेक्षा भी यह समस्या पूर्ववत् विद्यमान है। श्री अरविंद के विचार में इस पाप का उन्मूलन अतिमानस के स्तर पर अतिमानव द्वारा ही हो सकता है। शुभ और मंगल सदैव से ही इस समस्या का समाधान रहा है और आज भी है, किंतु श्री अरविंद का कथन है कि यह शुभ या मंगल चेतना के उसी निम्न स्तर का भागी है जिसका कि पाप। श्रेष्ठ आध्यात्मिक मानवी स्तर वाले प्राणी के भरपूर प्रयत्न द्वारा भी इसे दूर नहीं किया जा सकता है। इसका उन्मूलन अतिमानसिक रूपांतर द्वारा ही संभव है। पाप के उन्मूलन के संबंध में अब तक जो प्रयास हुए हैं, श्री अरविंद कहते हैं, कि वे व्यर्थ नहीं जायेंगे। वे मनुष्य के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न स्तरों पर की गई तैयारियों के रूप में हैं।

श्री अरविंद कहते हैं कि यदि हम अपने देश में पाप की समस्या पर विचार करें तो ज्ञात होगा कि इस संबंध में हमारे यहाँ जो प्रारंभ में दृष्टिकोण था वह आज पूर्णतया बदल गया है। सर्वप्रथम, हम उपनिषदों में पाप की समस्या पर जिस दृष्टिकोण से विचार किया गया है उसे देखें। उपनिषदों के अनुसार पाप की भावना तभी तक विद्यमान रहती है जब तक कि व्यक्ति की चेतना पर अज्ञान का आवरण पड़ा रहता है। ज्यों ही यह आवरण हट जाता है त्यों ही पाप लुप्त हो जाता है। जब तक इस विचारधारा का प्राधान्य था तब तक पाप की समस्या को सार्वभौमिक स्थिति नहीं प्राप्त थी क्योंकि यह माना जाता था कि पाप व्यक्तिगत चेतना में अज्ञान के कारण उत्पन्न होता है। फलतः यह समझा जाता था कि व्यक्ति में सत्य ज्ञान के उत्पन्न होते ही यह उसी प्रकार नष्ट हो जायेगा जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से ओस की बूँदें समाप्त हो जाती हैं। इस दृष्टिकोण से पाप की समस्या मुख्यतः एक व्यावहारिक समस्या भी थी; यह केवल व्यक्ति के प्रशिक्षण की समस्या थी जिससे कि वह सत्य ज्ञान की उपलब्धि करने में समर्थ हो सके। यह प्रशिक्षण 'योग' के साथ घनिष्ठ रूप से संबद्ध था अथवा 'पाप' की समस्या का समाधान 'योग' में निहित था। उपनिषदों में भी हमें सार्वभौमिक मुक्ति अर्थात् समस्त सांसारिक प्राणियों की पाप से मुक्ति का संकेत मिलता है। उपनिषद् के इस दृष्टिकोण से, श्री अरविंद कहते हैं कि संसार के मिथ्यात्व का संकेत नहीं मिलता। इसके प्रतिकूल, यह कहा जा सकता है कि उपनिषदों की धारणा संसार को अवास्तविक मानने के विरुद्ध

है। उपनिषदों में, संसार में ईश्वर के सर्वान्तर्यामी होने के विचार पर विशेष रूप से बल दिया गया है और यह विचार प्रत्यक्षतः शंकराचार्य के मायावाद के सिद्धांत के विरुद्ध है जो संसार को मिथ्या मानता है। अतः परवर्ती युग में, श्री अरविंद कहते हैं, पाप के स्वरूप-संबंधी विचारों में परिवर्तन होने के कारण संसार को मिथ्या माना जाने लगा। इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि लोग 'पलायनवाद के सिद्धांत' में विश्वास करने लगे। संसार क्योंकि मिथ्या है, अतः हमें संसार से पलायन करना चाहिए। उपनिषदों का कहना है कि हमें विषयों से बचना चाहिए और उनका यह कथन इस तथ्य से सर्वथा भिन्न है कि हमें संसार से पलायन करना चाहिए।

पाप की समस्या के संबंध में एक दूसरा 'अतिवादी' दृष्टिकोण भी है। इसके अनुसारी पाप संसार की स्थायी विशेषता है। पश्चिम के लोग इसी दृष्टिकोण के पक्षपाती हैं, किंतु श्री अरविंद इसका भी समर्थन नहीं करते हैं। अतिवादी दृष्टिकोण की मान्यता है कि पाप भी उतना ही सत्य है जितना पुण्य। पाप की समस्या, इस संसार में, पाप और पुण्य के सह अस्तित्व की समस्या है। सामान्यतः पुण्य की स्थिति ऊँची मानी जाती है और समझा जाता है कि ईश्वर उसके साथ एकात्म है। जो कुछ भी हो, इससे समस्या और असाध्य हो जाती है क्योंकि पुण्य के साथ एकात्म ईश्वर पाप के बने रहने को कैसे सहन कर सकता है जो उसकी प्रकृति के प्रत्यक्ष विपरीत पड़ता है। अतः यह समस्या पाश्चात्य दार्शनिकों के समक्ष अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न कर देती है। श्री अरविंद इस पाश्चात्य दृष्टिकोण से सहमत नहीं कि संसार आज बुरा है और यह सदैव बुरा बना रहेगा।

श्री अरविंद का कथन है कि यदि पाप की समस्या को संसार की स्थायी एवं असाध्य समस्या नहीं बना रहना है तो यह अनिवार्य है कि हम पुराने दृष्टिकोण को त्याग दें— चाहे वह प्राच्य दृष्टिकोण हो अथवा पाश्चात्य और इस समस्या पर नये ढंग से विचार करें। स्वयं हमारे प्राचीन दृष्टिकोण में यह दोष है कि वह पाप की समस्या को गंभीर रूप में ग्रहण नहीं करता है। इस समस्या के उद्गम और निराकरण दोनों को समझने के लिए हमें 'विकास के आध्यात्मिक सिद्धांत' को, जो सृष्टि का केन्द्रीय सत्य है, पूर्ण रूप से जानना होगा। 'विकास-क्रम' वास्तव में सृष्टिक्रम से उल्टी क्रिया है। जिस प्रकार सृष्टि, पदार्थ, जीवन और मन में आत्मा की अंतर्निहित है उसी प्रकार विकास पदार्थ, जीवन और मन से अपनी वास्तविक प्रकृति में आत्मा का पुनरावर्तन है। विकास के इस सामान्य स्वभाव से यह स्पष्ट है कि यह विकास तब तक नहीं रुकेगा, जब तक कि संपूर्ण जगत् पूर्ण आत्मा या सच्चिदानन्द की स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेता है। इसलिए विकास की बात करना और पाप की शाश्वत सत्ता पर जोर देना, दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं। यदि विकास एक तथ्य है तो पाप कभी भी संसार की एक स्थायी विशिष्टता बन सकता है। विकास के एक निश्चित स्तर पर पहुँच कर और एक निश्चित

दशा में पाप का उदय और प्रसार संसार में होता है और जब वे दशायें नहीं रहतीं तब उसका नाश हो जाता है। अतः पाप संसार की अस्थायी एवं आकस्मिक विशिष्टता है। संसार अपने आप में पापमय नहीं है, आरंभ में भी संसार पापपूर्ण नहीं था क्योंकि उस समय संसार अचेतनता के अंधकार से आच्छादित था और इस दशा में पाप और पुण्य का कोई भेद ही नहीं किया जा सकता था। विश्व के विकास के मध्यवर्ती स्तर पर पाप की संभावना रहती है। पाप का अस्तित्व केवल जीवन और मानसिक स्तर पर ही रहता है। उच्चतर स्तरों पर उसका लोप हो जाता है।

पाप के इस प्रकार के उद्भव को समझने के लिए हमें उस स्थिति का चित्र अपने सामने रखना होगा जब विकास-क्रम में पदार्थ से प्राण का स्फुरण होता है। इस स्तर पर प्राण चारों ओर से भौतिक शक्तियों से घिरा रहता है और अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए विरोधी शक्तियों के विरुद्ध अपने को प्रबल रूप में प्रदर्शित करने के लिए बाध्य होता है। इस प्रकार तब सर्वप्रथम प्राण या जीवन में अपने को उत्तेजक रूप में उपस्थित करने की शक्ति उत्पन्न होती है जिसे 'अहंकार' कहते हैं। अतः 'अहंकार' का उदय उस आवश्यकता के कारण होता है जिसका अनुभव 'जीवन' या प्राण असहिष्णु प्रकृति के विरुद्ध अपनी रक्षा के लिए करता है। चेतना के अधिक विकसित रूप के उदय होते ही 'अहंकार' और भी शक्तिशाली एवं सुरक्षित रूप में विकसित होता है क्योंकि प्राण-स्तर पर अहंकार के साथ मानसिक अहंकार का संपर्क हो जाता है। यही 'अहंकार' पाप के उदय का मूल है। पाप के उदय होने की इस प्रक्रिया से यह स्पष्ट है कि पाप उस समय उत्पन्न नहीं हो सकता जब विकास-क्रम विशुद्धतः भौतिक स्तर पर होता है क्योंकि उस स्तर पर अचेतनता के अंधकार में आत्म-संज्ञा (Self-awareness) नहीं होती और आत्मग्रह (Self assertiveness) नहीं के बराबर होता है। पाप के उत्पन्न होने के लिए यह आवश्यक है कि विकास-क्रम प्राण-स्तर पर पहुँचा हुआ हो। कारण, इसी स्तर पर पहुँचकर आत्म-प्रदर्शन एवं अहंकार का विकास होता है।

सामान्यतः पाप के उदय होने का यही ढंग है। किंतु इसके अतिरिक्त दूसरा भी मार्ग है जिसके द्वारा पाप संसार में प्रवेश करता है। श्री अरविंद के अनुसार अति-भौतिक सत्ताएँ होती हैं जिनमें ऐसी शक्तियाँ हैं जिनका मूल अज्ञान में होता है और जो अपनी शक्ति का उपयोग करती हैं। ये अतिभौतिक सत्ताएँ भौतिक प्राणियों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए सत्य, प्रकाश और पुण्य की वृद्धि को रोकती हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये दैवी चेतना और दैवी अस्तित्व की ओर जाने वाली मानव-प्रकृति के प्रयास में बाधा डालती हैं। इन्हीं अतिभौतिक सत्ताओं का वर्णन पुराने समय के धर्म, गाथा आदि में चला आ रहा है और सभी प्रकार के रहस्यात्मक ज्ञान में जिनकी स्थिति है। अतिभौतिक जगत् में यक्ष, राक्षस, पिशाच आदि रहते हैं जिनका वर्णन प्राचीन धर्मों में पाया जाता है। यद्यपि अंधकार का प्रतिनिधित्व करने वाली ये

शक्तियाँ बड़ी शक्तिशालिनी होती हैं, तथापि उनके अस्तित्व को विश्व की स्थायी विशेषता नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पाप ने जिस भी द्वार से संसार में प्रवेश किया हो, यह संसार में स्थायी रूप से ठहर नहीं सकता। इसका अस्तित्व तभी तक रहता है जब तक विकास-क्रम प्राण और मानसिक स्तर पर होता है, किंतु उच्च स्तर का विकास होते ही यह लुप्त हो जाता है।

प्रश्न यह उठता है कि संसार पाप से मुक्त कैसे हो ? इस समस्या का समाधान संसार के तात्त्विक रूपांतर में प्राप्त किया जा सकता है, केवल व्यक्ति की चेतना में ज्ञान के प्रवेश से नहीं। यह स्मरण रखना चाहिए कि हमारी समस्या सार्वभौमिक है, व्यक्तिगत नहीं। यदि कुछ व्यक्ति व्यक्तिगत आधार पर पाप से मुक्ति प्राप्त भी कर लें तो भी हमारी समस्या जहाँ की तहाँ रह जाती है। श्री अरविंद संसार के उस तात्त्विक परिवर्तन की कल्पना करते हैं जिसके आधार पर संसार पाप के दुःस्वप्न से पूर्णतया मुक्त हो जायेगा।

यह तात्त्विक परिवर्तन किस प्रकार किया जाय ? हम पहले ही देख चुके हैं कि विकास अचेतन रूप से मंदगति से बराबर हो रहा है, पर इस मंदगति से होने वाले परिवर्तन में अधिक समय लगेगा। यदि हम शीघ्र ही तात्त्विक परिवर्तन चाहते हैं तो विकास की निरंतर होने वाली प्रक्रिया को किसी दूसरी पूरक वस्तु द्वारा तीव्र करना होगा। यह दूसरी वस्तु है 'दैवी अनुकंपा' या दैवी प्रकाश का अधिक-से-अधिक मात्रा में अवतरण। 'दैवी अनुकंपा' तात्त्विक परिवर्तन की अनिवार्य मान्यता है और केवल यही संसार को पाप से मुक्त कर सकती है। किंतु यदि ईश्वरीय अनुकंपा संसार की प्रकृति में तात्त्विक परिवर्तन का प्रधान माध्यम है तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मनुष्य के प्रयास की उपेक्षा की जाय। इसके विपरीत दैवी अनुकंपा को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने को उपयुक्त एवं सुपात्र बनाना होगा। जब तक मनुष्य सुपात्र नहीं होता, उसमें 'दैवी अनुकंपा' को पाने की तीव्र प्रेरणा नहीं होती, तब तक अनुकंपा का अवतरण नहीं होता है। मनुष्य, योग-पद्धति द्वारा, 'दैवी अनुकंपा' के अवतरण के समय, उसे ग्रहण करने के लिए अपने को योग्य अथवा उपयुक्त बना सकता है।

यहाँ यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि उपयुक्तता के विषय में श्री अरविंद और परंपरागत विचारों में भेद है। उपयुक्तता से श्री अरविंद का वह तात्पर्य नहीं है जो परंपरागत विचार-धारा में है, अर्थात् शरीर, जीवन और मन से पूर्ण तटस्थता (Detachment)। ऐसी तटस्थता मनुष्य को दैवी प्रकाश को ग्रहण करने के बजाय अनुपयुक्त बनाती है। दैवी प्रकाश ग्रहण करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी पूर्णसत्ता (अर्थात् शरीर, जीवन और मन) के साथ ग्रहणशील बने। यदि दैवी प्रकाश व्यक्ति के जीवन के एक ही अंश को उद्भासित करता है तो व्यक्ति उसे अक्षुण्ण नहीं रख सकेगा और वह अपनी पूर्ववस्था में पुनः पहुँच जायगा। इसके अतिरिक्त, उपयुक्तता का अर्थ है कि व्यक्ति संसार

को उच्चतर स्थिति तक उठने में सहायता करेगा। परन्तु शरीर, जीवन और मन से तटस्थ व्यक्ति, इसके विपरीत अपने को संसार से पूर्णतया पृथक् कर लेगा जो अध्यात्म विरोधी कार्य है क्योंकि आध्यात्मिकता का तात्पर्य है संपूर्ण विश्व के साथ एकात्म का स्थापन। जो भी हो, दैवी अनुकंपा और आत्म-प्रयास को एक दूसरे का विरोधी समझना भूल होगी। वे दोनों परस्पर विरोधी न होकर एक ही सत्ता के दो पहलू हैं। इन दोनों को विकास-क्रम में पग-पग चलना है।

श्री अरविंद : अतिमानव के देवदूत

श्री अरविंद के विचार में अतिमानव का आविर्भाव (Emergence) विकास की अनिवार्यता है। इसी के परिणामस्वरूप अतिमानव का उदय होना भी अनिवार्य है क्योंकि अतिमानव में ही अतिमानव का अवतरण होता है। यहाँ यह स्पष्ट रूप से समझ लेना आवश्यक है कि अतिमानव और अवतार दोनों एक ही नहीं हैं। इस संसार में अवतार का जन्म एक विशेष मन्तव्य से होता है। ईश्वर उसे एक विशेष उद्देश्य से भेजता है और वह उस उद्देश्य को कार्यान्वित करने के लिए संसार में आता है और कार्य समाप्त होते ही वह संसार से विकास की प्रगति को वैसे ही छोड़कर चला जाता है। वह विश्व की प्रवृत्ति में कोई तात्त्विक परिवर्तन नहीं करता, वह तो विकास के मार्ग की महान् बाधाओं को दूर कर विकास के मार्ग को प्रशस्त बनाता है ताकि वह अपनी मंथरगति से अग्रसर हो सके। यह सत्य है कि अवतार मनुष्य-शरीर में जन्म लेता है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि वह संपूर्ण मानव जाति को दिव्यता प्रदान करता है। मनुष्य के शरीर में अवतार के आगमन से यह भी सिद्ध हो जाता है कि मनुष्य का शरीर दिव्यसारतत्व (Divine Essence) अपने भीतर रख सकने में सर्वाधिक समर्थ है। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मनुष्य में दिव्य बनने की क्षमता है। इसके अतिरिक्त अतिमानव संसार में किसी विशेष उद्देश्य से नहीं आता और न उस उद्देश्य के पूरा होते ही चला जाता है। वह विश्व में स्थायी रूप से निवास करने के लिए आता है और अपने उच्च कार्यों से विश्व को ऊँचा उठाता है। वह एक व्यक्ति के रूप में नहीं आता, वरन् एक उच्च जाति के प्राणियों के सदस्य के रूप में आता है। जब विश्व का विकास उस स्तर पर पहुँच जाता है कि अतिमानव का आविर्भाव हो तब अतिमानव एक व्यक्ति के रूप में नहीं, वरन् अतिमानवों की एक जाति के रूप में आता है।

अतिमानव पवित्र होते हुए भी ईश्वर के समरूप (Identical) नहीं होता और न उसके आविर्भाव के साथ ही विकास का क्रम रुक जाता है। हाँ, इस क्रम में एक तात्त्विक परिवर्तन अवश्य होता है—अतिमानव के अवतरण के पूर्व यह विकास अज्ञान के द्वारा होता है पर उसके अवतरण के पश्चात् सर्वप्रथम विकास ज्ञान के द्वारा होता है। किन्तु ज्ञान की भी कई कोटियाँ होती हैं, अतः विकास-क्रम तब तक ऊर्ध्वगामी बना रहता है

जब तक कि सच्चिदानंद का आविर्भाव नहीं होता जो सत्, चित् और आनंदस्वरूप है ।

यह स्मरण रखना बहुत ही आवश्यक है कि अतिमानव के विकास का यह सिद्धांत मानवतावाद के सिद्धांत से बहुत भिन्न है। मानवतावाद मानव और उसकी समस्याओं मात्र को ही दर्शन का विषय मानता है। वह प्रत्येक तथ्य को, मानव की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि क्षेत्रों की विभिन्न वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, मानव-दृष्टिकोण से आँकता है। वह उप-मानव (Sub-human) तथा अतिमानव-जगत् के संबंध में बिल्कुल विचार नहीं करता। श्री अरविंद के विचार में यह एक अपूर्ण विचारधारा है। मानव और उसकी समस्याएँ विकास-क्रम के एक स्तर से ही संबन्धित हैं, अतः उन्हें इतना महत्त्व नहीं दिया जा सकता कि वे अन्य समस्याओं को ढँक लें। मानवतावादी केवल नैतिक जगत् में ही रहते हैं। नैतिकता अकेली हमें वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति नहीं करा सकती।

अतिमानव के विकास का दर्शन इससे भिन्न है। यह संपूर्ण विश्व पर विचार करता है, केवल मानव और उसकी समस्याओं पर ही नहीं जो कि संपूर्ण विश्व का एक अंग मात्र है। हाँ, इसका आग्रह इस बात पर है कि मनुष्य ने अपनी उस क्षमता को प्रदर्शित किया है जिससे स्पष्ट है कि वह मनुष्य से ऊँचा उठ सकता है। श्री अरविंद का विश्वास है कि जब 'उच्चतर प्रकाश' का अवतरण होगा और वह प्रकाश संपूर्ण विश्व को और भी अधिक उदात्त, श्रेष्ठ एवं पवित्र रूप में रूपांतरित कर देगा, तब उस प्रकाश का अवतरण मनुष्य की चेतना में होगा। इस अवतरण का परिणाम होगा मनुष्य का अतिमानव के रूप में परिवर्तन और साथ ही उसकी प्रकृति का पराप्रकृति के रूप में रूपांतर। अतिमानव और उसकी पराप्रकृति के इसी दृष्टिकोण से ही श्री अरविंद विश्व के संबंध में विचार करने का प्रयत्न करते हैं। इस दृष्टिकोण से मनुष्य की आवश्यकताओं और समस्याओं का विशेष महत्त्व नहीं है और वे विशाल समस्याओं में अंतर्लीन हो गयी हैं।

श्री अरविंद द्वारा प्रतिपादित विकास के स्वरूप की विशेषता यह है कि उसमें मनुष्य के लिए अपनी सत्य स्थिति—दैवी स्थिति तक पहुँचने का विधान है। यह विचित्र बात है कि मनुष्य की दिव्यता के संबंध में अपने सिद्धांतों का दम भरने वाले पश्चिमी दार्शनिक नैतिक स्तर की अपेक्षा मनुष्य को और ऊँची स्थिति प्रदान न कर सके। उनकी असफलता का कारण है, उनके विकास का दोषपूर्ण सिद्धांत। वे या तो विकास का यांत्रिक रूप में ग्रहण करते हैं जहाँ मनुष्य की दिव्यता की कोई बात नहीं हो सकती है, या जब वे इसे आध्यात्मिक रूप में देखते हैं तब वे आध्यात्मिकता को भौतिकता से पूर्णतया पृथक् कर देते हैं। इसी कारण से पश्चिम का आध्यात्मिक दृष्टिकोण मनुष्य को मध्य आकाश में लटकता हुआ छोड़ देता है। वह भौतिक संसार से तो पृथक् हो ही जाता है, साथ ही दिव्यता से भी अलग रह जाता है।†

श्री अरविंद का दर्शन बड़े स्पष्ट रूप से पदार्थ (Matter) और आत्मा (Spirit)

में समन्वय स्थापित करता है, सार्वभौम चेतना में दोनों की वास्तविकता को स्वीकार करता है। वह कहते हैं कि हमें सत् (Being) को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम उसमें निवास करते हैं। यह सत् ही सभी विश्व-क्रिया (Cosmic activity) का आधार है। परंतु सत् स्वयं असत् (Non-being) से उत्पन्न हुआ है। असत् ही सत् को स्थान देता है, अतः सत्ता (Reality) शाश्वत् शान्ति और शाश्वत् क्रिया है जो उसी के अस्तित्व के दो पहलू हैं। यदि शाश्वत् सत्य है तो शाश्वत् असत्य भी है। यदि संसार स्वप्न या भ्रम है और ब्रह्म सत्य है तो यह स्वप्न सत्ता में ही विद्यमान है, उससे बाहर नहीं और जिस सामग्री से उसकी रचना हुई है वह वही परमसत्ता है। इस प्रकार यह संसार उतना ही वास्तविक है जितना ब्रह्म। यदि यह संसार वैसा ही भ्रम है जैसे रज्जु में सर्प का भ्रम तो हम तर्क कर सकते हैं कि यह भ्रम इसलिए वास्तविक है क्योंकि रज्जु और सर्प दोनों का वास्तविक अस्तित्व है। यह भ्रम इसलिए संभव है क्योंकि भ्रम होने से पूर्व सर्प किसी समय किसी स्थान पर वास्तविक रूप में था। इसी प्रकार यदि संसार भ्रम है तो इस रूप में भ्रम होने से पूर्व उसका वास्तविक अस्तित्व किसी अन्य रूप में रहा होगा। अतः असत् (Non-being) और विश्व एक ही शाश्वत् सत्ता की दो विभिन्न स्थितियाँ हैं। भौतिकवाद और आदर्शवाद एक ही सत्ता के दोनों छोरों पर हैं। विश्व में इस सत्ता की उच्चतम अभिव्यक्ति केवल उसके चित् पक्ष का प्रदर्शन नहीं करती वरन् परम बुद्धि, शक्ति और आनंद का भी। ब्रह्म ने यदि रूप ग्रहण किया है, पदार्थ-तत्व में अपने को प्रदर्शित किया है तो केवल आत्माभिव्यक्ति का आनंद लेने के लिए। यह सृष्टिक्रम दिव्य इच्छाशक्ति के कारण ही निरंतर गतिशील है। अतः श्री अरविंद का कथन है कि शंकराचार्य ने यह तो ठीक कहा कि ब्रह्म परम मुक्ति (Absolute Freedom) एवं शाश्वतः स्वयं-पूर्ण (Eternally self-sufficient) है परंतु उन्होंने ब्रह्म के एक ही पक्ष पर बल देकर उसके अस्तित्व को एक ही पक्ष तक सीमित कर दिया है। ब्रह्म में एक साथ ही निराकार और अनादि रूपों की सृष्टि करने तथा पूर्ण प्रशांत रहने एवं गत्यात्मक होने की क्षमता है।

श्री अरविंद स्वीकार करते हैं कि संसार अपने वर्तमान रूप में, पूर्ण रूप से अपूर्णताओं से भरा हुआ है। यहाँ जीवन-मरण, ज्ञान-अज्ञान, सद्गुण और अशुद्धगुण का द्वंद्व है किंतु सच्चिदानंद इन द्वन्द्वों में भी विद्यमान है। वह इनके माध्यम से भी अपने को व्यक्त करता है। जन्म-मरण ब्रह्म की अमरता की सीमित अभिव्यक्ति हैं; सुख-दुःख उसके असीम आनंद के धूमिल प्रतिबिम्ब हैं और सद्गुण और अशुद्धगुण उसकी पूर्णता के आंशिक प्रदर्शन हैं। इस विश्वप्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला रहस्यमय उद्देश्य (Secret Purpose) है इन द्वन्द्वों को उनके परम साररूप में रूपांतरित करना; पदार्थ, प्राण और मन के जगत में सत्य और अमरता का शासन स्थापित करना।

श्री अरविंद का विश्वास है कि शरीर, प्राण और मन को उनकी वर्तमान अशुद्धियों से शुद्ध और मुक्त किया जा सकता है और वे सच्चिदानंद की अभिव्यक्ति के पूर्ण माध्यम बन सकते हैं। ऐसा इसलिए संभव है कि भौतिक शरीर सच्चिदानंद के विशुद्ध अस्तित्व का सबसे निम्न स्तर है; प्राण उसकी असीम शक्ति या चेतन शक्ति की अभिव्यक्ति है और मन उसकी व्यापक सत्य चेतना की। अतः यह विश्व ब्रह्म से उत्पन्न है, उसका आवास है और निरंतर उसके ऐश्वर्य की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार श्री अरविंद ने आदर्शवाद और भौतिकवाद, आत्मा और पदार्थ की विरुद्धता में उस चेतना के द्वारा समन्वय स्थापित किया है जो कि विश्व का केन्द्रीय और शाश्वत सत्य है।

भौतिकवाद के समर्थक दार्शनिकों से श्री अरविंद प्रश्न करते हैं कि सत्, पदार्थ में कैसे रूपांतरित हो जाता है? दूसरे शब्दों में, चेतना पदार्थ में कैसे रूपांतरित हो जाती है? वह स्वयं ही उत्तर देते हैं कि इस पदार्थ स्तर पर, चेतना अपने कार्य में, स्वयं को भूल गयी है; जैसे, कोई मनुष्य जब काम में बहुत व्यस्त हो जाता है तब अपनी सुध-बुध खो बैठता है और उस क्षण केवल कार्य तथा कार्य करनेवाली शक्ति-मात्र रह जाता है। इसी प्रकार जब पदार्थ में चेतना विकसित होती है तब वह उसी में अपने को भूल जाती है और फिर धीरे-धीरे इस दीर्घकालीन आत्म-विस्मृति से, इस पूर्वचेतन स्तर (Pre-sentient stage) से, अर्धचेतन की ओर बढ़ती हुई, अंत में संघर्ष करती हुई फिर आत्म-चेतन, स्वतन्त्र, असीम, और अमर होना चाहती है। मन और पदार्थ इसी चेतना शक्ति के विभिन्न स्तर हैं। मान लीजिए कि यदि हम यही स्वीकार करते हैं कि चेतना का विकास पदार्थ से हुआ है, फिर भी चोज तो वही विकसित होगी जो पहले से उसमें अंतर्निहित थी। वास्तविकता यह है कि प्राण, मन आदि स्तरों पर चेतना का रूप परिवर्तित हो जाता है। सबसे उच्च स्तर पर यह चेतना अस्तित्व की आत्म-चेतन-शक्ति है।

श्री अरविंद का कथन है, जो कुछ भी हो, विभिन्न रूपों में भी चेतना का सिद्धांत वही रहता है। यह चित्त ही है जो शक्ति के रूप में विश्व की सृष्टि करता है। यहाँ हम उसी 'एकता' पर पहुँचते हैं जहाँ भौतिकवादी विज्ञान अपने दृष्टिकोण से पहुँचता है अर्थात् मन पदार्थ से भिन्न अन्य कोई शक्ति नहीं है; मन केवल भौतिक शक्ति का ही विकास और परिणाम है। श्री अरविंद ने पदार्थ और मन को एक ही शक्ति के विभिन्न स्तर बताकर, प्राचीन भारत के औपनिषद-दर्शन की बहुत ही युक्ति-युक्त व्याख्या की है। वह न तो शंकर के निवृत्तिवादी दृष्टिकोण (Ascetic View-point) का समर्थन करते हैं और न घोर भौतिकवाद का। उनका दर्शन पदार्थ और चेतना दोनों का समर्थन करता है और दिव्य जीवन के समन्वय की प्राप्ति में दोनों को स्थान देता है।

श्री अरविंद चेतना को स्वीकार करने के साथ ही यह भी स्वीकार करते हैं कि मानव-चेतना का विश्व-चेतना में विस्तार संभव है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यह

पूर्ण व्यक्ति जिसका विकास विकास-क्रम की एक आधारभूत आवश्यकता है उसके हित और दूसरों के हित में कोई विरोध नहीं होगा वरन् वह व्यक्ति किसी ऐसी वस्तु को अपने लिए शुभ नहीं मानेगा जिसमें कि दूसरों का हित न हो।

अधिकांश समाजों में एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ एकता का अनुभव नहीं करता है। शिक्षा और सामाजिक दबाव के द्वारा उसे अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध का अनुभव कराया जाता है परंतु यह अनुभव कभी पूर्ण नहीं होता है। इस प्रकार का संबंध-सूत्र संकट-काल में टूट जाता है और फिर उस संबंध-सूत्र को जोड़ने के लिए बाह्य दबाव डाला जाता है। अतः इस प्रकार व्यक्ति-व्यक्ति तथा व्यक्ति और समाज में संघर्ष चला करता है। श्री अरविंद ने जिस ज्ञेयवादी समाज की कल्पना की है उसमें इस प्रकार के संघर्ष की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

अतिमानवीय प्राणी परमानंद को प्राप्त करेगा और उसमें यह शक्ति होगी कि वह सबको परमानंद अथवा आत्मा के आनंद का पान कराये। एक मुक्त जीवात्मा का यही गुण माना जाता है कि वह संपूर्ण प्राणियों के हित-साधन में लीन रहे; दूसरों के सुख-दुःख को अपना सुख-दुःख समझे। अतिमानव को दूसरों की भलाई करने के लिए आत्म-बलिदान की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। कारण, मानवीय स्तर पर दूसरों की भलाई करने के लिए चेतन प्रयास करना पड़ता है पर अतिमानव के स्तर पर यह चेतन प्रयास आत्म-दर्शन के आनंद में परिवर्तित हो जाता है और उसकी सार्वभौमिकता की भावना और क्रिया उसके स्वभाव का सहज अंग बन जाती है।

शिक्षा-दर्शन

श्री अरविंद का शिक्षा-दर्शन उनके जीवन-दर्शन के सर्वथा अनुरूप है। उनके दर्शन में सांख्य और अद्वैत का समन्वय हुआ है। श्री अरविंद, उन सभी शिक्षाविदों की भाँति जिनका वर्णन हम पूर्व कर चुके हैं, भारतीय शिक्षादर्शों के महान समर्थक हैं। उनकी विशेषता इस बात में है कि उन्होंने बताया कि प्राचीन भारत की शिक्षा-पद्धति की सफलता का रहस्य, केवल इन आदर्शों के पालन मात्र में नहीं था वरन् इस पद्धति की आधारशिला—भारतीय मनोविज्ञान—पर आधारित था। श्री अरविंद के शिक्षा-दर्शन में भारतीय दृष्टिकोण से पूरित ऐसे अनेक मनोवैज्ञानिक तथ्य एवं शिक्षा-सिद्धांत निहित हैं जिनका वर्तमान शिक्षा-पद्धति में सफलतापूर्वक समावेश किया जा सकता है। ✓

परम उद्देश्य

भारतीय परंपरा के सर्वथा अनुकूल श्री अरविंद मानव द्वारा आध्यात्मिक विकास की उच्चतम स्थिति की प्राप्ति में आस्था रखते हैं। उनके अनुसार वास्तविक शिक्षा का प्रयोजन एवं उद्देश्य है चेतना का विकास, उसका संस्कार और रूपांतर, क्योंकि चेतना ही सृष्टि का आधारभूत सत्य है, परमसत्ता है, एक सृजनात्मक सत्ता है। उनके विचार

में, मनुष्य के प्रारब्ध में ही यह है कि उसके अंदर से स्वतः दिव्य मानवता (Divine Humanity) या अतिमानव-जाति (Race of Supermen) का विकास होगा। आधुनिक विज्ञान का विकासवादी सिद्धांत जो प्रकृति में ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति को स्वीकार करता है और जिसके अनुसार पदार्थ से जीव तथा जीव से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, वह भी इसी विकास-दिशा की ओर संकेत करता है। किंतु पदार्थ से मनुष्य तक के विकास की जिस प्रक्रिया का निरूपण विज्ञान ने किया है वह एकाएक मनुष्य तक पहुँच कर समाप्त हो जाती है। यह विकास मनुष्य तक ही पहुँच कर क्यों समाप्त हो जाता है, इसका कोई उचित कारण विज्ञान नहीं दे पाता। श्री अरविद के विचार में विकास की संभावनाएँ अभी भी शेष हैं, किंतु विज्ञान विकास के इस दूसरे स्तर को स्पष्टरूप से क्रमबद्ध नहीं कर पाता और विकास की बाह्य प्रक्रिया तक ही सीमित रह जाता है। विज्ञान प्रत्यक्ष रूप से पदार्थ से प्राण और पशु से मानव तक के आश्चर्यजनक रूपांतर को स्पष्टतः बतला नहीं पाता। भारतीय योग-दर्शन में भी इस विकास-प्रक्रिया पर विचार किया गया है, जिसके अनुसार संसार पदार्थगत, प्राणगत, मानसिक तथा अतिमानसिक चार स्तरों में विभाजित है। ये स्तर केवल उस विशिष्ट आकार के नाम हैं, विशिष्ट रूप हैं जिनके द्वारा अनंत सच्चिदानंद ने अपने को व्यक्त किया है। यही अनंत शक्ति उन सब स्तरों में व्याप्त है और विभिन्न आकारों या रूपों में व्यक्त होने के अनुसार ही उसे संबोधित किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक स्तर में अन्य अनुवर्ती स्तरों के विकास की संभावनाएँ निहित रहती हैं। अतः अस्तित्व के प्रत्येक स्तर अपने ढंग से तथा अपनी सीमाओं में शेष सभी आगामी स्तरों की संभावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। इन स्तरों में परस्पर क्रिया और प्रतिक्रिया होती रहती है। इसीलिए पदार्थ-स्तर पर, पृथ्वी के जड़ होते हुए भी, जब प्राण-स्तर का दबाव पड़ा तो प्राण की अभिव्यक्ति हुई। इसी प्रकार जब प्राण-स्तर पर मानसिक स्तर का दबाव पड़ा तब मन का विकास हुआ। अब इस मानसिक स्तर पर अतिमानस के दबाव के कारण अतिमानस के विकास का प्रयत्न हो रहा है जिससे मनुष्य के शरीर, जीवन और मन का उच्चतम एवं पूर्णतम विकास होगा।

विकासक्रम : अचेतन और चेतन—श्री अरविद का विश्वास है कि मानव से ही अतिमानव का विकास होगा जिस प्रकार कि पशु से मानव का विकास हुआ है। पदार्थ से मानव तक के विकास का क्रम अचेतन विकास-क्रम है अर्थात् विकास-क्रम में आत्मचेता मानव तक का विकास स्वभावतः प्रकृति के माध्यम से बिना किसी साधना या प्रयास के हुआ है। परंतु मनुष्य के आगामी विकास में श्री अरविद मनुष्य के सचेतन सहयोग स्वीकार करते हैं। दूसरे शब्दों में, मनुष्य अपने भावी विकास के लिए स्वयं चेष्टा करे स्वयं प्रयत्नशील होगा। उनका विश्वास है कि मनुष्य का जो भावी विकास होने वाला उसमें इतना दीर्घकाल नहीं लगेगा जितना कि अचेतन विकास-काल में लगा क्योंकि व

विकास चेतना के गुण, परिमाण, तीव्रता, सहयोग तथा संकल्पपूर्ण प्रयास पर अवलंबित होगा। इसका परिणाम यह होगा कि विकास करने में जो अनेक योनियों में भ्रमण करना पड़ता है और शताब्दियों का समय लग जाता है वह सिमट कर वर्षों में सीमित हो जायेगा। अतः इस उच्चतम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक पूर्ण व्यवस्थित एवं सुनियोजित शिक्षा-पद्धति की आवश्यकता है। इसीलिए श्री अरविंद प्राचीन भारत की आत्मा, आदर्शों और पद्धतियों को आधुनिक परिस्थितियों एवं शिक्षा-संबंधी अनुसंधानों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय मनोविज्ञान के अनुकूल बना कर उनका शक्तिपूर्ण पुनरुत्थान करने पर जोर देते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा की नींव : सुदृढ़

राष्ट्रीय शिक्षा की चर्चा करते हुए श्री अरविंद शिक्षा की ऐसी नींव डालने के समर्थक हैं जो अतिमानसिक विकास की आवश्यकताओं को पूरा करे। अतः उनका कहना है कि 'एक महान बौद्धिक रचना के लिए पहली आवश्यकता इस बात की है कि उसकी ऐसी सुदृढ़ नींव डाली जाय जो उसे सँभाल सके।' श्री अरविंद के विचार में आधुनिक शिक्षा-पद्धति, मानव-संस्कृति के विभिन्न अंगों का प्रतिनिधित्व करने वाले विषयों के संबंध में व्यापक और मंलीभाँति चुनी हुई सूचनाएँ बालकों को देकर यह समझती है कि वह संतोषजनक नींव डाल रही है। किंतु यहाँ वह एक आधारभूत भूल करती है। केवल सूचना ही बौद्धिक विकास की नींव नहीं बन सकती। सूचना तो उस सामग्री का एक अंग-मात्र है जिसके माध्यम से ज्ञाता ज्ञान की उपलब्धि करता है। सूचना वह आरंभ-विन्दु है जहाँ से नवीन खोज और आविष्कार का प्रारंभ होता है। 'जो शिक्षा केवल ज्ञान-प्रदान करने तक ही सीमित है, वह शिक्षा नहीं है'। अतः केवल विभिन्न मानसिक शक्तियों को साधन-सामग्रियों से पूर्णतया सुसज्जित करने की ही आवश्यकता नहीं है, वरन् उन्हें इस प्रकार प्रशिक्षित करना है कि वे नई सामग्रियों को खोज सकें और अपने पास की सामग्रियों का कुशलतापूर्वक उपयोग कर सकें। यह शक्तियाँ जिस (मानसिक) रचना की नींव डालेंगी वही उस शक्ति का स्रोत होगा जो कि स्मरण, निर्णय, तथा सृजन-शक्तियों की निरंतर बढ़ती हुई क्रियाशीलता की माँग की पूर्ति कर सकेगा। पर यह शक्ति कहाँ प्राप्त होगी ?

भौतिक अस्तित्व में उस शक्ति के व्याप्त होने के उचित आधार हैं। हममें से प्रत्येक प्राणी एक डायनमो (शक्ति-केन्द्र) की भाँति है जिसमें उस अनादि शक्ति की तरंगें उत्पन्न होती हैं, संगृहीत होती हैं, निरंतर सुरक्षित रहती हैं और उपयोग की जाती हैं। जो शक्ति ताराओं और ग्रहों में संचरित होती है वही हमारे भीतर भी गतिशील है। हमारे विचार और कार्य उसी शक्ति की क्रीड़ा और उसकी क्रिया की जटिलता से उत्पन्न होते हैं। श्री अरविंद का कहना है कि ऐसी प्रक्रियाएँ हैं जिनके द्वारा मनुष्य-रूपी आधार अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकता है। कुछ अन्य प्रक्रियाएँ भी हैं जिनके द्वारा वह अपने और विश्वशक्ति के बीच के अवरोधों को दूर करके संपर्क-मार्ग को प्रशस्त बना सकता है और उस शक्ति को अधिक से अधिक मात्रा में अपनी आत्मा, मस्तिष्क और शरीर में एकत्रित और संचरित कर सकता है। आधार की निरंतर उन्नति, और संप्रेषित होने वाली शक्ति की मात्रा और कार्यों की जटिलता में वृद्धि ही संपूर्ण विकास का उद्देश्य है। जब वह शक्ति अधिकाधिक और पूर्ण मात्रा में, मनुष्य-रूपी आधार में प्रविष्ट हो जाती है और आधार इसके आघात और क्रीड़ा-सहन करने योग्य बन जाता है तब वह सिद्ध या पूर्ण मनुष्य बन जाता है। वह अपने व्यक्तिगत विकास की उस चरम सीमा पर पहुँच जाता है जिनके लिए मानवता युगों-युगों से साधना करती चली आ रही है।

श्री अरविंद कहते हैं कि यदि उपर्युक्त सिद्धांत सत्य है तो वह शक्ति जो हमारी बौद्धिक क्रिया का आधार है, हमारे भीतर ही है और हम उसका पर्याप्त विस्तार कर सकते हैं, असीम रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं। यदि यह सिद्धांत सत्य है तो इससे यह भी एक ठोस निष्कर्ष निकलता है कि हम इस शक्ति को अपने भीतर जितनी ही अधिक वृद्धि करेंगे, इसके संग्रह द्वारा अपने को समृद्ध बनायेंगे, उतनी ही अधिक हमारे मन की क्रियायों की परिधि विस्तृत होगी, क्रियाशीलता, क्षमता और शक्ति बढ़ेगी और उसी के अनुपात में हमें सफलता प्राप्त होगी। यह प्रथम सिद्धांत है जिस पर आर्यों ने अपने शिखा-सिद्धांत को आधारित किया था। इस शक्ति के अधिकाधिक संग्रह के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाया था वह था 'ब्रह्मचर्य'।

ब्रह्मचर्य—श्री अरविंद का कहना है कि कठोर अनुशासन के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करने से मनुष्य के भीतर निहित शक्ति बढ़ती है और यह शक्ति स्वयं संग्रहकर्ता और मनुष्य-जाति के लिए लाभप्रद सिद्ध होती है।

उनके विचार में मानव-जीवन और उसकी समस्त शक्ति का आधार शारीरिक है, अर्थात् प्राण और शक्ति के स्थिर रहने और कार्य करने के लिए मनुष्य को शरीर रूपी आधार की आवश्यकता पड़ती है। किन्तु प्राण और शक्ति का स्रोत भौतिक नहीं है वरन् आध्यात्मिक है। योरोप का भौतिकवादी दर्शन केवल आधार को ही सब कुछ मानता है और वह आधार को ही स्रोत भी समझ बैठता है। "भौतिक को आध्यात्मिक तक उत्कर्ष करना ही ब्रह्मचर्य है क्योंकि इन दोनों के सम्मिलन से जो शक्ति एक से

होकर चलती है और दूसरी को उत्पन्न करती है उसकी (स्वयं) उन्नति होती है और वह अपनी पूर्ति भी करती है।”†

सभी शक्ति (तेज) रेतस् (वीर्य) में अंतर्निहित है। यदि इसे शारीरिक स्तर पर काम, क्रोध और लोभ आदि स्थूल विकारों के रूप में व्यर्थ नष्ट न किया जाय, शारीरिक स्तर पर अनैतिक कर्मों और सूक्ष्म स्तर पर अनैतिक विचारों द्वारा व्यर्थ नष्ट न किया जाय तो यह परिरक्षित होकर आत्मसंयम द्वारा वृद्धिमान होती है। स्थूल शरीर की सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात् बचा हुआ रेतस्, पहले तपस् (उष्णता) के रूप में परिवर्तित हो जाता है जो साध्य कर्म और सफलता प्राप्त करने में उत्तेजना प्रदान करता है। दूसरे, यह पुनः तेज में परिवर्तित हो जाता है जो प्रकाश और शक्ति रूप है और सभी प्रकार के ज्ञान का स्रोत है। तीसरे, यह विद्युत् में परिवर्तित हो जाता है जो सभी प्रकार के शक्तिशाली शारीरिक और मानसिक कार्यों का आधार है। विद्युत् में अोज निहित रहता है। यह अोज वह मुख्य शक्ति है जो ईश्वर या आकाश से उत्पन्न होकर मस्तिष्क में उठती है और उसको आदि शक्ति से परिपूर्णा करता है, जो पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म रूप है या कह सकते हैं कि जो आत्मा के सन्निकट ही है। वह आत्मशक्ति अोज से ही उत्पन्न होती है जिसके द्वारा व्यक्ति आत्मज्ञान, बल, प्रेम और श्रद्धा की प्राप्ति करता है। अतः ब्रह्मचर्य के पालन द्वारा व्यक्ति तपस्, तेज, विद्युत् और अोज का संग्रह कर उनकी वृद्धि करता है और ये मुख्य शक्तियाँ शरीर, मस्तिष्क, हृदय और आत्मा के कार्य के रूप में व्यक्त होती हैं।

समस्त ज्ञान : अंतर्निहित—दूसरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जिस पर प्राचीन काल से लेकर आज तक के सभी दार्शनिकों ने जोर दिया है, इस प्रकार है कि “समस्त ज्ञान मनुष्य के भीतर निहित है। उसे शिक्षा द्वारा जाग्रत करना है न कि बाहर से ज्ञान को उसके भीतर प्रविष्ट कराना है।”

यह एक स्वीकृत तथ्य है कि मनुष्य के ज्ञानार्जन की शक्ति प्रकृति के तीन तत्वों, सत्व (ज्ञान), रजस्, और तमस् (अज्ञान) से मिलकर बनी है। इनमें से अंतिम दो—रजस् और तमस्—ज्ञान को धुँधला बना देते हैं। मनुष्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, अध्यापक की मुख्य समस्या है कि वह कैसे तामस् प्रकृति को दूर करे, और राजस् प्रकृति को संयमित करके सात्विक प्रकृति को जाग्रत करे। अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थी को इस प्रकार प्रशिक्षित करे कि वह अपने अंतः प्रकाश को ग्रहण कर सके। नैतिक शुचिता द्वारा जब तेज का जागरण होता है तब तामस् प्रकृति दूर हो जाती है। ब्रह्मचर्याश्रम के कठोर नैतिक अनुशासन द्वारा राजस् प्रकृति का संयमन होता है जिससे बौद्धिक हठ, अभिमान और विकार आदि नष्ट होते हैं और मानसिक शांति, स्पष्टता एवं ग्रहणशीलता उत्पन्न

† Sri Aurobindo : ‘The Brain of India,’ pp. 17, 18

होती है। मन की गलत धारणाओं को शुद्ध करने में सबसे मुख्य हाथ गुरु के प्रति अनन्य श्रद्धा और मानसिक समर्पण का है। गुरु से ग्रहण किये हुए सम्यक् विचार और प्रामाणिक ज्ञान ही इन गलत धारणाओं के निराकरण में सहायक हैं। अतः शिक्षा का उद्देश्य है शिक्षक द्वारा बालक को अंतःप्रकाश का दर्शन प्राप्त कराना। इस अंतःप्रकाश की प्राप्ति की तीन विधियाँ हैं—आवृत्ति, ध्यान और नमन। आवृत्ति के द्वारा मन शब्दमय हो उठता है और अपने आप उसमें से अर्थ की अनुभूति होने लगती है। यह स्मरण रखना चाहिए कि आवृत्ति यांत्रिक नहीं होनी चाहिए क्योंकि यंत्रवत् आवृत्ति द्वारा यह प्रभाव उत्पन्न नहीं होता। अंतः प्रकाश की प्राप्ति के लिए व्यक्ति में सात्विक तत्त्वों का उदय होना, शांत भाव से ग्रहणशील होना और आवृत्ति के द्वारा प्राप्त शब्दों में मन के विचारात्मक पक्ष द्वारा अर्थ ढूँढ़ने की तत्परता होनी चाहिए। इसी को ध्यान कहा जाता है। इस मनोवैज्ञानिक तथ्य का अनुभव हम सब लोग करते हैं कि यदि कोई प्रश्न हमारे मस्तिष्क में स्पष्ट नहीं है और हम थोड़ी देर के लिए उस पर विचार करना स्थागित कर दें तो वह प्रश्न सरलतापूर्वक स्पष्ट हो जाता है। बात यह है कि हमारे भीतर स्थित ज्ञाता का ध्यान प्रश्न की ओर आकर्षित होता है और अवकाश-काल में वह प्रश्न को हल करने में व्यस्त रहता है और प्रश्न से संबंधित सामग्री जुटाता है। श्री अरविद का कहना है कि “ऐसे अनुभव केवल उन व्यक्तियों के लिए संभव हैं जिनके सात्विक तत्त्व पूर्णतया जाग्रत होते हैं, और जो गहन अध्ययन और बौद्धिक स्पष्टता के कारण चेतन या अचेतन अवस्था में कार्य करने में प्रशिक्षित हैं। इस सात्विक प्रवृत्ति के विकास की चरम सीमा वह है जहाँ पहुँच कर मनुष्य को स्वभावतः बाह्य साधनों की आवश्यकता नहीं रहती। अध्यापक, पाठ्यपुस्तक, व्याकरण और कोष आदि का महत्व उसके लिए नहीं रह जाता और वह पूर्णतया अपने अंतः ज्ञान से ही सब विषयों को जान लेता है। किन्तु यह बात केवल उस योगी के लिए संभव होती है जिसने योग को सफलतापूर्वक किया हो।”*

पूर्ण योग तथा आध्यात्मिक एकता—यह योग सात्विक प्रकाश तथा सिद्धि-प्राप्त करने की विधि बतलाता है। दूसरे शब्दों में, यह योग पूर्णत्व की प्राप्ति की विधि है और इसका आधार है ‘ब्रह्मचर्यानुशासन’; यह एक अद्वितीय अनुशासन है जिसके द्वारा आत्मा और मन पूर्णरूप से शिक्षित होते हैं। श्री अरविद का योगानुशासन प्राचीन ऋष्यांग योग से थोड़ा भिन्न है और विभिन्न योग-प्रणालियों का समन्वय है। इस दिशा में स्वामी रामकृष्ण परमहंस ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने सभी योगानुशासनों की मौलिक एकता का मार्ग दिखाया था, किन्तु मौलिक एकता के आधार पर शक्तियों और क्षमताओं का महान समन्वय श्री अरविद के योग में ही हुआ। यह समन्वय योग के बाह्य रूपों को छोड़कर, सब में सामान्य रूप से पाये जाने वाले उस मूल सिद्धांत के आधार

पर हुआ है, जो सब में समान रूप से पाया जाने वाला रहस्य है तथा जो साधन-प्रणालियों में भेद होते हुए भी उनकी विभिन्न शक्तियों और उपयोगिताओं के संयोजन में सच्चम है।

आध्यात्मिक साधना के लक्ष्य के समन्वित दृष्टिकोण (Integral view) के कारण ही ऐसा समन्वय करने का आवश्यकता पड़ी। अध्यात्म-साधना मनुष्य की अपूर्णताओं को दूर करके उसे पूर्ण व्यक्तित्व प्राप्त करने में सहायता करती है। पूर्ण व्यक्तित्व प्राप्त करने पर व्यक्ति परम दिव्य अथवा रहस्यमयी आत्मा का अनुभव करेगा; वह एक दिव्यसत्ता का अनुभव करेगा जिसमें व्याप्त हम सब एक हैं; वह अनुभव करेगा कि दिव्यसत् के व्यक्त होने का वर्तमान साधन मानवता ही है और मानव-जाति और मानवप्राणी के माध्यम से ही यह क्रमिक रूप से अपने को अभिव्यक्त करेगा। इस दिव्यसत् का निरंतर यही प्रयास है कि वह अपने दिव्य-ज्ञान को साकार करे और इस पृथ्वी पर दिव्यात्मा का साम्राज्य स्थापित करे। व्यक्ति के भीतर दिव्यसत् के विकसित होने पर उसके जीवन का मुख्य सिद्धांत होगा समस्त मानव-प्राणियों के साथ आत्मीयता का अनुभव। इस सिद्धांत में केवल सहयोग की ही भावना निहित नहीं है, वरन् गहन-आतृत्व की भावना है जिसके आधार पर हमें वास्तविक आत्मीय एकता, समानता और सामान्य जीवन का अनुभव होगा। हमें ज्ञात होगा कि संपूर्ण मानवता में एक आध्यात्मिक एकता निहित है। हमें ज्ञात होगा कि अन्य साधियों के जीवन में हो या साथ में ही व्यक्ति के जीवन की पूर्ति है। ऐसे ही पूर्ण व्यक्तियों को बढ़ती हुई संख्या में मनुष्यजाति की महान आशाएँ निहित हैं। ऐसे ही व्यक्ति शक्ति के केन्द्र होंगे और अतिविकसित एवं आदर्श समाज के विकास में सहायता करेंगे। आत्मिक स्तर पर सब में समानता का अनुभव करने से ही मानव-जाति में एकता स्थापित हो सकती है। अतः मनुष्य की आंतरिक एवं अंतस्थ शक्तियों और क्षमताओं को बाहर निकालना और विकसित करना होगा। मनुष्य को बाह्य प्रकृति का विकास न करके अपनी अंतः शक्तियों को विकसित करना होगा अर्थात् आत्मा की प्राप्ति करनी होगी। इसी आध्यात्मिक आधार पर श्री अरविंद जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीयता का समर्थन करते हैं।

संसार मिथ्या नहीं, आत्म-प्रयास — श्री अरविंद इस संसार को मिथ्या, तात्त्विकतया बुरा तथा अपूर्ण नहीं मानते हैं और न सच्ची पूर्णता एवं आनंद की प्राप्ति के लिए संसार का त्याग करने का उपदेश देते हैं। वह व्यक्ति की आत्मा को दिव्य शक्ति के सच्चिदानंद स्वरूप का एक अनादि अंग मानते हैं। दिव्य शक्ति के अवतरित होने का प्रयोजन है अनादि सच्चिदानंद की भौतिक परिस्थितियों में अभिव्यक्ति। अस्तु, सच्चिदानंद-स्वरूप का एक अनादि अंग होने के कारण मनुष्य सदैव से ही शांति, पूर्णता और 'सत्यं, शिवं, सुंदरम्' जैसे जीवन के उच्चादर्शों की कल्पना करता रहा है। इससे यह ज्ञात होता है कि मनुष्य अपनी अनादि प्रकृति को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है,

किंतु वास्तविक प्रकृति की प्राप्ति में उसे शारीरिक और मानसिक बंधनों एवं इंद्रियाभिभूत आत्मा के कारण आत्मसाक्षात्कार में न केवल निकट भविष्य वरन् सुदूर भविष्य में भी बाधा का अनुभव होगा। पूर्णता प्राप्त करने के लिए इस भौतिक जीवन का त्याग और अतिभौतिक साधनों का प्रयोग बताया जाता है। श्री अरविंद का कहना है कि जब तक अतिमानस का उच्चतर विकास नहीं हो जाता तब तक आध्यात्मिक साधना किसी सीमा तक मन को आध्यात्मिक-मात्र बनाएगी। अतः जब तक प्राण और शरीर भी रूपतरित न होगा तब तक आध्यात्मिक साक्षात्कार या अघ्यात्मबोध में बाधा पड़ेगी और उनकी त्यागना ही पड़ेगा। अतः अतिमानसिक स्तर के विकसित होने पर आज विभिन्न योगानुशासनों द्वारा जिन मानसिक क्षमताओं को सप्रयास प्राप्त किया जाता है उन्हें मनुष्य बिना साधना या प्रयास के, जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त करेगा। तब ये संपूर्ण शक्तियाँ स्वभावतः दैवी देने के रूप में मनुष्य को प्राप्त होंगी।

यहाँ हमें यह ध्यान रखना होगा कि अतिमानव का विकास अवश्यंभावी है। अचेतन विकास-क्रम के आधार पर भी, यद्यपि समय अधिक लगेगा फिर भी इस स्थिति की प्राप्ति अवश्य होगी। श्री अरविंद कहते हैं कि मनुष्य आत्म-चेत्ता प्राणी है। उसमें चेतन प्रयास की क्षमता है, अतः इस उच्च स्थिति की प्राप्ति के लिए यदि वह आत्म-प्रयास करे तो दैवी अनुकंपा का शीघ्र अवतरण होगा और वह विकास-क्रम में शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ सकेगा। ध्यान रहे, जैसा कि श्री अरविंद के जीवन-दर्शन का अध्ययन करते समय हम देख चुके हैं कि दैवी अनुकंपा बिना उन्नति संभव नहीं; पर दैवी अनुकंपा और आत्म-प्रयास एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। इन दोनों को पग-पग विकासक्रम में साथ साथ चलना है। बालक के आत्म-प्रयास को ठीक दिशा में निर्धारित करने के लिए उसे शिक्षा की आवश्यकता है। 'साधन साध्य के अनुरूप होने चाहिए तभी सफलता संभव है,' इस कथन के सर्वथा अनुकूल श्री अरविंद राष्ट्रीय शिक्षा-पद्धति को प्राचीन भारतीय-मनोविज्ञान के मूल सिद्धांतों के आधार पर संयोजित करना चाहते हैं। उनका कहना है कि भारतीय विचारों और भारतीय संस्कृति के तत्त्वों को शिक्षा में सम्मिलित कर देने मात्र से ही शिक्षा-पद्धति भारतीय नहीं हो सकती। उनका दृढ़ विश्वास है कि प्राचीन भारतीयों की सफलता का रहस्य न केवल शिक्षा के क्षेत्र में, वरन् अन्य क्षेत्रों में भी—सामाजिक और वैयक्तिक विकास की दृष्टि से—आश्रमों के शिक्षण-संबंधी नियम, व्यवस्था आदि में ही नहीं था वरन् उनकी सफलता शिक्षा-पद्धति और बौद्धिक प्रशिक्षण में मनोविज्ञान के पूर्ण और सूक्ष्म प्रयोग पर अवलंबित थी; और जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इसका आधार 'ब्रह्मचर्यानुशासन' था।

पाठ्य-विषय

श्री अरविंद, जैसा कि हमने देखा, यह मानते हैं कि जीवन का स्रोत आध्यात्मिक और आधार भौतिक है, अतः वह अपनी शिक्षायोजना में, इन दोनों में से किसी तथ्य

की उपेक्षा नहीं करते हैं। वह आध्यात्मिक, मानसिक, नैतिक और भौतिक सभी क्षेत्रों में मनुष्य के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास चाहते हैं। इसी कारण वह पाठ्य-विषय में सभी विषयों का समावेश चाहते हैं। यद्यपि वह जीवन का स्रोत आध्यात्मिक होने के कारण, बालक की आध्यात्मिक शिक्षा अथवा आध्यात्मिक साधना पर बल देते हैं, तथापि इसका यह अर्थ नहीं कि वह साहित्यिक एवं वैज्ञानिक विषयों का अध्ययन बालक के लिए हेय समझते हों। अपितु इन सभी विषयों के अध्ययन का भी ध्येय एक ही होना चाहिए—मानव के व्यक्तित्व का विकास। वह शिक्षा को उतना ही विस्तृत एवं पूर्ण बनाना चाहते हैं जितना योरोप के लोग; परंतु वह बालक का दृष्टिकोण केवल भौतिक जगत तक—केवल जीवन के आधार तक—ही सीमित नहीं करना चाहते वरन् इस भौतिक आधार को उत्कृष्ट करके, जीवन के स्रोत तक पहुँचाना चाहते हैं। यही कारण है कि श्री अरविंद ने शिक्षक के लिए भारतीय मनोविज्ञान का अध्ययन अत्यंत आवश्यक माना है।

शिक्षक और मनोविज्ञान

श्री अरविंद शिक्षक द्वारा विद्यार्थी के मन के अध्ययन को शिक्षण-प्रक्रिया का एक आधारभूत तथ्य मानते हैं। शिक्षण की सफलता मानव-मन—बाल मन, किशोर मन, और प्रौढ़ मन—की विशिष्टताओं से परिचित होने पर निर्भर है। उनके विचार में, कोई भी शिक्षा-पद्धति चाहे वह कितने भी गंभीर शिक्षा-सिद्धांतों पर आधारित क्यों न हो, यदि वह ज्ञानार्जन के साधन—मन—की उपेक्षा करती है तो उसके द्वारा पूर्ण एवं सुसंस्कृत मस्तिष्क बनने के स्थान पर बौद्धिक प्रगति में बाधा और हानि पहुँचाने की अधिक संभावना है। कारण, शिक्षक को एक कलाकार या मूर्ति निर्माता की भाँति निर्जीव पदार्थ से संपर्क की स्थापना नहीं करना है वरन् एक अत्यंत सूक्ष्म और संवेदनशील प्राणी से। शिक्षक को एक अदृश्य वस्तु—मन—से संबंध स्थापन करना है और उसे व्यक्ति के प्रकृतिदत्त बंधनों का भी ध्यान रखना है।

श्री अरविंद स्वीकार करते हैं कि वर्तमान योरोपीय शिक्षण-पद्धति में शिक्षण-विधियों में प्रगति एवं उन्नति हुई है परंतु अब भी इनमें दोष हैं जो स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। पाश्चात्य शिक्षण-पद्धति मनोविज्ञान के अपर्याप्त ज्ञान पर आधारित है। सौभाग्यवश, वहाँ सामान्य विद्यार्थी इस मनोविज्ञान की प्रक्रियाओं का अधिक प्रश्रय नहीं लेते, इसके अतिरिक्त वह सक्रिय रहते हैं और घोर शारीरिक व्यायाम के अभ्यस्त हैं, अतः इन्हीं कारणों से योरोपीय अपूर्ण मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण-पद्धति का भयंकर परिणाम दृष्टिगोचर नहीं होता। परंतु भारत में इस पद्धति का जो प्रभाव विद्यार्थियों के शरीर, मन और चरित्र पर पड़ा है वह स्पष्ट दृष्टिगोचर है। अतः भारतीय शिक्षण-पद्धति में सुधार की आवश्यकता है। श्री अरविंद का कहना है कि वर्तमान काल में, इस प्रगतिशील संसार

में मन को अत्यधिक कार्यों को संभालना है, अतः दो बातों की आवश्यकता है: प्रथम, ज्ञान के साधनों का अध्ययन और ऐसी शिक्षण-पद्धति का विकास जो स्वाभाविक, सरल तथा प्रभावकारी हो; द्वितीय, ज्ञान के इन साधनों को उनकी शक्ति भर बलशाली तथा तीव्र बनाया जाय ताकि वे संसार के बढ़ते हुए कार्यों को संभालने में समर्थ हों। ये सब शिक्षक के कार्य से संबंधित हैं।

शिक्षक का दायित्व तथा शिक्षा-सिद्धांत

आदर्शवादी परंपरा तथा प्राचीन आदर्शवादी दार्शनिकों की भाँति श्री अरविंद ने भी शिक्षक के कर्तव्यों का निर्देश किया है। उनका कहना है कि अध्यापक केवल उपदेष्टा या 'टास्कमास्टर' नहीं है, वरन् सहायक और निर्देशक है। उनके अनुसार शिक्षा का प्रथम सिद्धांत जो शिक्षक को ध्यान में रखना चाहिए वह है, कि बालक को कुछ सिखाया पढ़ाया नहीं जा सकता। सब ज्ञान उसके अंदर निहित है। अतः शिक्षक का कार्य सुझाव देना है, विचारों को लादना नहीं। शिक्षक वास्तव में शिष्य के मन को प्रशिक्षित नहीं करता, वरन् केवल यह बताता है कि वह अपने ज्ञान के साधनों को किस प्रकार सुव्यवस्थित करे; और इस दिशा में वह शिष्य की सहायता करता है और प्रोत्साहन देता है। वह शिष्य को ज्ञान नहीं प्रदान करता, केवल यह बताता है कि शिष्य स्वयं किस प्रकार ज्ञान प्राप्त करे; वह उसके अंतस्थ ज्ञान को बहिर्मुख भी नहीं करता, केवल यह बतलाता है कि ज्ञान कहाँ स्थित है और उसे किस प्रकार व्यक्त करना चाहिए। यह सिद्धांत बालक, किशोर तथा प्रौढ़ सब पर समान रूप से लागू होता है। जो लोग इस सिद्धांत को केवल किशोरों और प्रौढ़ों के लिए ही व्यवहार्य समझते हैं तथा बालकों को शिक्षित करने में इसकी उपयोगिता को अस्वीकार करते हैं, वे भूल जाते हैं कि उनके विचार रूढ़िवादी तथा अबौद्धिक हैं। बालक अथवा वयस्क, लड़का अथवा लड़की, सबके प्रशिक्षण का केवल एक यही ठोस सिद्धांत है। आयु का भेद केवल आवश्यक निर्देश और सहायता को कम या अधिक करने के लिए है।

शिक्षक को विद्यार्थी के मनोविज्ञान का ध्यान रखते हुए भी शिक्षा के द्वितीय आधार-भूत सिद्धांत को नहीं भूलना चाहिए जिसमें हमारे आदर्शवादी दर्शन का विश्वास है— 'प्रत्येक व्यक्ति में कुछ दैवी अंश है और कुछ उसका अपना निजत्व है। प्रत्येक में पूर्णता और शक्ति प्राप्त करने की क्षमता है चाहे इसका क्षेत्र छोटा ही हो, और फिर चाहे वह उसका उपयोग करे या न करे।' अतः शिक्षक का कर्तव्य है कि वह शिष्य के भीतर निहित सर्वोत्तम को ढूँढ निकाले तथा शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि वह बालक के भीतर निहित सर्वोत्तम को व्यक्त करे और उसे इस प्रकार पूर्णता प्रदान करे कि सद्उद्देश्य की पूर्ति हो।

“प्रकृति को उसके धर्म का पालन न करने के लिए बाध्य करने का अर्थ है, स्थायी रूप से उसकी हानि करना, उसके विकास को क्षति पहुँचाना और उसकी पूर्णता को क्रूर बनाना। मनुष्य की आत्मा के प्रति यह एक स्वार्थ-प्रेरित अत्याचार है। यह राष्ट्र के लिए घातक है क्योंकि एक व्यक्ति जो सर्वोत्तम देन दे सकता है, उससे उसे वंचित होना पड़ता है और उसके बदले अपूर्ण, कृत्रिम, निम्न श्रेणी की सामान्य देन प्राप्त होती है।”† श्री अरविंद के विचार में माता-पिता या शिक्षक की इच्छा के अनुकूल बालक को ढालने का प्रयत्न करना वर्बरता तथा अज्ञानजन्य अंधविश्वास है। बालक को स्वयं अपनी प्रकृति के अनुकूल विकास करने देना चाहिए। इससे बढ़कर और कोई भूल नहीं हो सकती कि माता पिता पहले से ही यह निश्चय कर लें कि उनके बालकों में अमुक विशेष गुणों, चमत्ताओं और विचारों का विकास हो और वे उनके द्वारा निर्धारित जीविका को अपनायें।

शिक्षक को शिक्षा का एक और तीसरा मुख्य सिद्धांत भी ध्यान में रखना है। यह सिद्धांत है : निकट से दूर के लिए और ‘जो है’ उससे ‘जो होना है’ उसके लिए कार्य करना।‡ शिक्षक को चाहिए कि शिक्षा देते समय बालक की वर्तमान प्रकृति को ध्यान में रखे अर्थात् बालक की उस प्रकृति को ध्यान में रखे जो उसे उसके पूर्व जन्म के संस्कार, उसकी वंशपरंपरा, पास-पड़ोस, राष्ट्र और जाति के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। इन सबका बड़ा ही शक्तिशाली किंतु अप्रत्यक्ष प्रभाव बालक के मन पर पड़ता है। इसलिए बालक की स्वाभाविक रुचियों के विकास के लिए वातावरण और अवसर प्रदान करना चाहिए और उसके भीतर कभी भी बाह्य या विदेशी आदर्शों का स्थान नहीं होने देना चाहिए। “यह ईश्वरीय व्यवस्था है कि वे एक राष्ट्र, युग और समाज से संबद्ध रहें। वे अतीत के बालक, वर्तमान के स्वामी तथा भविष्य के निर्माता रहें। अतीत हमारा आधार है, वर्तमान हमारी साधन-सामग्री है और भविष्य हमारा लक्ष्य एवं शिखर है। राष्ट्रीय शिक्षा-पद्धति में इनमें से प्रत्येक को उनका प्राप्य और स्वाभाविक स्थान मिलना चाहिए।”*

शिक्षण-पद्धति

समकालिक एवं क्रमिक शिक्षण—श्री अरविंद के अनुसार शिक्षण की दो प्रणालियाँ हैं : (१) समकालिक (Simultaneous) तथा (२) क्रमिक (Successive)। शिक्षा की आधुनिक प्रवृत्ति समकालिक प्रणाली की ओर है जिसमें बहुत से विषयों की

† Ibid. pp. 4, 5

‡ ‘To work from the near to the far, from that which is to that which shall be.’

* Sri Aurobindo : ‘A System of National Education,’ p. 6

थोड़ी-थोड़ी शिक्षा एक समय में दी जाती है। इसका फल यह होता है कि जिस विषय का पूर्ण ज्ञान एक वर्ष में हो सकता है वैसा ज्ञान सात वर्ष में भी नहीं प्राप्त होता है। इस आधुनिक प्रणाली में शिक्षा के अंतिम सोपान में 'विशेष योग्यता, (Grandiose-specialism) प्राप्त करने का जो विधान है, श्री अरविंद कहते हैं, वह अवश्य हो सफल रहेगा।

शिक्षण की दूसरी प्रणाली प्राचीन समय में प्रचलित थी जिसमें एक या दो विषयों को पूर्ण शिक्षा देने का नियम था। फिर बाद में इसी प्रकार अन्य विषयों की भी शिक्षा दी जाती थी। श्री अरविंद के विचार में यह प्रणाली सर्वथा युक्तियुक्त थी। विभिन्न विषयों का ज्ञान तो इसमें नहीं मिलता था, किंतु एक विशेष विषय का ज्ञान पूर्णरूप से हो जाता था। फलतः विद्यार्थी का ज्ञान हलका और उथला नहीं होता था। इस प्रणाली में स्मरणशक्ति को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता था कि विद्यार्थी अपने पुराने विषय के ज्ञान को, अनुवर्ती विषयों पर ध्यान केन्द्रित करते समय भूलता नहीं था।

श्री अरविंद का कहना है कि आधुनिक शिक्षाविद् अपनी शिक्षाप्रणाली के समर्थन में यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि बालक के लिए यह अत्यंत कठिन है कि वह एक या दो विषयों पर अपना ध्यान केन्द्रित करे और इसीलिए उसे एक साथ बहुत से विषयों को पढ़ना चाहिए। किंतु श्री अरविंद के विचार में इस तर्क में कोई गंभीरता नहीं है। उनका कथन है कि विभिन्नता से मन को शांति नहीं मिलती। सात या आठ साल के बालक को यदि अपने विषय में रुचि है तो वह पर्याप्त मात्रा में ध्यान केन्द्रित करने की क्षमता रखता है। अतः विषय के प्रति बालक में रुचि जाग्रत करनी चाहिए और वर्तमान शिक्षा को यही करना है।

बालक का आरंभिक प्रशिक्षण—सर्वप्रथम बालक का ध्यान उसके अपने ज्ञान के साधनों (Mental Instruments) तथा शिक्षा के माध्यम पर अधिकार प्राप्त करने की ओर आकर्षित किया जाना चाहिए। उसे उसकी भाषा का पूर्ण ज्ञान करा देना चाहिए क्योंकि जब तक उसे अपनी भाषा पर अधिकार नहीं होगा तब तक वह अन्य भाषाओं पर अधिकार नहीं प्राप्त कर सकता है। अपनी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने से वह ज्ञान के अपने सभी साधनों, और तर्क, निरीक्षण तथा निर्णय-शक्तियों पर अधिकार प्राप्त करेगा जो उसके अन्य विषयों पर अधिकार प्राप्त कर लेने के लिए आवश्यक हैं।

प्रायः सभी बालकों में कल्पना-शक्ति, शब्दों को सीखने की प्रवृत्ति और नाटकीय शक्ति होती है। इन शक्तियों का विकास केवल वर्तनी (Spelling) रटा कर और पुस्तकें पढ़ाकर नहीं किया जाना चाहिए जैसा कि वर्तमान शिक्षण-पद्धति में किया जाता है वरन् इनका विकास साहित्य, और आसपास की अन्य नवीन वस्तुओं का निरीक्षण कराकर किया जाना चाहिए। प्रत्येक बालक मनोरंजक कहानियों में रुचि रखता है

वह वीरों का पुजारी और देशभक्त होता है। वह खोजी, जिज्ञासु, विश्लेषणकर्ता तथा छानबीन करने वाला होता है। उसमें प्रबल जिज्ञासा की भावना होती है और इस जिज्ञासा में दार्शनिक समस्याओं की ओर ले जाने की क्षमता होती है। उसमें अनुकरण करने की कला भी होती है। बालक के इन सभी गुणों का उपयोग करना चाहिए और उन्हें विकसित करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक यह है कि हम उन्हें विज्ञान, साहित्य एवं कला-संबंधी विषयों को उचित पुस्तकों एवं प्रणालियों द्वारा परिचित करावें। पढ़ते समय बालकों को यह अनुभव नहीं होने देना चाहिए कि कोई विषय उन्हें जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है।

अतः शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण एवं आरंभिक कार्य है बालकों को उचित प्रकार की पुस्तकों से परिचित कराना और उनके द्वारा जीवन, कार्य और ज्ञान के प्रति रुचि जाग्रत करना। इसी से उसे अपने ज्ञान के साधनों के विकास तथा शिक्षा के माध्यम पर अधिकार प्राप्त करने में भी सहायता मिलेगी और बाद में शीघ्रतापूर्वक यदि क्रमानुसार अध्ययन करने में उसे विलंब भी हो जाय तो वह उस विलंब की पूर्ति भी कर लेगा।

मन के स्तर—हमने आरंभ में देखा कि श्री अरविंद शिक्षण-पद्धति में भारतीय मनो-विज्ञान के सिद्धांतों के प्रयोग पर बल देते हैं। अतः हमें यहाँ कुछ मानसिक तथ्यों का भारतीय मनोविज्ञान के अनुसार अध्ययन करना है।

मन शिक्षक का प्रमुख उपकरण है। अतः शिक्षक को इसके स्वरूप एवं कार्य से पूर्ण रूप से परिचित होना चाहिए। मन या अंतःकरण के चार स्तर होते हैं। पहला स्तर चित्त है जिस पर शेष तीन स्तर स्थित हैं। चित्त स्मृति का भंडार है क्योंकि इसमें पिछले अनुभवों के मानसिक संस्कार एकत्र रहते हैं। चित्त के दो पक्ष हैं : निष्क्रिय चित्त और सक्रिय चित्त। यह निष्क्रिय चित्त ही स्मृति का भंडार है जो सक्रिय चित्त अर्थात् स्मरण करने की क्रिया या सक्रिय स्मृति (Active memory) से भिन्न है। निष्क्रिय चित्त को अपने कार्य के लिए किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह निष्क्रिय स्मृति स्वचालित ढंग से कार्य करती है और बिना किसी भूलचूक के सभी अनुभवों के प्रत्यय प्रभावों (After-effects) को सुरक्षित रखती है। हमारे सभी अनुभव निष्क्रिय स्मृति के रूप में चित्त में पड़े रहते हैं। सक्रिय स्मृति अपनी आवश्यकता के अनुरूप उस स्मृति-भंडार में से प्रत्यय-प्रभावों को चुनती रहती है। हमें इसी सक्रिय स्मृति के प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है।

अंतःकरण का दूसरा स्तर मानस है जो भारतीय मनोविज्ञान के विचार से छोटी इंद्रिय है। इसका कार्य है ज्ञान का संग्रह या विचार-सामग्रियों का दो स्रोतों से संचयन करना: प्रथम, बाह्य जगत से—मन पंच ज्ञानेंद्रियों (नेत्र, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा) द्वारा दृष्टि, ध्वनि, प्राण, रस और स्पर्श की संवेदनाओं को प्राप्त करता है और स्वयं उन्हें विचार संवेदनाओं (Thought-sensations) में परिणत करता है; और द्वितीय

मन स्वयं अपने भीतर से मानसिक प्रतिमाओं को निर्माण करके ग्रहण करता है और उनसे मानसिक संस्कार (Mental Impressions) बनाता है। 'ये संवेदनाएँ और संस्कार ही चिंतन की सामग्री हैं, स्वयं विचार नहीं।' † इंद्रियाँ विचारों को जननी हैं, अतः बालक को स्पष्ट एवं यथेष्ट रूप से सोचने के लिए यह आवश्यक है कि उसकी ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित किया जाय और उसकी ज्ञानेंद्रियों की सूक्ष्म संवेदनशीलता उस सीमा तक विकसित की जाय जितनी कि उसमें सामर्थ्य है। अतः शिक्षक का प्रथम कर्तव्य यह है कि वह देखे कि बालक अपनी इंद्रियों का उचित उपयोग करे। उसे उनके उपयोग का पर्याप्त अवसर प्राप्त हो ताकि अवसर प्राप्ति के अभाव में, अनुपयोग के कारण वे कहीं आहत न हों या अविकसित न रह जायें। इसके अतिरिक्त ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा और भी अधिक उपयोगी एवं प्रभावशाली हो सकती है यदि ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण के साथ-साथ कर्मेंद्रियों का भी प्रशिक्षण होता चले। उदाहरण के लिए, हाथ को इस प्रकार प्रशिक्षित होना चाहिए कि आँख जो कुछ देखे, मन अनुभव करे, उसे वह चित्र या लेख के रूप में पुनरुत्पादित कर सके। वाणी को इस प्रकार प्रशिक्षित होना चाहिए कि वह अंतःकरण के पूर्ण ज्ञान को भलीभाँति व्यक्त कर सके।

तीसरा स्तर बुद्धि का है। शिक्षाविदों के लिए यह विशेष महत्वपूर्ण और रुचिकर है क्योंकि यही चिंतन का वास्तविक साधन (Real instrument of thought) है। बुद्धि ही अंतःकरण के अन्य अंगों द्वारा एकत्र किये गये ज्ञान को व्यवस्थित करती है। इस स्तर के दो अंग हैं : दक्षिण अंग तथा वाम अंग। इन दोनों की अपनी-अपनी क्षमताएँ तथा कार्य हैं। दक्षिण अंग का कार्य है : समझने की योग्यता, सृजनशीलता, समन्वयिता। वाम अंग का कार्य है : आलोचनात्मक दृष्टि से देखना तथा विश्लेषण करना। दक्षिण अंग का कार्य है : समझना, निर्देश करना, निर्णय करना तथा अशिक्षित बातों का प्रहस्तन करना और समझना। वाम अंग का कार्य है : तुलना करना, तर्क करना, तर्कपूर्ण निष्कर्ष निकालना। इसका क्षेत्र निर्धारित सत्य तक ही सीमित है। दक्षिण अंग ज्ञान का स्वामी है और वाम अंग उसका सेवक है। मनुष्य के तर्क की क्रिया की पूर्णता के लिए बुद्धि के ये दोनों अंग अनिवार्य हैं। यदि बालक की शिक्षा को पूर्ण बनाना है तो बुद्धि की क्षमता को अधिक से अधिक बढ़ाना चाहिए। उसकी बुद्धि के दोनों अंगों को संभव सीमा तक पूर्णरूप के प्रशिक्षित करना चाहिए।

चौथा स्तर है अतिमानस का जिसका मनुष्य में अभी अधिक विकास नहीं हुआ है किन्तु धीरे-धीरे इसका विकास होगा। अतिमानस की शक्तियों को उन प्रतिभाशाली व्यक्तियों में देखा जा सकता है जो ज्ञान की अंतर्दृष्टि के कारण सत्य के दूत बन कर मनुष्य को सत्य-मार्ग का अनुसरण करने में सहायता देते हैं। इन प्रतिभाशाली

† Sri Aurobindo : 'A System of National Education,' pp

में सत्य के अंतर्प्रेरणात्मक प्रत्यक्षीकरण (Intuitive Perception) की जो क्षमता होती है उसको कुछ आलोचक कम करके आँकते हैं। इसका कारण है, उनमें 'भ्रम, मन की चंचलता एवं पक्षपात की वृत्ति का मिश्रण।' ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों के अभाव में संसार ने प्रगति न की होती। यह सत्य है कि सहजज्ञानी, अपूर्व बुद्धि वाले व्यक्ति कम होते हैं। फिर भी बहुत से व्यक्तियों में यह अपूर्ण रूप में होती है और दूसरों को यह कभी-कभी बिजली की चमक की भाँति अनुभव होती है। यद्यपि इस अपूर्व शक्ति का विकास अब तक उपेक्षित रहा है, फिर भी अब शिक्षाविदों को इस पर ध्यान देना चाहिए। 'भ्रम, मानसिक चंचलता एवं पक्षपात की वृत्ति के मिश्रण' को क्रमशः कम करके इस शक्ति के विकास में बालक को प्रोत्साहित करना चाहिए। इस दिशा में शिक्षक प्रत्यक्ष रूप से बालक की सहायता नहीं कर सकता पर उसे बालक में सहजज्ञान की प्रवृत्ति को विकसित करने के लिए उसकी रुचि के अनुकूल अवसर प्रदान करने चाहिए।

ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण—नेत्र, कान, नासिका, त्वचा, जिह्वा तथा अंतःकरण—ये छः इंद्रियाँ ज्ञान के साधन हैं। अंतःकरण को छोड़कर, शेष पाँच बहिर्मुखी हैं और इनका काम है बहिर्जगत् से तथ्यों का संकलन करना। यह कार्य वे शरीर की नाड़ियों द्वारा करती हैं क्योंकि इन नाड़ियों का संबंध पंचेन्द्रियों से होता है। शिक्षक का प्रमुख कार्य है, इन इंद्रियों को यथार्थता एवं शीघ्रबोधता के दृष्टिकोण से पूर्ण बनाना। इसके लिए पहली आवश्यकता यह है कि वह उन दोषों को जान ले जो यथार्थता एवं शीघ्रबोध में बाधक हैं।

इंद्रियों की यथार्थता एवं शीघ्रबोधता ज्ञान-तंतुओं (Nerves) के स्वस्थ, स्वतंत्र एवं निर्बाध क्रियाशीलता पर निर्भर है। यही ज्ञान-तंतु तथ्यों के संग्रह का स्रोत और माध्यम भी हैं। इन्हीं पर मन की स्वस्थ, निष्क्रिय ग्रहणशीलता (Mind's healthy passive receptibility) भी निर्भर है। सामान्यरूप से इंद्रियाँ स्वाभाविकता पूर्ण होती हैं तथा स्वचालित ढंग से अपना कार्य करती हैं। यदि उनमें कोई त्रुटि आ जाती है तो उस त्रुटि का दोष कहीं अन्यत्र होता है। यह दोष शिराओं के परिवहन में हो सकता है। ये शिराएँ मस्तिष्क को सूचना भेजने के साधन हैं। साधारणतया इन शिराओं द्वारा सूचना स्वयं आवश्यक रूप से इंद्रियों तक पहुँचती है। हाँ, उस दशा में ऐसा नहीं होता जब कोई शारीरिक त्रुटि होती है। ऐसी दशा में शिक्षक के स्थान पर चिकित्सक की आवश्यकता होती है। ये शिराएँ केवल सूचना वाहक होती हैं और ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रेषित सूचना में किसी प्रकार की बाधा नहीं डालती हैं। परंतु यदि शिराओं के प्रवाह में दोष है तो इंद्रियों द्वारा प्रेषित सूचना की यथार्थता, एवं पूर्णता में बाधा पड़ती है। शीघ्रबोधता की कमी तब आती है जब बाधाओं के कारण अंतःकरण सूचनाओं से विच्छिन्न हो जाता है। शारीरिक आघातों, या अवयव संबंधी दोषों की दशा को छोड़कर इंद्रियों की सामान्य संवेदनशीलता को योगानुशासन की नाड़ी-शुद्धि-क्रिया या प्राणा-

याम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है ।

कभी-कभी यदि नाड़ी-शिराओं की बाधा सूचना को पूर्णतया रोकती नहीं है तो उसे विक्षिप्त कर देती है। उदाहरण के लिए, भय और चेतानवी-सूचक विक्षेपकारी संवेग इंद्रियों की कार्य-प्रणाली को प्रभावित करते हैं। सूचनाओं को विक्षिप्त होने से बचाने के लिए एक मात्र साधन है नाड़ी-शिराओं को स्थिर एवं शांत रखने की आदत। नाड़ी-शिराओं को स्थिर एवं शांत रखने में नाड़ी-शुद्धि भी सहायता पहुँचाती है। नाड़ी-शुद्धि शारीरिक कुव्यवस्था को शांत करती है, आंतरिक प्रक्रियाओं को जानबूझ कर स्थिर करती है और अंतःकरण को पवित्र करती है।

जब नाड़ी-शिराएँ शांत, स्थिर और स्वतंत्र हो जाती हैं और तब यदि उनमें सूचना-संबंधी कोई बाधा पड़ती है तो वह मन के द्वारा ही पड़ती है क्योंकि मन स्वयं बुद्धि से संपर्क स्थापित करने का एक माध्यम है। मानस ज्ञानेंद्रिय भी है और नाड़ियों की भाँति संप्रेषण-शिरा भी है। ज्ञानेंद्रिय के रूप में, अन्य ज्ञानेंद्रियों की भाँति वह स्वयंपूर्ण है; शिरा के रूप में इसमें दो प्रकार की कुव्यवस्थाएँ उत्पन्न हो सकती हैं—बाधा या विकार। ये कुव्यवस्थाएँ दोनों छोरों पर आ सकती हैं : सूचना-संप्रेषण में, इंद्रियों से अंतःकरण की ओर और अंतःकरण से बुद्धि की ओर।

अंतःकरण, ज्ञानेंद्रिय के रूप में बाहर और भीतर के विचार-प्रभावों (Thought- Impressions) का प्रत्यक्ष ग्राहक है। ये प्रभाव अपने आपमें पूर्णतया सही होते हुए भी कभी-कभी या तो बुद्धि तक बिल्कुल ही प्रेषित नहीं हो पाते या इतने विद्वत हो जाते हैं कि उनसे पूर्णतया या आंशिक रूप में मिथ्या प्रभाव उत्पन्न होता है। इंद्रियों के छोर से आती हुई सूचनाओं के अप्रत्यक्ष प्रभाव में भी बाधा पड़ सकती है किंतु इस बाधा के प्रभाव की मात्रा कम होती है। परंतु जब मन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है तब उस पर इस बाधा का प्रभाव प्रबल रूप में होता है जिससे भूलें होती हैं। अंतःकरण मुख्यतः विचारों के प्रत्यक्ष प्रभाव को ग्रहण करता है, किंतु यह आकार और ध्वनि के प्रत्यक्ष प्रभावों को भी ग्रहण कर सकता है। वास्तव में यह उन सभी वस्तुओं के प्रत्यक्ष प्रभावों को ग्रहण कर सकता है जिसके लिए यह अधिवृत्त ज्ञानेंद्रियों पर आश्रित रहता है। योग में इस अनुशासित एवं विकसित मानसिक ग्रहणशीलता को सूक्ष्मदृष्टि भी कहते हैं। श्री अरविंद कहते हैं कि सूक्ष्म विचारों का प्रेषण (Telepathy), अदृश्य वस्तुओं का देखना (Clairvoyance) दूसरों के विचारों को जानना (Thought reading) और चरित्र को समझना, (Character-reading) ये पाश्चात्य जगत् द्वारा दिये हुए अंतःकरण की शक्तियों के आधुनिक रूप हैं जिनको कि भारत ने बहुत पूर्व ही जान लिया था। इनका संबंध मानस से है। इस छठी ज्ञानेंद्रिय का विकास मानव-प्रशिक्षण का अंग कभी नहीं रहा है। अतः मन के प्रशिक्षण

की भी आवश्यकता है जिससे वह बुद्धि को ठीक-ठीक सूचनाएँ प्रदान कर सके और उनके आधार पर व्यक्ति पूर्ण विचार ग्रहण कर सके और ठीक-ठीक सोच सके। ✓

नाड़ी-शुद्धि से सर्वप्रथम नाड़ी संबंधी संवेगात्मक बाधाएँ दूर होती हैं। नैतिक आचरण तथा संवेग-संयम बाहर से प्राप्त होने वाली सूचनाओं की, घृणा, प्रेम या अन्य प्रबल संवेगों के विकृत प्रभावों से रक्षा करता है। प्राचीन काल में आरंभिक साधनों द्वारा चित्त-शुद्धि की जो व्यवस्था प्रचलित थी वह आधुनिक शिक्षा-प्रणाली में उपयुक्त नहीं समझी जाती। चित्त-शुद्धि से तात्पर्य है, चित्त में नैतिक एवं मानसिक पवित्रता के स्वभाव का स्थिर होना। चित्त-शुद्धि होने पर व्यक्ति नवीन अनुभव के प्रथम संस्कारों को पक्षपातरहित रूप में ग्रहण करता है। चित्त-शुद्धि होने पर नवीन अनुभव के प्रथम संस्कारों पर अचेतन द्वारा भी पक्षपात का प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि चित्त-शुद्धि चित्त में स्थित पूर्व विचार साहचर्यों द्वारा डाली बाधाओं को भी दूर करता है। हम देखते हैं कि वस्तुओं को देखने का हमारा एक दृष्टिकोण बन जाता है और हमारे स्वभाव में एक संकीर्णता आ जाती है, अतः हम नये अनुभवों को भी पुराने अनुभवों के रूप में देखते हैं। चित्त-शुद्धि से हमारी यह प्रवृत्ति दूर हो जाती है। श्री अरविंद स्पष्टरूप से यह घोषणा करते हैं कि इस प्रकार की बाधाएँ तब तक बनी रहेंगी जब तक हम अपनी प्राचीन पद्धति के कुछ मुख्य सिद्धांतों को कार्यान्वित नहीं करेंगे। वस्तुतः उनके विचार में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना को सभी महत्वपूर्ण बातों में योरोपीय विचारों द्वारा शासित नहीं होना चाहिए। चित्त-शुद्धि और नाड़ी-शुद्धि एक ऐसी सीधी और सरल प्रक्रिया है जो हमारी शिक्षा-प्रणाली का अंग बन सकती है।

इस प्रक्रिया का कार्य है कि हमारी निष्क्रिय स्मृति से जो असंख्य विचार-संवेदनाएँ हमारी इच्छा के बिना उठती हैं और जिनपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, उनको निष्क्रिय बनाना। यही निष्क्रियता हमारी बुद्धि को पुराने साहचर्यों तथा मिथ्या संस्कारों से मुक्त करती है और बुद्धि को इस योग्य बनाती है कि वह चित्त को यह निर्देश करे कि वह कौन से संस्कारों को ग्रहण करे और कौन से संस्कारों को अस्वीकार करे। यह हमें वह शक्ति देती है जिससे हम निष्क्रिय स्मृति के भंडार से आवश्यक बातों को चुनते हैं। इसी के कारण हम उचित संस्कारों को ग्रहण करने के अभ्यस्त हो जाते हैं। बुद्धि का वास्तविक कार्य है : भेद करना, संचयन करना तथा श्रृंखलाबद्ध करना। किंतु जब तक चित्त-शुद्धि नहीं होती, बुद्धि अपना यह कार्य सुचारु रूप से करने के स्थान पर स्वयं अपूर्ण और दूषित रहती है तथा मिथ्या निरीक्षण, मिथ्या कल्पना, मिथ्या निर्णय, मिथ्या निगमन, आगमन तथा अनुमान के द्वारा मन में विकल्प उत्पन्न करती है। बुद्धि की स्वतंत्रता, शुद्धि तथा सुचारु ढंग से कार्य करने के लिए चित्त की शुद्धि आवश्यक है।

अभ्यास द्वारा ज्ञानेंद्रियों के कार्य में उन्नति—श्री अरविंद के विचार में बालकज्ञानेंद्रियों द्वारा इस कारण भी ज्ञान अर्जित नहीं कर पाता क्योंकि वह अपनी ज्ञानेंद्रियों को ठीक-ठीक

उपयोग करने का अभ्यस्त नहीं होता। वह विभिन्न ज्ञानेंद्रियों द्वारा विभिन्न संवेदनाओं को जो मस्तिष्क तक पहुँचना चाहती हैं, पर्याप्त ध्यान न देने के कारण ग्रहण नहीं कर पाता। ज्ञानेंद्रियों की यह तामसिक वृत्ति बुद्धि के ध्यान न देने के कारण होती है। अतः बालक को दृश्यों, आवाजों आदि को पकड़ने, पहिचानने, उनकी प्रकृति एवं तत्व तथा उद्गम को पहिचान करने और उन्हें चित्त में स्थिर करने का अभ्यस्त होना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर वह स्मृति द्वारा उनका ठीक-ठीक पुनरावर्तन कर सके।

श्री अरविंद कहते हैं कि विभिन्न प्रयोगों के आधार पर यह प्रमाणित हो चुका है कि ज्ञानेंद्रियों और स्मृति के ठीक-ठीक उपयोग के अभाव के कारण बालक की प्रत्यक्षीकरण (Observation) की शक्ति पूर्णरूप से विकसित नहीं हो पाती। यदि बारह व्यक्तियों से यह कहा जाय कि दो घंटे पहले जो घटना घटी थी उसका विवरण लिखो तो बारहों का वर्णन एक दूसरे से भिन्न होगा और साथ ही वास्तविक घटना से भी भिन्न होगा। अतः बालक के प्रत्यक्षीकरण की इस अपूर्णता को दूर करना चाहिए। इस सुधार का प्रथम उपाय है ज्ञानेंद्रियों के इस प्रकार का प्रशिक्षण जिससे वे अपना कार्य ठीक-ठीक कर सकें; और ज्ञानेंद्रियाँ यह काम भली भाँति कर सकती हैं यदि उन्हें यह ज्ञात हो कि बुद्धि अपना कार्य सुचारु रूप से करने के लिए उनपर निर्भर है। द्वितीय, बालक को चाहिए कि वह ध्यान देकर तथ्यों को क्रमबद्ध करके अपनी स्मृति में संचित करे।

ज्ञानार्जन की क्रिया में ध्यान या अवधान (Attention) का, जैसा हमने अभी देखा, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक-ठीक स्मरण करने और तथ्यों का ठीक-ठीक निरूपण करने से लिए अवधान की सर्वप्रथम आवश्यकता पड़ती है। बालक को अनुशासन में रखने के लिए पहली आवश्यक चीज यह है कि बालक जो कार्य कर रहा है उस पर ध्यान दे। ऐसा तभी संभव है जब उसके ध्यान केन्द्रित करने का विषय रुचिकर हो। एक वस्तु पर ध्यान केन्द्रित करना ही एकाग्रता (Concentration) कहलाता है। इस संबंध में भी एक तथ्य की सदा उपेक्षा की जाती है और वह यह है कि कभी-कभी कई चीजों पर ध्यान केन्द्रित करना अनिवार्य हो जाता है। अतः साधारणतया जब लोग ध्यान केन्द्रित करने की बात करते हैं तो उससे उनका तात्पर्य एक समय में एक वस्तु पर ही ध्यान केन्द्रित करना ही होता है, परंतु दो चीजों, तीन चीजों तथा कई चीजों पर भी ध्यान एक साथ केन्द्रित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब कोई घटना होती है तब उसमें एक साथ ही कई कार्य हो रहे होते हैं; वह कई समकालिक व्यापारों का समुदाय होता है जो एक क्षण में एक ही साथ घटित होते हैं, जैसे—एक दृश्य, एक आवाज और एक स्पर्श; या कई दृश्य, कई आवाजें और कई स्पर्श। अधिकतर एक व्यक्ति का मन एक चीज पर ज़्यादा ध्यान देता है और बाकी पर धुँधला ध्यान, अतः वह घटना

का पूरा विवरण ठीक-ठीक नहीं दे पाता। श्री अरविद कहते हैं कि यदि बालक को निरंतर अभ्यास कराया जाय तो वह अपने ध्यान को एक समय में घटित होने वाली घटना के विभिन्न पक्षों पर बराबर बांट सकता है।

इस संबंध में यह भी वांछनीय होगा कि हाथ बालक की आँख की सहायता करे, अर्थात् बालक जो आँख से देखता है उसकी हाथ से नकल करने से उसको सम्यक् प्रत्यक्षीकरण में सहायता मिलती है क्योंकि ऐसा करने से उसे अपने अपूर्ण प्रत्यक्षीकरण का पता चल जाता है और वह तथ्यों को ठीक-ठीक देखने तथा देखे हुए को ठीक-ठीक निरूपण करने का अभ्यस्त हो जाता है। अतः चित्रण-कला का यही प्रथम सदुपयोग है और इसी कारण चित्रण-कला का विषय ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण का अभिन्न अंग होना चाहिए।

मानसिक शक्तियों का प्रशिक्षण—श्री अरविद विद्यार्थी की मानसिक शक्तियों के प्रशिक्षण पर बल देते हैं। सर्वप्रथम विद्यार्थी की निरीक्षणशक्ति का प्रशिक्षण होना चाहिए। प्रायः बालक अपने वातावरण में बहुत सी चीजों को देखते ही नहीं हैं। यहाँ तक कि जो चीजें उन्हें दिखाई पड़ती हैं उन्हें भी पूरी तरह से नहीं देखते। इसका कारण है कि वे वस्तुओं को सामान्य दृष्टि से देखते हैं अर्थात् कम ध्यान से देखते हैं और परिणाम यह होता है कि वह उन वस्तुओं को उनके पूर्णरूप में न देखकर अधूरे रूप में देखते हैं। किसी स्थान, रूप या गुण के विषय में, ध्यान पूर्वक देखने से ही उसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मुख्य तीन ज्ञानेंद्रियों—आँख, कान, नाक द्वारा प्राप्त ज्ञान के अतिरिक्त स्पर्श और स्वाद के द्वारा भी वस्तुओं के विषय में उनकी प्रवृत्ति तथा गुण के बारे में बहुत कुछ ज्ञात हो जाता है। जो छठी ज्ञानेंद्रिय—मन—का प्रयोग करते हैं, जैसे कवि, कलाकार और योगी वह वस्तुओं के बारे में और भी सूक्ष्म तथ्य ग्रहण करते हैं जो साधारण निरीक्षक के लिए संभव नहीं। वैज्ञानिक, अपनी छानबीन के आधार पर ऐसे तथ्यों को खोजता और निश्चित करता है जो सूक्ष्मतर निरीक्षण पर आधारित हैं। ये सब क्रियाएँ निरीक्षण के ही अंतर्गत आती हैं और इनका आधार अवधान अथवा ध्यान है। यह व्यक्ति पर निर्भर है कि वह केवल निकटस्थ ध्यान से वस्तुओं का निरीक्षण करता है और तथ्यों को ग्रहण करता है या निकटस्थ एवं सूक्ष्म ध्यान से। जिस व्यक्ति की ग्रहणशीलता सात्विक है और जिसका ध्यान एकाग्र होता है वह सामान्य निरीक्षण से भी वस्तु के विषय में पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर लेता है। अतः आधारभूत आवश्यकता इस बात की है कि बालक को अपना ध्यान एकाग्र करने की प्रशिक्षा दी जाय। यह प्रशिक्षा किसी बौद्धिक कार्य के रूप में न होकर रुचिकर ढंग से होनी चाहिए। यहाँ एक फूल का उदाहरण लें। बालक को एक फूल की ओर केवल सामान्य दृष्टि से देखने की अपेक्षा, यह अच्छा होगा कि उसे फूल को जानने, उसका ठीक ठीक रंग, रूप, गंध, आदि मन में स्थिर करने के लिए प्रेरित किया जाय। इसके उपरांत फूल को तोड़

कर उसके ढाँचे का ठीक ठीक निरीक्षण करने की ओर उसका ध्यान आकर्षित किया जाय। शिक्षक को चाहिए कि वह बालक से विचारोत्तेजक प्रश्नों के आधार पर, जो बालक की योग्यता के अनुकूल हों, उसे चीजों को जानने, उनकी छानबीन करने की ओर इस प्रकार प्रेरित करे जिससे बालक अनजाने ही उन्हें पूर्णरूप से जान ले।

इसी प्रकार स्मरण और निर्णय करने की शक्तियों का विकास भी अचेतन रूप में होना चाहिए। एक बात की बार-बार आवृत्ति करना, स्मृति के प्रशिक्षण का यांत्रिक और अबौद्धिक ढंग है। उससे अच्छी विधि यह है कि बालक सादृश्यता और विभेद के पहचानने का अभ्यास करे। उदाहरण के लिए, बालक को विभिन्न फूलों में समानता और विभेद को पहचानने के लिए अग्रसर करना चाहिए। ऐसा अभ्यास करने से न केवल स्मृति का प्रशिक्षण होता है, वरन् समानता और विपमता को जाँचने वाली बौद्धिक शक्ति का भी विकास होता है। इस प्रकार बालक निरीक्षण करने का उपयुक्त ढंग ग्रहण करता है। श्री अरविंद बालक को तथ्यों के रटाने के पक्ष में नहीं हैं। वह मस्तिष्क को नाम, शुष्क विषय तथा सूचना-संग्रहों से संकुल नहीं बनाना चाहते। रटने की क्रिया स्वाभाविक नहीं है और एक स्वस्थ मस्तिष्क वाले बालक के लिए रटना रुचिकर भी नहीं है। रुचिकर निरीक्षण, तुलना, तथा भेद स्थापन द्वारा, बालक के विकासशील मस्तिष्क को यदि कुशलता पूर्वक ठीक दिशा में निर्देशित किया जाय तो बालक में वैज्ञानिक वृत्ति एवं स्वभाव का निर्माण हो सकेगा और शीघ्र ही वह वैज्ञानिक ज्ञान-संबंधी आधार तथ्यों को स्थायी रूप से ग्रहण कर लेगा। फूलों, पत्तियों, पेड़ों का रुचिकर ढंग से निरीक्षण करके, तुलनात्मक दृष्टि से देखकर बालक में वनस्पति-शास्त्र के ज्ञान की नींव डाली जा सकती है, इसी प्रकार नक्षत्रों को देखकर ज्योतिषशास्त्र, पृथ्वी, पत्थरों आदि के निरीक्षण द्वारा भूगर्भ-शास्त्र, कीड़े, मकोड़े और जन्तुओं के निरीक्षण के आधार पर जन्तु-विज्ञान की नींव डाली जा सकती है। कुछ समय बाद रुचिकर प्रयोगों के रुचिकर निरीक्षण द्वारा बिना किसी सविधिक शिक्षा के, बिना सूत्रों और पुस्तकों को ध्यान में रखे रसायन-शास्त्र का ज्ञान देना प्रारंभ किया जा सकता है। बचपन में ही विभिन्न वस्तुओं के निरीक्षण, तुलना, स्मरण तथा निर्णय की शक्तियों के प्रशिक्षण से किसी भी वैज्ञानिक विषय पर स्वाभाविक एवं पूर्ण ढंग से अधिकार हो सकता है। बालक अपनी कुमारावस्था में अवकाश के समय, इस दिशा में प्राप्त अभिरुचि को बड़ी गति के साथ बढ़ा सकता है।

बालक की निर्णय-शक्ति का प्रशिक्षण अन्य शक्तियों के प्रशिक्षण के साथ साथ स्वभावतः होता चलेगा। उदाहरण के लिए, फूलों के निरीक्षण और तुलना करते समय, बालक को समय समय पर उनके रंग, रूप, ध्वनि, सुगंध आदि के बारे में यह निर्णय करना पड़ेगा कि उनके गुण संबंधी अनेक विचार ठीक हैं या गलत हैं। किसी किसी अवसर पर बालक को सूक्ष्म निर्णय करने की आवश्यकता भी पड़ेगी। अतः स्वभाव

बालक की निर्णय-शक्ति का प्रशिक्षण होता चलेगा। आरंभ में बालक के निर्णय में भूल हो सकती है, परंतु जैसे जैसे उसे बारीकियाँ निकालने का अवसर प्राप्त होगा, वह ओव-श्यक्तानुसार उनके प्रति प्रयत्नशील होगा, अपनी भूलों को समझेगा और ठीक-ठीक निर्णय या सूदमता के साथ निर्णय कर सकेगा। सर्वोत्तम तो यह होगा कि बालक को पर्याप्त मात्रा में ऐसे अवसर प्रदान किये जायँ जब कि वह अपने निर्णय की तुलना दूसरों के निर्णय से कर सके। उसे अपनी भूलों का कारण भी मालूम होना चाहिए और यह भी ज्ञात होना चाहिए कि वह किस मात्रा में भूल करता है। जब बालक अपने निर्णय के प्रयास में सफल हो तब प्रोत्साहित करके उसके आत्मविश्वास को सुदृढ़ बनाना चाहिए।

तुलना और भेद करने से, किसी वस्तु की समताओं और विषमताओं को पहचानने से बालक में उपमान (Analogy) करने की शक्ति की वृद्धि होती है। बालक को इस शक्ति की सीमाओं और भूलों से भी परिचित करा देना चाहिए और उसकी इस शक्ति को उत्साहित करना चाहिए। इस प्रकार उसमें सही उपमान करने की आदत, जो कि ज्ञान प्राप्त करने में सहायक है, पड़ जायेगी।

तर्कशक्ति के अतिरिक्त, जिसका वर्णन आगे किया जायगा, कल्पना भी एक महत्वपूर्ण शक्ति है। इस शक्ति के कार्य मानसिक हैं—प्रतिमाओं का निर्माण, प्रत्ययों का सृजन, उपस्थित प्रत्ययों एवं प्रतिमाओं की प्रतिमाएँ बनाना, अनुकरण करना या नए रूप में ढालना, वस्तुओं की आत्मा की सराहना करना, विश्व में व्याप्त सौन्दर्य, विशालता, भावना, गुप्त संकेतशीलता (Hidden Suggestiveness) तथा आध्यात्मिक जीवन को समझना।

विभिन्न मानसिक शक्तियों के प्रशिक्षण के लिए अभ्यास पहले वस्तुओं पर तत्पश्चात् शब्दों और विचारों पर होना चाहिए। श्री अरविद के विचार में बालक को भाषा-ज्ञान देने के संबंध में अधिकतर असावधानी से काम लिया जाता है। शब्दों के अच्छे ज्ञान के अभाव में बुद्धि की सूक्ष्म क्रियाशीलता और सत्यता में क्षीणता आ जाती है। सबसे पहले बालक को शब्दों को, उनके रूप, ध्वनि तथा अर्थ के साथ जानना चाहिए; तत्पश्चात् शब्दों के रूप की अन्य शब्दों के रूप से तुलना तथा विभेद करना सीखना चाहिए और इसी के आधार पर उसमें व्याकरण संबंधी ज्ञान की नींव रखी जा सकती है। इसी प्रकार समानार्थी शब्दों के अर्थों में सूक्ष्म भेद जानने और विभिन्न प्रकार के वाक्यों की रचना और लय (Rhythm) में भेद जानने के आधार पर बालकों में साहित्यिक एवं समन्वयात्मक शक्तियों को विकसित किया जा सकता है। यह सब अविधिक रूप से बालक की जिज्ञासा और रुचि को जाग्रत करके, और प्रचलित शिक्षण-पद्धति—जिसमें नियमों और सिद्धांतों को रटने पर बल दिया जाता है—की उपेक्षा करके, प्राप्त किया जाना चाहिए।

तर्क-शक्ति का प्रशिक्षण

मानसिक शक्तियों के प्रशिक्षण के उपरांत तर्क-शक्ति का प्रशिक्षण होना चाहिए। तर्क-शक्ति का प्रशिक्षण आवश्यक रूप से मानसिक शक्तियों के प्रशिक्षण के बाद इसलिए होना चाहिए क्योंकि तर्क के लिए सामग्री, विचारों या तथ्यों का संग्रह यही मानसिक शक्तियाँ करती हैं। तर्क में विचारों को उलट-पुलट किया जाता है, अतः यदि हम चाहते हैं कि बालक विचारों को सफलतापूर्वक तर्कना में प्रयोग करे तो तर्कना से पूर्व शब्दों पर आधिपत्य स्थापित करने वाली शक्ति को विकसित करना चाहिए। यथार्थ विचारणा-शक्ति के विकास के बिना तर्क-शक्ति आगे नहीं बढ़ सकती है। समस्या यह है कि आरंभिक कार्यों के हो जाने के बाद बालक को ठीक-ठीक सोचने के लिए किस प्रकार शिक्षा दी जाय क्योंकि बिना पूर्व-पक्ष के युक्तियुक्त तर्क करना कठिन है। तर्क या तो तथ्यों से अनुमान करके निष्कर्ष निकालता है या पहले से निकाले हुए निष्कर्षों से नये अनुमान करता है या एक तथ्य से दूसरे तथ्य के संबंध में अनुमान करता है अथवा केवल अनुमान करता है।

उचित तर्क के लिए तीन तत्त्व अनिवार्य हैं :—(१) तथ्य या निष्कर्ष जिससे तर्क का आरंभ होता है, सही होने चाहिए, (२) संग्रहित सामग्री (Data) पूर्ण और निश्चित होनी चाहिए तथा (३) उसी तथ्य से निकलने वाले अन्य संभव या असंभव निष्कर्षों को पृथक् करना चाहिए। सावधानी तथा तीव्र बुद्धि से काम लेने पर तर्क की त्रुटियों को दूर किया जा सकता है।

तर्क-शक्ति को सामान्यतः पुस्तकीय ज्ञान तथा तर्क-विज्ञान की शिक्षा द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। पहले सिद्धांतों तथा सविधिक ज्ञान के द्वारा शिक्षा देकर बाद में उदाहरण दिये जाते हैं। किंतु पाठनपद्धति इसके विपरीत होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त बालकों को स्वयं तर्क-क्रिया तथा उसके दोषों का निरीक्षण अपने अनुभव द्वारा प्राप्त करने देना चाहिए।

बालक के मन को कारणों तथा प्रभावों की खोज करना तथा तथ्यों से अनुमान करने की ओर प्रवृत्त करना चाहिए। सही निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए, उसके मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं का अनुभव उसे होने देना चाहिए। तभी बालक सही ढंग से तर्क करने का अभ्यासी होगा और उसकी तर्कना में दोष आने की संभावना नहीं रहेगी। जब बालक इस कला से पूर्णतया परिचित हो जायेगा तभी वह सविधिक तर्क का व्यवस्थित अध्ययन शीघ्रता से कर सकेगा। ✓

नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा

श्री अरविंद आधुनिक स्कूलों और कालेजों की शिक्षा में नैतिक और धार्मिक शिक्षा के अभाव से दुखी थे। उनके विचार में नैतिक एवं संवेगात्मक प्रकृति की पूर्णता के

अभाव में केवल बौद्धिक प्रशिक्षण, मानव-प्रगति के लिए अहितकर है। यदि कुछ स्कूलों और कालेजों में यह शिक्षा दी भी जाती है तो वह गलत ढंग से दी जाती है। कारण, नीति और धर्म-संबंधी पुस्तकें पढ़ाकर बालकों को नीतिवान और धार्मिक बनाने का विचार भ्रमपूर्ण है क्योंकि मस्तिष्क हृदय का स्थान कभी नहीं ले सकता है, और यह आवश्यक भी नहीं है कि मस्तिष्क को शिक्षित करने से हृदय का भी सुधार हो। श्री अरविंद स्वीकार करते हैं कि यह कहना भूल होगा कि पुस्तकीय शिक्षा का हृदय पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। वस्तुतः पुस्तकों द्वारा दी जाने वाली धार्मिक और मानसिक शिक्षा अंतःकरण में कुछ विचारों को बीजरूप में डाल देती है और यदि ये विचार स्वभाव के अंग बन जाते हैं तो चरित्र को भी प्रभावित करते हैं। नीति-संबंधी पाठ्य-पुस्तकों के पढ़ने में डर-यह रहता है कि वे उच्च वस्तुओं के विषय में विचार करने की क्रिया को यांत्रिक और कृत्रिम बना देती हैं और जो भी क्रिया यांत्रिक और कृत्रिम होती है वह 'शिव' की ओर क्रियाशील नहीं होती।

श्री अरविंद योरोपीय नैतिक अनुशासन की भर्त्सना करते हैं क्योंकि वह दिखावटी और प्रवंचनापूर्ण है। इसके द्वारा बालक घर और विद्यालय के नैतिक शिष्टाचार के अनुसार अपने को बना तो लेता है और आगे चलकर समाज के अन्य अनुशासनों का भी पालन करता है, परंतु वह अपने आंतरिक एवं निजी जीवन को अपनी रुचि के अनुसार स्वतंत्र रूप में निर्देशित करने के लिए अपने को पूर्ण स्वच्छंद समझता है। जाति के हितार्थ और उसे नैतिक शिष्टाचार के दोषों से बचाने के लिए, नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा को हमारी राष्ट्रीय शिक्षा-पद्धति का अभिन्न अंग होना चाहिए। युगों प्राचीन वर्णाश्रम-धर्म पर आधारित श्रेष्ठ नैतिक चरित्र का उच्चादर्श हमारे नवयुवकों के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इस वर्णाश्रम-धर्म के अनुसार प्रत्येक वर्ण के अपने-अपने कर्त्तव्य थे : ज्ञान पिपासा, आत्मभक्ति, पवित्रता तथा त्याग ब्राह्मणों का; साहस, सम्मान, सज्जनता वीरता और देशभक्ति क्षत्रियों का; परोपकारिता, कौशल, हस्तकला, अपने व्यवसाय में में उदारता वैश्यों का; आत्मत्याग तथा प्रेमपूर्वक सेवा शूद्रों का—यही आर्यों के गुण थे।

पाश्चात्य सभ्यता की प्रवंचना से बचने के लिए इस प्रकार के नैतिक गुणों को आंतरिक अनुशासन (Inner discipline) द्वारा ग्रहण करना चाहिए। आंतरिक अनुशासन के लिए सम्यक्संवेगों, सत्संग, उत्तम मानसिक, संवेगात्मक एवं शारीरिक आदतों का अभ्यस्त होना होगा; अपनी मूलप्रवृत्ति के स्वाभाविक आवेगों को उचित कार्यों में प्रयुक्त करना होगा।

नैतिक अनुशासन के संबंध में श्री अरविंद ने पाश्चात्य जगत में छात्रावास-युक्त इंग्लिश स्कूलों में व्यवहृत आदर्शवाद की प्रभावपेक्षण की प्रणाली का चित्र

किया है जिसमें शिक्षक ही बालकों का नैतिक निर्देशक और आदर्श होता है। श्री अरविंद ने इस प्रणाली को प्रशंसा की है, यद्यपि इस प्रणाली में गुण के साथ कुछ दोष भी हैं। इस प्रणाली में, बाहरी अनुशासन पर ही अधिक जोर दिया जाता है। बालक की भय की प्रवृत्ति का सहारा लिया जाता है और भय द्वारा वह अनुशासित रहता है, अतः लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होती है। उनके विचार में, वास्तव में प्रभाव डालने की इस प्रणाली का सर्वोत्तम प्रयोग हमारे प्राचीन गुरुओं द्वारा हुआ है क्योंकि वे अपने पूर्णज्ञान तथा पवित्रता के कारण शिष्यों के सम्मान-पात्र होते थे और शिष्य उनके आज्ञापालक होते थे। श्री अरविंद परामर्श देते हैं कि : "क्योंकि इस प्राचीन पद्धति को पुनरुज्जीवित करना कठिन है, अतः योरोपीय पद्धति की किराये की पुलिस की भाँति व्यवहार करने वाले अध्यापकों के स्थान पर मित्र, सहायक, और निर्देशक अध्यापकों को प्रतिष्ठित करना चाहिए।" †

नैतिक शिक्षा देने में भी, शिक्षक को वही विधि अपनानी चाहिए जो मानसिक शिक्षा देने में अपनायी जाती है अर्थात् बालक को ऐसा मार्ग दिखाना चाहिए जिससे वह पूर्णता को ओर अग्रसर हो। यह कार्य सुभाव द्वारा किया जा सकता है। सुभाव का सबसे सुंदर ढंग है, बालकों के सम्मुख व्यक्तिगत आदर्श उपस्थित करना। प्रतिदिन के वात्सलाप तथा नित्य पढ़ी जाने वाली पुस्तकों द्वारा भी बालक को निर्देश दिया जा सकता है। ये पुस्तकें बालकों के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। इनमें प्राचीन कवीरों की कहानियाँ रुचिकर ढंग से लिखी होनी चाहिए। हाँ, यह कहनियाँ उपदेश के रूप में नहीं होनी चाहिए क्योंकि बालकों के हृदय पर उपदेशों का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका कारण यह है कि इस समय वे अपने जीवन के रोमांटिक (स्वच्छंद) काल से गुजर रहे होते हैं। बड़े बालकों या किशोरों की पुस्तकों में, महान् पुरुषों के महान् विचार होने चाहिए, साहित्य के वे अंश होने चाहिए जो उनकी उच्च भावनाओं को उद्दीप्त कर सकें, उच्च आदर्श और आकांक्षाओं को प्रेरित कर सकें; इतिहास की घटनाएँ तथा ऐसी जीवनियाँ होनी चाहिए जो इन उच्च विचारों और श्रेष्ठ भावनाओं और प्रेरणात्मक आदर्शों के सजीव उदाहरण हों। जब अध्यापक और विद्यार्थी अध्ययन में इस प्रकार साथ-साथ भाग लेते हैं तो इस सत्संग का गंभीर प्रभाव बालक पर पड़ सकता है। शिक्षक इस बात का ध्यान रखे कि वह वाक्-उपदेश की प्रणाली न अपनाये बल्कि स्वयं आदर्शों का प्रतिरूप हो। इस प्रकार विद्यार्थी जिन उच्च विचारों को ग्रहण करता है उनसे उसमें शक्तिशाली संवेग अथवा भाव उत्पन्न होते हैं। इन भावों को, यदि बालक को एक सीमित क्षेत्र में ही कार्यरूप में परिणत करने का अवसर प्राप्त हो, तो उन्हें सफल व्यावहारिक रूप दिया जा सकता है। अतः प्रत्येक विद्यार्थी को व्यावहारिक अवसर तथा बौद्धिक प्रोत्साहन मिलना चाहिए

† Sri Aurobindo : 'A System of National Education,' p. 17

धर्म-विशेष की शिक्षा विद्यालय में दी जाती हो या नहीं, परंतु प्रत्येक राष्ट्रीय कहे जाने वाले विद्यालय में धर्म के वास्तविक सार की शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए। यह वास्तविक सार प्रत्येक बालक के समक्ष यह आदर्श उपस्थित करता है कि वह ईश्वर के लिए जीवन व्यतीत करे, मानवता, देश तथा अन्य प्राणियों के लिए जीवित रहे तथा दूसरों में अपनी आत्मा को प्राप्त के लिए जीवित रहे।

यही हिन्दुत्व की वह भावना है जिसे भारतीय विषयों, भारतीय शिक्षण-पद्धति एवं भारतीय विचारधारा और धार्मिक ग्रंथों की प्रत्यक्ष शिक्षा की अपेक्षा, पूर्णरूप से राष्ट्रीय स्कूलों में व्याप्त होनी चाहिए। इसी भावना के आधार पर राष्ट्रीय स्कूल अन्य स्कूलों की तुलना में अपनी विशिष्टता सिद्ध कर सकते हैं।

शिक्षा-दर्शन पर आधारित शिक्षा-संस्थाएँ

श्री अरविंद-आश्रम, पांडीचेरी

श्री अरविंद-आश्रम आज जिस विकसित रूप में है, उसका विकास धीरे-धीरे हुआ है। सबसे पहले जब श्री अरविंद ४ अप्रैल, सन् १९१० ई० में पांडीचेरी आये तभी अपने विचारों को क्रियान्वित करने के लिए उन्होंने आश्रम की स्थापना की। आरंभ में इसके सदस्यों की संख्या कम थी। इनके योग से प्रभावित होकर, साधना के लिए क्रमशः अधिकाधिक साधक बाहर से आने लगे। सन् १९२० ई० में फ्रांसीसी महिला मीरा रिचर्ड ने अरविंद-दर्शन से प्रभावित होकर आश्रम की सदस्यता स्वीकार की। मीरा रिचर्ड (जो अब माताजी के नाम से सर्वविदित हैं) के आने पर आश्रम के सदस्यों की संख्या धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि कई मकान किराये पर लिए गये और साधकों के स्वास्थ्य एवं निवासादि की सुविधा के लिए पूर्ण रूप से व्यवस्था की गयी। सन् १९२६ ई० में, श्री अरविंद ने आश्रम की सारी व्यवस्था माताजी के हाथों में सौंप दी और स्वयं योगाभ्यास में पूर्णतया निमग्न हो गए।

माताजी ने बड़ी पटुता और त्याग के साथ आश्रम की व्यवस्था की। फलः स्वरूप साधकों की संख्या बढ़ती गयी और आज लगभग ८०० साधक आश्रम में निवास करते हैं। आश्रम की यह विशेषता है कि इसकी व्यवस्था प्राचीन वेद, उपनिषद् तथा महाभारत के काल के आश्रमों के अनुरूप हुई है। आजकल आश्रम का अर्थ उस स्थान से लिया जाता है जहाँ तपस्या की जाती है। परंतु प्राचीन काल में आश्रम की यह रूपरेखा नहीं मानी जाती थी। आश्रम गुरु का घर था, जहाँ भिन्न अवस्था के विद्यार्थी, भिन्न-भिन्न प्रकार के ज्ञानार्जन के निमित्त आकर रहते थे। गुरु पिता का स्थान ग्रहण करता था, उन्हें ज्ञान प्रदान करता और अपनी-अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें जीविका चयन में सहायता देता था। गुरु गृह-क्रियाओं और जीवन से पूर्ण था। अरविंद-आश्रम प्राचीन काल के बशिष्ठ और कण्व के आश्रम की भाँति ही है परंतु आधुनिक युग की परिस्थितियों से

ममायोजित है। आश्रम में सब व्यक्ति विना किसी प्रकार के भेद भाव के प्रवेश पा सकते हैं किंतु एक नियंत्रण अवश्य है कि प्रवेश-प्रार्थी में योग साधना की बलवती इच्छा अवश्य होनी चाहिए। आश्रम में आध्यात्मिक चिंतन पर विशेष बल दिया जाता है। वहाँ साधक मनसा, वाचा और कर्मणा अपने को पवित्र बनाने का प्रयत्न करते हैं। परंतु इसके साथ ही जीवन की यथार्थता की भी उपेक्षा नहीं करते। ध्यान, एकाग्रता, कार्य और सेवा यह चार साधन हैं जिनके आधार पर सत्त्वक उच्च उद्देश्य की प्राप्ति के निमित्त साधना मार्ग पर अग्रसर होता है। माताजी प्रत्येक साधक का व्यक्तिगत रूप से मार्गनिर्देशन करती हैं। कार्य और सेवा साधना के ही अंग हैं।

आश्रम में साधकों का बड़ा ही संगठित एवं सुव्यवस्थित जीवन है। आश्रम अपने साधकों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के निमित्त स्वयं-पूर्ण है। आश्रम में अपनी दुग्धशाला, भोजनालय, चिकित्सालय, मिलाई-गृह, इंजीनियरिंग कारखाना, प्रेम, वाचनालय, प्रकाशन आदि विभागों की व्यवस्था है। सभी विभागों में, सब कार्यों में साधक भाग लेते हैं। सभी कार्य सम्मानित माने जाते हैं, उनमें बड़े छोटे का भेद नहीं है। 'कार्य चाहे, कोई भी हो, परंतु वह किया किस भावना से जाता है,' यही आश्रम में क्रिया का मानदण्ड है क्योंकि व्यक्ति की भावना ही उसके कार्य को साधना का सफल या असफल अंग बनाती है। साधकों के साथ ही आश्रम में वेतन प्राप्त सेवकों की संख्या कई सौ है जो आश्रम का काम करते हैं। किंतु इनके साथ भी सेवकों जैसा व्यवहार नहीं होता है और उनकी आवश्यकताओं एवं सुविधाओं की भी पूरी चिंता की जाती है।

अरविंद-आश्रम का मुख्य उद्देश्य है मानवोद्यम प्रेम का विकास करना। अतः आश्रम के सभी सदस्य देश-जाति-धर्म आदि की संकीर्ण भावनाओं से मुक्त होकर जीवनयापन कर रहे हैं। आश्रम एक ऐसी संगम भूमि है जिसमें विभिन्न देशों, जातियों, धर्मों और संस्कृतियों के साधकों का मिलन हुआ है और जो अपनी सांस्कृतिक विशिष्टताओं तथा भावी मानव की नव-संस्कृति के विकास के लिए प्रयत्नशील है जिसका आधार मानवोद्यम संवेदना और प्रेम है। यहाँ के पवित्र वातावरण में विभिन्न संस्कृतियों के तात्विक एवं सूक्ष्म समन्वय को ऐसी प्रक्रिया चल रही है जिसका मनुष्य की नव-संस्कृति के निर्माण में निर्यायक भाग होगा। आश्रम में सबको, सब प्रकार की स्वतन्त्रता प्राप्त है, परन्तु यह स्वतंत्रता आध्यात्मिक अनुशासन द्वारा नियंत्रित रहती है।

श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय

आश्रम की महत्वपूर्ण संस्था श्री अरविंद अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। श्री अरविंद ने सन् १९४३ ई० में आश्रम के बालकों की शिक्षा की व्यवस्था के लिए एक स्कूल की स्थापना की थी। आरंभ में इस स्कूल में ३२ छात्र थे परंतु अब लगभग ३०० छात्र हैं। यही स्कूल आज एक अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हो गया है।

यह स्कूल जूनियर तथा माध्यमिक भागों में विभाजित है। माध्यमिक शिक्षा का स्तर देश में प्रचलित मैट्रिक तथा फ्रांस के बैकालौरियट के समकक्ष है। इसके पाठ्यक्रम में भाषा, भूगोल, इतिहास, विज्ञान आदि सभी आधुनिक विषय रखे गये हैं। प्रयोग करने के लिए वहाँ आधुनिक सुविधाओं से संपन्न प्रयोगशाला है। प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी रुचि के अनुसार विशेष विषय के अध्ययन की स्वतंत्रता है। उदाहरण के लिए, एक ही बालक इतिहास के लिए चौथी कक्षा में बैठ सकता है और गणित के लिए दूसरी कक्षा में। कहने का तात्पर्य है कि एक विषय में बालक की कमजोरी उसे अन्य विषयों में प्रगति करने से नहीं रोकती है। बालकों को, आज के शिक्षाविदों की विचारधारा के विपरीत, आश्रम में अनेक भाषाएँ सीखने की सुविधा है और यह देखा गया है कि बालकों में एक ही समय में आरंभ में कई भाषाएँ सीखने की क्षमता है। उदाहरण के लिए, एक बालक अंग्रेजी, फ्रेंच, हिन्दी, अपनी मातृभाषा बंगाली तथा स्थानीय भाषा तामिल का ज्ञान बिना कठिनाई के प्राप्त कर लेता है। बालकों को पाठ्यक्रमेतर विषय—फोटोग्राफी, चित्रकारी, आश्रम के विभिन्न विभागों में हस्तकलाएँ आदि सीखने के लिए प्रोत्साहना प्रदान की जाती है। वार्षिक परीक्षा-पद्धति के स्थान पर यहाँ छात्रों की परीक्षा मासिक होती है और अध्यापक भी छात्रों के विषय में रिपोर्ट देते हैं। इसी मासिक परीक्षा तथा अध्यापकों की रिपोर्ट के आधार पर छात्रों को उत्तीर्ण किया जाता है।

मानसिक शिक्षा के साथ ही बालकों को शारीरिक शिक्षा भी दी जाती है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए यहाँ खेल कूद, व्यायाम, जिमनास्टिक आदि की व्यवस्था है। मानसिक और शारीरिक, दोनों प्रकार की शिक्षा आध्यात्मिक लक्ष्य की पूर्ति के निमित्त एवं उसी के द्वारा प्रेरित हैं। मुख्य बात यह है कि बालकों को न तो आध्यात्मिक जीवन के सत्य मिथाने की कोशिश की जाती है, न योग, न नैतिक सिद्धांत। वे इन चीजों को वातावरण से ग्रहण कर लेते हैं और बिना किसी बाहरी भय के या परमात्मा के भय से वे स्वभावतः अकृत्रिम रूप में आध्यात्मिकता के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। यहाँ अध्यापक पर्याप्त मात्रा में हैं और उन्हें वेतन नहीं दिया जाता है वरन् उनके दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति आश्रम करता है।

अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में भी, आश्रम की भाँति किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है और किसी भी देश, जाति, राष्ट्र, धर्म, भाषा, और संस्कृति का छात्र यहाँ प्रविष्ट हो सकता है। यहाँ शिक्षा निःशुल्क दी जाती है। अभिभावकों और छात्रों को केवल अपने रहन-सहन तथा व्यक्तिगत व्यय का भार उठाना पड़ता है।

विश्वविद्यालय केन्द्र का उद्देश्य अरविद-दर्शन के आधार पर छात्रों को पूर्ण शिक्षा (Integral Education) के सिद्धांतों से परिचित कराना तथा उसी आधार पर उन्हें शिक्षित करना है। यहाँ सभी प्रकार की शिक्षा—मानवतावादो विषयों और वैज्ञानिक विषयों की—सैद्धांतिक और व्यावहारिक रूप में दी जाती है। यहाँ मनोविज्ञान,

भारतीय तथा पश्चात्य दर्शन, विश्व-सामंजस्य (World-Integration) आदि विषयों की शिक्षा मुख्यरूप से दी जाती है। इनके साथ ही सामाजिक विषय एवं गणित को भी पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया है। अपनी रुचि के अनुसार विद्यार्थी किसी भी क्षेत्र का अध्ययन कर सकता है। जिन विद्यार्थियों को आध्यात्मिक अनुशासन की व्यावहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है उन्हें उसकी भी सुविधा प्रदान की जाती है। शिक्षा का माध्यम विद्यार्थी की मातृभाषा रहती है। परंतु सब शिक्षा का आधार आध्यात्मिक है। इसी आध्यात्मिकता के आधार पर श्री अरविंद इस संसार में मानव एकता स्थापित करना चाहते हैं। अतः यह स्मरण रखने की बात है कि आश्रम की शिक्षा का आधार किसी भी रूप में व्यावसायिक नहीं है क्योंकि माताजी का कहना है कि 'मैं शिक्षा को बेचूंगी नहीं।'

श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय अपने ढंग की सर्वथा नवीन शिक्षा-संस्था है जहाँ शिक्षा के क्षेत्र में नूतन प्रयोग हो रहे हैं। यह पौरस्त्य और पश्चात्य विचार-धाराओं का समन्वय-केन्द्र है।

सहायक साहित्य

श्री अरविंद

1. *The Life Divine*
2. *The Ideal of Human Unity*
3. *The Synthesis of Yoga*
4. *The Ideal of the Karmayogin*
5. *The Human Cycle*
6. *The Brain of India*
7. *The Renaissance in India*
8. *The National Value of Art*
9. *A System of National Education*
10. *The Message and Mission of Indian Culture*
11. *On the Veda*
12. *On Education*
13. *Essays on the Gita, First Series*
14. *Essays on the Gita, Second Series*

अन्य लेखक

1. S. K. Maitra : *Studies in Sri Aurobindo's Philosophy*
2. Sri Aurobindo Mandir, *Second Annual, Jayanti Number,*

15th Aug 1943

परिशिष्ट

आठ प्रमाण सविस्तार निम्नरूप में हैं :—

१. प्रत्यक्ष—जो प्रसिद्ध शब्दादि पदार्थों के साथ श्रोत्रादि इन्द्रिय और मन के निकट-संबंध से ज्ञान होता है, उसको 'प्रत्यक्ष' कहते हैं ।
२. अनुमान—किसी पूर्व दृष्ट पदार्थ के एक अंग को प्रत्यक्ष देखकर, पश्चात् उसके अदृष्ट अंगों का जिससे यथावत् ज्ञान होता है, उसको 'अनुमान' कहते हैं ।
३. उपमान—जैसे किसी ने किसी से कहा कि गाय के तुल्य नीलगाय होती है, ऐसे जो उपमा से सादृश्य ज्ञान होता है, उसको 'उपमान' कहते हैं ।
४. शब्द—जो पूर्ण प्राप्त परमेश्वर और प्राप्त मनुष्य का उपदेश है, उसी को 'शब्द प्रमाण' कहते हैं ।
५. ऐतिह्य—जो शब्द प्रमाण के अनुकूल हो, जो कि असंभव और भ्रूठ लेख न हो, 'ऐतिह्य' (इतिहास) कहते हैं ।
६. अर्थापत्ति—जो एक बात के कहने से दूसरी बिना कहे समझी जाय, उसी को 'अर्थापत्ति' कहते हैं ।
७. संभव—जो बात प्रमाण, युक्ति और सृष्टिक्रम से युक्त हो, वह 'संभव' कहाता है ।
८. अभाव—जैसे किसी ने किसी से कहा कि तू जल ले आ । उसने वहाँ देखा कि यहाँ जल नहीं है; परंतु जहाँ जल है, वहाँ से ले आना चाहिए इस अभाव निमित्त से जो ज्ञान होता है, उसे 'अभाव' प्रमाण कहते हैं ।

अनुक्रमणिका

(दाशैनिकों के नाम संकेत रूप में उनके प्रथम अक्षर से किए गए हैं)

अग्राह्य	२७	अविद्या	२४
अचेतन मन	१६३	अमत्	२६०
,, और चेतन विकास क्रम	२६५	असत्य	२७
अध्ययन की सामान्य रूप रेखा	११२	अस्पृश्यता निवारण	१६७
अध्यापक और दंड	१५२	अहंकार	२५६
अध्यापकों का प्रशिक्षण	२२८	अहिंसा	१८५, १८६, १६६
,, के लिए प्रशिक्षण विद्यालय	२४०	,, और सत्य	२००
अतिकालिक वैयक्तिक आत्मा	२६३	आत्म-त्याग	४६
अतिमानव	२५२	आत्म-चेतन-शक्ति	२६८
,, जाति	२६५	आत्म-प्रयास	२७०
अतिमानस	२७७	आत्मबोध	६६, २०३
,, का आविर्भाव	२५८	आत्मविश्वास	६४
अतिमानसिक स्तर	२५२	आत्ममंथन	१०२
अतिवादी दृष्टिकोण	२५५	आत्मा	४८, ७१
अद्वैत	४५, ४७, १३०	आत्मा का स्वरूप	१३२
अद्वैत: ब्रह्म	१३१	आत्मा के गुण	१०
,, नैतिकता	४६	आत्मानुभूति	६२
अनादि तत्व	६	आत्मा, मन और शरीर	५१
अनासक्त योगमार्ग	२१३	आध्यात्मिक एकता	२६६
अनिवार्य शिक्षा	२१	आत्मोपलब्धि	१३८
अनुबंध	१६	आदन	६८
अनुशासन, आंतरिक	२८६	आदर्श अध्यापक	६६, १५२
,, नैतिक	२०	आदर्श, नागरिकता का	२२४
अनेकता में एकता	४६	आदर्श राज्य	२०१
अमेरिका प्रस्थान (वि०)	३७	आदर्श विद्यार्थी	१००
अल्प कालीन प्रशिक्षण	२२६	आनंद	१३१
अवधान	२८१	आन्तरिक अनुशासन	२८६
अवस्थाएँ, आत्मा की	१३		

अनुक्रमणिका

आरंभिक प्रशिक्षण, बालक का	२७५	अंतः प्रकाश	२६६
आरंभिक शिक्षा बालक की	२०८	कर्त्तव्य	८६
आर्यसमाज	६	कर्म	६२
आश्रम-धर्म	६७	कर्म द्वारा शिक्षा	२१२
आश्रमवास	२०६	कर्मयोग	१६५
आज्ञा-पालन	१०२	कला	२१५, २२८
इच्छा	१४६	कल्पना का मुक्त विकास	१६३
इंग्लैंड में (वि०)	३८	कसौटियाँ, सत्यता की	२७
ईश्वर (वि०)	४३, ४८	कॉमर्शियल हाई स्कूल	११८
ईश्वर के गुण (द०)	१०	कोश (द०)	१५
ईश्वर सगुण या निर्गुण (द०)	१२	क्रिया द्वारा शिक्षा	१६१, २२२
उच्च शिक्षा का विनाश	२३४	खेल और काम	१६४
उत्पादक कार्य	२३२	गणित	२२६
उत्तर बेसिक कालेज	२४०	गार्हस्थ्य जीवन (२०)	१२६
उत्स	१३२	„ „ (अ०)	२४६
उद्देश्य, वैयक्तिक और सामाजिक	२०६	गुण, विद्यार्थी के	६५
उन्नति, ज्ञानेन्द्रियों के कार्य में	२८०	गुण-वैधर्म्य	६
उपचार, प्राकृतिक	२०६	गुण, शिक्षक के	६५
उपमान	२८४	गुण-साधर्म्य	६
ऋषि वैली ट्रस्ट	१२१	गुरु का साक्षात्कार, प्रथम (वि०)	३५
एकता, का सिद्धांत	१६६	गुरुकुल (द०)	२२
एकता सत्य की	१६६	गुरुकुलवास (वि०)	६४
„ विचार की	१६६	गुरु के पास (द०)	४
एकाग्रता, चित्त की	६३	गुरु-शिष्य	२६
एग्रीकल्चरल हाई स्कूल	११६	गृह-त्याग (द०)	३
एनी बेसेंट, डॉ०	७८	ग्रंथ-रचना (द०)	६
अंतर्निहित, समस्त ज्ञान	२६८	ग्राह्य	२७
		घर में शिक्षा	

चतुरांगीय शिक्षा	१०४	जीवात्मा का स्वभाव	२६२
" " के उद्देश्य	१०५	जीविकोपार्जन	२०५
चरित्र निर्माण	२०४	जोहेनेसबर्ग (गां०)	१८०
चरित्र संबंधी शिक्षा	६६		
चित्त	२७६	टॉलस्टॉय आश्रम	१८१
चित्त की एकाग्रता	६३	टेकनिकल हाईस्कूल	११६
" " शुद्धि	२८०		
चेतना	२६१	तपस्	२६८
चैत्य पुरुष	२६३	तपोवन	६६
		" आश्रम	१५०
छठी इंद्रिय, मानस	२७६	तमस्	२६८
		तथ्य और सत्य	१३३
जगत्	१२	तर्कशक्ति का प्रशिक्षण	२८५
" और माया	१३४	तात्कालिक उद्देश्य	२०४
जनता कॉलेज	२४०	त्याग	५७
जन्म एवं शिक्षा (अ०)	२४४		
जन्म और प्रारंभिक जीवन (ए०)	७८	यियोसोफ़िकल सोसायटी	८३
" " बाल्यकाल (२०)	१२२		
जाति	६६	दक्षिण अफ्रीका की यात्रा (गां०)	१७७
जीवन और कार्य (अ०)	२४४;	दिग्विजय (द०) ५; (२०)	१२८
(ए०) ७८; (गां०) १७४;		दिव्य अनुभूति की प्राप्ति	३५
(द०) १; (२०) १२२; (वि०) ३४		दिव्य मानवता	२६५
जीवन, कला और सौंदर्य	२१५	दीर्घकालीन प्रशिक्षण	२२६
जीवन का चरम लक्ष्य	१३७	दृष्टिकोण, समन्वयवादी	१३०
जीवन के अंतिम वर्ष (२०)	१२६	देवयज्ञ (द०)	२३
जीवन-दर्शन (अ०) २५०;		देशभक्ति का बीजारोपण (अ०)	२४५
(ए०) ८५; (गां०) १८५;		देश में संगठन	३६
(द०) ८; (२०) १२६;		दंड (द०)	२०
(वि०)	४०	द्विजेतर एवं स्त्री-शिक्षा	२८
जीवन-दर्शन पर आधारित संस्थाएँ		दैवी अनुकंपा	२५७
(वि०) ७५		" अंश	२७३
जीवन्मुक्ति	४६, ५४, ५६	" संदेश	२४८
जीवात्मा और ब्रह्म	६	द्वैत की अभिव्यक्ति का आदिमरूप	५०

द्वैतवादी संप्रदाय	४३	पराविद्या
धर्म	१४४, ६६, ८७	परीक्षण संस्था
धर्म का स्वरूप	२८, ८७, ११५, २१४	पाठन की समय
धर्म के सिद्धांत :		पाठ्यक्रम
विकास ८६; विभिन्नताएँ ८७;		पाठ्य-विषय
सत्य और असत्य	६०	पाप की समस्या
धर्म साधन की विधि	१४८	पांडीचेरी
धर्म-नीति के आधार-भूत सिद्धांत	२१५	पिछड़े वर्गों की।
धार्मिक शिक्षा	६६, २८५	पुनरुत्थान कार्य
धार्मिक शिक्षा की विधि	७०	पुनर्जन्म
नई तालीम	२३६	पुरस्कार और उपाधियाँ
नकारात्मक विचार	६२	पूर्वयोग
नागरिकता का आदर्श	२२४	प्रकृति-अध्ययन
नाड़ी शिराएँ	२७६	,, और सौंदर्य
,, शुद्धि	२८०	प्रगतिशील बोध
निजत्व	२६२	प्रमाण
निम्नमानस	६३	प्रतियोगिता
नियम	२७	प्रत्यय प्रभाव
निर्माण	२६३	प्रत्यक्ष उपलब्धि
निर्वाण (बि०)	४०	प्रत्यक्षीकरण
निवृत्तिवादी दृष्टिकोण	२६१	प्रशिक्षणा, अध्यापकों का
नैतिक अनुशासन (द०)	२०	,, अल्पकालीन
नैतिक शिक्षा	२८५	,, तर्क शक्ति का
		,, दीर्घकालीन
		,, मानसिक शक्तियों का
		,, विद्यालय
		,, ज्ञानेंद्रियों का
पठन-पाठन के घंटे	१११	प्राइमरी स्कूल
,, ; विधि (द०)	२४	प्राकृतिक उपचार
परम उद्देश्य: मुक्ति	१६५	,, और सामाजिक शक्ति
परम लक्ष्य: सत्य का बोध	१६६	में संतुलन
परमपुरुष	१३१	प्राणायाम
,, की अनुभूति का साधन	१३५	प्रार्थना
परममुक्ति	३६०	

चतुरांगीय शिक्षा	१०४	जीवात्मा का स्वभाव	२६२
" " के उद्देश्य	१०५	जीविकोपार्जन	२०५
चरित्र निर्माण	२०४	जोहनेसेसबर्ग (गा०)	१८०
चरित्र संबंधी शिक्षा	६६		
चित्त	२७६	टॉलस्टॉय आश्रम	१८१
चित्त की एकाग्रता	६३	टेकनिकल हाईस्कूल	११६
" " शुद्धि	२८०		
चेतना	२६१	तपस्	२६८
चैत्य पुरुष	२६३	तपोवन	६६
		" आश्रम	१५०
छठी इंद्रिय, मानस	२७६	तमस्	२६८
		तथ्य और सत्य	१३३
जगत्	१२	तर्कशक्ति का प्रशिक्षण	२८५
" और माया	१३४	तात्कालिक उद्देश्य	२०४
जनता कॉलेज	२४०	त्याग	५७
जन्म एवं शिक्षा (अ०)	२४४		
जन्म और प्रारंभिक जीवन (ए०)	७८	थियोसोफिकल सोसायटी	८३
" " बाल्यकाल (२०)	१२२		
जाति	६६	दक्षिण अफ्रीका की यात्रा (गा०)	१७७
जीवन और कार्य (अ०)	२४४;	दिग्विजय (द०) ५; (२०)	१२८
(ए०) ७८; (गा०) १७४;		दिव्य अनुभूति की प्राप्ति	३५
(द०) १; (२०) १२२; (वि०) ३४		दिव्य मानवता	२६५
जीवन, कला और सौंदर्य	२१५	दीर्घकालीन प्रशिक्षण	२२६
जीवन का चरम लक्ष्य	१३७	दृष्टिकोण, समन्वयवादी	१३०
जीवन के अंतिम वर्ष (२०)	१२६	देवयज्ञ (द०)	२३
जीवन-दर्शन (अ०) २५०;		देशभक्ति का बीजारोपण (अ०)	२४५
(ए०) ८५; (गा०) १८५;		देश में संगठन	३६
(द०) ८; (२०) १२६;		दंड (द०)	२०
(वि०)	४०	द्विजेतर एवं स्त्री-शिक्षा	२८
जीवन-दर्शन पर आधारित संस्थाएँ		दैवी अनुकंपा	२५७
(वि०) ७५		" अंश	२७३
जीवन्मुक्ति	४६, ५४, ५६	" संदेश	२४८
जीवात्मा और ब्रह्म	६	द्वैत की अभिव्यक्ति का आदिमरूप	५०

धर्म	१४४, ६६, ८७	पराविद्या	६६
धर्म का स्वरूप	२८, ८७, १५५, २१४	परीक्षण संस्थाएँ	२४१
धर्म के सिद्धांत :		पाठन की समय-माराखी	२३०
विकास ८६; विभिन्नताएँ ८७;		पाठ्यक्रम	२२५
सत्य और असत्य	६०	पाठ्य-विषय	६२, १५३, २१०, २७१
धर्म साधन की विधि	१४८	पाप की समस्या	२५३-
धर्म-नीति के आधार-भूत सिद्धांत	२१५	पांडीचेरी	२४८
धार्मिक शिक्षा	६६, २८५	पिछड़े वर्गों की शिक्षा	१०८
धार्मिक शिक्षा की विधि	७०	पुनरुत्थान कार्य	८१
नई तालीम	२३६	पुनर्जन्म	१३, ६३
नकारात्मक विचार	६२	पुरस्कार और उपाधियाँ	१२७
नागरिकता का आदर्श	२२४	पूर्णयोग	२६६
नाड़ी शिराएँ	२७६	प्रकृति-अध्ययन	१६७
" शुद्धि	२८०	" और सौंदर्य	६७
निजत्व	२६२	प्रगतिशील बोध	३१
निम्नमानस	६३	प्रमाण	२७
नियम	२७	प्रतियोगिता	२३२
निर्माण	२६३	प्रत्यय प्रभाव	२७६
निर्वाण (वि०)	४०	प्रत्यक्ष उपलब्धि	३२
निवृत्तिवादी दृष्टिकोण	२६१	प्रत्यक्षीकरण	२८१
नैतिक अनुशासन (द०)	२०	प्रशिक्षणा, अध्यापकों का	२२८
नैतिक शिक्षा	२८५	" अल्पकालीन	२२६
पठन-पाठन के घंटे	१११	" तर्क शक्ति का	२८५
" ; विधि (द०)	२४	" दीर्घकालीन	२२६
परम उद्देश्य: मुक्ति	१६५	" मानसिक शक्तियों का	२८२
परम लक्ष्य: सत्य का बोध	१६६	" विद्यालय	२४०
परमपुरुष	१३१	" ज्ञानेन्द्रियों का	२७८, २८२
" की अनुभूति का साधन	१३५	प्राइमरी स्कूल	११३
परममुक्ति	२६०	प्राकृतिक उपचार	२०६
३८		" और सामाजिक शक्तियों	
		में संतुलन	१५७
		प्राणायाम	२३
		प्रार्थना	२१०

क्रिनिक्स आश्रम	१७६	महाप्रयाण (गां०)	१८५
बालक का आरंभिक प्रशिक्षण	२७५	महासमाधि (अ०)	२५०
बालक की आरंभिक शिक्षा	२०८	मानस, छठी इन्द्रिय	२७६
बालमनोविज्ञान की उपेक्षा	२३१	मानसिक शक्तियों का प्रशिक्षण	२८२
बाल्यकाल और शिक्षा (द०)	१	मानसिक शिक्षा	१०५
बाल्यावस्था और शिक्षा (वि०)	३४	माता पिता द्वारा शिक्षा (द०)	१८
" " (गां०)	१७४	मातृभाषा	२२६
बुद्धि	२७७	मातृभाषा, शिक्षा का माध्यम	७५
बैसिक शिक्षा	२३६	मानव और प्रकृति	१५६
बोधर युद्ध	१७६	मार्गत्रय	६७
बंधुत्व, विश्व	५३	मुक्ति	१३, ५५, ५८, १६५
ब्रह्म और जगत्	१३४	मुक्ति के लिए संघर्ष	५५
ब्रह्म और माया (वि०)	४३	मुक्ति के साधन	१५
ब्रह्म के विविध स्वरूप	१७१	मुख्य व्रत	१६३
ब्रह्मचर्य	२६७	मुमुक्षुत्व (द०)	१५
ब्रह्मचर्य और श्रद्धा	६४	मोक्ष-प्राप्ति (वि०)	५५
ब्रह्मचर्यानुशासन	२६६	यम	२७
ब्रह्म विहार	१३६	वज्ञोपवीत	१०१
भारत आगमन (ए०)	८०	यज्ञोपवीत एवं देश भ्रमण (र०)	१२५
" " (गां०)	१८२	योग	५८
भारतीय सभ्यता	८६	योजना की प्रगति	२३८
भारतीय शिक्षा के आदर्श	६५	" पर आधारित संस्थाएँ	२३८
भोजन	२०६	यंत्र	१६८
भोजन और वेशभूषा (द०)	२२	रचनाएँ (र०)	१२८
मन	६७	रचनात्मक अभिव्यक्ति	१६२
मन के स्तर	२७६	रचनात्मक विचार	६२
मनुष्य का वास्तविक स्वभाव (वि०)	४८	रजस्	२६८
" जीवन के दो पक्ष	१६६	रवीन्द्रनाथ और फ्राँबेल	१६६
महाप्रस्थान (ए०)	८५	राजनीति के क्षेत्र में (र०)	१२७
महाप्रयाण (द०)	७	राजनीति में प्रवेश (ए०)	८३
		रामकृष्ण मिशन	७६

रामानुज (द०)	६	विवाह और विच्छेद (ए०)	२६६
राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद	१४१	विवेक	७६
राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता	२०७	विशिष्टाद्वैतवाद	६५
राष्ट्रीय प्रतिभा की उपेक्षा	२३५	विशेष स्वर्ग	४४
राष्ट्रीय शिक्षा और मातृभाषा	१११	विश्वबंधुत्व	१४
राष्ट्रीय शिक्षा-योजना	१०७	विश्व-धर्म सम्मेलन	५३
रात्रि पाठशालाएँ	१०६	विश्वात्मा	३७
रेतस्	२६८	वेदांत की विशेषता	१३२
		वेषभूषा	४१
लोअर सेकेंडरी स्कूल	११५	वैराग्य (द०)	६६
		वैष्णव अद्वैत	१५
वर्ण-धर्म	६८	व्रत, मुख्य	१३१
वर्णाश्रम धर्म (द०)	३१	,, सहायक	१६३
वर्णा शिक्षा-योजना	२१६	व्यक्ति	१६४
,, ,, ,, की विशेषताएँ	२२०	व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्य	५६
,, ,, ,, पर आलोचना-		व्यक्तित्व विकास के साधन	५६
त्मक दृष्टि	२३०	व्यक्तवाद	५७
वाचन	२१०	,, का आदर्श	२६३
विकल्पकाल (२०)	५	व्यक्ति स्वातंत्र्य	१३६
विकास	२५०	व्यवस्था	१३६
विकासक्रम	२५१		१००
,, अचेतन और चेतन	२६५	शक्ति	७१, २६८
विकास, संगतिपूर्ण	२०६	शरीर	१५
विचार	२१२	शान्तिनिकेतन	१२६
,, नकारात्मक	६२	शास्त्रार्थ, निषेधात्मक	५
,, रचनात्मक	६२	,, विधेयात्मक	५
विदेश यात्रा (द०)	१२५	शिक्षक और मनोविज्ञान	२७२
विद्या	२४, ६६	,, का दायित्व	२७३
विद्याध्ययन काल (द०)	२३	,, के आवश्यक गुण	६५
विद्याभ्यास	२१०	शिक्षण-कला के सिद्धांत	१५५
विद्यार्थी और शिक्षक के आवश्यक गुण	६५	,, का केन्द्र : संपूर्ण जीवन	१६८
,, और ब्रह्मचर्य	१५१	,, क्रमिक	२७४
द्विधायत के लिए प्रस्थान (गां०)	१७६	,, पद्धति	१६४, २७४